

129

303

भारतीय संसद
छठो लोक सभा
1977-79
एक अध्वयन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
दिसम्बर, 1979

इस खण्ड का उद्देश्य वर्ष 1977-79 के दौरान छठी लोक सभा द्वारा प्रमुख क्षेत्रों में किये गये कार्य का एक विश्लेषण प्रस्तुत करना है। छठी लोक सभा की गतिविधियों के संबंध में जानकारी वितरणों तथा साहित्यिकोय सारणियों द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिन्हें संक्षिप्त प्रारम्भिक-टिप्पणों द्वारा अनुपूरित किया गया है। कुछ वितरणों में पिछली लोक सभाओं तथा 1929 से केन्द्रीय विधान सभा द्वारा किये गये कार्य की तुलनात्मक तस्वीर पेश की गई है। इस अध्ययन में छठी लोक सभा के सदस्यों तथा उनके द्वारा किये गये योगदान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई है।

छठी लोक सभा की एक ध्यान में रखने योग्य विशेषता यह थी कि विपक्ष के नेता के पद को पहली बार गान्धिता दी गई और उसे कुछ सुविधाएँ भी प्रदान की गई।

आशा है कि यह प्रकाशन उन सभी लोगों के लिये उपयोगी तथा रुचिकर होगा जो लोक सभा का उपलब्धियों का अध्ययन करने के इच्छुक हों।

नई दिल्ली
7 दिसम्बर, 1979

अवतार सिंह रिखी
सचिव
लोक सभा

विषय सूची

आमूला	<u>अध्याय-1</u>	पृ०
छठी लोक सभा - एक सामान्य सर्वेक्षण		1-15
	<u>अध्याय-2</u>	
लोक सभा का गठन और रचना		16-29
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित सीटें §20-21§ ; छठे आम चुनावों का कार्यक्रम §22§ ; राजनैतिक दल §23-24§ ; निवाचित/मनोचित सदस्यों की संख्या §25§ ; शपथ लेने वाले सदस्यों की भाषा-वार संख्या §26§ ; हय-चुनाव §27§ ; राजनैतिक दलों की स्थिति §28§ ; अधिका, अपाधिका तथा सभापति तालिका §29§ ;		
	<u>अध्याय- 3</u>	
लोक सभा के सत्र		30-97
सत्रों के आरम्भ होने तथा समाप्त होने की तिथियाँ §35§ ; 1929 के बाद वार्षिक बैठकों की संख्या और अवधि §36-38§ ; महत्वपूर्ण घटनाओं की अनुक्रमिका §39-95§ ; विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगाया गया समय §96-97§ ;		
	<u>अध्याय- 4</u>	
सदस्यगण और मंत्रोगण		98-134
छठी लोक सभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानों का आवंटन §103§ ; सदस्यों का आयु वर्ग निर्धारण §105§ लोक सभा में महिला सदस्यों की संख्या §106§ ; सदस्यों का पूर्व व्यवसाय §107§ सदस्यों पर हुआ व्यय §108-109§ समय समय पर हुए		

परिवर्तनों सहित मंत्री परिषद के सदस्यों के नाम और उनके मंत्रालय §110-120§; उपर्युक्त के नेता §121§ ; सदस्यों को अनुपस्थिति को अनुमति §122-124§; सदस्यों द्वारा त्याग पत्र §125§ ; निधान सम्बन्धी हल्लेख §126-134§

अध्याय- 5

प्रश्न

135-177

प्राप्त प्रश्नों का निपटान §138§ ; विभिन्न मंत्रालयों से पूछे गए प्रश्न §139-140§; विभिन्न मंत्रालयों से पूछे गए प्रश्न §वर्ष अनुसार विविक्षेपण §141-142§; छठी लोक सभा के दौरान गृहीत प्रश्न §सदस्यवार विविक्षेपण §143-176§ ; किसी एक दिन मौखिक प्रश्नों के दिये गये हस्तियों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या §177§

अध्याय- 6

विधान

178-221

पारित विधान की संख्या §1935 से आगे तक ; §183-184§; पारित विधेयकों के संबंध में विविक्षेपणात्मक चार्ट §185-190§; पारित अधिनियमों का विषयवार वर्गीकरण §191-199§; संयुक्त/प्रवर समिति को सौंपे गये विधेयक §200-201§; लोक मत के लिए परिचालित विधेयक §202-203§ ; वित्तीय कार्यवाही §204-210§; अनुदानों की मांगों के संबंध में चर्चा तथा मतदान §211-217§; अध्यादेश §218-221§

अध्याय-7

प्रस्ताव, संकल्प आदि

222-287

राष्ट्रपति के अधिनियमों के संबंध में ध्यान वाक प्रस्ताव §233-234§; त्याग प्रस्ताव §235-247§;

अक्विवास प्रस्ताव, अक्विलम्बनोय लोक महत्व के विषयों
 को और ध्यान दिलाना, नियम 193 के अधीन चर्चा
 {248-250} ; अल्प कालिक चर्चा {251-255} ; न्यम
 191 तथा 342 के अधीन प्रस्ताव {256-264} ;
 आधो घाटी को चर्चा {265-270} ; संकल्प {271-285} ;
 नियम 377 के अधीन मामले {286} ; व्यवस्था के मामले
 {287}

अध्याय-8

विश्लेषणाधिकार के प्रश्न 288-323

विश्लेषणाधिकार का प्रश्न {288-292} ; सभा में
 ठाये गये विश्लेषणाधिकार के मामले {293-323}

अध्याय -9

सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य/पत्र 324-356

नियम 372 के अधीन दिये गए महत्वपूर्ण वक्तव्य
 {328-354} ; सभा पटल पर रखे गए पत्र {355-356}

अध्याय-10

समितियां तथा सम्मेलन 357-371

संसदीय समितियों को गतिविधियां {363-367} ;
 संसदीय सम्मेलन तथा बैठकें {368-371}

अध्याय-11

दर्शक 372-383

विदेशी शिष्टमंडल/महानुभाव जो संसद भवन को
 देखाने के लिए आये {374-381} ; लोक सभा को
 विभिन्न दर्शक-दीक्षाओं में आने वाले दर्शकों को
 संख्या {382} ; संसद भवन को देखाने के लिए आने वालों
 को संख्या {383}

अध्याय-12

प्रेस

384-386

पत्रकारों को प्रदान की गई सुविधायें §384-385§;
लोक सभा की प्रेस-दीर्घा §386§

अध्याय -13

विविध

387-411

§क§ ग्रंथालय तथा संदर्भ, अनुसंधान, प्रलेखन एवं
सूचना सेवा §396-398§; §ख§ संसदीय
प्रकाशनों की बिक्री §399§ ; §ग§ संसदीय अध्ययन
तथा प्रशिक्षण ब्यूरो §400-411§

परिशिष्ट

412

अध्याय-1

छठे लोक सभा

एक सामान्य सर्वेक्षण

फरवरी, 1977 में हुए छठे आम चुनावों के बाद संविधान की धारा 81 के अंतर्गत छठे लोक सभा की पहली बैठक 25 मार्च, 1977 को हुई। छठे लोक सभा की पांच वर्ष की कार्यकालीनता मार्च, 1981 में समाप्त होनी थी, तथापि इसे 22 अगस्त, 1979 को भंग किया गया। अतः छठे लोक सभा 2 वर्ष, 4 महीने तथा 28 दिनों तक कार्य कर रही। सभा के 378 दिनों में 9 सत्र हुए। सभा की बैठकें वास्तव में 267 दिन हुईं।

केन्द्रीय विधान सभा तथा संविधान सभा {विधायी} की तुलना में 1951 के पश्चात् से सभा की बैठकों में पर्याप्त वृद्धि होती रही है जिसके संसद के वैधानिक तथा संवैधानिक कार्यकलापों में वृद्धि का सूचित गिना जाता है। अतः 1951 से 1979 तक वर्षों में औसतन 115.68 दिनों में बैठक हुई जबकि 1929-1950 तक यह औसत 70.36 दिनों का था।

छठे लोक सभा* ने अपने कार्यकाल में 1753 घंटों के अंदर 267 बैठकें की जबकि पांचवीं लोक सभा ने 4071 घंटों में 613 बैठकें की। चौथी लोक सभा ने 3029 घंटों में 469 बैठकें, तीसरी लोक सभा ने 3733 घंटों में 578 बैठकें की, दूसरी लोक सभा ने 3651 घंटों में 567 बैठकें और पहली लोक सभा ने 3784 घंटों में 677 बैठकें की। छठे लोक सभा की एक बैठक का औसत समय 6 घंटे 33 मिनट था, जबकि पांचवीं

* छठे लोक सभा की आयु केवल 2 वर्ष 4 महीने तथा 28 दिन थी जबकि पहली, दूसरी तथा तीसरी सभाओं की आयु 5 वर्ष, चौथी सभा की 4 वर्ष और पांचवीं सभा की आयु 6 वर्ष थी।

लोक सभा को बैठक का औसत समय 6 घंटे 28 मिनट, चौथी लोक सभा को बैठक का औसत समय 6 घंटे 15 मिनट, तीसरी लोक सभा को बैठक का औसत समय 6 घंटे 27 मिनट, दूसरी लोक सभा को बैठक का औसत समय 6 घंटे 26 मिनट और पहली लोक सभा को बैठक का औसत समय 5 घंटे 25 मिनट था ।

सदस्यों को पृष्ठभूमि

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: छठी लोक सभा में शिक्षा के प्रतिशत का औसत इस प्रकार था:- स्नातक-38.8 प्रतिशत, स्नातकोत्तर-25 प्रतिशत, डॉक्टोरल डिग्री-1.1 प्रतिशत मैट्रिकुलेट-25 प्रतिशत तथा मैट्रिक से कम 9.8 प्रतिशत था ।

व्यावसायिक टांचा: छठी लोक सभा की सदस्यता का 26 प्रतिशत भाग कृषक था जो पांचवों लोक सभा में 33.2 प्रतिशत तथा चौथी लोक सभा में 30.6 प्रतिशत था । पहली और दूसरी लोक सभा में वकील क्रमशः 35.6 प्रतिशत तथा 30.3 प्रतिशत थे और इस श्रेणी का प्रतिशत घटकर चौथी, पांचवीं और छठी लोक सभा में क्रमशः 17.5, 20.5 तथा 23.1 प्रतिशत हो रह गया । राजनैतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधित्व में छठी लोक सभा के दौरान 20 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि पांचवीं लोक सभा के दौरान यह वृद्धि 19 प्रतिशत थी ।

अध्यापकों, शिक्षाविदों, चिकित्सा प्रेक्टिशनरों तथा भूतपूर्व नरेशों की सदस्यता में भी छठी लोक सभा में पांचवीं लोक सभा की तुलना में कुछ वृद्धि हुई ।

आयु वर्गीकरण: संविधान के अंतर्गत लोक सभा की सदस्यता के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु 25 वर्ष है जबकि संविधान में अधिकतम आयु को कोई सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता

नहीं समझी गई है। छठी लोक सभा की प्रथम बैठक के दिन सबसे कम आयु वाले सदस्य की आयु 27 वर्ष थी तथा सबसे अधिक वृद्ध सदस्य की आयु 82 वर्ष थी। समूची सभा की औसत आयु 52 वर्ष। महोना थी। जबकि पांचवों लोक सभा में 49 वर्ष 2 महोने, चौथी लोक सभा में 48 वर्ष 7 महोने तीसरी लोक सभा में 48 वर्ष 10 महोने, दूसरी लोक सभा में 46 वर्ष 4 महोने तथा पहली लोक सभा में 45 वर्ष 8 महोने थी।

छठी लोक सभा में अधिकतम सदस्य 46 से 55 वर्ष के आयु वर्ग के अंतर्गत थे और पांचवों लोक सभा में भी अधिकतम सदस्य इसी आयु वर्ग के थे जबकि चौथी तथा तीसरी लोक सभा में अधिकतम सदस्य क्रमशः 41 से 45 वर्ष तथा 46-50 वर्ष के आयु वर्ग के थे। दूसरी लोक सभा में अधिकतम सदस्य 36 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के अंतर्गत आते थे जबकि पहली लोक सभा के अधिकतम सदस्य 51 से 55 वर्ष के आयु वर्ग के थे।

सभा में राष्ट्रपति का अभिभाषण:

सविधान के अनुच्छेद 78(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति ने तीन बार अर्थात् छठी लोक सभा के प्रथम, चौथे तथा सातवें सत्र में दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण दिये। राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित मामलों पर धनवाद प्रस्ताव के दौरान विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इन चर्चाओं पर 45 घंटे 48 मिनट का समय लगा जो कि लगाए गए कुल समय का 2.59 प्रतिशत है।

विभिन्न प्रकार की कार्यवाही पर लगा समय:

सभा द्वारा लगाए गए 1753 घंटे 6 मिनट के कुल समय में से अधिकतम समय अर्थात् 412 घंटे 28 मिनट या 23.51 प्रतिशत समय विधायी कार्यों पर जिनमें बजट सम्मिलित नहीं है व्यतीत हुआ, जबकि इन कार्यों पर पांचवों लोक सभा में 27.55 प्रतिशत,

चौथी लोक सभा में 22.08 प्रतिशत, तीसरी लोक सभा में 23 प्रतिशत, दूसरी लोक सभा में 28.8 प्रतिशत तथा पहली लोक सभा में 48.8 प्रतिशत समय व्यतीत किया गया ।

छठी लोक सभा में बजट पर चर्चा करने में कुल समय के 408 घंटे 11 मिनट अर्थात् 23.26 प्रतिशत समय लगाया गया जबकि पांचवीं लोक सभा में 21.64 प्रतिशत, चौथी लोक सभा में 19.13 प्रतिशत, तीसरी लोक सभा में 25 प्रतिशत, दूसरी लोक सभा में 20.9 प्रतिशत तथा पहली लोक सभा में 18.5 प्रतिशत समय लगाया गया ।

छठी लोक सभा के दौरान प्रश्नों पर 13.70 प्रतिशत समय लगाया गया जबकि पांचवीं लोक सभा में 12.61 प्रतिशत चौथी लोक सभा में 15.94 प्रतिशत, तीसरी लोक सभा में 15.1 प्रतिशत, दूसरी लोक सभा में 14.6 प्रतिशत समय लगाया गया ।

छठी लोक सभा में संकल्पों पर 3.72 प्रतिशत समय या 66 घंटे 3 मिनट का समय लगाया गया जबकि पांचवीं लोक सभा में 5.17 प्रतिशत चौथी लोक सभा में 6.45 प्रतिशत, तीसरी लोक सभा में 5.9 प्रतिशत, दूसरी लोक सभा में 5.5 प्रतिशत तथा पहली लोक सभा में 6.3 प्रतिशत समय लगाया गया । छठी लोक सभा में प्रस्तावों पर 188 घंटे 12 मिनट अर्थात् 10.70 प्रतिशत समय लगाया गया जबकि पांचवीं लोक सभा में 6.55 प्रतिशत, चौथी लोक सभा में 9.22 प्रतिशत, तीसरी लोक सभा में 13.2 प्रतिशत, दूसरी लोक सभा में 13.7 प्रतिशत तथा पहली लोक सभा में 7.1 प्रतिशत समय लगाया गया ।

शेष समय स्थगन प्रस्तावों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, आधे घंटे की चर्चाओं, अल्प अवधि चर्चाओं, मंत्रियों द्वारा दिए गए कृतव्यों तथा संबन्धित विवरणों में दिखाई गई अन्य मदों पर व्यतीत किया गया ।

विधायी कार्य:

छठी लोक सभा के दौरान, प्रशासनिक, वित्तीय और आर्थिक, वाणिज्य, उद्योग और श्रम संबंधी मामलों से सम्बद्ध विधायी उपायों को सांविधिक रूप दिया गया।

विभिन्न विषयों पर कुल मिलाकर 130 अधिनियम पारित किये गये जिनमें से 53 तो केवल वित्तीय विषयों के बारे में थे। राज्यों {तमिलनाडु, नागालैंड, मिजोरम} और संघ राज्य क्षेत्रों {पाण्डिचेरी, गोवा, दमन और दीव} में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण इनकी आवश्यकता पड़ी थी संसद को इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वित्तीय विधेयक पारित करने पड़े। सात संविधान संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किये गये जिनमें से दो संविधान संशोधन विधेयक अर्थात् संविधान {44वां संशोधन} विधेयक, 1977 तथा संविधान {45वां संशोधन} विधेयक, ¹⁹⁷⁸ पारित किये गये, जिसके परिणामस्वरूप उनका क्रम पुनः संविधान {43वां संशोधन} अधिनियम, 1977 और संविधान {44वां संशोधन} अधिनियम, 1978 किया गया।

प्रशासनिक विषयों के संबंध में पारित किये गये महत्वपूर्ण अधिनियमों में आन्तरिक {निरसन} अधिनियम, 1978 तथा 1890 के पुराने अधिनियम को निरसन करने वाला दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 उल्लेखनीय है। समाज कल्याण संबंधी विषयों में पारित किये गये उल्लेखनीय अधिनियम {संशोधन} विधेयक, बाल {संशोधन} अधिनियम, 1978, स्त्री और लड़की अनैतिक व्यापार दमन, {संशोधन} अधिनियम, 1978, बाल नियोजन {संशोधन} अधिनियम, 1978, बाल विवाह {प्रतिबंध} संशोधन अधिनियम, 1978, श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारी {सेवा की शर्तों} और प्रकीर्ण उपबंध {संशोधन} अधिनियम, 1979 और अन्तरराज्यिक प्रवासो कर्मकार {नियोजन विनियमन तथा सेवा शर्तों} अधिनियम, 1979।

विधि और संसदीय विषयों पर पारित किये गये उल्लेखनीय अधिनियम है, विशेष न्यायालय अधिनियम, 1979; संसदीय कार्यवाही {प्रकाशन सुरक्षा} अधिनियम, 1977, संसद में विपक्षी नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1977; विवादास्पद चुनाव {प्रधान मंत्री एवं अध्यक्ष} अधिनियम, 1977; संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन {संशोधन} अधिनियम, 1979 तथा मंत्रियों के वेतन और भत्ते {संशोधन} अधिनियम, 1977 । छठी लोक सभा की अवधि के दौरान पारित किये गये कुछ अन्य महत्वपूर्ण विधेयक है:- कालटेक्स {कालटेक्स के अंशों का अधिग्रहण} तेल शोधन {भारत} लिमिटेड तथा भारतीय उपक्रम कालटेक्स {भारत} लिमिटेड, अधिनियम, 1977; स्मिथ स्टैनस्ट्रोट एंड कम्पनी लिमिटेड {उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अन्तरण} अधिनियम, 1977, इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी {अंशों का अधिग्रहण} संशोधन अधिनियम, 1977; हिन्दुस्तान ट्रेक्टरज लिमिटेड {उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अन्तरण} अधिनियम, 1978; सरकारी क्षेत्र आयरन एंड स्टील कम्पनी की {पुनरचना} एवं प्रकोर्ण उपबंध अधिनियम 1978 कोसनगैस कम्पनी {उपक्रम का अधिग्रहण} अधिनियम, 1979; परेल इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड एण्ड डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड {प्रबंध ग्रहण} अधिनियम, 1979 तथा लेडी हाडिंग मेडिकल कालज एवं अस्पताल {अधिग्रहण} प्रकोर्ण उपबंध अधिनियम, 1977 ।

स्थगन प्रस्ताव:

छठी लोक सभा के कार्य-काल में 295 स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुये जिनमें से 44 स्थगन प्रस्ताव, जो कुल का 18.30 प्रतिशत बनता है, सदन के समक्ष प्रस्तुत हुये । इनमें से 6 स्थगन प्रस्ताव गृहीत हुये और उन पर 25 घंटे और 6 मिनट को चर्चा हुई । स्थगन प्रस्तावों के माध्यम से उठाये गये कुछ विषयों का संबंध मतदाताओं, विशेषतः हरिजनों तथा अन्य कमजोर वर्गों को स्वतंत्र रूप में मतदान करने में सुरक्षा प्रदान करने में असफलता, उत्तर प्रदेश और बिहार

में उपचुनावों में हेरफेर, उत्तर प्रदेश में संसद सदस्यों पर बर्बर लाठी चार्ज, श्री जयप्रकाश नारायण को मृत्यु के बारे में गलत सूचना, दिल्ली आ रहे अलोगद मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों पर सशस्त्र हमला, सी०आर०पी० और सी०आई०एस०एफ० के कर्मचारियों को मार्गों की समस्याओं से निपटने में असफलता से था । इन सभी प्रस्तावों को सभा ने अस्वीकार कर दिया ।

अविश्वास प्रस्ताव:

छठी लोक सभा के कार्यकाल में तीन अविश्वास प्रस्तावों के नोटिस प्राप्त हुए । इनमें से दो प्रस्ताव सभा के समक्ष रखे गये । उनमें से एक पर चर्चा की गई और अस्वीकृत हुआ और दूसरे पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी ।

श्री सी०एम० स्टोफन ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अंतर्गत गृह मंत्रों के व्यवहार के निरनुमोदक के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया । प्रस्ताव पर सभा में 4 और 5 अक्षरों का चर्चा हुई और वह अस्वीकृत हुआ ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएं:

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमों के नियम 191 के अधीन छठी लोक सभा के कार्यकाल के दौरान 12049 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई । इनमें से 1481 अर्थात् कुल की 12.29 प्रतिशत गृहीत हुई । गृहीत हुई सूचनाओं के उत्तर में संबंधित मंत्रियों ने सभा में 165 वक्तव्य दिये ।

प्रस्ताव:

छठी लोक सभा के कार्यकाल के दौरान लोक महत्व के अनेक विषयों पर नियम 191 अर्थात् अनियत दिन वाले प्रस्ताव, नियम 193 अर्थात् अक्विलम्बनोय लोक महत्व के विषयों पर थोड़े समय की चर्चा, नियम 342 अर्थात् स्थिति या वक्तव्य या किसी अन्य

विषय पर विचार करना १, और नियम 55 १सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण विषय पर आधे घंटे को चर्चा १ के अधीन चर्चाएँ उठायी गयीं ।

नियम 193 के अधीन चौदह प्रस्तावों पर नियम 191 और नियम 342 के अधीन उन्तालोस प्रस्तावों पर चर्चा हुई । नियम 55 के अंतर्गत 58 आधे घंटे को चर्चाएँ हुई ।

नियम 193 के अधीन उठाई गई कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएँ इन विषयों पर थी: अनेक राज्यों में बिगड़ती कानून और व्यवस्था की स्थिति; आरक्षित कोटे में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को रोजगार देना; वियतनाम पर चीन का आक्रमण और एशिया के देशों की स्वतन्त्रता को खारा; भारत में चुनावों के लिये विदेशी धन का कथित भुगतान जिसकी गिस्टर मोहनेहन ने अपनी पुस्तक "एडेन्जरस प्लेस" में चर्चा की है; इंडियन एयर लाइन्स के विमान का कलकत्ता से देहली को उड़ान के दौरान अपहरण नियम 191 और 342 के अधीन उठाये गये अन्य महत्वपूर्ण विषयों में निम्नलिखित भी थे । संविधान में काम करने के अधिकार को शामिल करना और बेरोजगार अपंग और बूढ़ व्यक्तियों का निवाह भत्ता देना, देश में मूल्य वृद्धि, आन्तरिक आयात स्थिति के दौरान जन सम्पर्क साधनों का दुरुपयोग, रेल दुर्घटनाएँ, उत्तर प्रदेश के चार जिलों के आर्थिक पिछड़ेपन का समाप्त करना; पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन में गरीबी और पिछड़ापन; विभिन्न राज्यों में हरिजनों पर हो रहे अत्याचार पंचवर्षीय योजनाएँ, दक्षिणी राज्यों की भाषा नीति, शाह आयोग की प्रथम तथा दूसरी अन्तरिम रिपोर्टें, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की स्वायत्तता; देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक दंगे; अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन ।

संकल्प:

में

पांचवों लोक सभा/जहां 140 संकल्पों पर चर्चा हुई वहां छठो लोक सभा में कुल 36 संकल्पों पर चर्चा हुई और चौथो लोक सभा में 79, तीसरो लोक सभा में 84, दूसरो लोक सभा में 83 और पहलो लोक सभा में 67 संकल्पों पर चर्चा हुई। कुल 36 संकल्पों में से 9 सरकार के संकल्प थे, जिनका अध्यक्ष ने प्रस्ताव दिया और वे स्वीकृत हुए। अध्यक्ष द्वारा रखे गये संकल्पों का संबंध प्रधान मंत्री के हवाई जहाज को दुर्घटना में बाल बाल बच जाने और तूफान में जन धन को हानि से था। कुल 18 गैर-सरकारी संकल्पों में से 4 स्वीकृत हुए। इनका संबंध भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा लोकतांत्रिक मान्यताओं को तोड़ने, अर्थ व्यवस्था में सुधार करने और जाय की विषमताओं को समाप्त करने, परतो भूमि को कृषि योग्य बनाने और उसे भूमिहीन व्यक्तियों में बांटने और गोवध पर प्रतिबंध लगाने से था।

प्रश्न:

छठो लोक सभा के कार्यकाल* में कुल 1,37,045 प्रश्नों के नोटिस प्राप्त हुए और जबकि पांचवों लोक सभा के कार्यकाल में 2,52,700 नोटिस, चौथो लोक सभा के कार्यकाल में 2,64,742 नोटिस तीसरो लोक सभा के कार्यकाल में 1,62,334 नोटिस, दूसरो लोक सभा के कार्यकाल में 1,33,328 नोटिस और पहलो लोक सभा के कार्यकाल में 71,907 नोटिस प्राप्त हुए। कुल नोटिसों में से 51,209 प्रश्न गृहोत् किये गये जोकि कुल नोटिसों का 37.55 प्रतिशत है। पांचवों, चौथो, दूसरो और पहलो लोक सभा के लिये यह आंकड़े 98,606 या 39.02 प्रतिशत; 95,538 या 35.3 प्रतिशत; 58,440 या 35 प्रतिशत;

* छठो लोक सभा का कार्यकाल केवल 2 वर्ष 4 महोने और 28 दिन था

62,800 या 47 प्रतिशत और 43350 या 61 प्रतिशत थे ।

कुल गृहोत्त प्रश्नों में से 46094 या 90.02 अतारांकित थे; 5052 या 9.86 तारांकित थे और केवल 63 या 0.12 अल्प सूचना प्रश्न थे ।

जिन मंत्रियों से अधिकतम प्रश्न पूछे गये वे थे रेल मंत्री §5578§; वित्त मंत्री §4854§; कृषि और सिंचाई मंत्री §4715§ और उद्योग मंत्री §4614§ ।

संसदीय समितियों के क्रियाकलाप:

छठी लोक सभा के कार्यकाल में संसद की स्थायी समितियों को 960 बैठकें हुईं । इनमें से तीन वित्तीय समितियों को 425 बैठकें हैं ।

लोक लेखा समिति को 122 बैठकें हुईं । ये 250 घंटे की थी । समिति को 14 उप समितियाँ/अध्ययन दल नियुक्त किये गये । उन्होंने अपने दौरों के दौरान 86 कार्यालयों का दौरा किया । समिति ने 149 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये ।

प्राक्कलन समिति को 118 बैठकें हुईं । ये 224 घंटे की थी । समिति को 28 उप समितियाँ/अध्ययन दल नियुक्त किये गये । उन्होंने अपने दौरों के दौरान 118 संस्थानों/संगठनों का दौरा किया ।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने 185 बैठकें की और इन में 374 घंटे लगें । समिति ने 12 उप समितियाँ/अध्ययन दल नियुक्त किये । उन्होंने 63 संस्थानों/संगठनों का दौरा किया । समिति ने 55 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति को 58 बैठकें हुईं और इनमें 176 घंटे का समय लगा । समिति ने 6 उप समितियाँ/अध्ययन दल नियुक्त और उन्होंने 94 स्थानों का दौरा किया । समिति ने 73 प्रतिवेदन

प्रस्तुत किये ।

सात विधेयकों को संयुक्त समितियों को सौंपा गया ।
उनको 98 बैठकें हुईं और 3 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये । लोकपाल
विधेयक पर संयुक्त समिति को 25 बैठकें हुईं जबकि बहुराज्यीय
सहकार समितियाँ विधेयक, मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, वायु
प्रदूषण निवारण और नियंत्रण विधेयक और आदो और ग्राम
उद्योग आयांग सूक्ष्माधन विधेयक पर संयुक्त समितियों को
क्रमशः 15, 14, 13 और 15 बैठकें हुईं । तीन विधेयक,
अर्थात् औद्योगिक संबंध विधेयक, अस्पताल तथा शैक्षणिक संस्थान
कर्मचारियों को सेवा को शर्तें तथा रोजगार विवादों का
निपटारा विधेयक और कर्मचारों सुरक्षा और प्रकोण उपबंध
विधेयक कर्मचारों विधेयक लोक सभा द्वारा संयुक्त समिति को
सौंपे जाने का प्रस्ताव स्विकृत होने के बाद राज्य सभा द्वारा
पारित नहीं किये गये । इस तरह इन्हें अन्त में संयुक्त समिति
के पास नहीं भेजा गया ।

व्यवस्था के मामले:

छठी लोक सभा के दौरान 624 व्यवस्था के मामले उठाये
गये जिनमें से 118 पर अध्यक्ष द्वारा स्विकृति प्रदान की गई
तथा उन पर सभा का कुल 43 घंटे 38 मिनट का समय लगा ।

अनुपस्थिति को अनुमति:

जो सदस्य सविधान के अनुच्छेद 101 के खण्ड 4 के
अंतर्गत सभा को बैठकों से अनुपस्थिति को अनुज्ञा प्राप्त करना
चाहे, वह लोक सभा के प्रक्रिया संबंधी नियमों के अनुसार अध्यक्ष
को लिखित रूप में आवेदन-पत्र देगा । आवेदन-पत्र में उस
कालावधि का उल्लेख होता है जिसके लिये अनुपस्थिति को
अनुमति अपेक्षित हो और उसमें एंसी अनुपस्थिति को अनुमति

के आरम्भ होने तथा समाप्त होने की तिथि और ऐसी अनुपस्थिति के आधार भी दशाथि जाते हैं। परन्तु किसी एक समय साठ दिन को अनुमति से अधिक को अनुपस्थिति को अनुमति के लिये आवेदन नहीं किया जायेगा। इस प्रकार के सभी आवेदन-पत्र "सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति" संबंधी समिति को निर्दिष्ट होंगे। समय-समय पर समिति सभा को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है। समिति की सिफारिशों पर सभा द्वारा लिये गये विनिश्चय को संबंधित सदस्य के पास भेज दिया जाता है।

छठे लोक सभा की अवधि के दौरान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिये 45 सदस्यों ने आवेदन किया तथा उनका समिति को सिफारिशों के आधार पर लोक सभा द्वारा अनुमति प्रदान की गई।

सदस्यों के लिये सेवाएं:

पिछली सभाओं के सदस्यों को भाति ग्रंथालय और संदर्भ, शोध, प्रलेखन तथा सूचना सेवा {एल.ए.आर.आर.डी.आई.एस.} ने सेंट सदस्यों को उनके संसदीय कार्य से संबंधित आवश्यक सूचनाओं को उपलब्ध कराया। छठे लोक सभा की अवधि के दौरान सदस्यों से 5192 संदर्भ प्राप्त किये गये, तथा सूचना सामग्री प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, 1530 संदर्भों के मामलों में भी सदस्यों को तत्काल सूचना उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा, सामयिक घटनाओं तथा विकास कार्यों से सदस्यों को बराबर अवगत कराने के लिये ग्रंथालय और संदर्भ, शोध, प्रलेखन तथा सूचना सेवा ने बहुत सी पत्रिकाओं अर्थात् "दो जर्नल आफ पार्लियामेंटरी इन्फारमेशन {त्रैमासिक}"; दो डाइजस्ट आफ सेंट्रल एक्ट्स {त्रैमासिक}; दो डाइजस्ट आफ लेजिस्लेटिव एण्ड कांस्टीट्यूशनल केसिस {त्रैमासिक}; दो डायरी आफ पार्लियामेंट

इवेन्टस {मासिक}; पुस्तकों, प्रतिवेदनों तथा लेखों का सार {त्रैमासिक}; डाकूमेंटेशन फोरटनाइटली {पाक्षिक}; तथा संसदीय पत्रिका {हिन्दी त्रैमासिक} का प्रकाशित किया। इसके अतिरिक्त पुस्तिकायें, निदेश टिप्पण पत्रिका, मॉनाग्राफ्स, सूचना प्रकाशनों तथा प्रलेखन सूचियाँ जैसे अन्य तदर्थ प्रकाशनों को भी प्रकाशित किया गया। संसद ग्रंथालय में मंगाये गये नवीनतम प्रकाशनों के बारे में सदस्यों को सूचित करने के लिये संसद ग्रंथालय बुलेटिनों को नियमित रूप से जारी किया गया।

सत्रों के दौरान सदस्यों को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के नवीनतम समाचारों से अवगत कराने के लिये थोड़े-थोड़े अन्तराल के पश्चात् भूमि तल ग्रंथालय के पास टेलीप्रिंटर समाचारों का प्रदर्शित करने की व्यवस्था की गई।

सभा का नेता:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में यह बताया गया है कि प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद् होगी, जो राष्ट्रपति को अपने कार्य करने में सहायता तथा सलाह प्रदान करेगी। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों में सभा के नेता को यह परिभाषा दी गई है "सभा का नेता, का तात्पर्य प्रधान मंत्री से, यदि वह सभा का सदस्य हो, अथवा उस मंत्री से है, जो सभा का सदस्य हो और सभा के नेता के रूप में कार्य करने के लिये प्रधान मंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो।"

सभा का नेता संसद के सत्र में किये जाने वाले सरकारी कार्य संबंधी कार्यक्रम को तैयार करता है। जब भी वह चाहे, सदन का संबोधित करने का उसको अधिकार प्राप्त है।

छठे लोक सभा के दौरान 25 मार्च, 1977 से 2 जुलाई, 1979 तक श्री मोरारजी देसाई तथा 28 जुलाई से 21 अगस्त, 1979 तक श्री चरण सिंह सभा के नेता रहे थे।

विपक्ष का नेता:

जैसा कि "संसद में विपक्ष के नेता का वेतन तथा भत्ता अधिनियम, 1977" के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, विपक्ष के नेता से तात्पर्य है, राज्य सभा अथवा लोक सभा का वह सदस्य जो उस कालावधि में उस विशेष सदन में सरकार के विपक्षी दल का नेता है, जिसको विपक्षी दल के रूप में सबसे अधिक सदस्य संख्या है, तथा जिसके लिये राज्य सभा के चेयरमेन अथवा लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त है।

"संसद में विपक्ष के नेता का वेतन तथा भत्ता अधिनियम 1977" के अनुसार लोक सभा तथा राज्य सभा में विपक्ष के नेता को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, तथा उसको वेतन तथा कुल अन्य सुविधायें भी प्रदान की गई।

छठे लोक सभा की अवधि के दौरान अध्यक्ष द्वारा 25 मार्च, 1977 से 12 अप्रैल, 1978 तक तथा 10 जुलाई से 28 जुलाई, 1979 तक श्री यशवन्तराव चव्हाण, 12 अप्रैल, 1978 से 10 जुलाई, 1979 तक श्री सी०एम० स्टीफन तथा 28 जुलाई से 22 अगस्त, 1979 तक श्री जगजोवन राम का विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्रदान की गई। श्री सी०एम० स्टीफन तथा श्री यशवन्तराव चव्हाण ने विपक्ष के नेता के रूप में सरकार के खिलाफ क्रमशः 10 मई, 1978 तथा 11 जुलाई, 1979 को दो अविश्वास प्रस्ताव पेश किये।

प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यक्रम:

संसदीय प्रक्रिया तथा पद्धति में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संस्थागत रूप देने के दृष्टिकोण से संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो का। जनवरी, 1976 को लोक सभा सचिवालय में स्थापित किया गया था।

ब्यूरो ने ओरियंटेशन कार्यक्रम के अंतर्गत नये सदस्यों के लिये 7 अध्ययन गोष्ठियों तथा 6 वातालाप सत्रों का आयोजन किया । इन अध्ययन गोष्ठियों को एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इनमें न केवल संसद सदस्य ही उपस्थित रहे, बल्कि बहुत से राज्यों के मंत्रियों, अधिष्ठाता अधिकारियों तथा विधायकों द्वारा भी इनमें भाग लिया गया । इन अध्ययन गोष्ठियों द्वारा बहुत से उपयोगी विचार प्रकाश में आये । "संसद को वित्तीय समितियाँ", "विधायकों के विशेषाधिकार", "संविधान का संशोधन", "बजट संबंधी प्रक्रियाएँ" इत्यादि इस प्रकार के अध्ययन गोष्ठियों के कुछ महत्वपूर्ण विषय थे ।

अध्याय-2

लोक सभा कठन और रचना

चुनाव :

भारत के संविधान में, जो 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था, संसद को चुनावों के बारे में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तदनुसार संसद ने इस प्रयोजन के लिये दो बड़े अधिनियम, अर्थात् 1950 और 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाये। इन अधिनियमों के अंतर्गत चुनाव कराने के लिये सांविधिक नियम बनाये गये।

संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों के आरक्षण के लिये भी व्यवस्था की गई है। 1977 में हुए लोक सभा के आम चुनावों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये क्रमशः 78 और 38 स्थान आरक्षित किये गये। परन्तु आरक्षित स्थानों के अतिरिक्त सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से अनुसूचित जाति का एक और अनुसूचित जनजातियों के 8 सदस्य चुने गए।

विवरण 1 में छठे आम चुनाव में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित स्थानों को राज्य-वार संख्या दी गई है।

संविधान के लागू होने के समय से भारत में सर्व-व्यस्क मताधिकार के आधार पर लोक सभा के 6 आम चुनाव हुए हैं। पहला आम चुनाव दिसम्बर, 1951-फरवरी, 1952, दूसरा फरवरी-मार्च, 1957, तीसरा फरवरी, 1962, चौथा फरवरी, 1967 और पाँचवाँ मार्च, 1971 में हुआ था। छठा आम चुनाव 16, 18, 19 और 20 मार्च, 1977 को हुआ था। विवरण 2 में छठे आम चुनाव का कार्यक्रम दिया गया है।

राजनीतिक दल:

लोक सभा के छठे आम चुनावों में पांच राष्ट्रीय दलों, पंद्रह राज्यों के दलों और 14 अन्य पंजीकृत दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। विवरण 3 में छठे आम चुनाव में भाग लेने वाले दलों को दर्शाया गया है।

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

छठी लोक सभा का गठन 23 मार्च, 1977 को हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत इसमें 544 सदस्य - 542 - निर्वाचित और 2 नामजद सदस्य थे। कुल 544 सदस्यों में से, जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ ली या प्रतिज्ञान किया, 264 सदस्यों ने हिन्दी में, 164 ने अंग्रेजी, 33 ने बंगाली, 29 ने तमिल, 12 ने मराठी, 10 ने पंजाबी, 8 ने उर्दू, 6 ने संस्कृत, पांच ने उड़िया, 5 ने कन्नड़, 4 ने तेलगू और 1 ने गुजराती, 1 ने असमो, 1 ने कश्मीरी और 1 ने मलयालम में शपथ ली। विवरण 4 और 5 में छठी लोक सभा की संख्यात्मक रचना और शपथ के दौरान सदस्यों द्वारा प्रयुक्त भाषा को दर्शाया गया है।

उप-चुनाव

छठी लोक सभा के दौरान कुल 16 उप-चुनाव हुए। 1977 में 2 स्थानों के लिये चुनाव हुए। 1978 और 1979 में क्रमशः 8 और 6 स्थानों के लिए चुनाव हुए। विवरण 6 में इन उप-चुनावों के बारे में ब्यारे दिये गये हैं।

द्वितीय स्थिति

वास्तविक चुनाव होने से पहले कांग्रेस दल को दो संसदीय स्थान निर्विरोध प्राप्त हुए - एक सिविकम से और दूसरा

अरुणाचल प्रदेश से । वास्तविक चुनाव 540 स्थानों के लिए हुआ । 540 स्थानों में से जनता पार्टी को 271 स्थान और इसके सहयोगी दल कांग्रेस फार डेमोक्रेसी को 28 स्थान प्राप्त हुए । इस प्रकार इसके कुल 299 स्थान हुए । कांग्रेस दल को 153 स्थान प्राप्त हुए । साम्यवादी दल {माक्सवादी} ने 22 स्थान प्राप्त किये और अन्नाद्रमुक को 19 स्थान मिले ।

चिवरण 7 में 25 मार्च, 1977 को लोक सभा में दल-द्वारा स्थिति दर्शायी गई है ।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभपति-तालिका

छठी लोक सभा पहली बार 25 मार्च, 1977 को बुलाई गई थी । उसी दिन श्री डी०एन० तिवारी को सामयिक अध्यक्ष के पद पर मनोनित किया गया । 26 मार्च, 1977 को श्री नीलम संजिव रेड्डी को सर्वसम्मति से छठी लोक सभा का अध्यक्ष चुना गया । परन्तु श्री रेड्डी के भारत का राष्ट्रपति चुने जाने पर श्री के०एस० हेगड़े को 21 जुलाई, 1977 को सर्वसम्मति से लोक सभा का अध्यक्ष चुना गया । 1 अप्रैल, 1977 को श्री गौड़े मुराहरि का सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया । चिवरण 8 में अध्यक्षों, उपाध्यक्ष के नामों और सभपति-तालिका का दर्शाया गया है ।

सदस्यों के बैठने की व्यवस्था

लोक सभा का चैम्बर अर्धवृत्ताकार है । अध्यक्ष को पीठ अर्धवृत्त के दो सिरों का मिलाने वाले व्यास के केन्द्र में विशिष्ट रूप से रखी गई है । चैम्बर के प्रकोष्ठ में अध्यक्ष की पीठ के पास नीचे सभा-सचिव का पटल है ।

चैम्बर में 550 सदस्यों के बैठने का स्थान है । सोंटें 6 खंडों में विभाजित हैं । प्रत्येक में 11 पक्तियाँ हैं । अध्यक्ष

की पीठ की दाहिनी ओर सरकारी पक्ष और बायीं ओर
विपक्ष के सदस्यों की सीटें हैं ।

लोक सभा चेम्बर में बैठने की व्यवस्था की दृष्टाने
वाला एक चार्ट संलग्न है ॥ परिशिष्ट ॥

विवरण - 1

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित स्थान

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

1977

आम चुनाव

	कुल स्थान	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
आंध्र प्रदेश	42	6	2
आसाम	14	1	3
बिहार	54	8	5
गुजरात	26	2	4
हरियाणा	10	2	0
हिमाचल प्रदेश	4	1	0
जम्मू और काश्मीर	6	0	0
कर्नाटक	28	4	0
करल	20	2	0
मध्य प्रदेश	40	5	8
महाराष्ट्र	48	3	3
मणिपुर	2	0	1
मेघालय	2	0	0
नागालैंड	1	0	0
उड़ीसा	21	3	5
पंजाब	13	3	0
राजस्थान	25	4	3
सिक्किम	1	0	0
तमिलनाडु	39	7	0
त्रिपुरा	2	0	1
उत्तर प्रदेश	85	18	0
पश्चिम बंगाल	42	8	2
अंडमान और निकोबार	1	0	0
अरुणाचल प्रदेश	2	0	0
चण्डीगढ़	1	0	0
दादरा और नागर हवेली	1	0	1
गोवा, दमन और दीव	2	0	0

लक्षद्वीप	1	0	1
मिजोरम	1	0	0
पाण्डिचेरी	1	0	0
दिल्ली	7	1	0

कुल	542	78	38

PARLIAMENT LIBRARY
Central Govt. Publications
Acc. No. KC... 54311 (3)
Date..... 13.6.80

विवरण - 2

छठे आम चुनाव का कार्यक्रम

<u>क्रमांक</u>	<u>कार्यक्रम</u>	<u>दिनांक</u>
1.	अधिसूचना जारी करने को तारीख	10.2.1977
2.	नामांकन पत्र देने को अंतिम तारीख	17.2.1977
3.	नामांकन पत्रों को जांच को तारीख	18.2.1977
4.	नाम वापस लेने को अंतिम तारीख	21.2.1977
5.	चुनाव को तारीख	16, 18, 19 और 20 मार्च, 1977
6.	तारीख जिससे पहले चुनाव पूरा हुआ	23.3.1977

- टिप्पण:
1. हिमाचल प्रदेश में "गंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र" में चुनाव 10-6-1977 को हुआ ।
 2. फिरोजपुर {पंजाब} संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव 26-4-1977 को हुआ ।
 3. लद्दाख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र {जम्मू और काश्मीर} में चुनाव 3-7-1977 को हुआ ।

छठे लोक सभा का गठन 23-3-1977 को हुआ और इसका पहला सत्र 25-3-1977 से बुलाया गया ।

विवरण- 3

छठे आम चुनाव में राजनीतिक दल

दुम्माई

राष्ट्रीय दल

1.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	आई.एन.सी.
2.	भारतीय लोक दल	बी.एल.डी.
3.	भारतीय साम्यवादो दल	सी.पी.आई.
4.	भारतीय साम्यवादो दल ॥ मार्क्सवादो ॥	सी.पी.एम.
5.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ॥ संगठन ॥	एन.सी.ओ.
ख.	<u>राज्य के दल</u>	
1.	विशाल हरियाणा पार्टी	वी.एच.पी.
2.	जम्मू और काश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन	जे.के.एन.
3.	केरल कांग्रेस	के.ई.सी.
4.	केरल कांग्रेस ॥ पिल्लै ग्रुप ॥	के.सी.पी.
5.	मुसलिम लोग	एम.यू.एल.
6.	मुसलिम लोग ॥ विपक्ष ॥	एम.एल.ओ.
7.	क्रांतिकारी समाजवादो दल	आर.एस.पी.
8.	पीजेन्ट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी	पी.डब्ल्यू.पी.
9.	मणिपुर फ्रीपल्स पार्टी	एम.आर.पी.
10.	संयुक्त लोकतंत्रोय मोर्चा	यू.डी.एफ.
11.	शिरोमणि अकाली दल	एस.ए.डी.

12.	द्विविध मुन्नेत्र कपगम	द्रमुक
13.	आल इडिया अन्ना द्रिविध कपगम	अन्नाद्रमुक
14.	आल इडिया फार्वर्ड ब्लाक	एफ.बी.एल.
15.	महाराष्ट्रवादी गोमन्नेत्र	एम.ए.जी.
ग.	<u>अन्य पंजीकृत दल</u>	
1.	रिपब्लिकन पार्टी आफ इडिया }ओवरगड् }	आर.बी.के.
2.	रिपब्लिकन पार्टी आफ इडिया	आर.पी.आई.
3.	अखिल भारतीय रामराज्य परिषद	आर.आर.पी.
4.	अखिल भारतीय हिन्दू महासभा	एच.एम.एस.
5.	सोसलिस्ट यूनिटो सेंटर आफ इडिया	एस.यू.सी.आई.
6.	रिब्रूशनरो कम्युनिस्ट पार्टी आफ इडिया	आर.सी.आई.
7.	आल इडिया झारखंड पार्टी	जे.के.पी.
8.	झारखंड पार्टी	जे.के.डी.
9.	विहार प्रांत हल झारखंड	पी.एच.जे.
10.	शोषित समाज दल }अखिल भारतीय }	एस.एस.डी.
11.	आल इडिया शिरोमणि वाबा जोवन सिंह मजहबी दल	जे.एम.डी.
12.	आल इडिया लेबर पार्टी	आई.एल.पी.
13.	त्रिपुरा उपरातो जुवा समिति	टी.यू.एस.
14.	आल इडिया गोरखा लोग	आई.जी.एल.

विवरण = 4

लोक सभा के लिये निर्वाचित/मनोनित सदस्यों की संख्या

१	१६६	छठी लोक सभा के लिये निर्वाचित सदस्य	542
2	१६७	लोकसभा के अनुच्छेद 331 के अधीन मनोनित सदस्य	2
3	१६८	लोक सभा का सम्पूर्ण गठन	<u>544</u>

खिवरण - 5

रापथ लेने वाले लदरुओं की भाषावार संख्या

<u>भाषाएं</u>	<u>लदरुओं की संख्या</u>
हिन्दो	264
अंग्रेजी	164
बंग ला	33
तमिल	29
मराठी	12
पंजाबी	10
उर्दू	8
संस्कृत	6
उडिया	5
गुजराती	1
कन्नड	5
तेलगु	4
असमिया	1
कश्मीरी	1
मलयालम	1

विवरण - 6

छठों लोक सभा के दौरान हुए उप-चुनाव

उपस्थ का नाम	निर्वाचन क्षेत्र तथा राज्य	लोक सभा के लिये प्रथम ग्रहण / अन्योक्त किये जाने की तिथि
1. श्री चिमन भाई हरीलाल शुक्ल	राजकोट } गुजरात }	19-12-77
2. श्री वलवन्त सिंह रामूवालियाफरोदकोट	} पंजाब }	22-12-77
3. श्री पी० कैंट सुब्बैया	नंदवाल } आंध्र प्रदेश }	6-3-78
4. श्री गांधी मल्लिकार्जुन राव	वारंगल } आंध्र प्रदेश }	6-3-78
5. श्री मोहिन्द्र सिंह	करनाल } हरियाणा }	6-4-78
6. श्री देहो	बाह्य मणिपुर } मणिपुर }	8-5-78
7. श्रीमती मांहरिना किदवई	आजमगढ़ } उत्तर प्रदेश }	11-5-78
8. श्रीमती इदिरा नेहरू गांधी	चिक्मगलूर } कर्नाटक }	20-11-78
9. श्री अजीत कुमार मेहता	समस्तीपुर } बिहार }	4-12-78
10. श्री सईद लियाकत सुरीन	फतेहपुर } उत्तर प्रदेश }	8-12-78
11. श्री पी० शिवशंकर	सिकन्दराबाद } आंध्रप्रदेश }	19-12-78
12. श्री नन्दो यल्लैया	सिद्धिपेट } अ.जा. } } आंध्र प्रदेश }	20-2-79
13. श्री कुशाभाऊ ठाकरे	खंडवा } मध्यप्रदेश }	20-2-79
14. श्री रविनन्दन सिंह	सोधो } मध्यप्रदेश }	9-7-79
15. श्री एस० सिंगारावाडोकेल	थंजाबूर } तमिलनाडु }	9-7-79
16. श्री वें० मुल्लाखन	नेगापटनम } तमिलनाडु } } अ.जा. }	9-7-79

विवरण - 7

25-3-1977 को लोक सभा में राजनीतिक दलों की स्थिति

जनता पार्टी	269
कांग्रेस	152
जोएफओ	28
सीपीआई(मार्क्सवादी)	22
अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुन्नेत्र कषम	19
शिरामणि अकाली दल	8
सीपीआई	7
पीजेंटस एण्ड वर्कर्स पार्टी	5
आरएसपी	3
मुस्लिम लोग	2
एनसी	2
केरल कांग्रेस	2
महाराष्ट्रवादी गोमन्तक	1
यूओएफ	1
डीएमपी	1
निर्दलीय	17

* मंडी लोकसदीय निवाचन क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) के तीन खण्डों तथा लद्दाख लोकसदीय निवाचन क्षेत्र (जम्मू एवं काश्मीर) में मतदान क्रमशः 10 जून, 1977 तथा 16 जुलाई, 1977 को हुआ। फिरोजपुर लोकसदीय निवाचन क्षेत्र, पंजाब में 26 अप्रैल, 1977 को पुनः मतदान हुआ।

विवरण - 8

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सभापति तालिका

	<u>से</u>	<u>तक</u>
<u>सामयिक अध्यक्ष</u>		
श्री द्वारिका नाथ तिवारी	25-3-1977	26-3-1977
<u>अध्यक्ष</u>		
श्री नीलम संजोव रेड्डी	26-3-1977	13-7-1977
श्री के०एस० हेगड़े	21-7-1977	जब तक
<u>उपाध्यक्ष</u>		
श्री गोड़े मुराहरि	1-4-1977	22-8-1979
<u>सभापति तालिका</u>		
श्री दिग्विजय नारायण सिंह	25-3-1977	26-3-1977
श्री त्रिदिव चौधरी	25-3-1977	26-3-1977
		और
	29-3-1977	15-3-1978
श्री के० रघुरामैया	25-3-1977	26-3-1977
श्री धीरेन्द्र नाथ बसु	29-3-1977	8-7-1979
कुमारो आभा मै तो	29-3-1977	13-8-1977
श्री एस०डी० पाटिल	29-3-1977	13-8-1977
श्री एस० सत्यनारायण राव	29-3-1977	22-8-1979
श्री द्वारिका नाथ तिवारी	29-3-1977	15-3-1978
डा० सुशीला नायर	23-11-1977	8-7-1979
श्री एन०के० शंजवलकर	23-11-1977	22-8-1979
श्रीमती पार्वती कृष्णन	16-3-1978	22-8-1979
श्री राग मूर्ति	16-3-1978	8-7-1979
श्री बी०पी० कदम	9-7-1979	22-8-1979
श्री बी०ए० सैयद मोहम्मद	9-7-1979	22-8-1979
श्री जगन्नाथ शर्मा	9-7-1979	22-8-1979

अध्याय-3
लोक सभा के सत्र

संसद देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है। हमारी संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति तथा दोनों सदन- लोक सभा (लोकसभा) और राज्य सभा (राज्यसभा) आते हैं। राष्ट्रपति का संसद के किसी भी सदन को बुलाने और सत्रावसान करने तथा लोक सभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है।

26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद तथा संविधान के अंतर्गत पहले आम चुनाव होने के बाद 17 अप्रैल, 1952 को पहली निर्वाचित संसद का गठन हुआ। पहली लोक सभा को पहली बार 13 मई, 1952 को बैठक हुई। और इसे 4 अप्रैल, 1957 को राष्ट्रपति द्वारा इसके सामान्य कार्यकाल से अड़तीस दिन पहले भंग किया गया। दूसरी लोक सभा को जिसको पहली बैठक 10 मई, 1957 को हुई, 31 मार्च, 1962 को इसके सामान्य कार्यकाल से चालीस दिन पहले भंग किया गया। तीसरी लोक सभा को पहली बैठक 16 अप्रैल, 1962 को हुई और इसे 3 मार्च, 1967 को इसके कार्यकाल को समाप्त के चत्वारस दिन पहले भंग किया गया। चौथी लोक सभा को 16 मार्च, 1967 को बैठक हुई और 27 दिसम्बर, 1970 को इसे इसके कार्यकाल को समाप्त के एक वर्ष और उनसी दिन पहले भंग किया गया।

पाँचवीं लोक सभा को पहली बैठक 19 मार्च, 1971 को हुई। पाँचवीं लोक सभा का कार्यकाल, जिसे 18 मार्च, 1976 को समाप्त होना था, लोक सभा (अवधि का विस्तार) अधिनियम, 1976 द्वारा 18 मार्च, 1977 तक एक वर्ष को और अवधि के लिए बढ़ाया गया। इसका कार्यकाल लोक सभा (अवधि का विस्तार)

संशोधन, अधिनियम, 1976 द्वारा फिर 18 मार्च, 1978 तक और एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया। किन्तु सभा को 18 जनवरी, 1977 को 5 वर्ष, 10 महीने और 6 दिन की अवधि के बाद भंग किया गया।

छठे लोक सभा छठे आम चुनाव के बाद पहली बार 25 मार्च, 1977 को बैठो। लोक सभा का सामान्य कार्य-काल संविधान में चवालोसवा संशोधन अधिनियम, 1978 के अंतर्गत पांच वर्ष किया गया। तथापि सभा को दो वर्ष, चार महीने और 28 दिन की अवधि के बाद 22 अगस्त, 1979 को भंग किया गया।

लोक सभा के सत्र

सामान्यतया लोक सभा के वर्ष भर में निम्नलिखित तीन सत्र होते हैं:

- 1} बजट सत्र.....फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई।
- 2} शरत्कालीन अथवा अगस्त और सितम्बर।
वर्षाकालीन सत्र...
- 3} शीतकालीन सत्र.....नवम्बर और दिसम्बर।

छठे लोक सभा के 9 सत्र हुए जो 378 दिन की अवधि तक चले और उन दिनों की संख्या जब सभा वास्तविकरूप में बैठो, 267 थी। विवरण 9 में छठे लोक सभा के सत्रों के आरम्भ होने और समाप्त होने की तारीखें दी गई हैं।

छठे लोक सभा ने अपने कार्यकाल के दौरान अपनी 267 बैठकों * में निष्पादित विभिन्न प्रकार के कार्यों पर 1753.06 घंटे लगाये। इसकी तुलना में पांचवें लोक सभा को 613 बैठों

*छठे लोक सभा का कार्यकाल केवल 2 वर्ष, 4 महीने और 28 दिन रहा।

हुई जिनमें लगभग 4,071 घंटे लगे, चौथी लोक सभा को लगभग 3029 घंटों का 469 बैठकें हुई, तीसरी लोकसभा को लगभग 3,733 घंटों की 578 बैठकें हुई, दूसरी लोक सभा को लगभग 3,651 घंटों की 567 बैठकें हुई और पहली लोक सभा को लगभग 3,784 घंटों की 677 बैठकें हुई। छठी लोक सभा के दौरान बैठकों का औसत समय 6 घंटे और 33 मिनट रहा जबकि इसकी तुलना में पांचवीं लोक सभा का 6 घंटे और 38 मिनट, चौथी लोक सभा का 6 घंटे और 15 मिनट, तीसरी लोक सभा का 6 घंटे और 27 मिनट, दूसरी लोक सभा का 6 घंटे और 26 मिनट तथा पहली लोक सभा का समय 5 घंटे और 25 मिनट रहा।

केन्द्रीय विधान सभा और संविधान सभा {विधायी} को पहले की अवधियों की तुलना में 1951 और उसके बाद वार्षिक बैठकों को संख्या में और इनकी अवधि में अच्छी वृद्धि हुई जिससे यह प्रकट हुआ कि इन वर्षों के दौरान सभा की गतिविधियों में तेजी आई। इस प्रकार 1951 से 1979 तक बैठकों की औसत वार्षिक अवधि 115.68 दिन रहो जबकि 1929 और 1950 के बीच के वर्षों में 70.36 दिन रहो। विवरण 10 में 1929 और उसके बाद सभा की वार्षिक बैठकों की संख्या और अवधि दी गई है।

विभिन्न प्रकार के कार्य में लगा समय

विवरण 11 में छठी लोक सभा द्वारा निष्पादित महत्वपूर्ण कार्य की गति कालक्रमानुसार दी गई है जबकि विवरण 12 में विभिन्न प्रकार के कार्यों पर लगा समय दिया गया है। सभा द्वारा लगाये गये कुल

1753 घंटे और 6 मिनट के समय में से विधायी कार्य पूरा करने का छोड़कर 412 घंटे और 28 मिनट अर्थात् 23.51 प्रतिशत का अधिकतम समय लगा जबकि पांचवों लोक सभा में 27.55 प्रतिशत, चौथी लोक सभा में 22.08 प्रतिशत, तीसरी लोक सभा में 23 प्रतिशत, दूसरी लोक सभा में 28.2 प्रतिशत और पहली लोक सभा में 48.8 प्रतिशत समय लगा ।

छठी लोक सभा में कुल समय का 23.26 प्रतिशत समय वजट पर चर्चा में लगा जबकि पांचवों लोक सभा में 21.64 प्रतिशत, चौथी लोक सभा में 19.13 प्रतिशत, तीसरी लोक सभा में 25 प्रतिशत, दूसरी लोक सभा में 20.9 प्रतिशत और पहली लोक सभा में 18.5 प्रतिशत समय लगा ।

छठी लोक सभा के दौरान प्रश्नों पर लगे समय का प्रतिशत 13.70 था जबकि पांचवों लोक सभा में 12.61 प्रतिशत, चौथी लोक सभा में 15.94 प्रतिशत, तीसरी लोक सभा में 15.1 प्रतिशत और दूसरी लोक सभा में 14.6 प्रतिशत, तथा पहली लोक सभा में 14.6 प्रतिशत समय लगा ।

छठी लोक सभा में सदन में लगे समय का प्रतिशत पांचवों लोक सभा में लगे समय का प्रतिशत 5.17 से घटकर 3.72 प्रतिशत रहा । चौथी लोक सभा में यह 6.45 प्रतिशत था जबकि तीसरी लोक सभा में यह 5.9 प्रतिशत, दूसरी लोक सभा में 5.5 प्रतिशत तथा पहली लोक सभा में 6.3 प्रतिशत रहा । छठी लोक सभा में प्रस्तावों पर लगा समय 10.70 प्रतिशत रहा जबकि पांचवों लोक सभा में 6.55 प्रतिशत, चौथी लोक सभा में 9.22 प्रतिशत, तीसरी लोक सभा में 13.2 प्रतिशत, दूसरी लोक सभा में 13.7 प्रतिशत और

पहली लोक सभा में 70। प्रतिशत रहा । शेष समय स्थान प्रस्तावों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं, आधे घंटे की चर्चा, अल्प कालीन चर्चा, राष्ट्रभक्ति के अभिभाषण पर वाद-विवाद, मंत्रियों द्वारा वक्तव्य, व्यवस्था के प्रश्नों और विविध मदों पर लगा ।

विवरण -- 2

छठे लोक सभा के सत्रों के प्रारम्भ होने और समाप्त होने की तारीखें

सत्र	प्रारम्भ होने की तारीख	समाप्त होने की तारीख	सत्र की अवधि (दिनों में)	दिनों की कुल संख्या जब सत्रों हुई	वर्ष में दिनों की कुल संख्या जब सभा की बैठक हुई ।
पहला सत्र	25-3-1977	7-4-1977	14	11	86
दूसरा सत्र	11-6-1977	8-8-1977	59	48	
तेजरा सत्र	14-11-1977	23-12-1977	40	27	
चौथा सत्र	20-2-1978	* 16-5-1978	86	53	
पाँचवाँ सत्र	17-7-1978	31-8-1978	46	32	115
छठा सत्र	20-11-1978	23-12-1978	34	25	
सातवाँ सत्र	19-2-1979	18-5-1979	89	59	
आठवाँ सत्र	9-7-1979	16-7-1979	9	6	66
नवाँ सत्र	20-7-1979	20-7-1979	1	1	

* अध्यक्ष द्वारा 15 मई, 1978 को सभा में की गई घोषणा के अनुसार 16 मई, 1978 को दक्षिण आयोग (निराल) विधेयक, 1977 पर विचार तथा मतदान करने के लिये राज्य सभा और लोक सभा को संयुक्त बैठकों के कार्य को पूरा करने के बाद अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई ।

विवरण - 10

लोक सभा की वार्षिक बैठकों की संख्या तथा अवधि
{ एक तुलनात्मक अध्ययन }^{*}

वर्ष	बैठकों की संख्या	बैठकों की अवधि { घंटों में }
1	2	3
1929	62	295.00
1930	55	261.00
1931	83	394.00
1932	68	396.00
1933	109	510.00
1934	89	423.00
1935	66	206.00
1936	86	409.00
1937	78	468.00
1938	99	468.00
1939	59	280.00
1940	52	247.00

^{*} ये आंकड़े 13 मई, 1952 के बाद लोक सभा से संबंधित हैं ।
इससे पूर्व की अवधि के आंकड़े या तो केन्द्रीय विधान सभा
{ 1929 से 3 फरवरी, 1947 तक } या संविधान सभा { विधायी }
{ 17 नवम्बर, 1947 से 28 नवम्बर, 1949 तक } अथवा अस्थायी
संसद { 28 जनवरी, 1950 से 5 फरवरी, 1952 तक } से संबंधित
हैं ।

1	2	3
1941	46	219.00
1942	41	194.00
1943	67	319.00
1944	52	247.00
1945	41	194.00
1946	75	356.00
1947	68	323.00
1948	74	352.00
1949	79	362.00
1950	99	496.00
1951	150	987.00
1952	123	880.00
1953	137	749.00
1954	137	716.00
1955	139	859.00
1956	151	1026.00
1957	106	668.00
1958	125	781.00
1959	123	792.00
1960	121	798.00
1961	102	668.00
1962	116	730.00
1963	122	787.00
1964	122	753.00

1	2	3
1965	113	730.00
1966	119	810.00
1967	110	699.00
1968	120	801.00
1969	120	747.00
1970	119	782.00
1971	102	616.20
1972	111	699.35
1973	120	814.25
1974	119	853.10
1975	63	441.45
1976	98	645.04
1977	86	568.10
1978	115	767.50
1979	66	417.06

विवरण - वा.

महत्वपूर्ण घटनाओं को अनुभाषिका

1977

- 26-3-77 - अध्यक्ष श्री नीलम संजिव रेड्डी के निवाचन के लिए प्रधान मंत्री का प्रस्ताव भूतैक्य से स्वीकृत हुआ ।
- 28-3-77 - एक साथ समवेत संसद की दोनों सभओं के अग्रज राष्ट्रपति का अभिभाषण ।
- रेल बजट {1977-78} प्रस्तुत ।
- सामान्य बजट {1977-78} प्रस्तुत ।
- तमिलनाडु बजट {1977-78} प्रस्तुत ।
- नागालैंड बजट {1977-78} प्रस्तुत ।
- पाण्डिचेरी बजट {1977-78} प्रस्तुत ।
- 29-3-77 - विनियोग {रेल} लेखानुदान विधेयक, 1977 पारित, राज्य सभा द्वारा 31-3-77 को पारित, राष्ट्रपति द्वारा 31-3-77 को अनुमति ।
- विनियोग {रेल} विधेयक, 1977 पारित ।
- राज्य सभा द्वारा पारित...31-3-77
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति...31-3-77
- 29-3-77 - डा० कर्ण सिंह द्वारा रखे गये स्थान प्रस्ताव पर धर्मा {वापिस लिखा गया}

- 30-3-77 - विनियोग {तेषानुदान} विधेयक, 1977 पारित
राज्य सभा द्वारा पारित.....31-3-77
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति.....31-3-77
- विनियोग विधेयक, 1977- पारित
राज्य सभा द्वारा पारित.....31-3-77
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति.....31-3-77
- सामान्य बजट पर आम बर्खा {तमिलनाडु}
1977-78}
- तमिलनाडु विनियोग {तेषानुदान} विधेयक,
1977-78 पारित
राज्य सभा द्वारा पारित.....31-3-77
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति.....31-3-77
- तमिलनाडु विनियोग विधेयक, 1977 पारित
राज्य सभा द्वारा पारित.....31-3-77
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति.....31-3-77
- बजट {नागालैंड} पर सामान्य बर्खा-1977-78
- नागालैंड विनियोग {तेषानुदान} विधेयक,
1977- पारित
राज्य सभा द्वारा पारित.....31-3-77
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति.....31-3-77
- नागालैंड {विनियोग} विधेयक, 1977 - पारित
राज्य सभा द्वारा पारित.....31-3-77
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति.....31-3-77

- पाण्डिचेरी विनियोग (नौजानुदान) विधेयक,
1977- पारित
राज्य सभा द्वारा पारित.....31-3-77
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति.....31-3-77
- पाण्डिचेरी विनियोग विधेयक, 1977- पारित
राज्य सभा द्वारा पारित.....31-3-77
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति.....31-3-77
- 31-3-77 - संसार मंत्रो द्वारा डाक तथा संसार सेवाओं
के कतिपय पहलुओं पर वक्तव्य
- दक्षिण रेलवे के सात स्टेशनों पर रेल दुर्घटना
के बारे में रेल मंत्रो का वक्तव्य
- वित्त विधेयक पारित
राज्य सभा द्वारा पारित.....4-4-77
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति.....6-4-77
- 31-3-77 - अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव
1-4-77 पर सामान्य चर्चा
4-4-77
5-4-77
- 1-4-77 - उपाध्यक्ष महोदय का निर्वाचित
पत्रकार
- अणुजीवी पत्रकारों तथा गैर-समाचार पत्र
कर्माचारियों को मसूरो को अंतरिम दरों से
निर्धारण किया जाने से घुपान पर संसदीय
कार्य और अणु मंत्रो का वक्तव्य
- 5-4-77 - शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रो
द्वारा निम्नलिखित मामलों पर सरकारों

नीतियों पर वक्तवा, {एक} साक्षरता
सर्वजनिक; {दो} माध्यमिक शिक्षा में
सुधार; {तीन} अनुसंधान; {चार} शिक्षा
संस्कृति विभाग में राजनीतिक उत्प्रेरण; और
आपात-काल के दौरान मात्र संघों के चुनावों
पर लगाये गये प्रतिबंध का हटाने और आपात-
काल में जारी की गई ऐसी अन्य विधायकों
की सर्वोक्षा के बारे में ।

- श्री जरण सिंह द्वारा तमिलनाडु के संबंध में
उद्घोषणा को जारी रखे जाने संबंधी पेश
किये गये सांविधिक संकल्प पर चर्चा {स्वोक्त}
- श्री जरण सिंह द्वारा नागालैंड के संबंध में
उद्घोषणा को जारी रखे जाने संबंधी पेश
किये गये सांविधिक संकल्प पर चर्चा {स्वोक्त}
- क्वार्टर आरत रिफाइनिंग {इंडिया} निमिटेड
के शेयरों तथा क्वार्टर रिफाइनिंग निमिटेड के
भारत में उपकरणों का अर्जन विधेयक, 1977-
पारित
राज्य सभा द्वारा पारित..... 9-4-77
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति..... 23-4-77
पेट्रोलियम पाइप लाइन भूमि के उपयोग के अधिकार
का अर्जन संशोधन विधेयक, 1977- पारित
राज्य सभा द्वारा पारित..... 9-4-77
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति..... 18-4-77
- आक्षेपनीय जाग्रो प्रकाशन निवारण {निरसन}
विधेयक, 1977- पारित
राज्य सभा द्वारा पारित..... 9-4-77
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति..... 18-4-77

5-4-77
6-4-77

- आपात काल के दौरान की गई जथादतियों के जांच करने के बारे में सरकार के प्रस्ताव के बारे में गृह मंत्रों का वक्तव्य
- दिल्ली पुलिस की हिरासत में सुंदर सिंह डाकू की मृत्यु के बारे में जांच करने के संबंध में सरकार के प्रस्ताव के बारे में गृह मंत्रों का वक्तव्य
- "समाचार" के बारे में सूचना तथा प्रसारण मंत्रों का वक्तव्य
- संसद सदस्यों की आवाशों के आवंटन के बारे में श्री हारिजन नाथ तिवारी, बेषरगैन, आवास समिति का वक्तव्य
- आंध्र प्रदेश में ओपॉन के समोप डी0सी0-3 विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बारे में पर्यटन तथा नागरिक विमानन मंत्रों का वक्तव्य
- संसदीय कार्यकारी (प्रमाणन संरक्षण) विधेयक, 1977 - पारित
राज्य सभा द्वारा पारित..... 9-4-77
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति..... 18-4-77
- ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक अभिकरणों के ऐंजोरियेशन तथा अन्य संगठनों के विरुद्ध जांच के बारे में गृह मंत्रों का वक्तव्य
- सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत जारी किये गये जाविधिम संकल्प पर चर्चा- श्री एच0एण0 पटेल द्वारा आरंभ की गई (स्वीकृत)

- संघ राजा क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक,
1977 पारित
राज्य सभा द्वारा पारित नहीं किया गया ।
- दिल्ली प्रशासन (संशोधन) विधेयक,
1977 पारित
राज्य सभा द्वारा पारित नहीं किया गया ।
- विवादास्पद चुनाव प्रश्नानुसंधान और
अध्याक्ष महोदयों पारित
राज्य सभा द्वारा पारित.....11-4-77
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति.....18-4-77

ग्राम निगम (शांभन) विधेयक, 1977-पारित
द्वारा
राज्य सभा/पारित...4-4-77

राज्य सभा द्वारा अनुमति...11-4-77

केन्द्रिय सरकारों के जौर तमिलनाडु राज्य
सरकारी बैंक के संबंध में गारंटों को सीमा
तढ़ाने संबंधी सांविधिक संकल्प पर चर्चा -
श्री प्रकाश सिंह वादल द्वारा प्रस्ताव
प्रस्तुत किया गया [स्वीकृत]

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर रेल दुर्घटना के
बारे में रेल मंत्रों का वक्तव्य

रेल बजट, 1977-78 प्रस्तुत

राज्य विधान सभा के चुनावों के मतदान के
पहले दिन बिहार में पुलिस द्वारा गोता
चलाये जाने के बारे में गृह मंत्रों द्वारा
वक्तव्य

नियम 193 के अंतर्गत श्री कोठारी मण्डल
द्वारा कई राज्यों में विगड़ती हुई कानून
और व्यवस्था का स्थिति पर चर्चा

बन्दन में राष्ट्र मंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन
में भाग लेने के संबंध में प्रधान मंत्री द्वारा
वक्तव्य

अध्यक्ष ने सभा को श्री श्याम लाल शर्मा
द्वारा महा सचिव के पद को त्यागने तथा
राज्य निर्वाचन आयोग के रूप में उनकी
नियुक्ति के बारे में सूचित किया ।

- अध्यक्ष ने श्री अक्तार सिंह रिखी को दिनांक 18-6-77 से सचिव के रूप में नियुक्ति करने की घोषणा भी की ।
- विनियोग {रेल} संख्या 2 विधेयक, 1977- पारित
राज्य सभा द्वारा पारित.....20-6-77
राष्ट्रपति की अनुमति.....23-6-77
- सामान्य बजट, 1977-78- प्रस्तुत
- 18-6-77 - केन्द्रीय सड़क निधि को जारी रखने के संबंध में सड़क विकास संबंधी संकल्प पर चर्चा {स्वीकृत}
- सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अंतर्गत जारी की गई अधिभूतना संबंधी सांविधिक संकल्प पर चर्चा {स्वीकृत}
- अतिरिक्त उपलब्धियाँ {अनिवार्य निक्षेप} संशोधन विधेयक, 1977- पारित
राज्य सभा द्वारा व्यपगत
राष्ट्रपति की अनुमति.....}
- राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीयनिर्वाचन {संशोधन} विधेयक, 1977 - पारित
राज्य सभा द्वारा पारित.....28-6-77
राष्ट्रपति की अनुमति 5-7-77
- 20-6-77 - दिल्ली में विजलों के लगे जाने और तदरूप तापीय विद्युत केन्द्र में यूनिट संख्या 1 के बंद हो जाने के बारे में ऊर्जा मंत्रों का वक्तव्य

- 23-6-77 - भजदूरी संदाय {संशोधन} विधेयक, 1977-पारित
राज्य सभा द्वारा पारित.....28-6-77
राष्ट्रपति को अनुमति.....30-6-77
- 24-6-77 - योग उपक्रम {प्रबंध प्रवर्धन} विधेयक, 1977-पारित
राज्य सभा द्वारा पारित.....28-6-77
राष्ट्रपति को अनुमति..... 5-7-77
- 30-6-77 - पाकिस्तान के दो इजिन वाले पाइपर विमान
के अंतर्गत हवाई अड्डे पर उतरने के तारे में
विदेश मंत्रों का वक्तव्य
- 2-7-77 - पाक हवाई अड्डे पर श्री राजीव गांधी तथा
उनकी पत्नी के साथ हुई घटनाओं के तारे
में गृह मंत्रों का वक्तव्य
- 5-7-77 - पाकिस्तान में सेना द्वारा सत्ता को अपने हाथ
में लेने और प्रधान मंत्रों श्री जेडएओ भुट्टो को
गिरफ्तारों के तारे में विदेश मंत्रों द्वारा
वक्तव्य
- 6-7-77 - इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप आफ न्यूजपेपर्स के प्रबंधकों
तथा कार्यालयों के बीच हुए सभाओं के तारे
में संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्रों द्वारा वक्तव्य
- 8-7-77 - "माकर्स एंड गांधी" नामक प्रकाशन के विशेषण
समारोह के तारे में निर्माण पत्रों के वितरण
के तारे में रेल मंत्रों द्वारा दिया गया वैयक्तिक
स्पष्टीकरण

- 13-7-77 - और
भारत रत्न पद्म नामक सिविलियन
पुरस्कारों को आगे से न दिये जाने
के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य
- उपाध्यक्ष ने सभा को श्री नीलम संजिव
रेड्डी द्वारा लोक सभा के अध्यक्ष पद
से त्यागपत्र दिए जाने के बारे में सूचित
किया ।
- 14-7-77 - विनियोग संख्या 2, विधेयक, 1977-पारित
राज्य सभा द्वारा पारित.....21-7-77
राष्ट्रपति की अनुमति.....23-7-77
- दिल्ली में विप्लो शराब पीने के कारण
कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के
बारे में गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य ।
- पत्तन तथा गोदो कर्मचारियों और
प्रबंधकों के बीच हुए समझौते के बारे में
संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री द्वारा वक्तव्य
- 15-7-77 - शारीरिक रूप से अर्ध लोको के लिये
केन्द्र सरकार में तथा सरकारों क्षेत्र
के उपकरणों में वर्ग "ग" और "घ" के
रिक्त पदों में आरक्षण के संबंध में शिक्षा,
समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री द्वारा
वक्तव्य

- 15-7-77 - वित्त संख्या 2 विधेयक, 1977- पारित
16-7-77 राज्य सभा द्वारा पारित.....28-7-77
18-7-77 * राष्ट्रपति की अनुमति..... 8-8-77
2-8-77
- 19-7-77 - राष्ट्रिय राजमार्ग संशोधन विधेयक, 1977
पारित
राज्य सभा द्वारा पारित.....2-8-77
राष्ट्रपति की अनुमति.....12-8-77
- इलायती संशोधन विधेयक, 1977- पारित
राज्य सभा द्वारा पारित.....28-7-77
राष्ट्रपति की अनुमति..... 2-8-77
- 20-7-77 - वर्ष 1975-76 के लिये विश्वविद्यालय
21-7-77 अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन के
बारे में प्रस्ताव पर चर्चा ।
- 20-7-77. - गारुति ग्रुप के कार्यों को जांच करने के
लिए एक सदस्यीय जांच आयोग से
न्यायाधीश डी0एस0 गाथुर के त्यागपत्र
के बारे में गृह मंत्री द्वारा दिया गया कृतव्य
- 21-7-77 - प्रधान मंत्री ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए
श्री कै0एस0 हेगड़े के नाम का प्रस्ताव
दिया ।- मतैक्य से स्वीकृत हुआ ।

* उन संशोधनों के साथ जो लोक सभा द्वारा 2-8-77 को
अस्वीकार की गई थीं

- 22-7-77 - अतिरिक्त महंगाई भत्ते का दूसरो किस्त के भुगतान के बारे में वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री द्वारा वक्तव्य
- 25-7-77 - नागालैंड विनियोग {संख्या 2} विधेयक, 1977- पारित
राज्य सभा द्वारा पारित.....28-7-77
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति..... 2-8-77
- विनियोग {संख्या 3} विधेयक, 1977- पारित
राज्य सभा द्वारा पारित.....3-8-77
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति.....6-8-77
- मोटर यान {संशोधन} विधेयक, 1977- पारित
राज्य सभा द्वारा पारित.....18-7-77
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति.....3-8-77
- तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग {संशोधन} विधेयक, 1977-पारित
राज्य सभा द्वारा पारित.....19-7-77
राष्ट्रपति की अनुमति.....30-7-77
- 26-7-77 - न्यायाधीश डी०एस० माथुर के त्यागपत्र के बारे में पूर्ण में दिये गए अने वक्तव्य को स्पष्ट करने के बारे में गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य ।
- कोटनाशो {संशोधन} विधेयक, 1977-पारित
राज्य सभा द्वारा पारित.....18-7-77
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति..... 2-8-77

- पेट्रोलियम संशोधन विधेयक, 1977-पारित
राज्य सभा द्वारा पारित.....2-8-77
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति.....12-8-77
-
- 26-7-77 - चाय संशोधन विधेयक, 1977-पारित
27-7-77 राज्य सभा द्वारा पारित.....2-8-77
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति.....12-8-77
- 27-7-77 - 1} श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा बेरोजगार लोगों
28-7-77 आदि को निवाह भत्ता दिये जाने संबंधी
पेश किए गए प्रस्ताव पर चर्चा-
} वापस लिया गया }
- 11} श्री सो0के0 चन्द्रप्पन द्वारा बेरोजगारों
को समस्या के बारे में पेश किए गए
प्रस्ताव पर चर्चा } वापस लिया गया }
- 28-7-77 - श्री मधु दंडवते द्वारा श्री चरण सिंह को
1-8-77 ओर से वर्ष 1970-71, 1971-72,
2-8-77 1972-73 तथा 1973-74 के लिए
3-8-77 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन
6-8-77 जातियों के संबंध में पेश किए गए प्रस्ताव
16-11-77 पर चर्चा
17-11-77
18-11-77
21-11-77
- 1-8-77 - लोक पाल विधेयक, 1977
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव-स्वीकृत

- 3-8-77 - श्री कवर गृह द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र
8-12-77 बोस के लापता हो जाने के बारे में
पेश किए गए प्रस्ताव पर चर्चा ।
- 4-8-77 - हाल में अपनी तंजानिया की यात्रा
के बारे में विदेश मंत्रो का वक्तव्य ।
- 4-8-77 - श्री सी०एम० स्टीफन द्वारा गृह मंत्रो के
3-8-77 वृटिपूर्ण कृत्यों के संबंध में पेश किए गए
प्रस्ताव पर चर्चा ॥अस्वीकृत॥
- 5-8-77 - देश में व्याद की स्थिति के बारे में
कृषि तथा सिंचाई मंत्रो का वक्तव्य
- श्री कवर लाल गुप्त द्वारा देश में
बढ़ती हुई कीमतों के बारे में पेश
किये गये प्रस्तावों पर चर्चा ।

- 6-8-77 - शोलापुर डिवीज़न को मध्य रेलवे में शामिल करने के बारे में रेल मंत्री का वक्तव्य
- 6-8-77 - नियम 197 के अन्तर्गत श्री युवराज द्वारा अनुसूचित
16-11-77 जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सेवाओं में उनके
17-11-77 आरक्षित पदों पर नियुक्ति के बारे में श्री युवराज द्वारा
18-11-77 नियम 193 के अन्तर्गत उठाई गई चर्चा ।
21-11-77
- 8-8-77 - भारतीय नागरिकों के पारपत्र देने सम्बन्धी पुनःरीक्षित और उदार नीति के बारे में विदेश मंत्री द्वारा वक्तव्य ।
- डाक और संचार सेवाओं सम्बन्धी नीति के कुछ पहलुओं के बारे में संचार मंत्री द्वारा वक्तव्य ।
 - दिल्ली में पुलिस आयुक्त व्यवस्था लागू करने के बारे में गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य ।
 - आसुका की फोटोस्टेट प्रति के प्रकाशन के बारे में गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य ।
 - विलिंगडन अस्पताल के सर्जन, डा० जी.पी. सिंह की वैयक्तिक फाईल में संलिखित चैतावनी के हटाये जाने के बारे में श्री के.पी. उन्नीकृष्णन् द्वारा की गई कुछ टिपणियों के बारे में श्री राजनारायन् द्वारा दिया गया व्यक्तिगत स्पष्टीकरण ।
 - आपात स्थिति के दौरान दिल्ली की तिहाड़ जेल में कथित लाठी चार्ज के सम्बन्ध में श्री कंवर लाल ^{गुप्त,} संसद सदस्य द्वारा वक्तव्य । उसके उत्तर में गृह मंत्री ने एक वक्तव्य दिया ।
 - संसद में विपक्ष के नेताओं का वेतन और भत्ते विधेयक,
1977 - पारित

- राज्य सभा द्वारा पारित : 9.8.77
- राष्ट्रपति द्वारा अनुमति : 18.8.77
- 8-8-77 - आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान प्रचार माध्यमों
- 14-11-77 के दुरुपयोग सम्बन्धी श्री लाल कृष्ण आडवानी के
- 15-11-77 प्रस्ताव पर चर्चा ।
- 15-11-77 - 4 नवम्बर, 1977 को आसाम में जोरहाट के निष्कट विमान दुर्घटना में प्रधानमंत्री की दैहिक प्राणरक्षा पर गहरा संतोष तथा गहन प्रसन्नता व्यक्त करने सम्बन्धी संकल्प अध्यक्ष महोदय द्वारा सभा के समक्ष रखा गया ।
॥स्वीकृत हुआ॥
- फरक्का में गंगा के जल के बंटवारे तथा जल के बहाव को बढ़ाने के बारे में भारतीय गणतन्त्र की सरकार तथा बंगलादेश जनवादी गणतंत्र की सरकार के बीच हुए समझौते के बारे में प्रधान मंत्री का वक्तव्य ।
- सोवियत संघ की अपनी यात्रा के बारे में प्रधानमंत्री का वक्तव्य ।
- समाचार न्यूज़ एजेंसी के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री का वक्तव्य ।
- उत्तर रेलवे में दो रेल दुर्घटनाओं के बारे में रेल मंत्री का वक्तव्य ।
- लेडी हाडिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल ॥अर्जन॥ और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक, 1977 - पारित
राज्य सभा द्वारा पारित : 17-11-77
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति : 3-12-77
- उपाध्यक्ष महोदय ने दर्शक दीर्घा से दो दर्शकों द्वारा पर्चे फेंकने और सभा के अवमान के लिए उन्हें कारावास का दण्ड देने की सूचना दी ।

- 16.11.77 - वित्त तथा राजस्व और बैंककारी मंत्री द्वारा नीनी पर /उत्पाद शुल्क में कमी करने के बारे में वक्तव्य ।
- वित्त तथा राजस्व और बैंककारी मंत्री द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने के बारे में वक्तव्य ।
- अन्तर्देशीय वाष्प जलयान संशोधन विधेयक, 1977- पारित
- § राज्यसभा द्वारा पारित 24.12.77 §
- § राष्ट्रपति द्वारा अनुमति 7.12.77 §
- 18.11.77 - हाल ही के समुद्री तूफान के कारण दक्षिण रेलवे पर रेलपथ को पहुँची व्यापक क्षति के बारे में रेल मंत्री का वक्तव्य ।
- 21.11.77 - वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री द्वारा दालों तथा खाद्य सेल संभारण नियंत्रण आदेशों, 1977 के संशोधनों संबंधी वक्तव्य ।
- कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों में हाल में हुए समुद्री तूफान के कारण हुई जनहानि तथा फसलों और सम्पत्ति को हुई क्षति के बारे में वक्तव्य ।
- तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश में आए प्राकृतिक आपदा के बारे में वित्त राज्य मंत्री का वक्तव्य ।
- 23.11.77 - उत्तर रेलवे में हुई रेल दुर्घटना के बारे में श्रीमती
- 22.12.77 - पार्वती कृष्ण द्वारा उठाई गई चर्चा ।
- 23.11.77 - 23.11.77 को पश्चिम रेलवे में गाड़ी के पटरी से उतर जाने के बारे में रेल मंत्री का वक्तव्य ।

- १५-११-७७ - अपनी यूगोस्लाविया की यात्रा के बारे में विदेश मंत्री का उक्तव्य ।
- श्री सो.के. चन्द्रप्पन द्वारा दक्षिण में आये भयंकर समुद्री तूफान तथा सरकार से उन्हें काफी आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव पर चर्चा ॥ प्रस्ताव वापिस लिया गया ॥
- मन्त्रियों के सलाहकारों और मन्त्रियों से संबंधित ॥संशोधन॥ विधेयक, १९७७ - पारित
- राज्य सभा द्वारा पारित --- ३०-११-७७
- राष्ट्रपति द्वारा अनुमति --- ९-१२-७७
- २८-११-७७ - जलप्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ॥ उपकर विधेयक, १९७७ - पारित ।
- राज्य सभा द्वारा पारित --- ३०-११-७७
- राष्ट्रपति द्वारा अनुमति --- ७-१२-७७
- अधिवक्ता ॥संशोधन॥ विधेयक, १९७७ - पारित
- राज्य सभा द्वारा पारित --- १-१२-७७
- राष्ट्रपति की अनुमति --- १३-१२-७७
- स्मिथ, स्टैनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड(उपक्रमों का अजन और अन्तरण) विधेयक १९७७ - पारित
- राज्य सभा द्वारा पारित --- १-१२-७७
- राष्ट्रपति द्वारा अनुमति --- १७-१२-७७
- इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी ॥शेयरों का अर्जन॥ संशोधन विधेयक, १९७७ - पारित
- राज्य सभा द्वारा पारित --- १-१२-७७
- राष्ट्रपति द्वारा अनुमति --- १३-१२-७७
- २९-११-७७ देश के दक्षिणी भागों में आये समुद्री तूफान से पीड़ित लोगों के लिये मदद्यों द्वारा प्रधान मंत्री सहायता कोष में मदद्यों द्वारा अंशदान देने के बारे में अध्यक्ष का घोषणा ।

- पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री द्वारा कृमिनाशकों के मूल्यों में कमी किए जाने के बारे में वक्तव्य ।
- ग्रेहाम एण्ड क्रेवन आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरणा) विधेयक, 1977 - पारित राज्य सभा द्वारा पारित - 7.12.77 राष्ट्रपति द्वारा अनुमति - 20.12.77
- शत्रु सम्पत्ति (संशोधन) विधेयक, 1977 - पारित राज्य सभा द्वारा पारित - 5.12.77 राष्ट्रपति द्वारा अनुमति - 15.12.77
- 29.11.77 - श्री सौगत राय द्वारा बैंककारी सेवा-आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1977 के बारे में प्रस्तुत किये गये सत्रिधिक संकल्प पर चर्चा (अस्वीकृत हुआ) 5.12.77
- 29.11.77 - बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक 1977 - पारित* 5.12.77 विधेयक राज्य सभा द्वारा 8.12.77 को अस्वीकृत कर दिया गया । विधेयक 16.5.78 को हुई संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में पारित किया गया । 18.5.1978 को विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई ।
- 30-11-77- प्रो० सभरगुह द्वारा "समाचार" के बारे में प्रस्तुत किये गये 1-12-78 प्रस्ताव पर चर्चा । 5-12-78
- श्री कविरलाल गुप्त द्वारा नियम 193 के अधीन दिल्ली की आबास समस्या पर उठाई गई चर्चा ।
- 1.12.77 - केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार श्री के. रघुरामैया द्वारा बोर्डिंग कम्पनी से धन प्राप्त करने संबंधी समाचार के बारे में वैधानिक स्पष्टीकरण ।
- 2.12.77 - संसदीय कार्य मंत्री द्वारा नागपुर डिब्बीजन पर हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य ।
- 5.12.77 - बोनस सहाय (संशोधन) विधेयक, 1977 - पारित ।
- 6.12.77 - राज्य सभा द्वारा पारित - 20.12.77
- 7.12.77 - राष्ट्रपति द्वारा अनुमति - 24.12.77
- 9.12.77
- 12.12.77

* विधेयक राज्य सभा द्वारा 8.12.77 को अस्वीकृत कर दिया गया । विधेयक 16.5.78 को हुई संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में पारित किया गया । 18.5.1978 को विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त की गई ।

- 6-12-77 - अध्यक्ष द्वारा ध्यान आकर्षण सूचनाओं को निपटाने सम्बन्धी प्रश्नों के बारे में घोषणा ।
- पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन के बारे में वक्तव्य ।
- रेल मंत्री द्वारा रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन के बारे में वक्तव्य ।
- श्री चित्त वसु तथा श्री पी.के.कोठियन द्वारा हाल ही में आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तथा पाण्डिचेरी में आये समुद्री तूफान तथा बाढ़ों के बारे में प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा - वापिस लिया गया ;
- 6-12-77 - पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार जिलों के आर्थिक पिछड़ान को
8-12-77 दूर करने के सम्बन्धी श्री यादवेन्द्र दत्त के प्रस्ताव के बारे में चर्चा - वापिस लिया गया ;
- 12-12-77 - प्रधान मंत्री द्वारा हाल ही में की गई ^{अपनी}नेपाल की यात्रा के बारे में वक्तव्य ।
- प्रधान मंत्री द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के कार्यक्रम की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति के बारे में वक्तव्य ।
- 12-12-77 - कम्पनी अधिनियम, 1977 - पारित
13-12-77 राज्य सभा द्वारा पारित - 15-12-77
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति - 24-12-77

- लोगों को नज़रबंद करने आदि की शक्तियां ग्रहण करने सम्बन्धी जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा जारी किये गये जन सुरक्षा अध्यादेश के बारे में श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा उठायी गयी चर्चा ।
- 14.12.77 - विनियोग §संख्या 4§ विधेयक पारित -
राज्य सभा द्वारा पारित - 20.12.77
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति - 24.12.77
- श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा पेश किये गये सुंदरबन, पश्चिम-बंगाल की गरीबी तथा पिछड़ेपन सम्बन्धी प्रस्ताव § वापिस लिया गया § पर चर्चा ।
- 14.12.77 - फरक्का में गंगाजल के बटवारे सम्बन्धी भारत और बंगलादेश के बीच हुये करार सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा ।
- 16.12.77 - एग््री-एक्सपो 1977 के समापन समारोह पर किये गये बैठने के प्रबन्ध सम्बन्धी वाणिज्य, नागरिक पूर्ति, सहकारिता मंत्री का वक्तव्य ।
- तेल मूल्य समिति सम्बन्धी पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री का वक्तव्य ।
- मैसूरु बंगाल रसायन तथा औषध कार्य लिमिटेड कलकत्ता सम्बन्धी पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री का वक्तव्य ।
- 16.12.77 - सर्वोच्च न्यायालय §न्यायाधीशों की संख्या§ संशोधन
20.12.77 विधेयक पारित
राज्य सभा द्वारा पारित - 24.12.77
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति - 31.12.77
- 19.12.77 - संविधान § 44 वा संशोधन § विधेयक 1977-पारित *
20.12.77 राज्य सभा द्वारा पारित- 23.12.77
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति - 13.4.78

* विधेयक का लोक सभा में संविधान §44वां संशोधन§ विधेयक, 1977 के रूप में पुरःस्थापित किया गया । लोक सभा ने छाण्ड । को संशोधित करके विधेयक के संक्षिप्त नाम को परिवर्तित किया ।

- 19.12.77 - दुर्घटना सम्बन्धी समूची समस्या पर विचार करने के लिये एक उच्चस्तरीय जांच समिति के गठन सम्बन्धी रेल मंत्री का वक्तव्य ।
- दस घंटे की डिज्जटी तथा मियाभाई निर्णय को कार्यान्वित करने सम्बन्धा रेल मंत्री का वक्तव्य ।
- सभापति ने एक दर्शन द्वारा नारा लगाने तथा सभा का अवमान करने तथा उसे चेतावनी देने के बाद रिहा करने के बारे सभा को सूचित किया ।
- 22.12.77 - भारतीय रेड क्रॉस सोसाईटी द्वारा आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तूफान पीड़ित लोगों के बीच राहत सामग्री बांटने सम्बन्धी समिति के गठन सम्बन्धी स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य ।
- 22.12.77 - रेल्वे द्वारा सामान्य वित्त को देय लाभांश की समीक्षा सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रो० मधु दंडवते द्वारा पेश प्रस्ताव पर चर्चा ।
- अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अजन षुसशोधन विधेयक 1977 - पारित
राज्य सभा द्वारा पारित - 17.11.77
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति - 24.12.77
- बेतवा नदी बोर्ड षुसशोधन विधेयक 1977 पारित
राज्य सभा द्वारा पारित 14.11.77
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति 25.12.77

- 23.12.77 - औद्योगिक नीति के बारे उद्योग मंत्री का वक्तव्य ।
- गन्ना तथा गुड के बारे कृषि तथा सिंचाई मंत्रीका वक्तव्य।
- काफी बोर्ड के बारे वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री का वक्तव्य ।
- 23.12.77 - श्री सी.एम. स्टीफन द्वारा निदेश 115 के अन्तर्गत दक्षिण में तृपन्न के बारे चर्चा में केरल को वित्तीय सहायता सम्बन्धी सूचना के बारे वक्तव्य - कृषि तथा सिंचाई राज्य मंत्री ने उस बारे एक वक्तव्य भी दिया ।
- श्री क्वेरलाल गुप्त ने श्री यशपाल कपूर द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों के बारे नियम 357 के अन्तर्गत वैयक्तिक स्पष्टीकरण दिया ।
- श्री वयालार रवि द्वारा पेश किये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा अस्वीकृत
- अध्यक्ष महोदय ने एक दर्शक द्वारा नारा लगाने तथा सभा का अवमान करने तथा उसे चेतावनी देने के बाद रिहा करने के बारे, सभा को सूचित किया ।
- तो-उमनेड की ताज़ी दर्शनाओं के बारे गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री का वक्तव्य ।
- सरकार द्वारा निश्चित गन्ने के मूल्य के संदर्भ में चीनी उद्योग की नीति के बारे डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय द्वारा उठायी गयी चर्चा ।

1978

- 20.2.78 - एक साथ सभ्यत ससद की दोनो सभाओ के समक्ष
राष्ट्रपति का अभिभाषण ।
- समस्तीपुर निवर्तन क्षेत्र (बिहार) के सदस्य श्री कर्पूरी-
ठाकुर का त्यागपत्र ।
- मणिपुर के राज्य मणिपुर निवर्तन क्षेत्र के सदस्य
श्री वाई. शायजा द्वारा त्यागपत्र ।
- 21.2.78 - रेल बजट 1978-79 प्रस्तुत ।
- 22.2.78 - ब्याज विधेयक 1977 - पारित
राज्य सभा द्वारा पारित - 21.3.78
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति - 31.3.78
- ~~22.2.78~~
23.2.78 - बाल (सशोधन) विधेयक, 1977 - पारित
राज्य सभा द्वारा पारित - 21.3.78
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति - 31.3.78
- श्री आर.एल. कुरील द्वारा वाणज्यी मे
डा० सम्पूर्णानंद की मूर्ति का अपमान सम्बन्धी
उठायी गयी मुर्त ।
- 23.2.78 - वाणिज्य पोष (सशोधन) विधेयक 1977 - पारित
राज्य सभा द्वारा पारित - 2.3.78
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति - 13.3.78
- 23.2.78 - पब्लिक सेक्टर लोहा और इस्पात कम्पनी
27.2.78 (पुनर्सरचना) तथा पूर्वीण उपबन्ध विधेयक 1977-पारित
22.3.78 राज्य सभा द्वारा पारित - 26.4.77
23.3.78 राष्ट्रपति द्वारा अनुमति - 30.4.78

24.2.78

- प्रधान मंत्री द्वारा 16 फरवरी, 1978 तक सिडनी आस्ट्रेलिया में हुई राष्ट्रमंडलीय देशों के अध्यक्षों की क्षेत्रीय बैठक में हिस्सा लेने के बारे में एक वक्तव्य ।
- वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा तमिलनाडु और केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में पकड़ी गयी मछलियों के बारे में ताराकित प्रश्न संख्या - 255 के 2 दिसम्बर, 1977 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला एक वक्तव्य ।
- वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा चीनी प्रतिनिधि मंडल की भारत यात्रा सम्बन्धी ताराकित प्रश्न संख्या 538 दिनांक - 23 दिसम्बर, 1977 के बारे में वक्तव्य ।
- राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ।

24.2.78

27.2.78

28.2.78

1.3.78

2.3.78

3.3.78

6.3.78

27.2.78

- विदेश मंत्री द्वारा 6 से 8 फरवरी, 1978 की अपनी पाकिस्तान यात्रा के बारे में वक्तव्य ।
- कृषि तथा सिंचाई मंत्री द्वारा चीनी सम्बन्धी नीति के बारे में एक वक्तव्य ।
- वित्त और राजस्व तथा बैंकिंग मंत्री द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किस्त दिये जाने के बारे में एक वक्तव्य ।

- 28.2.78 - सामान्य बजट - 1978-79
- 9.3.78 - अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस दल 'आई' को लोक सभा में एक दल के रूप में और श्री सी.एम.स्टीफन को इसके नेता के रूप में मान्यता देना ।
- 10.3.78 - मिजोरम बजट 1978-79 प्रस्तुत किया गया ।
- 13.3.78 - गृह मंत्री द्वारा शाह जाचि आयोग सम्बन्धी अंतरिम प्रतिवेदन के बारे वक्तव्य ।
- 14.3.78 - शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रीय ग्रंथालय अधिनियम, 1976 के बारे वक्तव्य ।
- 16.3.79 - विदेश मंत्री द्वारा 10 से 14 मार्च, 1978 की मारिशस यात्रा के बारे में वक्तव्य ।
- विनियोग 'लेखानुदान' विधेयक 1978 पारित किया गया।
राज्य सभा द्वारा पारित-21.3.78
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति -28.2.78
- 17.3.78 - गृह मंत्री द्वारा खेतड़ी 'राजस्थान' में औरतों को सताये जाने सम्बन्धी आरोप के बारे वक्तव्य ।
- 20.3.78 - वाणिज्य और नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री द्वारा भारत तथा नेपाल के बीच 17 मार्च, 1978 को हुए व्यापार तथा पारगमन समझौते के बारे एक वक्तव्य।
- गृह मंत्री द्वारा मिजोरम के बारे वक्तव्य ।
- विनियोग 'रेल' विधेयक 1978 पारित ।
राज्य सभा द्वारा पारित-22.3.78
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति -28.3.78

विनियोग §रेल§ संख्या 2 विधेयक, 1978 - पारित

राज्य सभा द्वारा पारित --- 2-3-78

राष्ट्रपति की अनुमति --- 28-3-78

विनियोग §रेल§ संख्या 3 विधेयक, 1978-पारित

राज्य सभा द्वारा पारित --- 22-3-78 ;

राष्ट्रपति की अनुमति --- 28-3-78 ;

20-3-78 - विनियोग विधेयक, 1978 - पारित ।

21-3-78

राज्य सभा द्वारा पारित --- 22-3-78

राष्ट्रपति की अनुमति --- 29-3-78

21-3-78 - विनियोग §संख्या 2§ विधेयक, 1978 - पारित ।

राज्य सभा द्वारा पारित --- 22-3-78

राष्ट्रपति की अनुमति --- 29-3-78

- मिजोरम के 1978-79 के बजट पर चर्चा ।

- मिजोरम विनियोग § लेखा अनुदान §

विधेयक, 1978 - पारित ।

राज्य सभा द्वारा पारित --- 23-3-78

राष्ट्रपति की अनुमति --- 29-3-78

मिजोरम विनियोग विधेयक, 1978 - पारित

राज्य सभा द्वारा पारित --- 23-3-78

राष्ट्रपति की अनुमति --- 29-3-78

उच्च मूल्य बैंक नोट §विमुद्रीकरण§ विधेयक, 1978 - पारित

राज्य सभा द्वारा पारित --- 23-3-78

राष्ट्रपति की अनुमति --- 30-3-78

21-3-78 - हिन्दुस्तान ट्रेवल्स लिमिटेड §उपक्रमों का अर्जन और

22-3-78 अन्तर्गण विधेयक, 1978 - पारित

- राज्य सभा द्वारा पारित --- 23-3-78
राष्ट्रपति की अनुमति --- 31-3-78
- 22-3-78 - सरकारी क्षेत्र की लोहा और इस्पात कम्पनी का पुनर्संरचना
23-3-78 तथा प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 1977 - पारित
राज्य सभा द्वारा पारित ---- 26-4-78
राष्ट्रपति की अनुमति ---- 30-4-78
- स्थान प्रस्ताव पर बर्मा का अस्वीकृत ।
- 23-3-78 - पत्तन विधियाँ संशोधन विधेयक, 1977 - पारित
राज्य सभा द्वारा पारित --- 26-4-78
राष्ट्रपति की अनुमति --- 4-5-78
- लोक वक्ता परिमिता विस्तारण दिल्ली संशोधन विधेयक,
1978 - पारित
राज्य सभा द्वारा पारित --- 28-2-78
राष्ट्रपति की अनुमति --- 30-3-78
- 29-3-78 - औषध तथा भेषज उद्योग सम्बन्धी हाथी समिति पर पेट्रोलियम,
रसायन और उर्वरक मंत्रों का वक्तव्य ।
- बदरपुर ताप विद्युत परियोजना और बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र
का प्रबन्ध राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को अन्तर्गत किये
जाने सम्बन्धी ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य ।
- 30-3-78 दण्ड प्रक्रिया सहित संशोधन विधेयक, 1977-वापिस लिया
गया
- 3-4-78 वर्ष 1978-79 की आयात-निर्यात नीति पर वाणिज्य और
नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री का वक्तव्य ।
दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर में अग्निकांड के समाचार के बारे में
सूचना और प्रसारण मंत्रों का वक्तव्य ।

- 4-4-78 बिहार उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक
6-4-78 - आदि में हरिजनों पर हो रही ज्यादतियों से संबंधित
7-4-78 प्रस्ताव पर चर्चा - {वापिस लिया गया}
- 5-4-78 भारतीय वायु सेना के लिये केनबरा और हण्टरों के पुराने
बेड़े के स्थान पर नई किस्म का विमान प्राप्त करने के
प्रस्ताव के समाचार के बारे में रक्षा मंत्री का वक्तव्य ।
- बबीना छावनी बोर्ड के 22 हरिजन सफाई कर्मचारियों की
छटनी किये जाने के बारे में रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री का
वक्तव्य ।
- 7-4-78 पटना जंक्शन पर रेलवे प्रायोजित छात्रावास के पुनः खोले
जाने के बारे में रेल मंत्री का वक्तव्य ।
- 10-4-78 कालपात्र के बारे में शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति
मंत्री का वक्तव्य ।
- लेबनान के संघर्ष में भारतीय नागरिकों के कथित अन्तर्ग्रस्त
होने के बारे में विदेश मंत्री का वक्तव्य ।
- 12-4-78 अध्यक्ष महोदय ने कांग्रेस दल {इ} के नेता सी.एम. स्टीफन
को लोक सभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्रदान
की ।
- पिछली सरकार के शासन काल में विदेश मंत्रालय के कहने
पर एक स्विस बैंक में 100-110 लाख डालर के कथित
अन्तरण के बारे में विदेश मंत्री का वक्तव्य ।
- 14-4-78 - केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की
अतिरिक्त {छठी} किस्त नकद देने के सरकार के निर्णय पर
वित्त और राजस्व तथा बैंकिंग मंत्री का वक्तव्य ।
- सलाल पन बिजली संयन्त्र के बारे में विदेश मंत्री का वक्तव्य
- स्वदेशी काटन मिक्स और उनके अन्य एककों के बारे में
उद्योग मंत्री का वक्तव्य ।

- 19-4-78 18-4-78 को मध्य रेलवे पर हुई रेल दुर्घटना के बारे में रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री का वक्तव्य ।
- 20-4-78 - §एक§ विलिंगडन अस्पताल का नाम बदल कर डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और नर्सिंग होम रखने और §दो§ लेडी गार्डिंग अस्पताल का नाम बदल कर सुवेता कृपलानी अस्पताल रखने के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य ।
- 20-4-78 - देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार करने के लिये श्री सी.एम. स्टीफन के प्रस्ताव पर चर्चा ।
- 24-4-78
- 26-4-78 - लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 218 के उपनियम §2§ को, जहां तक वह विनियोग §संख्या 3§ विधेयक, 1978 पर विचार किये जाने तथा उसे पास किये जाने के प्रस्ताव पर लागू होता है का निलम्बन
- विनियोग §संख्या 3§ विधेयक, 1978 - पारित ।
- राज्य सभा द्वारा पारित --- 3-5-78
राष्ट्रपति को अनुमति --- 7-5-78
- 27-4-78 - वित्त विधेयक, 1978 - पारित ।
- 28-4-78
- 29-4-78
- 11-5-78
- राज्य सभा द्वारा पारित --- 9-5-78
§संशोधनों सहित और लोक सभा द्वारा अस्वीकृत§
- 28-4-78 - दिल्ली में मेडिकल कालेजों के इन्डिन्धियों की मांगों के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य ।
- 29-4-78 - निक्षेप बोमा निगम §संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध§ विधेयक, 1978 - पारित ।
- राज्य सभा द्वारा पारित --- 15-5-78
राष्ट्रपति को अनुमति --- 27-5-78

- 2-5-78 - विद्युत {आपूर्ति} संशोधन विधेयक, 1977 - पारित
राज्य सभा द्वारा पारित --- 17-5-78
राष्ट्रपति की अनुमति --- 3-6-78
- कोयला खान राष्ट्रीयकरण विध्या {संशोधन} विधेयक,
1978 - पारित ।
राज्य सभा द्वारा पारित --- 15-5-78
राष्ट्रपति की अनुमति --- 27-5-78
- 2-5-78 - श्री मोरारजी आर. देसाई द्वारा प्रस्तुत किये गये पंचवर्षीय
4-5-78 योजना प्रारूप, 1978 पर चर्चा ।
5-5-78
6-5-78
8-5-78
- 4-5-78 - अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय अधिनियम और परिनियमों
में संशोधन के बारे में शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति
मंत्री का वक्तव्य ।
- 8-5-78 - भारतीय रिजर्व बैंक {संशोधन} विधेयक, 1978 - पारित
राज्य सभा द्वारा पारित --- 17-5-78
राष्ट्रपति की अनुमति --- 3-6-78
- 8-5-78 - सीमा शुल्क, वेन्ड्रोय उत्पाद-शुल्क तथा लवण और केन्द्रीय
राजस्व बोर्ड {संशोधन} विधेयक, 1977 - पारित
राज्य सभा द्वारा पारित --- 18-5-78
राष्ट्रपति की अनुमति --- 6-6-78
- 9-5-78 - चादी और ग्रामोद्योग आयोग {संशोधन} विधेयक 1978 -
10-5-78 को संयुक्त समिति को भेजा गया - अनुमोदित ।
12-5-78
17-5-78
- 10-5-78 - श्री सी.एम. स्टीफन द्वारा मंत्रो परिषद के विरुद्ध
11-6-78 लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा - अस्वीकृत

15-5-78

- विद्यमान तरल पेट्रोलियम कम्पनियों (एल पी जी) या क्लिकिंग गैस वितरण प्रणालियों के पुनर्गठन बारे में पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री का वक्तव्य ।
- रुग्ण उद्योगों सम्बन्धी नीति पर उद्योग मंत्री का वक्तव्य ।
- बहु-राज्य सहकारो सोसायटी विधेयक, 1977 - संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव - स्वीकृत ।
- मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1978 संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव - स्वीकृत ।
- प्रेस परिषद विधेयक, 1977 संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव - स्वीकृत ।

15.5.78 श्री कविरलाल गुप्त के विश्वविद्यालयों में छात्रों में अज्ञान्ति
31.7.78 के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा - स्वीकृत ।

अध्यक्ष ने घोषणा की कि दशकि श्री शैलेन्द्र कुमार मिश्र
उर्फ पुरेशा कुमार को, जिसे दीर्घाओं से नारे लगाए और
पच्छिया पैकी, चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है ।

अध्यक्ष ने घोषणा की कि दोनों सभाओं की 16.5.78 को
एक संयुक्त बैठक होगी और बैठक की समाप्ति पर सभा
अनिश्चित काल के लिए स्थगित होगी ।

16.5.78 बैंकिंग सेवा आयोग §निरसन§ विधेयक, 1977-पारित
§संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में§

राष्ट्रपति की अनुमति - 18.5.78

§विधेयक लोक सभा द्वारा 5.12.77 को पारित किया गया
पर राज्य सभा द्वारा 8.12.77 को अस्वीकृत किया गया§

17.7.78 कर्नाटक के चिकमंगलूर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए पी.डी.बी.
चन्द्र गौडा ने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया ।
सर्वश्री एम.एम. हश्मी और जी. वेंकट स्वामी ने, जो
आन्ध्र प्रदेश के सिकन्दराबाद और सिड्डीपेट निर्वाचन क्षेत्रों
से चुने गए थे, अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दिया ।

17.7.78 तम्बाकू बोर्ड §सशोधन§ विधेयक, 1978 - पारित

18.7.78 §राज्य सभा द्वारा सशोधन के साथ पारित - 31.7.78

24.8.78 राष्ट्रपति की अनुमति - 30.8.78 §

18.7.78 श्री सी०एम० स्टाफन द्वारा स्थान प्रस्ताव पेश किए जाने की
अध्यक्ष महोदय ने अनुमति नहीं दी ।

18.7.78 आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण §निरसन§ विधेयक, 1978-पारित

19.7.78

§राज्य सभा द्वारा पारित - 27.7.78

राष्ट्रपति की अनुमति - 3.8.78 §

20.7.78 - बेल्जियम, यू०के० और संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रधानमंत्री
की हाल की यात्रा के बारे में उनका वक्तव्य ।

- सीमाशुल्क टैरिफ, §सशोधन§ विधेयक, 1977-पारित

§राज्य सभा द्वारा पारित - 26.7.78

राष्ट्रपति की अनुमति - 1.8.78 §

- 20.7.78 वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण विधेयक, 1978 -
21.7.78 संयुक्त समिति को लीफे जाने का प्रस्ताव - स्वीकृत हुआ ।
25.7.78
- 21.7.78 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के बारे में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री का वक्तव्य ।
- 25.7.78 कराधान विधि संशोधन विधेयक, 1978 - पारित -
राज्य सभा द्वारा पारित - 1.8.78
राष्ट्रपति की अनुमति - 5.8.78
- 26.7.78 दि मीट्रो रेलवे कार्य विनिर्माण विधेयक, 1978 - पारित
राज्य सभा द्वारा पारित - 3.8.78
राष्ट्रपति की अनुमति - 21.8.78
- अल्पसंख्यक आयोग के पुनर्गठन के बारे में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री का वक्तव्य ।
- 27.7.78 -
28.7.78 - पारपत्र संशोधन विधेयक, 1978 - पारित
राज्य सभा द्वारा पारित - 9.8.78
राष्ट्रपति की अनुमति - 18.8.78
- 28.7.78 - आयात नीति के बारे में वाणिज्य और नागरिक पूर्ति तथा सहकार मंत्री द्वारा वक्तव्य ।
- 31.7.78 श्री राजा विश्वेश्वर राव, संसद सदस्य, की गुजारा रकाबजि, नई दिल्ली, के बंगले में बंदखली के बारे में निर्माण, आवास और पूर्ति तथा पुनर्वासि मंत्री का वक्तव्य ।
- 1.8.78 श्री वसन्त साठे द्वारा पेश किए गए भाषा नीति विषयक प्रस्ताव पर चर्चा ।
- 2.8.78 - शोधाक्षमता विधि संशोधन विधेयक, 1978 - पारित
राज्य सभा द्वारा पारित - 26.4.78
राष्ट्रपति की अनुमति - 4.8.78
- 2.8.78
14.8.78 - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश
संशोधन विधेयक, 1978 -

अनुक्त संपत्ति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

3.8.78 - बेलगोड में हाल ही में हुए गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के बारे में विदेश मंत्री का वक्तव्य ।

- श्री श्यामनन्दन मिश्र के शाह आयोग की रिपोर्ट सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा ।

7.8.78 - अविधान §45वाँ संशोधन § विधेयक, 1978 - पारित ×

8.8.78

9.8.78 §राज्य सभा द्वारा पारित - 31.8.78

10.8.78 राष्ट्रपति की अनुमति - 30.4.79 §

11.8.78

21.8.78

22.8.78

23.8.78

6.12.78

7.12.78

12.8.78 श्री पूर्ण नारायण सिन्हा द्वारा नियम 193 के अधीन

23.11.78 उठाए गए देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की स्थिति

28.11.78 सम्बन्धी मामले पर चर्चा ।

14.8.78 मयूरा तेल शोधक कारखाने का पर्यावरणानुकूल प्रभाव के बारे में पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री का वक्तव्य ।

श्री डी.जी. गवई द्वारा मराठवाड़ा और महाराष्ट्र में कथित हत्याओं की स्थिति के बारे में उठाए गए मामले पर चर्चा - श्री एस.सी. काम्बले का प्रतिस्थापन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

16.8.78 नर्मदा जल के बारे में कृषि और सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ।

विनियोग §ख्या 4 § विधेयक, 1978 - पारित

§राज्य सभा द्वारा पारित - 23.8.78

राष्ट्रपति की अनुमति - 30.8.78 §

16.8.78 तट रक्षण विधेयक, 1978 - पारित

§राज्य सभा द्वारा पारित - 2.8.78

राष्ट्रपति की अनुमति - 18.8.78 §

* विधेयक का अंतिम नाम लोक सभा द्वारा खण्ड §1 § का संशोधन करके अविधान §44वाँ संशोधन § विधेयक किया गया ।

- 16.8.78 - श्री ज्योतिरूप्य बसु द्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन अपराधों को दोषी पाए गए सदस्य को अयोग्य घोषित किए जाने के बारे में पेशा किए गए प्रस्ताव पर चर्चा ।
- सभापति ने घोषणा की कि दीर्घाओं में चिल्लाने वाले दो दशकों को माफ़ी मांग लेने पर छोड़ दिया गया है ।
- 17.8.78 - दिल्ली पुलिस विधेयक, 1978 और गीमती पार्वती कृष्णानन्
23.8.78 का संशोधित संकल्प - पारित
24.8.78
- § राज्य सभा द्वारा पारित - 26.8.78
राष्ट्रपति की अनुमति - 27.8.78 §
- 21.8.78 - जोनस प्रश्न के बारे में तत्कालीन कार्य और श्रम मंत्री द्वारा वक्तव्य ।
- 23.8.78 - जापान और कोरिया गणराज्यों की अपनी हाल की यात्रा के बारे में विदेश मंत्री का वक्तव्य ।
- 24.8.78 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के पद से त्यागपत्र देने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देते हुए श्री राज नारायण का वक्तव्य ।
- 24.8.78 - प्रेस परिषद विधेयक, 1978 - पारित
28.8.78
29.8.78
- 30.8.78 § राज्य सभा द्वारा पारित - 7.8.78
31.8.78 राष्ट्रपति की अनुमति - 7.9.78 §
- 28.8.78 - संविधान §48वां शोधन§ विधेयक, 1978 - वापस लिया गया।
- नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बारे में प्रो० समरगुह के प्रस्ताव पर चर्चा - §प्रो० समरगुह द्वारा पेशा किया गया प्रतिस्थापन प्रस्ताव वापस लिया गया§
 - कच्चे पटसन की कीमतों के बारे में श्री चित्त बसु द्वारा पेशा किए गए प्रस्ताव पर चर्चा - §वापस लिया गया§

- 29.8.78 - सप्तदीय लोकतंत्र आदि के भविष्य को चुनावों में
30.8.78 धनशाक्ति की कृती हुई भूमिका से उत्पन्न होने
वाले गम्भीर खतरे के बारे में श्री के०पी० उन्नीकृष्णन्
के प्रस्ताव पर चर्चा - अस्वीकृत ।
- उत्तर रेलवे में दो रेल दुर्घटनाओं के बारे में
श्रीमती पार्वती कृष्णन के प्रस्ताव पर चर्चा
सूयह पहले 23-11-1977 को चठाया गया था॥
- 31.8.78 - ताराकित प्रश्न संख्या 211 दिनांक 31.7.78 के उत्तर
में क्लकत्ता में एशियाई खेलों के आयोजन के प्रस्ताव
के बारे में श्री सोम नाथ चटर्जी के वक्तव्य के उत्तर
में शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री द्वारा
दिया गया वक्तव्य ।
- विश्व भारती संशोधन विधेयक, 1978
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ॥
- औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक, 1978
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ॥
- अस्पताल और शिक्षण संस्थान कर्मचारियों की सेवा
शर्तें और नियोजन विवादों का निपटारा विधेयक, 1978 -
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ॥
- कर्मचारी सुरक्षा और प्रकीर्ण उपबन्ध प्रबन्ध कर्मचारी
विधेयक, 1978 - संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव
स्वीकृत हुआ॥
- भारतीय वायु सेना के लिए विमानों के कथित चुनाव के
बारे में रक्षा मंत्री का वक्तव्य ।
- 31.8.78 को बोट क्लब पर हुई उस घटना के बारे में
गृह राज्य मंत्री का वक्तव्य जिसमें विदेश मंत्री भी अटल
बिहारी वाजपेयी को चोट आई थी ।
- 20.11.78 - ध्वान आकषण सूचनाओं से सम्बन्धित प्रक्रिया में अध्यक्ष
महोदय द्वारा कतिपय संशोधनों की घोषणा की गई ।
- 19.11.78 को हुई विमान दुर्घटना के बारे में रक्षा मंत्री
का वक्तव्य ।

प्रोपानी जीव लिमिटेड शेयरों का अर्जन और प्रतीक उच्च-
विधेय, 1978 - पारित ।

- राज्य सभा द्वारा - 23-11-78,
राष्ट्रपति की अनुमति - 3-12-78
-नामी विट और धन परिवर्तन
समीक्षापावन्दी, विधेयक 1978-पारित
राज्य सभा द्वारा - 28-11-78,
राष्ट्रपति की अनुमति - 12-12-78
- 20-11-78 - प्रोटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड
21-11-78 - मोकामा यूनिट तथा आर अटलर ऐंड
कम्पनी मुकामपुर लिमिटेड द्वारा उद्योगों का
अर्जन और अन्तरण, विधेयक, 1973 - पारित -
राज्य सभा द्वारा - 29-11-78,
राष्ट्रपति की अनुमति - 3-12-78
- 20-11-78 - जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण
21-11-78 संशोधन विधेयक, 1978 पारित
राज्य सभा द्वारा - 30-11-78,
राष्ट्रपति की अनुमति - 12-12-78
- 21-11-78 - निरसन और संशोधन विधेयक, 1978-
22-11-78
- राज्य सभा द्वारा 26-7-78,
राष्ट्रपति की अनुमति 26-11-78
- स्त्री तथा लड़की जनैतिक व्यापार दमन
संशोधन, विधेयक, 1978- पारित ।
राज्य सभा द्वारा - 5-12-78,
राष्ट्रपति की अनुमति 26-12-78
- 22-11-78 - सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के

- अन्तर्गत केराइटाज पर नियति - गुल्क लगाने
सम्बन्धी प्राविधिक कल्प पर वर्धा - ३ स्थीकृत
- अतिरिक्त उत्पाद-गुल्क टैक्सटाइल और
टैक्सटाइल वस्तु विधेयक, 1973 - पारित ।
राज्य सभा द्वारा - 30.11.78,
राष्ट्रपति की अनुमति - 6.12.78
- 22.11.78 - बाल नियोजन ंशोधन विधेयक,
1973 - पारित ।
- 24.11.78
27.11.78 - राज्य सभा द्वारा - 26.7.78,
राष्ट्रपति की अनुमति - 29.11.78
- 24.11.78 - भाषा के प्रयोग सम्बन्धी समिति की नियुक्ति
के बारे में अध्यक्ष की घोषणा ।
- 27.11.78 - भारतीय रुपये एवं स्वल के बीच विनिमय
दर निर्धारित करने के बारे में वित्त मंत्री
द्वारा एक वक्तव्य ।
- मोटर यान ंशोधन विधेयक, 1978,
पारित ।
राज्य सभा द्वारा 12.12.78,
राष्ट्रपति की अनुमति 26.12.78
- 28.11.78 - विपक्ष के नेता द्वारा एक समास्तीपुर
धुनाव के सम्बन्ध में हुई कतिपय घटनाओं और
दो श्री वसन्त भाठे, अमद सदस्य की कतिपय
गिरफ्तारी और उन्हें जाई वोटों के बारे में
वक्तव्य ।
- दण्ड प्रक्रिया संहिता ंशोधन विधेयक

1978 - पारित ।

राज्य सभा द्वारा 6.12.78,

राष्ट्रपति की अनुमति 18.12.78

- गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री द्वारा बिहार के एक मंत्री और एक संसद सदस्य की बिहार में गिरफ्तारी के बारे में एक वक्तव्य ।

29.11.78

- नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री द्वारा अनिश्चित काल की हड़ताल समाप्त किये जाने के बारे में एक वक्तव्य ।

गाटर यान सुसंगोर्धन विधेयक, 1978 - पारित ।

राज्य सभा द्वारा 12.12.78,

राष्ट्रपति की अनुमति 26.12.78

29.11.78

- वाणिज्य पोत परिवहन सुसंगोर्धन विधेयक,

27.4.79

1978 - पारित ।

राज्य सभा द्वारा - 5.3.79,

राष्ट्रपति की अनुमति - 4.5.79

30.11.78

- श्री राम विलास पासवान द्वारा समस्तीपुर निर्वाचन क्षेत्र में जन-चुनाव के दौरान हिंसात्मक घटनाओं से उनके जति संघ के बारे में उनका वैयक्तिक स्पष्टीकरण ।

-- श्री कलन्त साठे को नागपुर में जाई वोट के सम्बन्ध में उनका वैयक्तिक स्पष्टीकरण ।

30.11.78

- आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिये

1.12.78

स्वायत्तता सम्बन्धी कार्यकारी दल के

कारे में श्री लाल कृष्ण जडवाणी द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर चर्चा ।

- 4•12•78 - देश में हाल में हुये सम्प्रदायिक
- 5•12•78 दंगों के बारे में प्रो० जयराम द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर चर्चा ।
- 7•12•78 विशेषाधिकार समिति के तीसरे
- 8•12•78 प्रतिवेदन के बारे में तथा नियम 388 के अन्तर्गत श्री मोरारजी जई देसाई द्वारा पेश किये गये अन्य प्रस्तावों पर चर्चा - स्वीकृत ।
- 8•12•78 - विशेषाधिकार समिति के तीसरे
- 12•12•78 प्रतिवेदन के निष्कर्षों के बारे में श्री मोरारजी
- 13•12•79 आर० देसाई द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर चर्चा स्वीकृत ।
- 13•12•79
- 19•12•78
- 12•12•73 - प्रधान मंत्री के जीवन के अन्तिम क्षणों के बारे में विपक्ष के नेता का वक्तव्य ।
- 12•12•73 चीनी उपक्रम सुपबन्ध ग्रहण विधेयक, 1973
- 15•12•73 पारित
- द्वारा राज्य सभा द्वारा 26•12•78,
- राष्ट्रपति की अनुमति 30•12•78
- 18•12•73 - प्रधान मंत्री द्वारा श्री सूर्य नारायण सिंह के अन्तर्गत अदस्यकी दिवस का दौरा करने के हुई मृत्यु की परिस्थितियों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य ।
- मर्दटन और नागर विमानन मंत्री द्वारा

हैदराबाद में इंडियन एयरलाइन्स के 35
बोइंग 737 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के
बारे में एक वक्तव्य ।

19.12.78

बोनस बंदाय वृत्तिका, विशेषक, 1978-

20.12.78

भारित ।

राज्य सभा द्वारा 26.12.78,

राष्ट्रपति की अनुमति 30.12.78

20.12.78

गृह मन्त्रालय में राज्य सभा द्वारा 6 दिसम्बर,
1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 243 के उत्तर
में पाकिस्तानी एजेंटों के पकड़े जाने के बारे
में एक वक्तव्य ।

21.12.78

- पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री द्वारा
महिम विधेयक में उपतटीय गैस की नवीन
उत्पत्ति के बारे में एक वक्तव्य ।

- विनियोग बिल संख्या 4 विशेषक, 1978
भारित -

राज्य सभा द्वारा - यह विधेयक लोक सभा
को 14 दिन की अवधि में लौटाया नहीं
गया ।

राष्ट्रपति की अनुमति 3.1.79

- रथटन और नागर विमानन मंत्री द्वारा
कलकत्ता से दिल्ली जाने वाले इंडियन
एयरलाइन्स के बोइंग 737 विमान के कश्चित
अपहरण के बारे में एक वक्तव्य ।

- अक्षय महोदय ने घोषणा की कि जिन
व्यक्तियों ने दूरक दीर्घाओं में नारे लगाये

उन्हें संसद भवन के परिसर से बाहर कर दिया गया है और उन्हें पुलिस अधिकारियों को सौंप दिया गया है ।

22.12.78

- श्री चरण सिंह द्वारा गृह मंत्री के पद से उनके त्यागपत्र के बारे में वक्तव्य ।
- प्रधान मंत्री द्वारा लक्ष्मी सम्बन्ध में एक वक्तव्य
- वाणिज्य, नागर विमानन और सहकारिता मंत्री द्वारा बीनी और गुड़ के निर्यात के बारे में एक वक्तव्य ।
- विनियोग संख्या 53 विधेयक, 1978, पारित पुराज्य कभा द्वारा यह विधेयक लोक सभा को 14 दिन की अवधि में लौटाया नहीं गया ।

राष्ट्रपति की अनुमति 3.1.79

23.12.78

श्री देवी. उन्नीकृष्णन द्वारा निधन 193 के अन्तर्गत कलकत्ता के दिल्ली जाने वाले रॉडवेन एयरलाइन्स के लोडिंग विमान के अपहरण के बारे में उठाई गई चर्चा ।

1979- काल-क्रमानुसार घटनाएँ

19.2.79

संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण ।

श्री पी. विधु शंकर ने सदन में श्रमधर्ती ।

सर्वश्री एस. पी. गुजराज, ए. शंकर अल्वा,

एस.एस. सागौंधी, डा. चन्द्रमणि लाल

चोधरी, सरदार जोगिन्दर सिंह, जडन

पेला रेड्डी, विश्वनाथ पुन पुनबाला

के सिद्ध में निधन सम्बन्धी उल्लेख ।

20.2.79

- सीधो नन्दी येलेध्या तथा कुमाऊ
ठाकरे ने शा 1 जी ।
- रेल बजट १९७९-८० प्रस्तुत किया गया ।
- प्रधान मंत्री द्वारा अपनी श्रीलंका यात्रा
के बारे में एक वक्तव्य ।
- श्री सुरजीत सिंह धरनाला ने नियम 333
के अन्तर्गत प्रस्ताव पेश किया कि लोक सभा
में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के
नियम 66 के परन्तुक जो नारियल विकास
बोर्ड विधेयक, 1978 तथा औद्योगिक शुल्क
विधेयक, 1978 पर विचार करने तथा
पारित करने के सम्बन्ध में निलम्बित किया
जाये और यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
- नारियल विकास बोर्ड विधेयक, 1978 -
पारित -
राज्य सभा द्वारा 1.3.79
राष्ट्रपति की अनुमति 17.3.79
- औद्योगिक शुल्क विधेयक, 1978 - पारित
राज्य सभा द्वारा - 1.3.79,
राष्ट्रपति की अनुमति - 8.3.79

21.2.79

- श्री पी. रंगनाथ गिनाय के बारे में निधन
सम्बन्धी उल्लेख ।
- श्री बलदेव सिंह जसरोटिया, जम्मू के सदस्य
की गिरफ्तारी के बारे में सूचना ।

- 21-2-79 - विदेश मंत्री का 12 से 18 फरवरी, 1979 तक अपनी चीन यात्रा के बारे में वक्तव्य ।
- 21-2-79 - भ्रमजी की पत्रकार तथा अज्ञ समाचारपत्र कर्म-चारी सेवा की शर्तों और प्रकीर्ण उपबन्ध एवं संशोधन विधेयक 1979-पारित
राज्य सभा द्वारा 5-3-79, राष्ट्रपति की अनुमति 19-3-79
- 21-2-79 श्री वेदव्रत बरूआ द्वारा कियतनाम पर
- 22-2-79 चीन के आक्रमण और उससे एशिया के देशों की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा उठाई गई ।
- 22-2-79 राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद
- 23-2-79 प्रस्ताव पर चर्चा
- 26-2-79 जम्मू और काश्मीर राज्य में क्षेत्रीय असन्तुलन की वजह से उत्पन्न हुई गम्भीर स्थिति तथा डा. जगन्मोहन सिंह द्वारा लोगों के विरुद्ध दमन अभियान पर चर्चा ।
- 26-2-79 श्री बलदेव सिंह जेसरोटिया, संसद सदस्य को जमानत पर छोड़ने के संबंध में सूचना ।
- 28-2-79 सामान्य बजट 1979-80 प्रस्तुत किया गया ।
- 28-2-79 विशेष न्यायालय विधेयक, 1979 पारित किया गया ।
- 1-3-79
- 2-3-79 राज्यसभा द्वारा 21-3-79 राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन लोकसभा द्वारा
- 8-3-79

- 9-3-79 स्वीकार कर लिए गए, राष्ट्रपति की
3-5-79 अनुमति 16-5-79 को मिला ॥
4-5-79
7-5-79
8-5-79
- 5-3-79 ऐरिटेलिया द्वारा निर्मित परिवहन
एयरक्राफ्ट जी-222 की खरीद के संबंध
में रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री द्वारा
वक्तव्य ।
- 5-3-79 विरोधी दल के नेता कांपेडोल की कीमतों
में वृद्धि के कारण टैक्सी तथा स्मूटर
'डाइवरो' की कीमतें हड़ताल के संबंध में
वक्तव्य ।
- 6-3-79 विधि मंत्री का दिल्ली उच्च न्यायालय
के जज की नियुक्ति के संबंध में वक्तव्य ।
दो दर्जनों श्री गुरु राज और स्वामी
आनन्द भारती ने जज दीर्घा से सभा
में कुछ कागज फेंके और सभा द्वारा एक
गम्भीर अपराध किये जाने के लिए एक
प्रस्ताव स्वीकार किया गया और उन्हें
सभा की अवमानना का दोषी पाया
गया ।
- 8-3-79 अध्यक्ष ने ताराकित प्रश्न संख्या 249 के
6 दिसम्बर, 1979 को दिए गए उत्तर
के संबंध में लोकसभा को दी गई कीमत
गलत जानकारी के बारे में ऊर्जा मंत्री

श्री पी० रामचन्द्रन्तु और उर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री आर०पी० खोसला के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर, जिसकी सूचना श्री एडुआर्डो फेलीरो ने दी थी, अपना विनिर्णय दिया और नियम 222 के अधीन विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिए अपनी सहमति नहीं दी।

12-3-79

द्वारा
विदेश मंत्री / खाड़ी क्षेत्रों में अमरीकी नौसैनिक दस्ते की उपस्थिति के बारे में वक्तव्य

बजट

पाण्डिचेरी- 1979-80 प्रस्तुत किया गया।
मिजोरम बजट- 1979-80 प्रस्तुत किया गया।

13-3-79

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री का दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों और दंडाधिकारियों के 16 मार्च, 1979 को संसद भवन तक जलूस निकालने के अतिरिक्त निर्णय संबंधी ध्यानाकर्षक के उत्तर में उर्जा मंत्री का बाढ़ों से प्रभावित कोयला खानों की प्रतिशतता के बारे में कतिपय जानकारी के स्पष्टीकरण में वक्तव्य।

20-3-79

अध्यक्ष ने प्रश्नकाल के दौरान हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त भाषाओं के प्रयोग के बारे में घोषणा की।

- विनियोग {रेल} विधेयक, 1979- पारित-
{राज्य सभा द्वारा 27-3-79}

- ॥राष्ट्रपति की अनुमति 29-3-79॥
- विनियोग विधेयक, 1979-पारित
॥राज्य सभा द्वारा-26-3-79॥
॥राष्ट्रपति की अनुमति-29.3.79॥
- विनियोग संख्यांक 2, विधेयक-पारित
॥राज्यसभा द्वारा-26.3.79॥
॥राष्ट्रपति की अनुमति-29.3.79॥
- चीनी उपक्रम ॥प्रबंध ग्रहण॥ संशोधन विधेयक
1979-पारित
॥राज्यसभा द्वारा-27.3.79॥
॥राष्ट्रपति की अनुमति-31.3.79॥
- 21.3.79 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का श्री जय प्रकाश नारायण के स्वास्थ्य की स्थिति तथा उन के इलाज के बारे में वक्तव्य ।
- पंजाब आबकारी ॥दिल्ली संशोधन॥ विधेयक
1979, पारित
॥राज्यसभा द्वारा-27.3.79॥
॥राष्ट्रपति की अनुमति-29.3.79॥
- 22.3.79 - श्री जयप्रकाश नारायण के निधन के संबंध में उल्लेख किया गया ।
- प्रधान मंत्री का श्री जयप्रकाश नारायण के निधन के संबंध में पहले दी गई गलत सूचना के बारे में वक्तव्य और उन्होंने सभा तथा राष्ट्र से बिना शर्त क्षमा मांगी ।
- 23.3.79 - मिजोरम विनियोग ॥लेखानुदान॥ विधेयक 1979; पारित
॥राज्यसभा द्वारा-27.3.79॥
॥राष्ट्रपति की अनुमति-31.3.79॥

- मिजोरम विनियोग विधेयक, 1979 पारित
 §राज्यसभा द्वारा 27.3.79§
 §राष्ट्रपति की अनुमति 31.3.79§
- 23.3.79 - उद्योग विकास तथा विनियमन संशोधन, 1979
26.3.79 पारित
 §राज्यसभा द्वारा 28.3.79§
 §राष्ट्रपति की अनुमति 31.3.79§
- 26.3.79 - श्री जयप्रकाश नारायण के निधन के संबंध में प्रधान
मंत्री द्वारा सभा को गलत सूचना देने के बारे में
श्री के. लक्ष्मण द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव
अस्वीकृत हुआ ।
- पाण्डिचेरी विनियोग लेखानुदान विधेयक, 1979
पारित
 §राज्यसभा द्वारा 29.3.79§
 §राष्ट्रपति की अनुमति 31.3.79§
- पाण्डिचेरी विनियोग विधेयक, 1979 पारित
 §राज्यसभा द्वारा 28.3.79§
 §राष्ट्रपति की अनुमति 31.3.79§
- प्रधान मंत्री का सोवियत संघ के प्रधान मंत्री श्री
कोसिगन की हाल ही भारत यात्रा के संबंध में
वक्तव्य ।
- 28.3.79 - वर्तमान सभा के सदस्य श्री एच.एल. पटवारी का
निधन हो गया और दिवंगत आत्मा के सम्मान में
सभा की बैठक स्थगित हो गई ।
- 30.3.79 - वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहायिता मंत्री का
वर्ष 1979-80 के लिए आयात-निर्यात नीति के संबंध
में वक्तव्य ।

- उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का केन्द्रोप सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और अन्य संबंधित मामलों के बारे में वक्तव्य ।
- 20.4.79 - उप प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री का रक्षा सेवाओं के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते और पेंशन के पुनरीक्षण के बारे में वक्तव्य ।
- 6.4.79 - इस्पात और खान मंत्री का इस्पात मूल्यों के संशोधन के बारे में वक्तव्य ।
- 12.4.79 - कृषि और सिंचाई मंत्री का 1979-80 के विपणन मौसम के लिए रबी अनाज की मूल्य और वसूली नीति के बारे में किए गए निर्णयों के संबंध में वक्तव्य ।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का सुचेता कुमलानी अस्पताल के कर्मचारियों के भर्ती नियमों के बारे में वक्तव्य ।
- डा० कर्ण सिंह का श्रीमती अकबर जहां बेगम द्वारा की गई टिप्पणी के संबंध में वैयक्तिक स्पष्टीकरण ।
- गृह मंत्री का जम्मोदपुर की स्थिति के संबंध में वक्तव्य ।
- 17.4.79 - श्री बलदेव सिंह जेसरोटिया का श्रीमती अकबर जहां बेगम द्वारा की गई टिप्पणी के संबंध में वैयक्तिक स्पष्टीकरण ।
- 18.4.79 - उद्योग मंत्री का भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, श्री ए.के. सरकार की अध्यक्षता में बनाए गए बड़े औद्योगिक ग्रहों संबंधी जांच आयोग के संबंध में वक्तव्य ।
- गृह मंत्री का जम्मोदपुर की स्थिति के संबंध में वक्तव्य ।
- 19.4.79 - प्रधान मंत्री का अपनी बंगला देश यात्रा के संबंध में वक्तव्य ।
- 20.4.79 - गृह मंत्री का उत्तर प्रदेश में श्री गुरुदत्त सोलंकी और श्री गोबिन्द सिंह द्वारा भूमि के लिए किए गए सौदे के बारे में वक्तव्य ।

- 24.4.79 - विनियोगसंख्यांक 3 विधेयक, 1979 पारित
॥राज्यसभा द्वारा 30.4.79॥
॥राष्ट्रपति की अनुमति 3.5.79॥
- 24.4.79 - वित्त विधेयक 1979 - पारित
- 25.4.79 ॥राज्यसभा द्वारा 7.5.79॥
- 26.4.79 ॥राष्ट्रपति की अनुमति 10.5.79॥
- 26.4.79 - प्रधान मंत्री का गौरव रक्षा के संबंध में वक्तव्य ।
- 27.4.79 - गृह मंत्री का जम्मू और काश्मीर की 22 और
23 अप्रैल, 1979 की अपनी यात्रा के बारे में
वक्तव्य ।
- 27.4.79 - हरियाणा और उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन
विधेयक, 1978 - पारित
॥राज्यसभा द्वारा 22.5.79॥
॥राष्ट्रपति की अनुमति-11.6.79॥

30-4-79 - राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा नई प्रौद्योगिकियों के लाभों से लघु क्षेत्र को लाभान्वित किये जाने के बारे में रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का वक्तव्य {तारारक्ति प्रश्न संख्या 869 दिनांक 25 अप्रैल, 1979 के उत्तर में}.

- कोसनगैस कम्पनी {उपक्रमों का अर्जन} विधेयक, 1979 - पारित

{राज्य सभा द्वारा पारित : 15-5-79:

राष्ट्रपति की अनुमति : 26-5-79}

- परेल इन्वैस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड

{प्रबन्ध ग्रहण} विधेयक, 1979 - पारित

{राज्य सभा द्वारा पारित : 15-5-79;

राष्ट्रपति की अनुमति : 26-5-79}

30-4-79 - अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय {संशोधन} विधेयक,
2-5-79 1978 - पारित
3-5-79

- प्रधानमंत्री और भूतपूर्व गृहमंत्री के परिवारों के सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के सम्बन्ध में गृह मंत्री का वक्तव्य ।

2-5-79 - अध्यक्ष ने नई दिल्ली में र. श्री एम० अरुणाचलम और एन० कुदन्तई रामलिंगम की गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया ।

- जम्मू तथा काश्मीर में अल्पसंख्यकों के बारे में गृहमंत्रालय में राज्य मंत्री का वक्तव्य

{तारारक्ति प्रश्न संख्या 228 दिनांक 7 मार्च, 1979 के उत्तर में}

- विमणन वर्ष 1979-80 के लिए तुर {अरहर}, मूंग और उड़द के लिए समर्थन मूल्य के बारे में कृषि और सिंचाई मंत्री का वक्तव्य
- 3-5-79 - वर्ष 1979-80 के लिए विदेशी व्यापार नीति के बारे में वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और र हकारिता मंत्री का वक्तव्य
- डा० राम मनोहर लोहिया के इलाज सम्बन्धी जांच समिति के निष्कर्षों के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य
- सीमेंट उद्योग सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के बारे में उद्योग मंत्री का वक्तव्य
- 7-5-79 - भारत में चुनावों के लिए अमरीकी सरकार द्वारा विदेशी धन के कथित भुगतान, जैसा कि श्री मोनिहन ने अपनी पुस्तक - "ए डेन्जरस प्लेस" में उल्लेख किया है, के बारे में श्री कंवर लाल गुप्ता द्वारा नियम 193/अधीन उठाई गई चर्चा
- 8-5-79 - इन्डियन ड्रस एण्ड फार्मैस्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए अपने इतालवी सहयोग कर्ताओं को की गई अदायगी के बारे में पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री का वक्तव्य
- संविधान {47वां संशोधन} विधेयक, 1978 -

वाद-विवाद स्थगित

- 8-5-79 - अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार ऋनियोजन विनियमन
और सेवा की शर्तों विधेयक, 1979 - पारित
 ऋराज्य सभा द्वारा पारित : 21-5-79 ;
 राष्ट्रपति की अनुमति : 11-6-79
- 9-5-79 - संसद-सदस्य केंतन, भत्ते तथा पेंशन ऋसंशोधन विधेयक,
1979 - पारित
 ऋराज्य सभा द्वारा पारित : 15-5-79 ;
 राष्ट्रपति की अनुमति : 25-5-79
- संघ उत्पाद शुल्क ऋवितरण विधेयक, 1979 - पारित
 ऋराज्य सभा द्वारा पारित : 17-5-79 ;
 राष्ट्रपति की अनुमति : 20-5-79
- सम्पदा शुल्क ऋवितरण संशोधन विधेयक, 1979 -
पारित
 ऋराज्य सभा द्वारा पारित : 17-5-79 ;
 राष्ट्रपति की अनुमति : 25-5-79
- अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ऋविशेष महत्व का माला
संशोधन विधेयक, 1979 - पारित
 ऋराज्य सभा द्वारा पारित : 17-5-79 ;
 राष्ट्रपति की अनुमति : 20-5-79
- 9-5-79 - गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने अनुसूचित जातियों तथा
10-5-79 अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1974-75,
14-5-79 1975-76 और 1976-77 के 23वें और 24वें प्रतिवेदनो
15-5-79 पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया -
16-5-79
18-5-79 प्रस्ताव स्वीकार हुआ

- 10-5-79 - गाड़ी से दिल्ली आ रहे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों मर बेरोकटोक, जोरदार आर नियोजित ढंग से किये गये सशस्त्र हमले के बारे में श्री जी.एम. बन्तगाला द्वारा प्रस्तुत किये गये स्थान प्रस्ताव पर चर्चा -
- प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ "
- सूती कपड़े और सूती धागे के मूल्यों में कमी के बारे में उद्योग मंत्री का वक्तव्य
- गोवा, दमन और दीव बजट - 1979-80 - प्रस्तुत किया गया
- व्यवसाय आयोग की नियुक्ति और उसके निदेश पदों के बारे में उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का वक्तव्य
- 14-5-79 - गुजरात में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिक्त पदों के बारे में विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री का वक्तव्य
- 16-5-79 - कोयला उद्योग में केंद्र टाचि पर वार्ता के सम्बन्ध में ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य
- श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर चर्चा जिसमें विभिन्न शक्तियों द्वारा ब्रिटेन में अशक्तों पर किये जा रहे बर्बर आक्रमणों पर चिन्ता व्यक्त की गई ।
- 17-5-79 - लोन्गाल विधेयक, 1977
9-7-79 §संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में§
10-7-79

- 17-5-79 - प्रधान मंत्री और भूतपूर्व गृह मंत्री ने परिवारों के सदस्यों के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में गृह मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में नियम 193 के अधीन श्री सी.एम. स्टीफन द्वारा चर्चा उठाई गई ।
- 18-5-79 - कराधान विधियों आदि में दी गई रियायतों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए अध्यात्मिकियों और कर प्रशासकों की एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति के बारे में उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का वक्तव्य
- 18-5-79 - प्रसार भारती {भारतीय प्रसारण निगम} विधेयक, 1979 {संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव -
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
- 9-7-79 - आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आये हाल के तूफान और किये गये राहत के उपायों के बारे में कृषि और सिंचाई मंत्री का वक्तव्य
- प्रधान मंत्री की रूस और कुछ पूर्व-यूरोपीय देशों की हाल की यात्रा के बारे में प्रधान मंत्री का वक्तव्य
- 10-7-79 - अध्यक्ष ने श्री सी.एम. स्टीफन के स्थान पर श्री यशवन्तराव चव्हाण को विकास के नेता के रूप में घोषित किया ।

- 11-7-79 - अन्तरिक्ष प्रयोगशाला के बारे में आघटन जानकारी देने वाला प्रधान मंत्री का वक्तव्य
- 11-8-79 - विपक्ष के नेता द्वारा मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया ।
- 12-7-79 - दिल्ली और नई दिल्ली के अधिकांश भागों में पीने के पानी की पूर्ति में बाधा के बारे में निर्माण, आवास और पूर्ति तथा पुनर्वासि मंत्री का वक्तव्य
- 13-7-79 - दिल्ली/नई दिल्ली में पीने के पानी की पूर्ति में बाधा के बारे में निर्माण, आवास और पूर्ति तथा पुनर्वासि मंत्री का वक्तव्य "
- 16-7-79 - प्रधान मंत्री द्वारा अपना तथा अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र दिया गया और त्यागपत्र राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किया गया ।

विवरण 12

विभिन्न प्रकार के कार्यों में छठी लोक सभा द्वारा
लगाया गया समय

कार्य	प्रत्येक मद में लगाया गया समय		कुल समय की तुलना में प्रतिशतता
1	2		3
	घंटे	मिंट	
<u>स्थान प्रस्ताव</u>	25	06	1.42
<u>विधेयक</u>			
{क} सरकारी विधेयक	347	03	19.79
{ख} गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	65	25	3.72
<u>बजट</u>			
{क} रेलवे बजट	65	59	3.74
{ख} सामान्य बजट	330	23	18.83
{ग} राष्ट्रपति शासनाधान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बजट	12	19	00.69
<u>ध्यानाकर्षण सूचनाएँ</u> {नियम 197}	87	54	4.99
<u>चर्चाएँ :</u>			
{क} आधे घंटे की चर्चा {नियम 55}	35	57	2.02
{ख} अल्पवधि चर्चा {नियम 193}	36	05	2.05

प्रस्ताव

॥क॥ प्रस्ताव ॥नियम 191 और 342॥	168	40	9.60
॥ख॥ मंत्रिरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव	19	32	1.10
<u>राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद-विवाद</u>	45	48	2.59
<u>प्रश्न</u>	240	25	13.70
<u>संकल्प</u>			
॥क॥ सरकारी संकल्प	2	07	00.11
॥ख॥ साविधिक संकल्प	5	39	00.30
॥ग॥ गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	58	17	3.31
<u>मंत्रियों द्वारा वक्तव्य</u>	27	04	1.54
<u>व्यवस्था के प्रश्न</u>	43	38	2.47
<u>विविध</u>	135	45	7.72

कुल	1753	06	100

अध्याय चार

सदस्य और मंत्री

लोक सभा की सदस्यता

संविधान के अनुच्छेद 61 में उपबन्ध है कि लोक सभा राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 525 से अधिक सदस्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने हुए बीस से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। संविधान के अनुच्छेद 331 के अधीन भारत का राष्ट्रपति लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो सदस्य नाम-निर्देशित कर सकता है यदि उसकी राय हो कि सभा में उस समुदाय प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। इस उपबन्ध के अनुसरण में इस समुदाय के दो सदस्य अब तक नाम-निर्देशित किये जाते रहे हैं।

संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार, जिसमें प्रत्येक दसवार्षिक जनगणना के पश्चात् स्थानों के पुनःसमायोजन का उपबन्ध है, परिसीमन अधिनियम, 1972 के अधीन स्थापित परिसीमन आयोग ने 1971 की जनगणना के आधार पर प्राप्त जनसंख्या के आँकड़ों के आधार पर लोक सभा में राज्यों की सीटें आवंटित किये और प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया। इस प्रकार मार्च, 1977 में गठित छठी लोक सभा में 542 सदस्य थे जबकि पाँचवीं लोक सभा में 523 सदस्य थे। 542 सदस्यों में से 525 सदस्यों का राज्यों से और 17 सदस्यों का संघ राज्य क्षेत्रों से सीधे चुनाव किया गया।

आंग्ल-भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए इसके दो सदस्य नामजद किये गये ।

छठी लोक सभा में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानों का वितरण विवरण 13 में दिया गया है ।
सदस्यों की आयु का वर्गीकरण :

छठी लोक सभा की पहली बैठक के दिन सबसे कम आयु का सदस्य 26 वर्ष 7 माह और 24 दिन का ^{था} और सबसे अधिक आयु का सदस्य 81 वर्ष और 26 दिन का था । समूचे सदन में औसत आयु 52.1 वर्ष थी जबकि पाँचवी लोक सभा में औसत आयु 49 वर्ष, चौथी लोक सभा में 48 वर्ष, तीसरी में 48 वर्ष 10 माह, दूसरी में 46 वर्ष 4 माह, पहली में 45 वर्ष 8 माह थी ।

छठी लोक सभा में अधिकांश सदस्य 46-50 वर्ष और 51-55 वर्ष के आयु समूह में थे । पाँचवीं और चौथी लोक सभा में अधिकांश सदस्य 46-50 वर्ष के आयु समूह में थे जबकि तीसरी, दूसरी और पहली लोक सभा में अधिकांश सदस्य क्रमशः 41-45, 36-40 और 51-55 आयु समूह में थे ।

छठी, पाँचवीं, चौथी और तीसरी लोक सभा में 81-85 वर्ष के आयु समूह के सबसे कम सदस्य थे जबकि दूसरी और पहली लोक सभा में सबसे कम सदस्य 71-75 वर्ष के आयु समूह के थे ।

पहली से छठी लोक सभा के सदस्यों का विभिन्न आयु समूहों में वर्गीकरण विवरण 14 में दिया गया है ।

विवरण 15 में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी लोक सभा में चुने गये महिला सदस्यों की संख्या दी गयी है ।

व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण

छठी लोक सभा में कृषक जिन्होंने किसान और जमींदार शामिल हैं, सबसे अधिक थे जोकि कुल सदस्यों के 36 प्रतिशत थे। तीसरी, चौथी और पाँचवीं लोक सभा में भी इस वर्ग के सदस्य सबसे अधिक थे जो क्रमशः 27.4, 30.6 और 33.2 प्रतिशत थे जबकि पहली और दूसरी लोक सभा में यह दूसरा सबसे बड़ा वर्ग था जो कि क्रमशः 22.4 और 29.1 प्रतिशत था।

कृषकों, किसानों और जमींदारों के बाद छठी लोक सभा में दूसरा सबसे बड़ा वर्ग वकील सदस्यों का था जिनका सभा में प्रतिनिधित्व 23.4 प्रतिशत था। पाँचवीं, चौथी और तीसरी लोक सभा में वकीलों का क्रमशः दूसरा 120.5%, तीसरा 17.5% और दूसरा 24.5% स्थान था जबकि दूसरी और पाँचवीं लोक सभा में उनका सबसे बड़ा वर्ग था जो क्रमशः 30.3 और 35.6 प्रतिशत थे।

छठी और पाँचवीं लोक सभा में राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों का तीसरा सबसे बड़ा वर्ग था जो क्रमशः 20 और 19 प्रतिशत था। चौथी लोक सभा में उनका दूसरा स्थान था जो 22.9 प्रतिशत था और तीसरी लोक सभा में तीसरा स्थान था जो 18.7 प्रतिशत था।

छठी लोक सभा में जिन अन्य वर्गों का काफी प्रतिनिधित्व रहा वे हैं : अध्यापक और शिक्षाविद 8.4 प्रतिशत, पत्रकार और लेखक 2.1 प्रतिशत और व्यापारी तथा उद्योगपति 3.3 प्रतिशत। पहली से छठी लोक सभा तक सदस्यों का उनके पूर्व व्यवसाय के अनुसार वितरण प्रतिशत वितरण 16 में दिया गया है।

विवरण 17 में पहली से लेकर छठी लोक सभा तक के सदस्यों पर हुए खर्च का तुलनात्मक विवरण दिया गया है।

विवरण 18 में मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के नाम और विभाग दर्शाए गए हैं। प्रधान मंत्री को छोड़कर सभी के नाम वर्णक्रम में दिए गए हैं। और उसमें छठी लोक सभा के कार्य-काल में समय-समय पर जो परिवर्तन हुए वे भी दिखाए गए हैं।

विपक्ष नेता

लोक सभा और राज्य सभा में विपक्ष के नेताओं को सांविधिक मान्यता देने के लिए संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1977 पारित किया गया जिसमें उन्हें वेतन देने तथा कतिपय अन्य सुविधाएं प्रदान करने के बारे में उपबन्ध किया गया। विवरण 19 में छठी लोक सभा में विपक्ष के नेताओं के नाम तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ब्यौरे दिए गए हैं।

अनुपस्थिति की अनुमति

लोक सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अधीन सदस्य सत्रिधान के अनुच्छेद 101 के खण्ड 4 के अन्तर्गत सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्राप्त करना चाहे तो वह अध्यक्ष को लिखित रूप में आवेदन-पत्र देगा। वह सदस्य आवेदन-पत्र में उस अत्रिधि का उल्लेख करेगा जिसके लिए अनुपस्थिति की अनुमति अपेक्षित हो और उसमें ऐसी अनुपस्थिति की अनुमति के आरम्भ होने तथा समाप्त होने की तिथि और ऐसी अनुपस्थिति के आधार भी दर्शाए जायेंगे। किसी एक समय साठ दिन की कालावधि से अधिक की अनुपस्थिति की अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया जायेगा। तारे आवेदन-पत्र सभा की बैठकों से सदस्यों

की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति को भेजा जायेगी। समिति की सिफारिशों पर सभा के निर्णय की सूचना सदस्यों को दी जायेगी।

छठी लोक सभा के कार्यकाल के दौरान 45 सदस्यों ने सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति मांगी।

विवरण 20 में सदस्यों को अनुपस्थित रहने की अनुमति दिये जाने का विवरण दिया गया है।

विवरण 21 में उन सदस्यों के बारे में विवरण दिया गया है जिन्होंने लोक सभा से त्याग-पत्र दिया है और विवरण 22 में छठी लोक सभा के दौरान किये गये निधन सम्बन्धी उल्लेखों का विवरण दिया गया है।

विवरण -13

छठी लोक सभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों
में स्थानों का नियतन

<u>राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम</u>	<u>स्थानों की संख्या</u>
एक-राज्य	
1. आन्ध्र प्रदेश	42
2. असम	14
3. बिहार	54
4. गुजरात	26
5. हरियाणा	10
6. हिमाचल प्रदेश	4
7. जम्मू और काश्मीर	6
8. कर्नाटक	28
9. केरल	20
10. मध्य प्रदेश	40
11. महाराष्ट्र	48
12. मणिपुर	2
13. मेघालय	2
14. नागालैंड	1
15. उड़ीसा	21
16. पंजाब	13
17. राजस्थान	25
18. सिक्किम	1
19. तमिलनाडु	39
20. त्रिपुरा	2
21. उत्तर प्रदेश	85
22. पश्चिम बंगाल	42

दो - संघ राज्य क्षेत्र

23• अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
24• अरुणाचल प्रदेश	2
25• चंडीगढ़	1
26• दादर और नागर हवेली	1
27• दिल्ली	7
28• गोवा, दमन और दीव	2
29• लक्षद्वीप	1
30• मिजोरम	1
31• पाण्डिचेरी	1

विवरण-14

सदस्यों का आयु वर्ग निर्धारण

पहली लोक सभा से छठी लोक सभा के सदस्यों का वर्गवार विवरण
॥ आयु जो लोक सभा की प्रथम बैठक में थी ॥

आयु वर्ग	पहली लोक सभा	दूसरी लोक सभा	तीसरी लोक सभा	चौथी लोक सभा	पाँचवीं लोक सभा	छठी लोक सभा
1	2	3	4	5	6	7
25 से 30 वर्ष	28	13	11	21	16	18
31 से 35 वर्ष	54	60	34	38	28	26
36 से 40 वर्ष	58	91	64	65	62	62
41 से 45 वर्ष	68	71	79	84	76	69
45 से 50 वर्ष	74	64	73	85	99	94
51 से 55 वर्ष	91	76	69	69	94	94
56 से 60 वर्ष	47	70	58	54	57	66
61 से 65 वर्ष	29	25	58	39	35	41
66 से 70 वर्ष	10	12	21	25	25	33
71 से 75 वर्ष	1	4	6	10	9	11
76 से 80 वर्ष	-	-	1	2	2	4
81 से 85 वर्ष	-	-	1	1	1	1
	*	*	*	*	*	*
	462	486	475	493	504	519

* केवल इन्होंने सदस्यों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा सकती है।

लोक सभा में महिला सदस्यों की संख्या

	सीटों की कुल संख्या	महिला सदस्यों की संख्या	कुल सदस्य संख्या की प्रतिशतता
पहली लोक सभा	499	22	4.4
दूसरी लोक सभा	500	27	5.4
तीसरी लोक सभा	503	34	6.7
चौथी लोक सभा	523	31	5.9
पांचवी लोक सभा	521	22	4.2
छठी लोक सभा	544	19	3.4

कुल सदस्य संख्या की प्रतिशतता है

	पहली लोक सभा	दूसरी लोक सभा	तीसरी लोक सभा	चौथी लोक सभा	पाँचवीं लोक सभा	छठी लोक सभा
1. वकील	35.6	30.3	24.5	17.5	20.5	23.4
2. कृषक, किसान तथा जमींदार	22.4	29.1	27.4	30.6	33.2	36.0
3. व्यापारी तथा उद्योगपति	12.0	10.2	10.3	7.7	6.8	3.3
4. शिक्षित तथा सेना सेवा	3.7	4.0	0.9	3.2	3.4	1.7
5. मेडिकल प्रैक्टिसनर	4.9	3.5	8.0	2.8	1.7	1.9
6. अध्यापक तथा शिक्षाविद्	9.9	11.3	5.8	6.5	7.1	8.4
7. पत्रकार तथा लेखक	10.4	10.2	5.8	4.8	6.31	2.1
8. भूगर्भ रेशा	1.1	1.4	1.1	1.4	0.4	0.6
9. राजनैतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता	-	-	18.7	22.9	19.6	20.0
10. इंजीनियर, आर्किटेक्ट, प्रौद्योगिकीविद्	-	-	0.9	1.4	1.2	0.9
11. औद्योगिक कार्यकारी	-	-	0.2	0.2	-	1.7
12. धार्मिक पिशाचरिया	-	-	6.2	0.8	0.4	-
13. कलाविद्	-	-	-	0.2	-	-

नोट : कुछ सदस्यों के पूर्व व्यवसाय एक से अधिक थे फिर भी इस तालिका में सदस्य ने केवल उस व्यवसाय को दाखिला दिया है जोकि उसके जीवन का प्रमुख व्यवसाय रहा है।

विवरण- 17

सदस्यों पर हुआ व्यय

	वर्ष	हुआ व्यय ₹ समयों में
पहली लोक सभा	1952-53	37,96,818
	1953-54	38,89,783
	1954-55	46,00,620
	1955-56	52,03,214
	1956-57	43,89,087
दूसरी लोक सभा	1957-58	48,61,383
	1958-59	45,80,692
	1959-60	47,40,870
	1960-61	44,79,964
	1961-62	
	दिसम्बर, 1962 तक	
तीसरी लोक सभा	1962-63	50,02,715
	1963-64	48,29,589
	1964-65	68,34,400
	1965-66	68,23,153
	1966-67	47,49,730
	नवम्बर, 1966 तक	
चौथी लोक सभा	1967-68	76,81,929
	1968-69	81,81,379
	1969-70	1,11,52,543
	1970-71	88,22,725
	दिसम्बर, 1970 तक	

	1	2
पांचवीं लोक सभा	1971-72	1, 11, 94, 646
	1972-73	1, 43, 64, 276
	1973-74	1, 36, 97, 156
	1974-75	1, 61, 38, 257
	1975-76	1, 67, 63, 224
	1976-77	1, 38, 24, 598
	११ दिसम्बर	
	1976 तक	
छठी लोक सभा	1977-78	1, 88, 30, 567
	1978-79	2, 28, 99, 079 अनुमानित
	1979- 80	84, 50, 374
	१२ अगस्त,	
	1979	

विवरण-18

छठी लोक सभा की अखिरी के दौरान
मंत्रियों के नाम और सरकार के कार्य का
समय-समय पर मंत्रि परिवर्तन को आबंटन

क्रमांक	नाम	सरकार के कार्य का मंत्रियों को आबंटन और उसकी अवधि
1	2	3
1.	मोराजी देसाई	<p>प्रधान मंत्री ॥ 24 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979 ॥</p> <p>उन मंत्रालयों और विभागों का कार्य भार भी संभाला जो किसी अन्य मंत्रालयों को नहीं सौंपे गये थे ॥ 26 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979 ॥</p> <p>नौवहन और परिवहन मंत्रालय का अस्थायी, कार्यभार भी संभाला ॥ 26 मार्च, 1977 से 14 अगस्त, 1977 तक ॥</p> <p>गृह मंत्रालय का अस्थायी कार्यभार भी संभाला ॥ 1 जुलाई, 1978 से 24 जनवरी 1979 ॥</p> <p>स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय का अस्थायी कार्यभार भी संभाला ॥ 1 जुलाई, 1978 से 24 जनवरी 1979 ॥</p>
2.	चरण सिंह	<p>प्रधान मंत्री ॥ 28 जुलाई, 1979 से अद्यतन ॥</p> <p>वित्त मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला ॥ 25 अक्टूबर, 1979 से अद्यतन ॥</p> <p>गृह मंत्री ॥ 26 मार्च, 1977 से 1 जुलाई, 1978 ॥ म० पू० ॥</p> <p>उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री ॥ 24 जनवरी, 1979 से 14 जुलाई, 1979 ॥</p>

1	2	3
3.	जगजीवन राम	रक्षा मंत्री §28 मार्च, 1977 से 24 जनवरी, 1979§ उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री §24 जनवरी, 1979 से 28 जुलाई, 1979*§
4.	श्यामन्त राव चव्हाण	उप प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री §28 जुलाई, 1979 से अद्यतन§
5.	लाल कृष्ण आडवाणी	सूचना तथा प्रसारण मंत्री §26 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979*§
6.	प्रकाश सिंह बादल	संचार मंत्री §26 मार्च, 1977 से 27 मार्च, 1977§ कृषि और सिंचाई मंत्री §28 मार्च, 1977 से 17 जून, 1977§
7.	हेमवतीनन्दन बहुगुणा	रसायन और उर्वरक मंत्री §28 मार्च, 1977 से 29 मार्च, 1977§ पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री §29 मार्च, 1977 से 15 जुलाई, 1979§ वित्त मंत्री §28 जुलाई, 1979 से 19 अक्टूबर, 1979§
8.	सुरजीत सिंह बरनाला	कृषि और सिंचाई मंत्री §18 जून, 1977 से 28 जुलाई, 1979*§
9.	ब्रह्म प्रकाश	कृषि और सिंचाई मंत्री §30 जुलाई, 1979 से अद्यतन§
10.	प्रताप चन्द्र चन्दर	शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री §26 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979*§
11.	मधु दण्डवते	रेल मंत्री §26 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979*§

मंत्री परिषद के भाग होने की तिथि

1	2	3
12.	विदेन्द्र देसाई	वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री ॥30 जुलाई, 1979 से अद्यतन॥
13.	मोहन धारिया	वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री ॥26 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979 *॥
14.	फजलुर रहमान	उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री ॥14 अगस्त, 1977 से 26 जनवरी, 1979॥ योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री ॥26 जनवरी, 1979 से 15 जुलाई, 1979॥ श्रम मंत्री 30 जुलाई, 1979 से अद्यतन
15.	जार्ज फनानिडिस	संचार मंत्री ॥28 मार्च, 1977 से 6 जुलाई, 1977॥ उद्योग मंत्री ॥ 6 जुलाई, 1977 से 3 15 जुलाई, 1979॥
16.	एस0 एन0 कवकड़	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री ॥3 अगस्त, 1979 से अद्यतन॥
17.	कर्ण सिंह	शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री ॥30 जुलाई, 1979 से अद्यतन॥
18.	पुरुषोत्तम कौशिक	पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री ॥26 मार्च, 1977 से 15 जुलाई 1979॥ सूचना और प्रसारण मंत्री ॥28 जुलाई, 1979 से अद्यतन॥

1	2	3
19.	न्यायमूर्ति एच० आर० खन्ना	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री ३० जुलाई, 1977 से 3 अगस्त, 1979
20.	श्यामनन्दन मिश्र	विदेश मंत्री २८ जुलाई, 1979 से अद्यतन
21.	श्रीमती सतीवाणी मधु	समाज कल्याण मंत्री १९ अगस्त, 1979 से अद्यतन
22.	टी० ए० पई	पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री तथा वर्तमान में रेल मंत्रालय में प्रभारी मंत्री ३० जुलाई, 1979 से 24 अगस्त 1979
		• रेल मंत्री २४ अगस्त, 1979 से • अद्यतन
27.		27 नवम्बर, 1979 से उद्योग मंत्रालय का भी कार्यभार संभाला ।
23.	अरविंद बाला पजनौर	पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री १९ अगस्त, 1979 से अद्यतन
24.	दृष्णा चन्द्र पंत	ऊर्जा मंत्री ३० जुलाई, 1979 से अद्यतन
25.	एच० एम० पटेल	वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री २६ मार्च, 1977 से 24 जनवरी, 1979
		गृह मंत्री 24 जनवरी, 1979 से 28 जुलाई, 1979 *

1	2	3
26.	वीणू पटनायक	स्वास्थ्य और ज्ञान मंत्री {26 मार्च, 1977 से 15 जुलाई, 1979*}
27.	मोहम्मद शाफी कुरेशी	स्वास्थ्य और ज्ञान तथा कौशल मंत्री {28 जुलाई, 1979 से अद्यतन}
27.	मोहम्मद शाफी कुरेशी	पर्यटन और नागर विमानन मंत्री {30 जुलाई, 1979 से अद्यतन}
28.	राज नारायण	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री {28 मार्च, 1977 से 1 जुलाई, 1978} {म०प०}
29.	राम किंकर	निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वासि मंत्रालय में राज्य मंत्री {14 अगस्त, 1977 से 11 जुलाई, 1978} {म०प०}
		निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वासि मंत्रालय में राज्य मंत्री 26 जनवरी, 1979 से 15 जुलाई, 1979}
		निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वासि मंत्री {28 जुलाई, 1979 से अद्यतन}
30	पी० रामचन्द्रन	ऊर्जा मंत्री {26 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979*}
31.	रवि राय	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री {24 जनवरी, से 15 जुलाई, 1979} स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री {28 जुलाई, 1979 से अद्यतन}

1	2	3
32.	ब्रह्मानन्द रेड्डी	उद्योग मंत्री ॥30 जुलाई, 1979 से 27 नवम्बर, 1979॥
33.	शान्ति भूषण	विधि, न्याय और कम्पनो कार्य मंत्री ॥26 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979*॥
34.	सिकन्दर बख्त	निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वासि मंत्री ॥26 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979*॥
35.	सी० सुब्रह्मण्यम	रक्षा मंत्री ॥30 जुलाई, 1977 से अद्यतन॥
36.	अटल बिहारी वाजपेयी	विदेश मंत्री ॥26 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979*॥
37.	रवीन्द्र वर्मा	संघीय कार्य तथा श्रम मंत्री ॥26 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979*॥
38.	वृज लाल वर्मा	उद्योग मंत्री ॥28 मार्च, 1977 से 6 जुलाई, 1977॥ संचार मंत्री ॥6 जुलाई, 1977 से 28 जुलाई, 1979*॥
39.	जुल्फिकार उल्लाह	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ॥14 अगस्त, 1977 से 15 जुलाई, 1979॥ संचार तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री ॥28 जुलाई, 1979 से अद्यतन॥

1	2	3
---	---	---

राज्य मंत्री

1. सतोशा अग्रवाल वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
‡ 14 अगस्त, 1977 से
28 जुलाई, 1979*‡
2. आरिफ बेगम वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति
और सहकारिता मंत्रालय में
राज्य मंत्री ‡ 14 अगस्त, 1977
से 28 जुलाई, 1979*‡
3. हेनरी आस्टिन वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति
मंत्रालय में राज्य मंत्री
‡ 30 जुलाई, 1979 से अद्यतन‡
4. श्रीमती रेणुका देवी शिक्षा, समाज कल्याण और
बड़कटकी संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
‡ 16 अगस्त, 1977 से 28 जुलाई
1979*‡
5. वेदव्रत बरुआ विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
4 अगस्त, 1979 से अद्यतन‡
6. चांद राम नौवहन और परिवहन मंत्रालय
में प्रभारो राज्य मंत्री ‡ 14 अगस्त
1977 से 28 जुलाई, 1979*‡
7. श्रीमती रशीदा शिक्षा, समाज कल्याण तथा
हक चौधारी संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
‡ 30 जुलाई, 1979 से 24 अगस्त,
1979‡

शिक्षा और समाज कल्याण
मंत्रालय में राज्य मंत्री ‡ 24 अगस्त,
1979 से अद्यतन‡

* मंत्री परिषद की भाग होने की तिथि।

1	2	3
8.	श्री० विशाख चन्द्र एस० देव	इस्पात, छान तथा कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री ॥ 4 अगस्त, 1979 से अद्यतन॥
9.	के० गोपाल	संसदीय कार्य राज्य मंत्री ॥ 4 अगस्त, 1979 से अद्यतन॥ वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार भी संभाला ॥ 25 अक्टूबर 1979 से अद्यतन॥
10.	कृष्णा कुमार गोयल	वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री ॥ 14 अगस्त, 1977 से 28 जुलाई, 1979x॥
11.	धान्ना सिंह गुल्शन	शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री ॥ 14 अगस्त, 1977 से 28 जुलाई, 1979x॥
12.	जगवीर सिंह	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री ॥ 14 अगस्त, 1977 से 11 जुलाई, 1978॥ सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री ॥ 26 जनवरी, 1979 से 15 जुलाई, 1979॥ रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री 30 जुलाई, 1979 से अद्यतन॥
13.	एस० वी० कृष्णाप्पा	कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री ॥ 4 अगस्त, 1979 से अद्यतन॥

x मंत्री परिषद की भाग होने की तिथि।

1	2	3
14.	सुभाषेन्द्र कुन्दू	उद्देश्य मंत्रालय में राज्य मंत्री १४ अगस्त, 1977 से 28 जुलाई 1979*
15.	कुमारो आभा नयतो	उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री १४ अगस्त, 1977 से 28 जुलाई, 1979*
16.	धानिक लाल मण्डल	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री १४ अगस्त, 1977 से 15 जुलाई, 1979 गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ३० जुलाई, 1979 से अद्यतन
17.	नाथू राम मिश्रा	कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री ४ अगस्त, 1979 से 25 अक्टूबर, 1979 वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री २५ अक्टूबर, 1979 से अद्यतन
18.	जनेश्वर मिश्र	पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री १४ अगस्त, 1977 से 11 जुलाई 1978 ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री २६ जनवरी, 1979 से 15 जुलाई, 1979 नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारो राज्य मंत्री ३० जुलाई, 1979 से अद्यतन

* मंत्री परिषद की भाग होने की तिथि

1	2	3
19.	जिड़िया मुण्डा	इस्मात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री §14 अगस्त, 1977 से 28 जुलाई, 1979x§
20.	नरसिंह	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री §14 अगस्त, 1977 से 11 जुलाई 1978§ पेट्रोलियम, रसायन और हर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री §26 जनवरी, 1979 से 15 जुलाई, 1979§ संवार मंत्रालय में राज्य मंत्री §30 जुलाई, 1979 से अद्यतन§
21.	एस0 डी0 पाटिल	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री §14 अगस्त, 1977 से 28 जुलाई, 1979x§ विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार भी संभाला §20 फरवरी, 1979 से 28 जुलाई, 1979x§
22.	बो0 राक्ष्या	उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री § 4 अगस्त, 1979 से अद्यतन§
23.	पो0 अकिनीडू प्रसाद राव पर्यटन और नागर विमानन	मंत्रालयमें राज्य मंत्री §4 अगस्त, 1979 से 27 नवम्बर, 1979§
24.	सौगत राय	पेट्रोलियम, रसायन और हर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री § 4 अगस्त, 1979 से अद्यतन§
25.	लारंग साय	श्रम तथा संबन्धीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री §14 अगस्त, 1977 से 28 जुलाई, 1979x§

मंत्री परिषद् की भाग होने की तिथि

1	2	3
26.	नरहरि प्रसाद सुखादेव	संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री §14 अगस्त, 1977 से 28 जुलाई, 1979*§
27.	पी० एम० सईद	इस्पात, छान तथा कौयला मंत्रालय में राज्य मंत्री §4अगस्त, 1979 से अद्यतन§
28.	शिवा नारायण	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री §14 अगस्त, 1977 से 28 जुलाई, 1979§
29.	शोर सिंह	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री §14 अगस्त, 1977 से 28 जुलाई, 1979§ परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिक्स, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विभागों का कार्यभार भी संभाला §24 मार्च, 1979 से 28 जुलाई, 1979*§
30.	गुकाराम सदाशिव शृंगारे	संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री §31 जुलाई, 1979 से अद्यतन§
31.	भानु प्रताप सिंह	कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री §14 अगस्त, 1977 से 15 जुलाई, 1979§ ग्रामीण पुर्न निर्माण राज्य मंत्री §30 जुलाई 1979 से अद्यतन§
32.	राम कृपाल सिंह	श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री §14 अगस्त, 1977 से 28 जुलाई, 1979*§
33.	जगदम्बो प्रसाद यादव	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री §14 अगस्त, 1977 से 26 जनवरी, 1979§ वृद्धयोग मंत्रालय में राज्य मंत्री §26 जनवरी, 1979 से 28 जुलाई, 1979*§

* मंत्री परिषद की भाग होने की तिथि

विपक्ष के नेता

विपक्ष के नेताओं के नाम	तिथि	
	से	तक
1. श्री यशवन्त राव चव्हाण	25.3.1977	12.4.1978
	और 10.7.1979	28.7.1979
2. श्री सी० एम० स्टीफन	12.4.1978	10.7.1979
3. श्री जगजीवन राम	28.7.1979	22.8.1979

सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति

क्रम संख्या :	सदस्य का नाम :	अवधि जिसके लिए अनुमति दी गई	दिनांक जिसको अनुमति दी गई
११	१२	१३	१४
1.	श्री एम० एस० लंजीव राव	13.6.77से	30.7.77
2.	श्री महामाया प्रसाद सिन्हा	11.6.77से	5.8.77
3.	श्रीमती अकबर जहाँ बेगम	11.6.77से	11.7.77 8.7.77
4.	श्री वी० पी० नायक	11.6.77से	5.8.77
5.	श्री रुपलाल सोमानी	25.3.77से	7.4.77
		11.6.77से	25.7.77
6.	श्री केशवराव धोंडो	11.6.77से	30.6.77
7.	ठाकुर गिरिजा नन्दन सिंह	27.6.77से	8.8.77
8.	डा० कर्ण सिंह	13.6.77से	5.7.77
9.	श्री पी० पार्थसारथी	11.6.77से	11.7.77
10.	श्री केशवराव धोंडो	1.7.77से	15.7.77 1.8.77
11.	श्री जदुनाथ किस्को	11.6.77से	8.8.77
12.	श्री एफ० पी० गायकवाड़	11.6.77से	21.7.77
13.	श्रीमती अकबर जहाँ बेगम	12.7.77से	29.7.77
14.	श्री प्रफुल्ल चन्द्र सेन	11.6.77से	8.8.77
15.	श्री कर्पूरी ठाकुर	20.6.77से	6.8.77
		14.11.77से	22.11.77 21.11.77
16.	श्री वाई० शोजा	18.6.77से	8.8.77
		14.11.77से	20.11.77 21.11.77
		21.11.77से	23.12.77 19.12.77

१	२	३	४
17.	श्री राम नरेश यादव	20.6.77से 8.8.77	14.11.77से 22.11.77 21.11.77 23.11.77से 22.12.77 19.12.77
18.	श्री वी० पी० नायक	6.8.77से 8.8.77	14.11.77से 30.11.77 19.12.77
19.	श्री राम धन	14.11.77से	4.12.77 19.12.77
20.	श्री रिचिंग खाण्डू खरीम	14.11.77से	4.12.77 19.12.77
21.	श्री केशवराव धोंडगे	14.11.77से	7.12.77 19.12.77
22.	श्री के० ओबुल रेड्डी	1.12.77से	20.12.77
23.	श्री केशवराव धोंडगे	20.2.78से	10.3.78
24.	श्री डी० के० बरुआ	6.3.78से	7.4.78 19.4.78
25.	श्री के० रघुरामेया	20.2.78से	19.4.78
26.	श्री बिकिन पॉर्टिन	20.2.78से	1.4.78
27.	श्री कल्याण जैन	1.4.78से	30.4.78
28.	श्री अण्णासाहिब मागर	23.3.78से	12.5.78 9.5.78
29.	श्री एन० के० शोजवलकर	26.4.78से	12.5.78
30.	श्री महेन्द्र नारायण सरदार	6.3.78से	11.4.78
31.	श्री वी० शंकरानन्द	17.4.78से	15.8.78
32.	श्री अण्णासाहिब मागर	17.7.78से	16.8.78
33.	श्री चरण सिंह	17.7.78से	15.8.78 7.8.78
34.	श्री सिद्धरामेश्वर स्वामी	17.7.78से	24.8.78
35.	श्री मोहन भैया	20.7.78से	31.8.78
36.	श्री चरण सिंह	16.8.78से	31.8.78 24.8.78
37.	श्री अण्णासाहिब मागर	17.8.78से	31.8.78

११	१२	१३	१४
38.	ठाकुर गिरिजा नन्दन सिंह	17.7.78 से 31.8.78	
39.	श्री टी० ए० पाई	20.11.78से 22.12.78	
40.	श्री धर्मसिंह भाई पटेल	20.11.78से 22.12.78	
41.	श्री केशवराव धोंडगे	1.8.78से 31.8.78	19.12.78
		20.11.78से 5.12.78	
42.	श्री के० एस० चावडा	20.11.78से 22.12.78	
43.	श्री अण्णासाहिब मागर	20.11.78से 22.12.78	
44.	श्री कृष्ण चन्द्र हाब्दर	20.11.78से 22.12.78	
45.	डा० बलदेव प्रकाश	20.11.78से 22.12.78	
46.	श्री मोहम्मद राफी कुरेशी	22.7.79से 9.3.79	
47.	श्री शक्ति कुमार सरकार	19.2.79से 15.3.79	
48.	श्री गोविन्द मुंडा	20.2.79से 9.3.79	
49.	श्री गोहन भैया	19.2.79से 18.4.79	12.4.79
50.	श्री एफ० पी० गायकवाड़	26.2.79से 31.3.79	
51.	श्री अण्णासाहिब मागर	19.2.79से 18.4.79	
52.	श्री अण्णासाहिब मागर	19.4.79 से 15.5.79	
53.	डा० हेनरी आस्टिन	9.4.79 से 8.5.79	
54.	श्री एम० एस० संजीव राव	18.4.79 से 11.5.79	
55.	श्री शेषराव देशमुख	21.2.79 से 12.4.79	16.5.79
56.	श्री केशवराव धोंडगे	17.4.79 से 18.5.79	
57.	श्री के० चिक्कलिंगिया	9.4.79 से 18.5.79	
58.	श्री राममूर्ति	21.3.79 से 18.5.79	

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

<u>क्रम संख्या</u>	<u>सदस्य का नाम</u>	<u>राज्य/निर्वाचन क्षेत्र</u>	<u>त्यागपत्र की तिथि</u>	<u>राजपत्र प्रकाशित होने की तिथि</u>
1.	श्री प्रकाशसिंह बादल	पंजाब }फरीदकोट}	18.6.77	18.6.77
2.	श्री एन० लंजीव रेड्डी	आन्ध्र प्रदेश }नन्दयाल}	21.7.77	21.7.77
3.	श्री भगवत दयाल शर्मा	हरयाणा }करनाल}	21.9.77	22.9.77
4.	श्री राम नरेश यादव	उत्तर प्रदेश }आजमगढ़}	23.12.77	23.12.77
5.	श्री कर्पूरी ठाकुर	बिहार }समस्तीपुर}	24.12.77	26.12.77
6.	श्री वाई० शौजा	मनीपुर }बाह्य मनीपुर}	6.1.78	13.1.78
7.	श्री डी० बी० चन्द्रगौडा	कर्नाटक }चिक्मगलूर}	29.6.78	30.6.78
8.	श्री एम० एम० हाशामी	आन्ध्र प्रदेश }सिकन्दराबाद}	13.7.78	13.7.78
9.	श्री जी० वैक्टास्वामी	आन्ध्र प्रदेश }सिड्डीपेट}	13.7.78	13.7.78
10.	श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्	तमिलनाडु }तंजावूर}	16.11.78	16.11.78

निधन सम्बन्धी उल्लेख

क्रम संख्या	नाम और सदस्यता सम्बन्धी ब्योरा	निधन की तारीख	तारीख लिये जिसको निधन सम्बन्धी उल्लेख किया गया	टिप्पणियां	
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	
				घं.मि.	
1.	श्री फखरुद्दीन अली अहमंद भारत के राष्ट्रपति	11.2.77	26.3.77	0.25	सभा दिन भर के लिए स्थगित की गई ।
2.	श्री नरसिंह मल्ला देव {द्वितीय लोक सभा}	11.11.76	28.3.77		
3.	श्री पी० के० कनवड़ पाटिल {प्रथम लोक सभा}	28.11.76	28.3.77		
4.	श्री नन रामचन्द्र पाटिल {द्वितीय एवं चतुर्थ लोक सभा}	6.12.76	28.3.77		
5.	श्री शिव नारायण फोटेदर {प्रथम लोक सभा}	6.12.76	28.3.77		
6.	श्री आर० एम० हजारनविस {द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ लोक सभा}	27.12.76	28.3.77		0.10
7.	श्री अजित प्रसाद जैन {संविधान सभा, अस्थायी संसद, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ लोक सभा}	2.1.77	28.3.77		
8.	श्री नैमिशारण जैन {अस्थायी संसद एवं प्रथम लोक सभा}	3.1.77	28.3.77		

११	१२	१३	१४	१५	१६
9. श्री सी० चित्तिबाबू चतुर्थ एवं पंचम लोक सभा		5.1.77	28.3.77		
10. श्री डी० वी० के० सम्पत द्वितीय लोक सभा		23.2.77	28.3.77		
11. श्री यू० एन० डेबर तृतीय लोक सभा		11.3.77	28.3.77		0.10
12. श्री टी० एच० गेवित चतुर्थ एवं पंचम लोक सभा		18.3.77	28.3.77		
13. श्री ए० के० गोपालन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम लोक सभा		22.3.77	28.3.77		
14. श्री एस० बी० गिरि छठी लोक सभा		23.4.77	11.6.77		
15. श्री गिरिजा शंकर मुह संविधान सभा एवं अस्थायी संसद		2.3.77	11.6.77		
16. श्री हेम बरूआ द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ लोक सभा		9.4.77	11.6.77		0.04
17. श्री के० सी० नेओगी केन्द्रीय विधान सभा, संविधान सभा एवं अस्थायी संसद		2.6.77	11.6.77		
18. श्री के० के० वारियर द्वितीय एवं तृतीय लोक सभा		12.6.77	13.6.77		0.02

1	2	3	4	5	6
19. श्री रामेश्वर तात्तिया {द्वितीय एवं तृतीय लोक सभा}	22.7.77	26.7.77	0.02		
20. श्री मूलदास भद्रदास वैश्य {अस्थायी संसद्, प्रथम एवं तृतीय लोक सभा}	1.8.77	4.8.77			0.02
21. श्री बक्शी अब्दुर रशीद {द्वितीय एवं तृतीय लोक सभा}	2.8.77	4.8.77			
22. श्री मोहन लाल गौतम {संविधान सभा एवं अस्थायी संसद्}	3.8.77	5.8.77	0.02		
23. श्री पी० जी० कस्यिरुमन {तृतीय लोक सभा}	5.8.77	14.11.77			
24. श्री के० के० नायर {चतुर्थ लोक सभा}	7.9.77	14.11.77			0.04
25. काजी सैयद करीमुद्दीन {संविधान सभा}	29.9.77	14.11.77			
26. श्री भगवन्तराव ए० मंडलोई {संविधान सभा}	3.11.77	14.11.77			
27. श्री गेंडा सिंह {पंचम लोक सभा}	15.11.77	16.11.77	0.01		
28. श्री बाल कृष्ण सिंह {तृतीय लोक सभा}	15.11.77	23.11.77	0.01		
29. श्री प्रकाशवीर शास्त्री {द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ लोक सभा}	23.11.77	23.11.77	0.34		सभा दिन भर के लिए स्थगित हुई ।

{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}
30.	श्री महादेव प्रसाद {द्वितीय एवं तृतीय लोक सभा}	11.12.77	20.2.78		
31.	डा० श्रीमन नारायण {प्रथम लोक सभा}	3.1.78	20.2.78		0.03
32.	श्री एच० आर० गोखले {पंचम लोक सभा}	15.2.78	20.2.78		
33.	श्री बशीर अहमद {छठी लोक सभा}	2.3.78	3.3.78		0.03
34.	श्री जोहन एन० विल्सन {प्रथम एवं द्वितीय लोक सभा}	19.2.78	8.3.78		0.02
35.	श्री राजेश्वर पटेल {प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय लोक सभा}	16.3.78	20.3.78		0.18
36.	श्री एम० अनन्तरायनम आर्यंगर {भूतपूर्व लोक सभा अध्यक्ष}	19.3.78	20.3.78		भूतपूर्व अध्यक्ष की स्मृति में सभा 2वजे म.प. तक के लिए स्थगित हुई ।
37.	श्री शान्तिनाथ गिरधरलाल पारिख {प्रथम लोक सभा}	16.3.78	27.3.78		0.02
38.	श्री नैमिचन्द्र कासलियाल {प्रथम एवं द्वितीय लोक सभा}	23.3.78	3.4.78		0.02
39.	डा० हृदयनाथ कुंजरु {केन्द्रीय विधान सभा, संविधान सभा एवं अस्थायी संसद}	3.4.78	4.4.78		0.19
40.	श्री ए० इब्राहीम {अस्थायी संसद एवं प्रथम लोक सभा}	27.3.78	5.4.78		0.02

18	2	3	4	5	6
41.	श्री रघुमजी धोडिबा गटिल {द्वितीय लोक सभा}	9.4.78	24.4.78	0.02	
42.	रेवरीड जोहन रिवाईसन {प्रथम लोक सभा}	3.6.78	17.7.78		
43.	श्रीमती अम्मु स्वामीनाथन {केन्द्रीय विधान सभा, अस्थायी संसद एवं प्रथम लोक सभा}	4.6.78	17.7.78	0.03	
44.	श्री शिवाजी राव एस0 देशामुख {तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम लोक सभा}	28.6.78	17.7.78		
45.	श्री राम हरख यादव {तृतीय लोक सभा}	8.7.78	17.7.78		
46.	श्री मोहन स्वप्न {द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम लोक सभा}	15.6.78	19.7.78	0.02	
47.	श्री जयन्तराव गणेश नटवदकर {प्रथम लोक सभा}	17.5.78	21.7.78		
48.	श्री जे0 एस0 पाटिल {तृतीय लोक सभा}	21.5.78	21.7.78		
49.	श्री के0 एल0 शैरे {प्रथम एवं तृतीय लोक सभा}	12.6.78	21.7.78		
50.	श्री मजूरिया दीन {संसद विधान सभा, अस्थायी संसद, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ लोक सभा}	21.7.78	21.7.78	0.03	
51.	श्रीमती दक्षयम वेलायुधन {संसद विधान सभा एवं अस्थायी संसद}	20.7.78	21.7.78		

1	2	3	4	5	6
52.	श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला ॥छठी लोक सभा॥	24.7.78	24.7.78	0.15	सभा दिन भर के लिए स्थगित हुई ।
53.	श्री काशीराम गुप्ता ॥तृतीय लोक सभा॥	19.7.78	25.7.78	0.02	
54.	काका भगवन्त राव ॥अस्थायी संसद॥	29.7.78	2.8.78	0.02	
55.	श्री राम रतन गुप्ता ॥केन्द्रीय विधान सभा एवं तृतीय लोक सभा॥	3.8.78	8.8.78	0.03	
56.	श्री पट्टियम गोपालन् ॥चतुर्थ लोक सभा॥	27.9.78	20.11.78		
57.	श्री एन० पी० दामोदरन् ॥प्रथम लोक सभा॥	11.10.78	20.11.78		
58.	श्री शाम्भुनाथ शुकल ॥संविधान सभा, अस्थायी संसद एवं चतुर्थ लोक सभा॥	20.10.78	20.11.78		
59.	श्री देवराव एस० पाटिल ॥तृतीय एवं चतुर्थ लोक सभा॥	20.10.78	20.11.78		0.07
60.	श्रीमती टी० वेदकुमारी ॥द्वितीय लोक सभा॥	31.10.78	20.11.78		
61.	डा० जीवराज मेहता ॥संविधान सभा एवं पंचम लोक सभा॥	7.11.78	20.11.78		

1	2	3	4	5	6
62.	श्री एस0 बालसुब्रमण्यम प्रथम लोक सभा	18.11.78	23.11.78	0.02	
63.	श्री भूर्य नारायण सिंह छठी लोक सभा	14.12.78	14.12.78	0.04	सभा दिन भर के लिए स्थगित हुई।
64.	श्री मोहन लाल बकलीवाल द्वितीय एवं तृतीय लोक सभा	21.12.78	23.12.78	0.02	
65.	श्री एस0 जी0 मुरगस्यन छठी लोक सभा	6.1.79	19.2.79		
66.	श्री ए0 शंकर आल्वा तृतीय लोक सभा	31.12.78	19.2.79		
67.	श्री एम0 एस0 तुगांधी द्वितीय लोक सभा	19.1.79	19.2.79		
68.	डा० चन्द्रमणी लाल चौधरी द्वितीय एवं तृतीय लोक सभा	7.2.79	19.2.79		0.06
69.	सरदार जोगेन्द्र सिंह केन्द्राय विधान सभा, संविधान सभा, अस्थायी संसद, प्रथम एवं द्वितीय लोक सभा	9.2.79	19.2.79		
70.	श्री बदरदन येलार रेड्डी प्रथम लोक सभा	27.12.78	19.2.79		
71.	श्री विश्वनाथ झुनवाला पंचम लोक सभा	4.2.79	19.2.79		
72.	श्री पी० रंगनाथ शिनाय पंचम लोक सभा	9.2.79	21.2.79	0.01	

1	2	3	4	5	6
73.	श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल ॥प्रथम लोक सभा॥	11.2.79	27.2.79		0.02
74.	श्री मोरेश्वर दिन्कर जोशी ॥प्रथम लोक सभा॥	23.2.79	27.2.79		
75.	डॉ० जयराम दौलत राम ॥सविधान सभा॥	28.2.79	2.3.79		0.02
76.	श्री आर० के० छात्रलालकर ॥भूतपूर्व अध्यक्ष॥	8.3.79	8.3.79		0.03
77*	श्री जयप्रकाश नारायण		22.3.79		0.40
78	श्री एच० एल० पटवारी ॥छठी लोक सभा॥	28.3.79	29.3.79		0.02 सभा दिन भर के लिए स्थगित हुई।
79.	श्री ए०वी०पी० असाइगाम्बी ॥छठी लोक सभा॥	7.4.79	9.4.79		1.01 सभा इनकी स्मृति में 2 बजे म.प. पर पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई।

* निधान सम्बन्धी गल्लेखा के पश्चात् सभा 23 मार्च, 1979 तक के लिये स्थगित हुई। बाद में वही दिन अर्थात् 22.3.79 को अध्यक्ष ने नियम 15 के अन्तर्गत सभा को पुनः समवेत करने का निर्देश दिया और सभा में प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने इस बात के लिये क्षमा मांगी कि पहले सभा को श्री जयप्रकाश नारायण के निधान के संबन्ध में गलत जानकारी दी गयी थी। इसके पश्चात् सभा ने उनकी दीर्घायु एवं पूर्ण स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए एक प्रस्ताव स्वीकृत किया।

1	2	3	4	5	6
80.	राजा महेन्द्र प्रताप, द्वितीय लोक सभा	29.4.79	30.4.79	0.02	
81.	श्री वैक्तराव तरौदकर चतुर्थ एवं पंचम लोक सभा	7.5.79	16.5.79	0.01	
82.	श्री के० रघुरामैया प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी, पंचम एवं छठी लोक सभा	5.6.79	16.6.79		
83.	श्री अण्णासाहेब मागर छठी लोक सभा	25.6.79	9.7.79		
84.	श्री बी० एस० मूर्ति प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम लोक सभा	22.5.79	9.7.79		0.07
85.	श्रीमती संगन लक्ष्मीबाई द्वितीय, तृतीय, एवं चतुर्थ लोक सभा	3.6.79	9.7.79		
86.	श्री जोतिबाबा अस्थायी संसद, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय लोक सभा	25.6.79	9.7.79		
87.	श्री मोहन सिंह तुर छठी लोक सभा	30.7.79	20.8.79		
88.	श्री मंगल देव छठी लोक सभा	30.7.79	20.8.79		
89.	श्री वी० पी० नायक छठी लोक सभा	18.8.79	20.8.79		0.10
90.	श्री प्रिय गुप्त तृतीय लोक सभा	12.8.79	20.8.79		

अध्याय-5- प्रश्न

सामान्यतया लोक सभा को बैठक में पहला घंटा प्रश्नों के लिए होता है। और इसे "प्रश्न काल" कहा जाता है। संसद की कार्यवाही में इसका विशेष महत्व है। संसद में प्रश्न पूछना गैर सरकारी सदस्यों का अन्तर्निहित और अबाधा अधिकार है। वे "प्रश्न काल" में ही प्रशासन और सरकार के कार्यों की प्रत्येक गतिविधि के बारे में प्रश्न पूछते हैं।

प्रश्न काल की संसदीय कार्यवाही मनोरंजक होती है। यद्यपि प्रश्न मुख्य रूप से किसी विशेष विषय से सम्बन्धित जानकारी और तथ्य प्राप्त करने के लिए पूछे जाते हैं, तथापि कई अवसरों पर प्रश्नकर्ता सदस्यों और उत्तर देने वाले मंत्रियों के बीच तेज और मजेदार झड़प हो जाती है। कभी-कभी इस सवाल-जवाब में व्यंग्य-विनोद भी छूब होता है। यही कारण है कि प्रश्न काल में सार्वजनिक दोषार्थ और प्रेस दोषार्थ पूरी भारी रहती हैं।

प्रश्नों के प्रकार

प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं :-

ताराकित प्रश्न, अताराकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न

ताराकित प्रश्न वह होता है जिसके लिए सदस्य मौखिक उत्तर प्राप्त करना चाहता है और जिस पर तारे का चिन्ह लगा होता है।

अताराकित प्रश्न वह होता है जिसका सभा में मौखिक उत्तर नहीं दिया जाता और जिस पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। ऐसे प्रश्न के लिखित उत्तर सम्बन्धित मंत्री द्वारा सभा-पटल पर रखा दिये जाते हैं। प्रश्न जिस दिन के लिए होता है वह उस दिन के सभा के अधिकृत कार्यवाही वृत्त में छपा जाता है।

अल्प सूचना प्रश्न अजिलम्बनोय लोक महत्व के विषय पर होता है। यह साधारण प्रश्न की निधारित सूचना अविधा की अपेक्षा अल्प अविधा पर पूछा जा सकता है।

प्रश्न प्रायः लोक सभा के विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछा जाता है। जिन प्रश्नों में तर्क, निष्कर्ष या मान हानिकारक कथान होते हैं या जिनमें किसी व्यक्ति को पदेन या सरकारी हैसियत के अतिरिक्त उसके वरिष्ठ या आचरण का जिक्र किया गया हो, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता। ऐसे प्रश्न भी स्वीकार नहीं किये जाते हैं, जो पहले उत्तर दिये गये प्रश्नों की पुनरावृत्ति मात्र होते हैं। अथवा जिनमें पूछो गई जानकारी मुक्त दस्तावेजों या सामान्य संदर्भ ग्रंथों में उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त, यदि किसी प्रश्न का विषय किसी न्यायालय या किसी न्यायाधिकरण या किसी अन्य सांविधिक निकाय में निर्णयाधीन हो या किसी संसदीय समिति में विचाराधीन हो, तो उसे पूछने की अनुमति नहीं दी जाती है। विदेशों के बारे में जिनके साथ भारत के मैत्री पूर्ण संबंध हैं, अशिष्टतापूर्ण बल्लेबाजी वाले प्रश्न भी अस्वीकृत कर दिये जाते हैं। इसी प्रकार ऐसे प्रश्नों को स्वीकार नहीं किया जाता जिनमें नीति सम्बन्धी बड़े मामले उठाये गये हों क्योंकि प्रश्न के उत्तर को भीषण में नीति को स्पष्ट करना संभव नहीं है।

प्रश्नों के लिए दिनों का नियत किया जाना

लोक सभा सत्र की बैठकों की तारीखों निर्धारित हो जाने के तुरन्त बाद भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर के लिए उपलब्ध दिन नियत किये जाते हैं।

इस प्रयोजन के लिए विभिन्न मंत्रालय पांच वर्गों में बाँटे जाते हैं और सप्ताह के दौरान मंत्रालय के वर्गों को नियत दिन आवंटित कर दिया जाता है। यदि शनिवार को सभा को बैठक हो तो उस दिन प्रश्न काल नहीं होता है।

गृहीत प्रश्नों को अगृहीत प्रश्नों से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद तारांकित और अतारांकित प्रश्नों को अलग अलग सूचियाँ तैयार की जाती हैं। गृहीत प्रश्न कैलेंडर में प्राप्त

प्राथमिकता के अनुसार इस दिन की मौखिक या लिखित उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची में सम्मिलित किये जाते हैं। प्रत्येक बैठक के लिए एक सदस्य के नाम केवल पांच प्रश्न गृहीत किये जाते हैं जिनमें से एक प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए रखा जाता है। सामान्यतया एक दिन की मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची में 20 प्रश्नों और लिखित उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची में 200 प्रश्नों से अधिक नहीं रखे जाते हैं। एक दिन में उत्तर के लिए एक ही अल्प सूचना प्रश्न रखा जा जाता है।

मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों का उत्तर दिए जाने के बाद, अल्प सूचना प्रश्न, यदि इस दिन के लिए हो, तो लिया जाता है और उसका निपटारा उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों का किया जाता है।

छठी लोक सभा में सदस्यों से प्रश्नों की 1,37,045 सूचनाएँ प्राप्त हुई जबकि पाँचवीं लोक सभा में 2,52,700 चौथी लोक सभा में 2,64,742, तीसरी लोक सभा में 1,62,334, दूसरी लोक सभा में 1,33,328 और पहली लोक सभा में 71,907 सूचनाएँ प्राप्त हुई थीं। प्राप्त सूचनाओं में से 51,200 प्रश्न छठी लोक सभा में स्वीकार किए गए जो कि प्राप्त सूचनाओं का 37.35 प्रतिशत है। पाँचवीं चौथी, तीसरी, दूसरी और पहली लोक सभा के तुलनात्मक आंकड़े क्रमशः 98,606 अथवा 39.02 प्रतिशत, 93,538 अथवा 35.3 प्रतिशत, 58,440 अथवा 35 प्रतिशत, 62,800 अथवा 47 प्रतिशत और 43,350 अथवा 61 प्रतिशत है।

छठी लोक सभा में गृहीत कुल प्रश्नों में से 46,094 अथवा 90.02 प्रतिशत प्रश्न अतारांकित और 5,052 अथवा 9.86 प्रतिशत प्रश्न तारांकित और कुल 63 अथवा 0.12 प्रतिशत प्रश्न अल्प सूचना प्रश्न थे।

जिन मंत्रालयों के बारे में सबसे अधिक प्रश्न थे वे हैं रेल ₹5,578, वित्त ₹4854, कृषि और सिंचाई ₹4,715 और उद्योग ₹4,614।

किसी एक दिन मौखिक उत्तर दिये गये प्रश्नों की न्यूनतम और अधिकांश संख्या क्रमशः 3 और 11 थी।

विवरण संख्या 23 से 27 में प्राप्त प्रश्नों का निपटान, विभिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत पूछे गये प्रश्न, छोटी लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से पूछे गये प्रश्नों की संख्या और मौखिक रूप से उत्तर दिये गये प्रश्नों की अनुत्तम तथा अधीकृत संख्या को दर्शाया गया है।

विवरण 23

छोटी लोक सभा के सत्रों के दौरान सदस्यों से प्राप्त प्रश्नों का निपटान

	प्राप्त सूचनाएँ	कुल प्रश्नों की प्रतिशतता	गृहीत प्रश्नों की संख्या	कुल प्रश्नों की प्रतिशतता
ताराकित	1,09,999	80.23	4871	9.51
अताराकित	23,432	17.09	10,957	21.40
अल्प सूचना	3,674	2.68	63	0.12
कुल	1,37,105	100.00	51,209	100.00

अताराकित प्रश्नों के सत्र में गृहीत किए गए ताराकित प्रश्न

34,454	67.29
--------	-------

ताराकित/अताराकित प्रश्नों के सत्र में गृहीत किए गए अल्प सूचना प्रश्न

1	ताराकित	181	0.35
2	अताराकित	683	1.33

विचारणा-24

विभिन्न मंत्रालयों से सम्बन्धित ऐसे प्रश्नों
तारकित और अतारकित रूप में गृहीत
की संख्या, जिनका छठी लोक सभा में उत्तर
दिया गया।

निम्नलिखित सारणी में वर्ष 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा के 9 सत्रों के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से सम्बन्धित प्रश्नों के बारे में कुल 51,209 प्रश्नों का उत्तर दिया गया। कृषि और सिंचाई, वित्त, उद्योग, और रेल मंत्रालयों ने अधिकतम प्रश्नों के उत्तर दिये, जिनमें से प्रत्येक के चार-चार हजार से अधिक प्रश्न थे।

<u>क्रमांक</u>	<u>मंत्रालय का नाम</u>	<u>प्रश्नों की संख्या</u>
1	2	3
1.	कृषि और सिंचाई	4,715
2.	परमाणु, ऊर्जा, प्रधान मंत्री सचिवालय अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स	589
3.	पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक	2,884
4.	वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता	2,632
5.	संचार	1,887
6.	रक्षा	1,118
7.	शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति	2,562
8.	ऊर्जा	1,372
9.	विदेश	1,387
10.	वित्त	4,854
11.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	1,096

	११	१२	१३
12•	गृह		2,690
13•	उद्योग		4,614
14•	सूचना और प्रसारण		1,361
15•	श्रम		1,642
16•	विविध, न्याय और कम्पनी कार्य		1,306
17•	संसदीय कार्य		56
18•	योजना		605
19•	रेल		5,578
20•	नौवहन और परिवहन		1,394
21•	पूर्ति और पुनर्वास		287
22•	इस्पात और खान		1,619
23•	पर्यटन और नागर विमानन		1,658
24•	निर्माण और आवास		2,261
25•	विज्ञान और प्रौद्योगिकी		179

जोड़ = 21,146*

* इस संख्या में अल्प सूचना के रूप में गृहीत 63 प्रश्न सम्मिलित नहीं हैं ।

वर्ष 1977-79 के दौरान छठी लोक सभा के सदस्यों द्वारा विभिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत पूछे गए प्रश्नों की संख्या :

निम्न सरणी से विभिन्न मंत्रालयों से सम्बन्धित पूछे गए प्रश्नों की वर्ष-वार संख्या का पता चलता है। कृषि और सिंचाई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय ऐसे मंत्रालय हैं जिनसे अधिक से अधिक संख्या में प्रश्न पूछे गए और प्रत्येक में प्रश्नों की कुल संख्या 7 प्रतिशत से अधिक थी। उसके पश्चात् पैटोलियम तथा रसायन और उर्वरक, वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता, लघु उद्योग, शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, गृह, उद्योग, श्रम, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, इस्पात और खान, पर्यटन और नागर विमानन तथा निर्माण और आवास मंत्रालयों का नाम आता है जिनमें प्रत्येक से कुल प्रश्नों के 3 प्रतिशत प्रश्न पूछे गये थे। शेष मंत्रालयों में सामान्य रूप से कुल प्रश्नों के तीन प्रतिशत से भी कम प्रश्न पूछे गये थे :-

मंत्रालय का नाम	1977		1978		1979	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
कृषि और सिंचाई	1,264	9.62	2,190	9.69	1,261	8.19
परमाणु ऊर्जा, प्रधान मंत्री सचिवालय, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स	186	1.42	215	0.95	188	1.22
पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक	704	5.97	1,234	5.46	866	5.62
वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता	828	6.30	994	4.40	810	5.26
लघु उद्योग	540	4.11	933	4.13	414	2.69
रक्षा	270	2.06	482	2.13	366	2.38

	1	2	3	4	5	6	7
शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति	672	5.11	1,185	5.24	705	4.58	
ऊर्जा	309	2.35	5.7	2.51	496	3.22	
विदेश	380	2.97	6.63	2.93	344	2.23	
वित्त	1,168	8.89	2,159	9.55	1,527	9.91	
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	574	4.37	827	3.66	495	3.21	
गृह	796	6.05	930	4.11	964	6.26	
उद्योग	570	4.34	2,233	9.38	1,811	11.76	
सूचना और प्रसारण	330	2.51	590	2.61	441	2.86	
श्रम	437	3.32	755	3.36	450	2.92	
जिध, न्याय और कम्पनी कार्य	437	3.32	573	2.53	296	1.92	
संघीय कार्य	9	0.06	34	0.15	13	0.08	
राज्य	139	1.05	210	0.93	256	1.66	
रेल	1,359	10.34	2,783	12.31	1,436	9.32	
नौवहन और परिवहन	323	2.45	554	2.45	517	3.36	
इस्पात और गान	511	3.88	703	3.11	405	2.63	
पूति और पुनर्वासि	64	0.48	154	0.68	69	0.45	
पर्यटन और नागर विमानन	480	3.63	627	2.77	551	3.58	
निर्माण और आवास	708	5.38	921	4.07	632	4.10	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	-	-	89	0.39	90	0.59	
जोड़	13,138	100.00	22,605	100.00	15,403	100.00	

विवरण-26

छठी लोक सभा के दौरान गृहीत किये गये प्रश्न

सदस्य-वार विश्लेषण

सदस्य का नाम	गृहीत किये गये प्रश्न			
	ताराकित	अताराकित	अल्पसूचना	कुल
क्रमांक	1	2	3	5
1. अब्दुल क्तीफ, श्री {नलगौडा}	-	4	-	4
2. अग्रवाल, श्री सतीश {जयपुर}	4	39	-	43
3. अघन सिंह ठाकुर, श्री {लांकर}	14	143	-	157
4. अहमद, श्री हलीमुद्दीन {किशानगंज}	16	144	-	160
5. अहमद हुसैन, श्री {धुबरी}	2	177	-	179
6. अहूजा, श्री सुभाष {बेतूल}	38	248	-	286
7. अकबर जहाँ बेगम, श्रीमती {श्रीनगर}	-	-	-	-
8. अलेशान, श्री ओ०वी० {आकोनिम}	16	118	-	134
9. अल राज, श्री एम०ए०ए०ए० {मिर्जापुर}	9	156	-	165
10. अल्लुरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस {नरसापुर}	9	170	-	179
11. आत, श्री डी० {सुन्दरगढ़}	11	233	-	244
12. अमीन, श्री आ०के० {सुरेन्द्रनगर}	6	90	2	98
13. अनन्तन, श्री कुमारी {नागरकोइल}	22	125	-	147
14. अन्बालागन, श्री पी० {रामनाथपुरम}	-	-	-	-
15. अकिनीडु, श्री मगन्ती {महलीपटनम}	-	-	-	-
16. अंसारी, श्री फकीर अली {मिर्जापुर}	5	9	-	14
17. अप्पालानायडू, श्री एस०आर०ए०एस० {अन्कापल्ली}	-	1	-	1
18. अगलि, श्री छविराव {मुरैना}	6	103	2	111

1	2	3	4	5	6
19.	आरिफ बेग, श्री §-गोपाल§	-	1	-	1
20.	अस्मिताचलम, श्री एम० §टेकासी§	-	34	-	34
21.	अस्मिताचलम, श्री वी० § तिरुनेलवेली § रुफ़ अलादी अस्मिता	3	12	-	15
22.	असाइथाम्बी, श्री ए०वी०पी० §नुमगाम्बक्कम§	1	-	-	1
23.	अशोक राज, श्री ए० §पेरम्बलूर§	7	29	-	36
24.	आस्टिन, डा० हेनरी §एरणावुलम§	15	90	1	104
25.	अवारो, श्री गेव एम० §नागपुर§	-	8	-	8
26.	बद्री नारायण, श्री ए०आर० §शिमोगा§41		332	-	332
27.	बागड़ी, श्री मनो राम §मधुरा§	3	31	1	35
28.	बहुगुणा, श्री हेमवती नन्दन §लखानऊ§	-	-	-	-
29.	बहुगुणा, श्रीमती कमला §फूलपुर§	1	3	1	5
30.	बैरागी, श्री तेना §भुवनेश्वर§	4	69	-	73
31.	बत्, श्री प्रद्युम्न §जगतसिंहार§	19	136	-	155
32.	बालक राम, श्री §शिमोगा§	7	66	-	73
33.	बालकृष्णोया, श्री टी० §तिरुनेलवेली§	1	4	-	5
34.	बाबोर सिंह, चौधारी §होशियारपर§	15	128	-	143
35.	बलदेव प्रकाश डा० §अमृतसर§	16	107	-	123
36.	बनातवाला, श्री जी०एम० §पोन्नानो§	77	446	3	526
37.	बड़कटकी, श्रीमती रेणुका देवी §गौहाटो§	6	49	1	56
38.	बर्मन, श्री पलारा §बलूघाट§	-	1	-	1
39.	बरनाला, श्री सुरजीत सिंह §संगरूर§	-	-	-	-
40.	बरुआ, श्री वेदव्रत §कालियाबोर§	18	115	1	134
41.	बरवे, श्री जे०पी० §रामटेक§	-	-	-	-
42.	बैरो, श्री ए०ई०पी०	-	5	-	5
43.	बासप्पा, श्री कोलाजी §दावन्गोरे§	-	2	-	2

1	2	3	4	5	6
44.	बसीर अहमद, श्री {इलाहाबाद}	3	22	-	25
45.	बसु, श्री चित्त {बारसाट}	68	469	1	538
46.	बसु, श्री धोरेन्द्रनाथ {कटावा}	6	82	1	89
47.	बटेश्वर हेमराम, श्री {दुमका}	1	19	-	20
48.	बागुन सुम्बरुई, श्री {सिंहभूम}	4	44	-	48
49.	बेरवा, श्री राम कंवर {टोंक}	9	101	-	110
50.	भादौरिया, श्री अर्जुन सिंह {इटावा}	21	316	1	338
51.	भैया, श्री मोहन {दुर्ग}	-	2	-	2
52.	भागत राम, श्री {फिल्लौर}	22	249	-	271
53.	भाक्त श्री मनोरंजन {अडमान और निकोबार द्वीपसमूह}	41	402	-	443
54.	भावर, श्री भागोरथा {झाबुआ}	3	69	-	72
55.	भारत भूषाण, श्री {नैनीताल}	2	36	-	38
56.	भाट्टाचार्य, श्री दीनेन {सीरमपुर}	21	209	-	220
57.	भाट्टाचार्य, श्री श्यामप्रसन्न {ठलुबेरिया}	7	53	-	60
58.	भगीष्मदेव, श्री एम0 {नगरकुरनूल}	-	-	-	-
59.	भुवारहन, श्री जी0 {कुड्डुलूर}	2	32	-	34
60.	बोरेन्द्र प्रसाद, श्री {नालन्दा}	11	155	-	166
61.	बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपालराव {श्रीकाकुलम}	-	1	-	1
62.	बोडे, श्री नाना साहिब {अमरावती}	-	-	-	-
63.	बोरोले, श्री यश्रवन्त {जलगांव}	18	118	-	136
64.	बरुआ, श्री देवकान्त {नवगांव}	-	-	-	-
65.	बसु, श्री ज्योतिर्मय {डायमंड हार्बर}	69	726	13	807
66.	ब्रह्म प्रकाश, चौधारी {बाह्य दिल्ली}	5	69	-	74
67.	बृजराज सिंह, श्री {आंवला}	6	24	-	30
68.	बुराडे, श्री गंगाधर अप्पा {भिर}	2	56	-	58

1	2	3	4	5	6	
69.	बर्मन, श्री किरित बिक्रम देव	{त्रिपुरा पूर्व}	2	129	-	131
70.	चक्रवर्ती, प्रो० दिलीप	{कलकत्ता दक्षिण}	8	00	1	99
71.	चाँद राम, श्री	{सिरसा}	-	3	-	3
72.	चन्दन सिंह, श्री	{कैराना}	1	6	-	7
73.	चन्द्रशेखर, श्री	{बलियाँ}	5	45	1	51
74.	चन्द्रप्पन, श्री सी० के०	{कन्नानूर}	64	571	1	636
75.	चन्द्रावती, श्रीमती	{भिवानी}	4	38	-	42
76.	चरण सिंह, श्री	{बागपत}	-	-	-	-
77.	चटर्जी, श्री सोमनाथ	{जादवपुर}	17	146	-	163
78.	क्तुभाज, श्री	{झालावाड़}	25	366	-	391
79.	क्तुर्वेदी, श्री रामनाथ	{आगरा}	25	138	1	164
80.	चौधारी, श्री ईश्वर	{गया}	75	389	1	465
81.	चौधारी, श्री मोतीभाई आर०	{बनासकाँठा}	4	172	-	176
82.	चौधारी, श्री त्रिदिव	{बरहामपुर}	3	10	-	13
83.	चौधारी, श्री स्ट्रसेन	{केसरगंज}	1	16	-	15
84.	चौहान, श्री बेगाराम	{गंगानगर}	-	21	-	21
85.	चौहान, श्री नवाब सिंह	{अलोगढ़}	42	584	2	628
86.	चव्हाण, श्रीमती पी०	{कराड़}	-	4	-	4
87.	चव्हाण, श्री यशवन्तराव	{सतारा}	-	-	-	-
88.	चावड़ा, श्री के० एस०	{पाटन}	-	-	-	-
89.	चेतरी, श्री के० बी०	{दाजिलिंग}	9	96	-	105
90.	क्षेत्री, श्री छत्रबहादुर	{सिक्किम}	2	14	-	16
91.	चिक्कलिंगिया, श्री के०	{माइया}	-	-	-	-
92.	चौधारी, श्रीमती शोदा हक	{सिल्वर}	1	2	-	3

1	2	3	4	5	6
93.	चौधारी, श्री के० बी० ॥बीजापुर॥		4	-	4
94.	चौहान, श्री भारत सिंह ॥धार॥	24	111	-	135
95.	चन्द्र, डा० प्रताप चन्द्र ॥कलकत्ता पूर्व॥	-	-	-	-
96.	दाभा, श्री अजीतसिंह ॥आनन्द॥	-	2	-	2
97.	दामाणी, श्री एस० आर० ॥शोलापुर॥	62	576	-	638
98.	डामीर, श्री सोमजीभाई ॥दोहद॥	6	23	-	29
99.	दंडवते, प्र० मधु ॥राजापुर॥	-	-	-	-
100.	दानवे, श्री पुण्डलोक हरि ॥जालना॥	1	35	-	36
101.	दास, श्री एस०एस० ॥सीतामढ़ी॥	6	100	-	106
102.	दास, श्री रेणुपद ॥कृष्णनगर॥	8	56	-	64
103.	दासप्या, श्री तुलसीदास ॥मैसूर॥	6	13	-	19
104.	दासगुप्ता, श्री के० एन० ॥जलपाईगुडो॥	3	20	-	23
105.	दवे, श्री अनन्त ॥कच्छ॥	30	194	-	224
106.	डान, श्री राज कृष्ण ॥बर्दवान॥	16	109	-	125
107.	देव, श्री पो० के० ॥कालाहांडी॥	1	34	-	35
108.	देव, श्री वी० किशोर चन्द्र एस० ॥पार्वतीपुरम॥	-	6	1	7
109.	देसाई, श्री डी०डो० ॥कैरा॥	63	419	-	482
110.	देसाई, श्री दाजिबा ॥कोल्हापुर॥	3	42	-	45
111.	देसाई, श्री मोरारजी आर० ॥सूरत॥	-	-	-	-
112.	देशमुख, श्री नानाजी ॥बलरामपुर॥	-	-	-	-
113.	देशमुख, श्री रामप्रसाद ॥हाधारस॥	4	53	-	57
114.	देशमुख, श्री शोभाराव ॥परभाणी॥	-	-	-	-
115.	देसाई, श्री हितेन्द्र ॥गोधारा॥	13	76	-	89
116.	देवरजन, श्री बी० ॥रसिपुरम॥	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
117.	दण्डयुतपाणि, श्री वी० {वेल्लोर}	-	1	-	1
118.	धारा, श्री सुशील कुमार {तामलुक}	7	94	-	101
119.	धारिया, श्री मोहन {पूना}	-	-	-	-
120.	टिल्लो, श्री इकबाल सिंह {जालन्धार}	2	15	-	17
121.	धोडगे, श्री केशवराव {नादिङ्ग}	17	149	-	166
122.	धुर्वे, श्री श्यामलाल {मंडला}	4	94	-	98
123.	डिगल, श्री श्रीबाटवा {फूलवनी}	6	34	-	40
124.	डोले, श्री एल० के० {लछीमपुर}	-	4	-	4
125.	दुर्गा चंद, श्री {कांगडा}	65	665	-	730
126.	दत्त, श्री अशोक कृष्ण {दमदम}	-	1	-	1

1	2	3	4	5	
127.	एलनवेजियन, श्री वी. एस. §पुददकोट्टाई§	1	9	-	10
128.	एंग्ती, श्री राम बीरेन सिंह §स्वायत्तशासी जिला§	4	5	-	9
129.	फैलीरो श्री एडुआडो §मारमागोआ§	37	232	-	269
130.	फनान्डीस, श्री जार्ज §मुजफ्फरपुर§	-	-	-	-
131.	गायक्वाड, श्री एफ. पी. §बडौदा§	17	174	-	191
132.	गाम्भित, श्री छीतूभाई §माण्डवी§	26	213	-	239
133.	गंगा सिंह, श्री §मंडी §	5	13	1	19
134.	गदटानी, श्री आर. डी. §जोधपुर§	4	18	-	22
135.	गवई, श्री डी. जी. §बुलडाना§	11	59	-	70
136.	जार्ज, श्री ए. सी. §मुकुन्द पुरम§	2	21	-	23
137.	घोषाल, श्री सुधीर §मिदनापुर§	8	62	-	70
138.	गिरजा नन्दन सिंह ठाकुर §शिवहर§	-	1	-	1
139.	गोदारा, चौ. हररी राम मक्कासर § बीकांनेर §	5	54	-	59

	1	2	3	4	5
159. हरिवेश बहादुर, श्री {गोरखपुर}	2	25	-	-	27
160. हाशिम, श्री एम.एम. {मल्लापल्ली}	-	1	-	-	1
161. हजारगी, श्री राम सेवक {रोसेरा}	13	119	-	-	132
162. हीरा भाई, श्री {बासवाड़ा}	-	19	-	-	19
163. हेगड़े, श्री के.एस. {बंगलोर दक्षिण}	-	-	-	-	-
164. हुदम राम, श्री {जालौर}	-	-	-	-	-
165. इन्दर सिंह, श्री {हिसार}	-	1	-	-	1
166. जाफर शहीफ, श्री सी.के. {बंगलोर उत्तर}	51	257	-	-	308
167. जाफरी, श्री अहसान {अहमदाबाद}	-	10	-	-	10
168. जगन्नाथन, श्री एस. {श्रीपेरम्बदूर}	2	-	-	-	2
169. जगजीवन राम, श्री {साराराम}	-	-	-	-	-
170. जैन श्री कचलाल हेमराज {बालाघाट}	27	274	-	-	301
171. जैन, श्री कल्याण {इन्दौर}	3	46	-	-	49
172. जैन श्री मोहन {दुर्ग}	2	21	-	-	23
173. जैन, श्री निर्मल चन्द्र {सिवनी}	17	111	-	-	128
174. जयसवाल, श्री अनन्तराम {फैजाबाद}	25	118	-	-	143
175. जसरोटिया, श्री बलदेव सिंह {जम्शु}	4	72	-	-	76
176. जावेद, श्री श्रीधरराव नाथवाजी {यक्तमाल}	-	4	-	-	4

1	2	3	4	5
177. जेठमलानी, श्री राम ॥बम्बई उत्तर पश्चिम॥	-	2	-	2
178. जयलक्ष्मी, श्रीमती वी. ॥शिवकाशी॥	1	11	-	12
179. जोरदार, श्री दिनेश ॥माहदा॥	5	15	-	20
180. जोशी, डा. मुरली मनोहर ॥अन ॥अल्मोडा॥	33	151	5	189
181. कछवाय, श्री हुक्म चन्द ॥उज्जैन॥	39	681	1	721
182. कदम, श्री बी.पी. ॥कनारा॥	-	11	-	11
183. कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन ॥कासरगोड॥	6	96	-	102
184. कडहो, श्री ॥वाह्य मणिपुर॥	-	-	-	-
185. वाकडे, श्री सम्भजीराव ॥बारामती॥	-	-	-	-
186. कालदाते, डा. बापू (औरंगाबाद)	38	369	1	408
187. कल्याणमुन्दरम्, श्री एम, ॥तिरुचिरापल्ली॥	45	201	1	247
188. कामाक्ष्या, श्री डी. ॥नेल्लोर॥	-	1	-	-
189. कामत, श्री हरि विष्णु ॥होशंगाबाद॥	29	166	2	197
190. काम्बले, श्री बी.सी. ॥बम्बई दक्षिण-मध्य॥	2	85	-	87

	1	2	3	4	5
191. कानन, श्री पी. §सलेम§	11	48	-		59
192. कासर, श्री अमृत §पाणोजी§	5	56	-		61
193. कपूर, श्री लज्जन लाल §पूर्णिया§	18	230	-		248
194. कार; श्री सरत §कटक§	48	324	-		372
195. कर्ण सिंह, डा. §उधमपुर§	5	36	-		41
196. कौशिक, श्री पुरुषोत्तम §राजपुर§	-	-	-		-
197. केशवानी, श्री एन.पी. §विलासपुर§	-	-	-		-
198. जालसा, श्री बसंत सिंह §रोपड़§	1	13	-		14
199. डा, श्री गुलाम मोहम्मद §मुरादाबाद§	-	4	-		4
200. डा, श्री इस्माइल हुसैन §वारपेटा§	-	12	+		12
201. डा, श्री कुंवर महमूद अली §हापुड़§	-	-	-		-
202. डा, श्री महमूद हसन §बुलन्दशहर§	-	7	-		7
203. डा, श्री मोहम्मद शमसुल हसन §पीलीभीत§	1	2	-		3
204. ज़िमे, श्री रिन्चिंग ज़ाण्डू §अरुणाचल पश्चिम§	1	5	-		6
205. किकदर, श्रीमती मोहसिना §आजमगढ़§	6	76	-		82
206. विश्वर लाल, श्री §पूर्व दिल्ली§	7	91	-		98
207. विस्कू, श्री जदुनाथ §झाड़ग्राम§	-	-	-		-

1	2	3	4	5
208. कोडियन, श्री पी. के. {अडूर}	71	408	-	479
209. कोलन्थाइले, श्री आर {तिरुचेन्गोड}	25	131	-	156
210. कोलूर, श्री राजेश्वर {रायचूर}	7	50	-	57
211. कोम, श्री लहान्स्वीडावा {धात्रु}	3	12	-	15
212. कोसलराम, श्री के. टी. {तिरुचेडर}	29	169	2	220
213. कोत्राष्टी, श्री ए. के. {बेलगाग}	1	4	-	5
214. कृष्ण कात्त, श्री {चंडीगढ़}	-	4	-	4
215. कृष्णन, श्री जी. वाङ्. {कोलार}	57	281	-	338
215. कृष्णान, श्रीमती पार्की {वोयम्बूर}	72	356	-	428
216. कृष्णाप्पा, श्री एम. व्ही. {चिक्कल्लापुर}	-	9	-	9
217. कुण्डू, श्री रमरेन्द्र {बालासोर}	7	52	-	59
218. कुन्हम्बू, श्री के. {ओट्टापलम}	2	44	-	46
219. कुरील, श्री ज्वाला प्रसाद {घाटमपुर}	-	3	-	3
220. कुरील, श्री आर. एल. {गोहन्नालगज}	73	113	-	120
221. कुशाहा, श्री राम नरेश {सलेमपुर}	8	121	-	129
222. लक्ष्मी श्री के. {तुमकुर}	52	473	1	526
223. लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम. आर.	1	12	1	14
224. लाल, श्री श्याम सुन्दर {क्याना}	3	71	-	74
225. लालजी भाई, श्री {सलूम्वर}	26	224	-	250

1	2	3	4	5
226. लालू प्रसाद, श्री {छपरा}	-	9	-	9
227. लास्कर, श्री निहार {दरभंगा}	48	310	1	359
228. लियाकत हुसैन, श्री सैयद {फतेहपुर}	-	-	-	-
229. लामये, श्री मधु {बाँका}	-	-	-	9
230. निर्गदोह, श्री होपिंगस्टोन {फिमांग}	1	7	-	8
231. मछन्द श्री रघुवीर सिंह {भिड़}	1	3	1	5
232. मागर, श्री अण्णासाहिब {छेड़}	-	-	-	-
233. महाला, श्री दे. एल. {झुंझुनू}	-	-2	-	2
234. महाले, श्री हरीशंकर {मालेगाँव}	4	68	-	72
235. महाटा, श्री सी. आर. {पूरुलिया}	29	124	-	153
236. महीलाल, श्री {बिजनौर}	15	297	-	312
237. महिषी, डा. संरोजिनी {धारवाड़ उत्तर}	5	56	-	61
238. मैती, कुमारी आभा {सकुरा}	-	2	-	2
239. मलहोत्रा, श्री विजय कुमार {दक्षिण दिल्ली}	22	246	-	268
240. मलिक, श्री मुज्जियार सिंह {सोनीपत}	67	480	2	569
241. मालन्ना, श्री दे. {चित्रदुर्ग}	63	435	-	498
242. मलिक, श्री राम चन्द्र {जाजपुर}	2	17	-	19
243. मल्लिकार्जुन, श्री {मेडक}	1	9	-	10
244. मण्डल, श्री बी. पी. {मधेपुरा}	7	45	-	52

1	2	3	4	5
245. मण्डल, श्रीधनिक लाल {भंडारपुर}	-	७	-	७
246. मण्डल, श्री मुदुन्द {मथुरापुर}	7	81	-	88
247. माने, श्री राजाराम शंकरराव	-	36	-	36
248. मंगलदेव, श्री {अकबरपुर}	-	6	-	6
249. मान्जर, श्री लक्ष्मणाराव	4	58	-	62
{भंडारा}				
250. मनोहर लाल, श्री {वानपुर}	9	178	-	187
251. मैथ्यू. श्री जार्ज {मुवत्तुपुजा}	12	76	-	88
252. माथुर, श्री जगदीश प्रसाद	17	100	-	117
{सीकर}				
253. मावर्लकर, प्रो. पी.जी.	89	707	-	796
{गांधीनगर}				
254. मायासेवर, श्री के. {डिडीगल}	24	66	-	90
255. मेदेरी, श्रीमहाशेवर राव	-	-	-	-
{तेनाली}				
256. मोहम्मद ह्यात अली, श्री	4	23	-	27
{रायगंज}				
257. मिर्जा, श्री सैयद काजिम अली	-	3	-	3
{मुर्शिदाबाद}				
258. मेहता, श्री प्रसन्नभाई	46	377	1	424
{भावनगर}				
260. महालगी, श्री आर. के. {धाना}	45	660	1	706
261. मिर्धा, श्री नाथू राम	1	2	-	3
{नागपुर}				
262. मिररी, श्री गोविन्द राम {सारंगढ़}	7	3९	-	44

	2	3	4	5
263. पिथ श्री जी.एस. विंदवाड़ा	-	2	-	2
264. पिथ श्री जनेश्वर इलाहाबाद	3	32	-	35
265. पिथ श्री स्याम नन्दन बेगूसराय	-	1	-	1
266. मोदक श्री विजय हुता	-	3	-	3
267. मोहनराय श्री आर. चौगलपेटदू	26	93	-	119
268. मोहिन्दर सिंह श्री करनाल	-	-	-	-
269. मोहिन श्री एफ.एच. धारवार दण्ड	9	52	-	61
270. मण्डल, डा० विजय कुरा	38	219	-	257
271. मृत्युंजय प्रसाद, श्री खीवान	13	123	-	136
272. मूर्ति, श्री रामर हावड़ा	30	317	-	347
273. मुल्तान सिंह चौधरी जलेश्वर	-	-	-	-
274. मण्डा, श्री मोहिन्दर कोर	7	91	-	98
274. मण्डा, श्री करिया कुन्टी	1	29	-	30
275क. मुराहरी श्री गोडे विजयवाड़ा	-	-	-	-
276. मुरमू फादर एन्थनी राजाहल	-	11	-	11
277. मूर्ति श्री कृष्ण कृष्ण अपाजापुरम	10	81	-	91
278. मूर्ति श्री एम.ती.चन्द्रशेखर कनकपुरा	35	297	-	332
279. मुरमूयन, श्री के. नागपटिनम	24	142	-	166
280. मुन्शेरान, श्री ए. चिदम्बरम	8	120	-	128
281. नाहर, श्री विजय सिंह कलाकत्ता, उत्तर पश्चिम	-	4	-	4
282. नाहटा, श्री अमृतपाली	1	9	-	10

283. नायडू, श्री पी. राजगोपाल ॥ चित्तूर ॥	69	550	1	620
284. नायक श्री ए. एच. नानदकार ॥	1	1	-	2
285. नायक श्री वी. पी. ॥ जामिना ॥	-	-	-	-
286. नायर श्री बी. के. ॥ गावेलिकर ॥	4	41	-	45
287. नायर श्री एम. एन. गोविन्दन ॥ त्रिवेन्द्रम ॥	24	143	-	167
288. नायर श्री एम. श्रीकान्तन ॥ क्विलोन ॥	10	46	-	56
289. नारायण श्री के. ए. ॥ हेतुवादा ॥	-	-	-	-
290. नरेन्द्र सिंह श्री ॥ डगोली ॥	8	92	-	100
291. नरसिंह , श्री ॥ चन्दौली ॥	-	-	-	-
292. नरजरी, श्री ॥ कुराकार ॥	-	2	-	2
293. नाथू सिंह श्री ॥ दौला ॥	7	38	-	95
294. नथुनी राम, श्री ॥ नवादा ॥	2	12	-	14
295. नाथगानी, श्री नरेन्द्र पी. ॥ चूनागढ़ ॥	1	11	-	12
295. क. नटवर लाल, श्री ॥ टंढका ॥	-	-	4	4
296. नायक, श्री लक्ष्मी नारायण ॥ जुरादो ॥	32	155	-	187
297. नायर, डा० सुशीला ॥ नासी ॥	5	44	-	49
298. ने वि, श्री टी. एम. ॥ टिहरी- गढ़वाल ॥	6	106	-	112
299. ओंकार सिंह, श्री ॥ बदायूँ ॥	-	-	-	-
300. उरावि, श्री लालू ॥ नोटाखणा ॥	-	1	-	1
301. पई, श्री टी. ए. ॥ उदीपी ॥	4	32	-	36
302. पजनोर, श्री अरविन्द बाला ॥ पाडोरी ॥	25	112	-	137

1	2	3	4	5
304. पाण्डेय डा० लक्ष्मी नारायण ॥ मन्दासौर ॥	53	544	1	598
305. पण्डित, डा० ब्रह्मन्त कुमार ॥ राजपट्ट ॥	64	652	2	718
306. परासे, श्री दत्तपत सिंह ॥ पाहडोल ॥	23	136	-	159
307. परसाई ताल, श्री ॥ हरदोई ॥	-	-	-	-
308. परमार, श्री नटवर ताल जी. ॥ दुद्रका ॥	18	167	-	185
309. पार्थसारथी, श्री पी. ॥ राजपेट ॥	-	1	-	1
310. पालेकर, श्री तापूसाहिब ॥ रत्नगिरि ॥	13	183	-	196
311. पार्वती देवी, श्रीमती ॥ तद्दाख ॥	17	168	-	185
312. पावान, श्री राम क्लान्त ॥ हाजीपुर ॥	26	163	1	190
313. पटेल, श्री अहमद एम. ॥ भुडीच ॥	36	299	-	135
314. पटेल, श्री धर्मसिंह भाई ॥ पोखरान्दर ॥	36	664	-	700
315. पटेल श्री हरिकान्दास ॥ अमरेली ॥	-	-	-	-
316. पटेल श्री एच. एम. ॥ सावरकाठा ॥	-	-	-	-
317. पटेल, कुमारी गणिलेन तल्लतभाई ॥ पेठानाना ॥	-	-	-	-
318. पटेल श्री मीना ताल सवाई गाधीपुर ॥	19	230	-	249

1	2	3	4	5
319.पटेल, श्री नानूभार्ग एन. ॥कादार॥	-	1	-	1
320.पटेल, श्री आर.आर. ॥दादरा तथा नगर हेली॥	1	9	-	10
321.पाटीदार, श्री रामेश्वर भारगोन॥	5	65	-	70
322.पाटिल, श्री ज्ञानारामदिब विभे ॥कोपरगाव॥	27	302	-	329
323.पाटिल, श्री यन्त्रकान्त ॥शिपोली॥	-	-	-	-
324.पाटिल, श्री रवि.जी. ॥कोताबा॥	-	58	-	43
325.पाटिल, श्री ए.वी. ॥बागलकोट॥	1	18	-	19
326.पाटिल, श्री मोनू सिंह ॥हरन्दोत॥	-	-	-	-
327.पाटिल, श्री यू.एल. ॥लादूर॥	1	11	-	12
328.पाटिल, श्री विजय कुमार एन. ॥ धूलिया ॥	20	216	-	236
329.पटनायक, श्री वीजू ॥कैन्डपाडा	-	-	-	-
330.पटनायक, श्री शिवाजी ॥भुवनेश्वर॥	10	71	-	81
331.पट्टाभि रामा राव, श्री ए.वी.पी. ॥राजामुन्दी	-	-	-	-
332.पटवारी, श्री एच.एल. ॥मंगलदाई॥	-	1	-	1

1	2	3	4	5	
333	पेरियात्तापी, डा० पी. वी. कृष्णागिरी	24	125	-	149
334	पार्टिन, श्री तकिन अज्जावन	-	5	-	5
335	फिरंगी प्रसाद, श्री द्वारगाव	4	26	-	30
336	पिपित, श्री मोहन लाल सुजा	6	122	-	128
337	पूजारी, श्री जनार्दन संगलौर	46	311	-	317
338	प्रधान, श्री गणनाथ सम्बलपुर	25	125	-	10
339	प्रधान, श्री पवित्र मोहन देवाढ	3	153	-	156
340	प्रधानी, श्री के. नारंगपुर	49	280	-	329
341	प्रकाश, श्री केनाथ गेठ	2	29	-	31
342	प्रसादराव, श्री पी. अकिनीडु वापतला	-	-	-	-
343	पुतया, श्री वारु अनंतपुर	9	54	-	63
344	कुरंशी, श्री मोहम्मद शफी अनंतपुर	9	54	-	63
345	राचैया, श्री वी. चामराजनगर	1	8	-	9
346	राघवेन्द्र सिंह, श्री उन्नाव	-	-	-	-
347	राघवजी, श्री विदिशा	19	236	-	255
348	रवुरामैया, श्री के. गदर	-	-	-	-
349	राही, श्री राम लाल मिर्जरिख	8	76	-	84

1	2	3	4	5
350. रहमान, श्री फज़लर {बेत्तिया}	-	-	-	-
351. राय, श्री गौरी शंकर {गाजीपुर}	1	11	-	12
352. राय, श्री नरपदा प्रसाद	2	14	-	16
353. राय, श्री शिव राम {घोरी}	-	-	-	-
354. राजकेशर सिंह, श्री {मछलीशहर}	25	194	-	219
355. राजनारायण, श्री {रायबरेली}	8	49	-	57
356. राजन, श्री के.ए. {त्रिवूर}	77	286	-	363
357. राजदा, श्री रतन सिंह {बम्बई दक्षिण}	-	1	-	1

॥1॥	॥2॥	॥3॥	॥4॥	॥5॥
358. राजे विश्वेश्वर राव, श्री ॥चन्द्रपुर॥	-	1	-	-
359. राजू, श्री वे.ए. ॥पोलाची॥	1	51	-	52
360. राजू, श्री पी.वी.जी. ॥बोल्बली॥	1	3	-	4
361. राकेरा, श्री भार.एन. ॥कैल॥	८	33	-	33
362. राम, श्री राम देनी ॥पलामू॥	3	39	-	42
363. राम, श्री शिवा सम्पति ॥राबर्टसाजि॥	-	-	-	-
364. राम चरणा, श्री ॥जालोन॥	1	25	-	26
365. रामधन, श्री ॥लालगजि॥	-	2	-	2
366. रामजी सिंह, डा, ॥भागलपुर॥	1	414	1	416
367. राम किंकर, श्री ॥बाराबंकी॥	-	-	-	-
368. राम मूर्ति, श्री ॥बरेली॥	2	3	-	5
369. राम सागर, श्री ॥सैदपुर॥	7	48	-	55
370. रामचन्द्रन, श्री पी. ॥मद्रास मध्य॥	-	-	-	-
371. रामलिंगम, श्री एन. कुदुनतई ॥मयूरम॥	-	1	-	1
372. रामलिंगम, श्री पी.एस. ॥नीलगिरी॥	14	50	-	64

1	2	3	4	5	6
373.	राममूर्ति, श्री के. ॥धर्मपुरी॥	53	336	-	389
374.	रामास्वामी, श्री के.एस. ॥गोबी वेदित्पत्न्यम॥	-	-	-	-
375.	रामास्वामी, श्री एस. ॥पेरियाकुलम॥	-	-	-	-
376.	रामदास सिंह, श्री ॥गिरिडीह॥	4	22	-	26
377.	रामदेव सिंह, श्री ॥महाराजगंज॥	6	47	-	53
378.	रामापति सिंह, श्री ॥मोतीहारी॥	-	2	1	3
379.	रामजीवन सिंह, श्री ॥बलिया॥	1	33	-	34
380.	रामदिरान, श्री ॥भरतपुर॥	1	48	-	49
381.	रामूवालिया, श्री बलवंत सिंह ॥फरीदकोट॥	8	76	-	84
382.	रागनेकर, श्रीमती अहिल्या पी. ॥बम्बई उत्तर-मध्य॥	9	112	-	121
383.	रणजीत सिंह, श्री ॥हमीरपुर॥	2	18	-	20
384.	राव, श्रीमती बी. राधाबाई आनन्द ॥भद्राक्षम॥	-	-	-	-
385.	राव, श्री जी. मल्लिकार्जुन ॥बाराणसि॥	1	10	-	11

1	2	3	4	5	6
386.	राव, श्री जे. रामेश्वर ॥महबूबनगर॥	-	-	-	-
387.	राव, श्री जान्नाथ ॥बरहामपुर॥	-	-	-	-
388.	राव, जलगाप कोडाला ॥बम्मम॥	-	1	-	1
389.	राव, एम.एस. संजीवी ॥काकीनाडा॥	2	-	-	2
390.	राव, श्री एम. प्रत्यनारायण ॥करीमनगर॥	-	13	1	14
391.	राव, श्री पी.वी.नरसिंह ॥हनमकोडा॥	2	7	1	10
392.	राव, श्री पट्टाभि राम ॥राजामुंद्री॥	-	-	-	-
393.	राव, श्री राजे विश्वेश्वर ॥चन्द्रपुर॥	4	55	-	59
393क	रशीद मसूद, श्री ॥सहारनपुर॥	5	32	-	37
394.	रथ, श्री रामचन्द्र ॥भास्का॥	-	-	-	-
395.	राठवा श्री अमरसिंह वी. ॥छोटा उदयपुर॥	29	273	-	294
396.	राठोर, डा० शिवान दास ॥हरिहार॥	1	21	-	22
397.	रवि, श्री क्यालार ॥चिरक्कील॥	39	359	3	401
398.	रेड्डी, श्री जी. एस. ॥गिरयालगुडा॥	19	100	-	119

1	2	3	4	5	6
399.	रेड्डी, श्री जी.नरसिम्हा ॥भा.लाबाद॥	9	26	-	35
400.	रेड्डी, श्री के. भोबुल ॥कुडप्पा॥	3	12	-	15
401.	रेड्डी, श्री के. ब्रह्मानन्द ॥नरसारावपेट॥	-	1	-	1
402.	रेड्डी, श्री के. विजय भास्कर ॥कुरुनल॥	-	1	-	1
403.	रेड्डी, श्री एम.रम. गोपाल ॥निजामाबाद॥	61	418	-	479
404.	रेड्डी, श्री एन. संजीव	-	-	-	-
405.	रेड्डी, श्री पी. बायप्पा ॥हिन्दुपुर॥	-	1	-	1
406.	रेड्डी, श्री एस.भार. ॥गुलबर्गा॥	23	139	-	162
407.	रहमान, श्री एफ. ॥बिहार॥	-	-	-	-
408.	रोड्रिगुज, श्री रुडोल्फ	12	57	-	69
409.	रोथुअम, डा. भार. ॥मिजोरम॥	-	39	1	40
410.	राय, श्री ए.के. ॥धनबाद॥	19	371	-	390
411.	राय, डा. सरदीश ॥बोलपुर॥	5	53	-	59
412.	राय, श्री सौगत ॥बैरकपुर॥	33	171	4	208
413.	राय प्रधान, श्री अमर ॥कूच बिहार॥	27	193	-	220

1	2	3	4	5	6
414.	सईद मुर्तजा, श्री ॥मुजफ्फरनगर॥	-	5	-	5
415.	साहा, श्री ए.के. ॥विष्णुपुर॥	1	24	-	25
416.	साहा, श्री गदाधर ॥बीरभूम॥	1	31	-	32
417.	साहू, श्री एन्थू ॥बोलनगर॥	2	26	-	28
418.	साय, श्री एल. ॥सरगुजा॥	-	2	-	2
419.	साय, श्री नरहरि प्रसाद ॥रायगढ़॥	-	-	-	-
420.	सेनी, श्री मनोहर लाल ॥पहेन्द्र गढ़॥	-	8	-	8
421.	सेट, श्री इज़ाहिम सुलेमान ॥मंजेरी॥	3	24	-	27
422.	सा.सेना, श्री शिवाब्दन लाल ॥महाराजजि॥	1	5	-	6
423.	सामंतसिंहिरा, श्री पदमाचरण ॥पुरी॥	1	140	-	141
423	क.सम्पत, श्री शिव ॥राबर्टसजि॥	23	153	-	176
424.	सोमा, श्री पी.ए. ॥तुरा॥	2	74	-	76
425.	सान्याल, श्री शाशिकगोपर ॥जंजीपुर॥	2	51	-	53
426.	सारन, श्री दौलत राम ॥चु॥	6	74	-	80
427.	षाडीगि, श्री भार.पी. ॥जमशेदपुर॥	1	16	-	17

1	2	3	4	5	6
428.	भारदा, श्री एम.ते. ॥भजमेर॥	-	21	-	21
429.	भरदार, श्री महेन्द्र नारायण ॥भरारिया॥	-	4	-	4
430.	सरकार, श्री शक्ति कुमार ॥जयनगर॥	2	41	-	43
431.	सरपूनिया, श्री शिव नारायण ॥करोलबाग॥	11	191	-	202
432.	साठे, श्री कप्त ॥कतोला॥	63	575	2	640
433.	सत्पथी, श्री देवेन्द्र ॥ट्रेकमाल॥	2	5	-	8
434.	सत्यनारायण, श्री द्रोणम राजू ॥विशाखापटनम॥	3	19	-	22
435.	सईद; श्री पी.एम. ॥लक्ष्मीप॥	39	323	-	362
436.	सयावाला, श्री मोहिन्द्र सिंह ॥फिरोजपुर॥	16	123	-	139
437.	सिधिया, श्री माधवराव ॥गुना॥	12	543	-	555
438.	सेन, श्री प्रफुल्ल चन्द्र ॥भाराम बाग॥	-	-	-	-
439.	सेन, श्री रोबिन ॥भावनपोल॥	9	193	-	202
440.	सेयद मोहम्मद, डा.वी.ए. ॥कालीकट॥	7	64	-	71
441.	शाह, श्री डी.पी. ॥वस्तर॥-	-	-	-	-
442.	शाह, श्री भूरत बहादुर ॥वेरी॥	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
443.	शायजा, श्रीफली रानो एम. §नागालैड§	-	6	-	6
444.	शायजा, श्री वार्ड. §इम्फाल§	-	-	-	-
445.	शाक्य, श्री दयाराम §फर्साबाद§	45	671	-	716
446.	शाक्य, डा० महादीपक सिंह §एटांग§	11	146	-	157
447.	शंकर देव, श्री §बीदर§	-	4	-	4
448.	शंकरानन्द, श्री बी. §चिकोडी§	-	1	-	1
449.	शान्ति देवी, श्रीमती §सम्भल§	-	1	-	1
450.	शर्मा, श्री गणवत दयाल	-	5	-	5
451.	शर्मा, श्री जगन्नाथ §गढ़वाल§	3	41	-	44
452.	शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार §रामपुर§	41	385	-	426
453.	शर्मा, श्री यज्ञ दत्त §गुरदासपुर§	22	135	-	157
454.	शास्त्री, श्री भानु कुमार §उदयपुर§	18	148	-	166
455क.	शास्त्री, श्री बी.एन.	-	1	-	1
455.	शास्त्री, श्री रामधारी §पदराना§	13	85	1	99
456.	शास्त्री, श्री वार्ड.पी. §रीवा§	27	191	-	218

1	2	3	4	5	6
457.	गजवलकर, श्री एन.के. §गवालियर§	1	37	-	38
458.	शिव नारायण, श्री §बस्ती§	-	11	-	11
459.	शेर सिंह, श्री §रोहतक§	-	-	-	-
460.	रेठ, श्री बिनोदगार्ह बी. §जामनार§	4	59	-	63
461.	शिवदे, श्री अण्णापाहिब पी. §अहमदनगर§	7	50	57	57
462.	शिव शंकर, श्री पी. §सिकन्दराबाद§	-	-	-	-
463.	भंगारे, श्री टी.एस. §उस्मानाबाद§	-	3	-	3
464.	श्रीकृष्ण सिंह, श्री §मुरी§	-	19	-	19
465.	शुक्ल, श्री तिमन गार्ह एच. §राजकोट§	7	37	-	44
466.	शुक्ल, श्री मदन लाल §जंजगीर§	-	8	-	8
467.	सिकन्दर बज्ज §चांदनी चांक§	-	-	-	-
468.	शिंभारावाडीवेल, श्री एस. §तंजादूर§	-	-	-	-
469.	सिंह, डा० बी.एन. §हजारीबाग§	1	6	-	7
470.	सिंह, श्री चन्द्रपाल §अमरोहा§	-	-	-	-
471.	सिंह, श्री चन्द्रशेखर §वाराणसी§	5	45	1	51

1	2	3	4	5	6
472.	सिंह, चाधरी राम गोपाल ॥बिल्होर॥	2	17	-	19
473.	सिंह, श्री दिग्विजय नारायण	-	-	-	-
474.	सिंह, श्री गंगा भक्त ॥शाहबाद॥	31	265	-	296
475.	सिंह, श्री राम अवधेश	-	12	-	12
476.	सिंह, श्री रवि नन्दन सिंह ॥सिंधी॥	-	-	-	-
477.	सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप ॥अपेठी॥	-	4	-	4
478.	सिंह, श्री प्रत्यदेव ॥गौडा॥	2	15	-	17
479.	सिंह श्री सूर्य नारायण ॥मध्य प्रदेश॥	4	27	-	31
480.	सिंह, श्री तेज प्रताप ॥हमीरपुर॥	1	3	1	5
481.	सिंधा, श्री सचिन्द्र लाल ॥त्रिपुरा पश्चिम॥	10	170	-	180
482.	सिन्हा, श्री पी.एम. ॥मयूरगज॥	-	-	-	-
483.	सिन्हा, श्री एच.एल.पी. ॥जहानाबाद॥	-	35	-	35
484.	सिन्हा, श्री एम.श्री. ॥पटना॥	-	-	-	-
485.	सिन्हा, श्री पूर्ण नारायण ॥तेजपुर॥	8	88	-	96
486.	सिन्हा, श्री प्रत्येन्द्र नारायण ॥भोरंगाबाद॥	2	24	-	26
487.	स्कारिया थामप, श्री ॥कोटायम॥	2	17	-	19

1	2	3	4	5
488. सोमानी, श्री रमलाल ‡भीलवाड़ा‡	-	7	-	7
489. सोमानी, श्री एस.एस. ‡चित्तोड़गाढ़‡	55	413	-	468
490. सोमानुन्दरम, श्री एस.डी. ‡मद्राज‡	26	149	-	175
491. स्टीफन, श्री सी.एम. ‡इदुली‡	-	-	-	-
492. सुब्रह्मण्यम, श्री सी. ‡मलानी‡	1	-	-	1
493. सुधीरन, श्री वी.एम. ‡मलेष्पी‡	7	80	-	67
494. सुपेन्द्र सिंह, श्री ‡सतना‡	39	367	-	406
495. सुमन, श्री रामजी लाल ‡फिरोज़ाबाद‡	13	153	1	167
496. सुमन, श्री सुरेन्द्र झा ‡दरभंगा‡	8	246	-	254
497. सुष्णासाहाय, श्री ए. ‡पालघाट‡	1	5	-	6
498. सुरज भान, श्री ‡अम्बाला‡	2	72	-	74
499. सुरेन्द्र बिक्रम, श्री ‡शाहजहानपुर‡	41	532	1	574
500. सूर्यनारायण, श्री कोमाररेड्डी ‡एल्ले‡	3	45	-	48
501. स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर ‡कोप्पल‡	-	3	-	3
502. स्वामीनाथन, श्री व्गार.वी. ‡मदुरै‡	70	434	-	504

1	2	3	4	5
503. स्वामी, डा० सुभाषचन्द्र ॥बम्बई उत्तर-पूर्व॥	8	54	-	62
504. स्वतंत्र, श्री जगन्नाथ प्रसाद ॥बगहा॥	-	3	-	3
505. तलवंडी, श्री जगदेव सिंह ॥लुधियाना॥	-	-	-	-
506. तन सिंह, श्री ॥बाड़मेर॥	-	-	-	-
507. ठाकरे, श्री कुशाभाऊ ॥पुडता॥	-	-	-	-
508. ठाकुर, श्री अश्वन सिंह ॥कांकेर॥	7	67	-	74
509. ठाकुर, श्री कर्पूरी	1	9	-	10
510. ठाकुर, श्री कृष्णराव ॥चिमूर॥	-	-	-	-
511. त्यागराजन, श्री पी. ॥गिाव गंगा॥	11	26	-	37
511क. थोमस, श्री स्कारिया ॥नोद्रायम॥	4	24	-	28
512. थोस्ट, श्री भाऊ साहेब ॥पंढरपुर॥	3	34	-	37
513. टिकरी, श्री पीयूष ॥अलीपुराबाद॥	19	193	-	212
514. तिवारी, श्री वृज भूषण ॥झीलाबाद॥	7	76	-	83
515. तिवारी, पंडित डी.एन. ॥गोपागंज॥	16	72	-	88
516. तिवारी, श्री मदन ॥राजनन्दगाँव॥	4	42	-	46
517. तिवारी, श्री रामानन्द ॥बक्सर॥	36	374	-	410

1	2	3	4	5
518. तोहड़ा, श्री जी.एस. ‡पटियाला‡	5	27	-	32
519. टोम्बा सिंह, श्री एन ‡भान्तरिक मणिपुर‡	3	37	-	40
520. त्रिपाठी, श्री माधव प्रसाद ‡इमरियाज‡	-	17	-	17
521. त्रिपाठी, श्री राम प्रकाश ‡कन्नौज‡	4	40	-	44
522. तुलसीराम, श्री वी. ‡पेददापल्लि‡	1	2	-	3
523. तुड़, श्री मोहन सिंह ‡तरनतार‡	0	3	-	3
524. त्यागी, श्री भोम प्रकाश ‡बहराइच‡	44	405	4	453
525. उग्र सेन, श्री ‡देवरिया‡	34	231	-	265
526. उन्नीकुण्णन, श्री के.पी. ‡वडागरा‡	5	11	-	16
527. वोला, श्री शंकर सिंह जी ‡कापड़गंज‡	50	255	-	305
528. वाजपेयी, श्री अटल बिहारी ‡नई दिल्ली‡	-	-	-	-
529. वकील, श्री अब्दुल महद ‡बाराबंला‡	7	37	-	44
530. वर्मा, श्री बृज लाल ‡महासमुन्द‡	-	-	-	-
531. वर्मा, श्री रवीन्द्र ‡रांची‡	-	-	-	-
532. वशिष्ठ, श्री धर्मवीर ‡फर्रुखाबाद‡	40	326	-	366

1	2	3	4	5
533. वीरभद्रप्पा, श्री जे.ए. ॥वेल्ल री॥	15	53	-	68
534. वैकटसुब्बया, श्री पी. ॥नन्दयाल॥	7	53	-	60
535. वैक्टारमन, श्री आर. ॥मद्रास दक्षिणा॥	2	8	-	10
536. वैक्टारेड्डडी, श्री पी. ॥अंगोल॥	-	7	-	7
537. वैक्टस्वामी, श्री जी. ॥आन्ध्र प्रदेशा॥	-	-	-	-
538. वेणुगोपाल, श्री सी. ॥वादिवाश॥	9	30	-	39
539. वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद ॥आरा॥	6	37	-	43
540. वर्मा, श्री फूल चन्द ॥राजापुर॥	10	104	-	114
541. वर्मा, श्री हरगोविन्द ॥सीतापुर॥	52	281	-	313
542. वर्मा, श्री आर.एल.पी. ॥कोडरमा॥	46	272	-	318
543. वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह ॥मेनपुरी॥	-	-	-	-
544. वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद ॥छतरा॥	29	332	-	361
545. विरक, सरदार रघुबीर सिंह ॥कुरुक्षेत्र॥	1	9	-	10
546. विश्वनाथन, श्री सी.एन. ॥तिरुपत्तूर॥	24	154	-	178

1	2	3	4	5	
547.	यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद {अरिया}	20	192	-	212
548.	यादव, श्री हृदयदेव नारायण यादव {मखनी}	5	216	-	221
549.	यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद {गोडा}	7	99	-	106
550.	यादव, श्री नरेश {चन्दौली}	-	6	-	6
551.	यादव, श्री राम नरेश {उ.प्र.}	-	-	-	-
552.	यादव, श्री रामजीलाल {अलवर}	-	5	-	5
553.	यादव, श्री रूपनाथ सिंह {प्रतापगढ़}	1	28	-	29
554.	यादव, श्री शरद {जबलपुर}	2	142	-	150
555.	यादव, श्री जिनायक प्रसाद {सहरसा}	11	81	-	92
556.	यादवेन्द्र दत्त, श्री {जैनपुर}	29	227	-	256
557.	पल्लैया, श्री नन्दी {सिद्धिदपेट}	-	-	-	-
558.	युवराज, श्री {कटिहार}	19	330	-	349
559.	जुल्लिफ़ार ललाह, श्री {मुल्तानपुर}	-	3	-	3

* अन्य सदस्यों के प्रश्नों पर संयोजित सदस्यों
के नाम शामिल हैं ।

विवरण-27

छठी लोक सभा के दौरान एक -दिन के पौरिक
उत्तर दिये गये प्रश्नों की न्यूनतम तथा अधिकतम
संख्या

न्यूनतम	अधिकतम
उत्तर दिये गये प्रश्नों की संख्या	3
दिनांक	11
28.6.1977	
19.7.1977	
26.7.1977	
22.12.1977	
4.8.1978	
23.11.1978	
	23.4.1979

अध्याय - ४

विधान

विधेयक किसी विधान संबंधी प्रस्ताव का स्मृति रूप में प्रस्तुत प्राप्त होता है जो संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये जाने और राष्ट्रपति अनुमति किये जाने पर अधिनियम बन जाता है।

विधान संबंधी कार्यवाही विधेयक के संसद की किसी भी सभा-लोक सभा या राज्य सभा में पुरःस्थापित किये जाने से आरम्भ होती है। विधेयक किसी मंत्री या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुरःस्थापित किया जा सकता है। मंत्री द्वारा पुरःस्थापित किये जाने पर विधेयक सरकारी विधेयक कहलाता है और गैरसरकारी सदस्य द्वारा पुरःस्थापित किये जाने पर गैर सरकारी सदस्य का विधेयक/धन विधेयक उदाहरण ऐसे विधेयक जिनमें केवल करारोपण और कर-उत्पादन की व्यवस्था हो, निचत निधि में से धन के अनियोग के लिए वित्तिक और संविधान के अनुच्छेद 110 के अण्ड 111 में उल्लिखित अन्य मामलों संबंधी विधेयक केवल लोकसभा में ही पुरःस्थापित किये जा सकते हैं।

विधेयक - एक सभा द्वारा पारित कर लिये जाने के पश्चात सहमति के लिये दूसरी सभा को भेज दिया जाता है। धन विधेयकों के बारे में, विधायिनि शक्ति केवल लोक सभा को ही प्राप्त है राज्य सभा उन्हें केवल संशोधनों की ही सिफारिश कर सकती है और उसे ऐसा विधेयक प्राप्त की तारीख से 14 दिन की अवधि में लोकसभा को वापस लौटाना होता है। धन विधेयक के बारे में राज्य सभा को किसी भी अथवा सभी सिफारिशों

को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का लोक सभा को अधिकार है। यदि राज्यसभा की सिफारिशों में से किसी को लोकसभा स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये तथा लोकसभा द्वारा स्वीकृत संशोधन सहित दोनों सभाओं द्वारा पारित समझा जाता है। परन्तु यदि राज्य सभा की सिफारिशों में से किसी को भी लोक सभा स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों में से किसी के बिना उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है, जिसमें कि वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया हो। यदि लोक सभा द्वारा पारित तथा राज्यसभा को ^{उसकी} सिफारिशों के लिये भेजा गया धन विधेयक उक्त 14 दिन की कालावधि के भीतर लोकसभा को लौटाया नहीं जाता तो उक्तकालावधि की समाप्ति पर वह दोनों सभाओं द्वारा उस रूप में पारित समझा जाता है जिसमें लोकसभा ने उसको पारित किया हो।

यदि कोई विधेयक, धन विधेयक के अतिरिक्त एक सभा द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् दूसरी सभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है अथवा विधेयक में किये जाने वाले संशोधनों पर दोनों सभाएं अन्तिम रूप से अग्रहणत रहती हैं अथवा विधेयक प्राप्त की तारीख से बिना इसको पारित किये दूसरी सभा को छ मास से अधिक कीत जाते हैं तो राष्ट्रपति गतिरोध दूर करने के लिए दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक बुला सकेगा। यदि दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में विधेयक ऐसे संशोधनों के साथ यदि कोई हों जिनको संयुक्त बैठक में स्वीकार कर लिया गया हो दोनों सभाओं के उपस्थित तथा मतदेने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है तो विधेयक दोनों सभाओं द्वारा पारित समझा जाता है।

जब विधेयक दोनों सभानों द्वारा पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिये भेजा जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाने पर ही विधेयक अधिनियम बनता है।

राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है अथवा अनुमति रोक सकता है। राष्ट्रपति विधेयक को §धन विधेयक के अतिरिक्त अपनी सिफारिशों के साथ सभा को पुनर्विचार के लौटा सकता है और यदि विधेयक सभाओं द्वारा संशोधन सहित अथवा उनके बिना पुनः पारित कर दिया जाता है तब राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति नहीं रोक सकता। तथापि संविधान संशोधन विधेयक के मामले में सभाओं के आवश्यक बहुमत से पारित हो जाने पर और जहाँ आवश्यक हो राज्य विधान मंडली द्वारा अनुमति का दिये जाने पर विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी ही होती है।

छठी लोक सभा द्वारा पारित विधेयक

छठी लोकसभा की कालावधि में प्रशासनिक वित्तीय आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में बहुत से विधायी प्रस्ताव अधिनियम बने। 130 विधेयक पारित हुए जिनमें 53 वित्तीय विषयों से संबंधित थे। दोवार संविधान में संशोधन किया गया। छठी लोक सभा के कार्यकाल में संविधान में संविधान §43 वीं संशोधन अधिनियम, 1977 तथा संविधान §44 वीं संशोधन अधिनियम, 1978 के द्वारा दो संशोधन किये गये।

प्रशासनिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अधिनियमों में स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और उत्तर §संशोधन अधिनियम, 1977, आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना §निरसन अधिनियम, 1978 और हरियाणा तथा

उत्तर प्रदेश सीमाओं का परिवर्तन अधिनियम, 1979 का उल्लेख किया जा सकता है।

समाज तथा कल्याण क्षेत्रों में जन प्रदूषण निवारण और नियुक्त उपकरण अधिनियम, 1977 जन प्रदूषण निवारण और नियुक्त उपकरण अधिनियम, 1978 बालक नियोजन संशोधन अधिनियम, 1977 श्रमजीवी पंजीकरण तथा अन्य समाचार पत्र कर्षणारी सेवा की शर्तों और प्रकीर्ण उपबन्ध संशोधन अधिनियम, 1979 अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार नियोजन का विनियान और सेवा की शर्तों अधिनियम, 1979 बाल विवाह संशोधन अधिनियम, 1978, बालक संशोधन अधिनियम, 1978 और स्त्री तथा लड़की अनैतिक पण्य रोक संशोधन अधिनियम, 1978 का उल्लेख किया जा सकता है।

न्यायिक, वैधिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश सीमा संशोधन अधिनियम, 1977 अधिवक्ता संशोधन अधिनियम, 1977 दंड प्रकीर्ण संहिता संशोधन अधिनियम, 1978 विशेष न्यायालय अधिनियम, 1979 संघीय कार्यवाहिका प्रकाशन का संरक्षण अधिनियम, 1977, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निवाचन संशोधन अधिनियम, 1977, संसद में विपक्षी नेता के मन और भेद अधिनियम, 1977 पत्रियों के वेतन तथा भत्ते संशोधन अधिनियम, 1977 और संसद सदस्यों के वेतन भत्ते तथा पेंशन संशोधन अधिनियम, 1979, उल्लेखनीय विधान है।

छठी लोक सभा द्वारा बनाये गये अन्य उल्लेखनीय विधान, उच्च मूल्य बैंक नोट कियुद्धीकरण अधिनियम, 1978, बैंक सेवा आयोग नियुक्ति अधिनियम, 1978 प्रार्थन चिट और मुद्रा परिचालन योजनाएं प्रतिबन्ध अधिनियम, 1978 लट रक्षक कोर्ट गार्ड अधिनियम, 1978 पारंपरिक संशोधन अधिनियम, 1978 आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन का निवारण निरसन अधिनियम, 1977 और कौयला पान राष्ट्रीय-

करण विधियाँ संशोधन अधिनियम, 1978, है।

विवरण संख्या 28 से 34 में पारित विधानों की संख्या
एकी लोक सभा द्वारा पारित विधेयक एकी लोक सभा के कार्यकाल
में संसद द्वारा बनाये गये कानून, संयुक्त/प्रवर समिति को सौंपे गये
विधेयक जनमत जानने के लिये परिचालित विधेयक, वित्तीय कामों
पर चर्चा अनुदानों की मांगों पर चर्चा और गतव्य तथा राष्ट्रपति
द्वारा प्रस्तापित अध्यादेश दर्शाये गये हैं।

विवरण-28
पारितोषिक विधान

वर्ष				बनाये गये कानूनों की संख्या
1935	14
1936	24
1937	29
1938	26
1939	42
1940	42
1941	27
1942	26
1943	30
1944	18
1945	11	11
1946	38
1947	58
1948	62
1949	77
1950	80
1951	72
1952	82
1953	58
1954	54
1955	60

1956	106
1957	68
1958	59
1959	63
1960	67
1961	63
1962	68
1963	58
1964	56
1965	51
1966	57
1967	38
1968	67
1969	58
1970	53
1971	87
1972	82
1973	70
1974	68
1975	57
1976	118
1977	48
1978	50
1979	32

विवरण-29

रुही लोक सभा द्वारा मार्च 1977 से जुलाई 1979 तक पारित विधेयकों के बारे में विशेषणालयक तालिका

सरकारी विधेयक

क्रम संख्या 2 के सामने कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े राज्य सभा द्वारा पारित और लोक सभा के पटल पर लिये गये विधेयकों की संख्या दर्शाते हैं।

सं.

118	128	138	148	158	168	178	188	198
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1. केंद्रों की संख्या जिनमें विधेयकों पर विचार किया गया

2. पुरःस्थापित किये गये विधेयकों संख्या

3. विधेयकों की संख्या जिनपर विचार किया गया

4. संयुक्त समिति को सौंपे गये विधेयकों की संख्या

6	15	16	20	26	15	27	2	--
20	18	23	33	18	9	39	1	--
118	138	148	128	148	128	128		
19	18	17	29	20	17	34	1	--
--	--	--	2	6	--	1	--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. प्रवर सभित्त को सँपे गये विधेयकों की संख्या	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6. वापस लिये गये विधेयकों की संख्या	--	--	--	1	--	--	--	--	--
7. अस्वीकृत विधेयकों की संख्या	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8. पारित विधेयकों की संख्या	19	17	17	24	13	17	29	--	--
9. विधेयकों से संख्या स्तम्भ पर चार्ज लिखाट स्थिति है	--	--	--	--	--	--	1	--	--
10. विधेयकों की संख्या स्तम्भ पर चार्ज लगाए नहीं हुई	--	--	--	--	--	--	1	1	--
11. सत्र की सभित्त पर सभित्त विधेयकों की संख्या	2	6	16	26	35	30	42	43	--
12. प्राप्ता हुई संशोधनों की संख्या	39	651	276	289	1328	254	721	282	--
13. पेश किये गये संशोधनों की संख्या	19	134	61	125	337	68	335	--	--
14. वापस लिये गये संशोधनों की संख्या	14	8	5	30	150	23	103	--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

15. अस्वीकृत संशोधनों की संख्या

3	43	5	66	26	16	80	---	---
---	----	---	----	----	----	----	-----	-----

16. अस्वीकृत संशोधनों की संख्या

2	83	51	25	161	29	152	---	---
---	----	----	----	-----	----	-----	-----	-----

9. ऐसे विधेयकों की संख्या जिन्हें बारे में परिचय लिख दिए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया है	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. मुक्त : लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयकों की संख्या जो राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटाये गये और राज्य सभा द्वारा विधेयकों पर लोक सभा ने सम्मति प्रकट की	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. पारित विधेयकों की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. ऐसे विधेयकों की संख्या जिनमें वादविवाद स्थगित हुआ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. ऐसे विधेयकों की संख्या जिनमें चर्चा पूरी नहीं हुई	-	1	1	1	1	1	1	1	1
14. सत्र के अन्त में लिखित विधेयकों की संख्या	-	45	83	131	164	196	233	233	233

विवरण संख्या 30

छठी लोक सभा के दौरान संसद द्वारा पारित अधिनियम

§विषय-वार§

§जिन अधिनियमों को तारांकित किया गया है उन्हें धन अथवा वित्तीय विधेयक माना गया था§

एक- प्रशासन

1. शत्रु सम्पत्ति §संशोधन§ अधिनियम, 1977
2. स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन §संशोधन§ अधिनियम, 1977
3. आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना §निरसन§ अधिनियम, 1978
4. दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978
5. हरियाणा और उत्तर प्रदेश §सीमा परिवर्तन§ अधिनियम, 1979

दो- कृषि

1. आधुनिक निगम §संशोधन§ अधिनियम, 1977
2. चीनी उपक्रम §प्रबंध ग्रहण§ अधिनियम, 1978
3. नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979
4. चीनी उपक्रम §प्रबंध ग्रहण§ अधिनियम, 1979

तीन- बैंकिंग, मुद्रा और बीमा

- * 1. उच्च मूल्य वर्गीय बैंक नोट §विमुद्रीकरण§ अधिनियम, 1978
2. ब्याज अधिनियम, 1978
3. §२§ बैंकिंग सेवा आयोग §निरसन§ अधिनियम, 1978
4. जमा बीमा निगम §संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध§ अधिनियम, 1978

-
- * §२§ लोक सभा ने 5.12.1977 को विधेयक पारित किया था। लोक सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक पर विचार का प्रस्ताव राज्य सभा ने 8.12.1977 को अस्वीकृत कर दिया था। उसके पश्चात् 16.5.1978 को संसद के सदनों की संयुक्त बैठक में यह पारित कर दिया गया।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक {संगठन} अधिनियम, 1978
6. इनामी चिट्ठे और मुद्रा प्रचलन स्कीम {प्रतिबंध} अधिनियम, 1978

चार-वाणिज्य और उद्योग

1. काल्टैक्स {काल्टैक्स आयल रिफाइनिंग {इण्डिया} लिमिटेड के शेयरों तथा भारत में काल्टैक्स {इण्डिया} लिमिटेड के उपक्रमों का अर्जन} अधिनियम, 1977
- * 2. इलायची {संशोधन} अधिनियम, 1977
3. चाय {संशोधन} अधिनियम, 1977
4. इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी {शेयरों का अर्जन} संशोधन अधिनियम, 1977
5. स्मिथ स्टेनस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड {उपक्रमों का अर्जन और अन्तरणा} अधिनियम, 1977
6. ग्लेशम एण्ड क्रेवेन भाफ इण्डिया {प्राइवेट} लिमिटेड {उपक्रमों का अर्जन और अन्तरणा} अधिनियम, 1977
7. कम्पनी {संशोधन} अधिनियम, 1977
8. हिन्दुस्तान ट्रेक्टर्स लिमिटेड उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरणा अधिनियम, 1978
9. सरकारी क्षेत्र की लोहा तथा इस्पात कम्पनी {पुनर्गठन तथा प्रकीर्ण उपबंध} अधिनियम, 1978
10. बिजली {पूर्ति} संशोधन अधिनियम, 1978
11. भारतीय विस्फोटक {संशोधन} अधिनियम, 1978
12. तम्बाकू बोर्ड {संशोधन} अधिनियम, 1978
13. ब्रिटानिया इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड {मोकामा एकक} एण्ड बार्थर बटलर एण्ड कम्पनी {मुजफ्फरपुर} लिमिटेड {उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरणा} अधिनियम, 1978
14. नोलानी मोर्स लिमिटेड {शेयरों का अर्जन और प्रकीर्ण उपबंध} अधिनियम, 1978

15. उद्योग {विकास आर विनियमन} संशोधन} अधिनियम, 1979
16. कोसन गैस कम्पनी {उपक्रम का अर्जन} अधिनियम, 1979
17. परेल इन्वेस्टमेन्ट एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड एण्ड डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड {प्रबंध ग्रहणा} अधिनियम, 1979

पाँच- संवैधानिक

1. सविधान {43वाँ संशोधन} अधिनियम, 1977
2. x सविधान {44वाँ संशोधन} अधिनियम, 1978

छः रक्षा

1. तटरक्षक अधिनियम, 1978

सात. विदेशा कार्य

1. पारपत्र {संशोधन} अधिनियम, 1978

-
1. विधेयक सविधान {44वाँ संशोधन} विधेयक, 1977 के रूप में लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया। लोक सभा ने छण्ड एक में एक संशोधन द्वारा विधेयक के संक्षिप्त नाम में परिवर्तन किया।
 - x विधेयक सविधान {45वाँ संशोधन} विधेयक, 1978 के रूप में लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया। लोक सभा ने छण्ड एक में एक संशोधन द्वारा विधेयक के संक्षिप्त नाम में परिवर्तन किया।

भाठ. राजवित्तीय और वित्त

- x 1. विनियोग {लेखा अनुदान} अधिनियम, 1977
- x 2. विनियोग अधिनियम, 1977
- x 3. विनियोग {रेलवे} अधिनियम, 1977
- x 4. विनियोग {रेलवे} अधिनियम, 1977
- x 5. तमिलनाडु विनियोग {लेखा अनुदान} अधिनियम, 1977
- x 6. तमिलनाडु विनियोग अधिनियम, 1977
- x 7. नागालैण्ड विनियोग {लेखा अनुदान} अधिनियम, 1977
- x 8. नागालैण्ड विनियोग अधिनियम, 1977
- x 9. पाण्डिचेरी विनियोग {लेखा अनुदान} अधिनियम, 1977
- x 10. पाण्डिचेरी विनियोग अधिनियम, 1977
- x 11. वित्त अधिनियम, 1977
- x 12. विनियोग {रेलवे} संख्या 2 अधिनियम, 1977
- x 13. विनियोग {संख्या 2} अधिनियम, 1977
- x 14. नागालैण्ड विनियोग {संख्या 2} अधिनियम, 1977
- x 15. विनियोग {संख्या 3} अधिनियम, 1977
- x 16. वित्त {संख्या 2} अधिनियम {+}

{+} राज्य सभा द्वारा 28.8.77 को जिन संशोधनों की सिफारिश की गई उन पर विचार करके लोक सभा ने ----- को उनको नामंजूर कर दिया । भारत के संविधान के अनुच्छेद 109 के खण्ड {4} के अधीन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित समझा गया ।

- x 17. विनियोग {संख्या 4} अधिनियम, 1977
- x 18. विनियोग {लेखा अनुदान} अधिनियम, 1978
- x 19. विनियोग {रेलवे} अधिनियम, 1978
- x 20. विनियोग {रेलवे} संख्या 2 अधिनियम, 1978
- x 21. विनियोग {रेलवे} संख्या 3 अधिनियम, 1978
- x 22. विनियोग अधिनियम, 1978
- x 23. विनियोग {संख्या 2} अधिनियम, 1978
- x 24. मिजोरम विनियोग {लेखा अनुदान} अधिनियम, 1978
- x 25. मिजोरम विनियोग अधिनियम, 1978
- x 26. विनियोग {संख्या 3} अधिनियम, 1978
- x 27. वित्त अधिनियम, 1978
- 28. सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड {संशोधन} अधिनियम, 1978
- x 29. सीमा-शुल्क टेरिफ {संशोधन} अधिनियम, 1978
- x 30. कराधान विधि {संशोधन} अधिनियम, 1978
- x 31. विनियोग {संख्या 4} अधिनियम, 1978
- x 32. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क {टैक्सटाइल्स और टैक्सटाइल वस्तुएं} अधिनियम, 1978
- x 33. विनियोग {रेलवे} संख्या 4 अधिनियम, 1978
- x 34. विनियोग {रेलवे} संख्या 5 अधिनियम, 1978
- x 35. विनियोग {संख्या 5} अधिनियम, 1978
- x 36. खोपरा उपकर अधिनियम, 1979
- x 37. विनियोग लेखानुदान} अधिनियम, 1979
- x 38. विनियोग अधिनियम, 1979
- x 39. विनियोग {संख्या 2} अधिनियम, 1979
- x 40. विनियोग {रेलवे} अधिनियम, 1979

41. विनियोग प्रलेख संख्या 2 अधिनियम, 1979
- x 42. पंजाब उत्पाद शुल्क (दिल्ली शोध) अधिनियम, 1979
- x 43. मिजोरम विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1979
- x 44. मिजोरम विनियोग अधिनियम, 1979
- x 45. पाण्डिचेरी विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1979
- x 46. पाण्डिचेरी विनियोग अधिनियम, 1979
- x 47. विनियोग संख्या 3 अधिनियम, 1979
- x 48. वित्त अधिनियम, 1979
- x 49. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माला शोध) अधिनियम, 1979
- x 50. घ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979
- x 51. गोवा, दमण और दीव विनियोग (द्वारा लेखानुदान) अधिनियम, 1979
52. उत्पाद शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979

नौ. समाध्य

1. योग उपक्रम 'प्रदूषण निवारण' अभिनियम, 1977
2. 'तेली तारिखी आरुर्विमान' पत्राधिकारक और अधिनात
'सर्जन' और 'प्रकीर्ण उपलक्ष' अभिनियम, 1977
- x 3. 'जुस' 'प्रदूषण निवारण तथा निराकरण' उपकर
अभिनियम, 1977
4. 'जुस' 'प्रदूषण निवारण तथा निराकरण' संशोधन
अभिनियम, 1978

दस. सूचना और प्रसारण

1. आपतित जनक सामग्री प्रकाशन निवारण निरसन
अभिनियम, 1977
2. 'प्रेस परिषद' अभिनियम, 1978

गारह. न्यायपालिका

1. उच्चतम न्यायालय 'न्यायपालिका संस्था' संशोधन
अभिनियम, 1977

बारह. श्रम

1. मजदूरी संदाय {संशोधन} अधिनियम, 1977
2. बोनस संदाय {संशोधन} अधिनियम, 1977
3. बालक नियोजन {संशोधन} अधिनियम, 1978
4. बोनस संदाय {संशोधन} अधिनियम, 1978
5. श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारी {सेवा की शर्तें} और प्रकीर्ण उपबंध {संशोधन} अधिनियम, 1979
6. अन्तराज्यिक अप्रवासी कर्मकार {नियोजन का विनियमन तथा सेवा की शर्तें} अधिनियम, 1979

तेरह. विधिक

1. अधिवक्ता {संशोधन} अधिनियम, 1977
2. दिवालियापन कानून {संशोधन} अधिनियम, 1978
3. निरसन और संशोधनकारी अधिनियम, 1978
4. दण्ड प्रक्रिया संहिता {संशोधन} अधिनियम, 1978
5. विशेष न्यायालय अधिनियम, 1979

चौदह. संसदीय

1. संसदीय कार्यवाही {प्रकाशन संरक्षण} अधिनियम, 1977
2. विवादग्रस्त निर्वाचन {प्रधान मंत्री तथा अध्यक्ष} अधिनियम, 1977
3. राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन {संशोधन} अधिनियम, 1977
4. संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977
5. मंत्रियों के सम्बलम और भत्ते {संशोधन} अधिनियम, 1977
6. संसद सदस्यों के सम्बलम और भत्ते तथा पेशान {संशोधन} अधिनियम 1979.

सन्द्भह • पेट्रोलियम, रसायन, ज्ञान और क्षातु

1. पेट्रोलियम पाइपलाइन भूडूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन संशोधन अधिनियम, 1977
2. तेल और प्राकृतिक गैस का उपयोग संशोधन अधिनियम, 1977
3. कीटनाशी संशोधन अधिनियम, 1977
4. पेट्रोलियम संशोधन अधिनियम, 1977
5. कोयला ज्ञान राष्ट्रीयकरण विधि संशोधन अधिनियम, 1978

सोलह • सामाजिक

1. बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1978
2. सार्वजनिक ताला संशोधन अधिनियम, 1978
3. बालक संशोधन अधिनियम, 1978
4. स्त्री तथा लड़की अनेतिक व्यापार दमन संशोधन अधिनियम, 1978

सत्रह • परिवहन सेवा संचालन

1. मोटर यान संशोधन अधिनियम, 1977¹
2. राष्ट्रीय राज सार्ा संशोधन अधिनियम, 1977
3. अन्तर्देशीय वा सप जलयान संशोधन अधिनियम, 1977
4. बेतवा नदी बोर्ड संशोधन अधिनियम, 1977
5. वाणिज्य पोत परिवहन संशोधन अधिनियम, 1978
6. पत्तन विधि संशोधन अधिनियम, 1978
7. मीट्रो रेलवे कारवाये का निपण्ण अधिनियम, 1977
8. मोटर यान संशोधन अधिनियम, 1978
9. वाणिज्य पोत परिवहन संशोधन अधिनियम, 1979

¹ विधेयक "मोटर यान द्वितीय संशोधन विधेयक, 1976" के रूप में राज्य-सभा में पुरःस्थापित किया गया । विधेयक के अण्ड एक में एक संशोधन करते राज्य सभा ने विधेयक के संचालन नाम में परिवर्तन किया ।

विवरण-31

संयुक्त संपत्ति/प्रवार संपत्ति को भेजे गए विधेयक

क्रमांक	विधेयक का नाम	प्रस्तुत होने की तारीख	संयुक्त संपत्ति को भेजने की तारीख	प्रवार संपत्ति को भेजने की तारीख	विवार करने की तारीख	प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख
		3	4	5	6	7
* 1	लोकपाल विधेयक, 1977 /बहुराज्यीय	28.7.77	1.8.77	-	17.5.79 9.7.79 10.7.79	20.7.7
* 2	सरकारी नौसाली विधेयक, 1977	8.12.77	15.5.78	-	-	-
* 3	मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1978	12.5.78	15.5.78	-	-	24.11.78
* 4	राष्ट्रीय और प्रादेशीय आयोजनाओं के विधेयक, 1978	12.4.78	17.7.78	-	9.5.78 10.5.78 12.5.78	-
* 5	वायु प्रदूषण और प्रदूषण नियंत्रण विधेयक, 1978	17.4.78	25.7.78	-	-	18.5.78

	2	3	4	5	6	7
* 6 अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदिश संशोधन विधेयक, 1973	12.5.78	14.8.78	--	--	2.8.78 14.2.78	--
* 7 औद्योगिक मंत्र विधेयक, 1978	30.8.78	31.3.78	--	--	--	--
* 8 अ पताल और शैक्षिक संघाएँ कर्मचारियों की सेवा की विधेयक, 1978	30.8.78	31.8.78	--	--	--	--
* 9 रोजगार सुरक्षा और प्रकीण उपसूच प्रबंधनय कर्वासी विधेयक, 1978	31.8.78	31.8.78	--	--	--	--
* 10 प्रसार भारती ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया विधेयक, 1979	16.5.79	1.5.79	--	--	--	--

* 22.8.79 को ठी लोक सेवा के भी हो जाने से विधेयक गत्य-
 ख. गैर सरकारी कर्मियों के विधेयक-गत्य-
 ठी लोक सेवा के भी हो जाने से विधेयक व्यपगत हुआ ।

विवरण-32

लोक मत जानने के लिए परिवारिता विधेयक

क्रमांक	विधेयक का नाम	विधेयक का प्रस्तावक	पुरःस्थापित करने वाले जाने की तारीख	विचार करने का तारीख तारीख	जि. तारीख की परिषद लिख करने से संबंधित अधीन स्वीकार किया गया	जित तारीख को सभा पटल पर रखे गए
---------	---------------	---------------------	-------------------------------------	---------------------------	--	--------------------------------

क. सरकारी विधेयक

-सूच्य-

सं. सं. सरकारी विधेयकों के विधेयक

1. संविधान संशोधन विधेयक, 1977 (अनुच्छेद 51 का संशोधन)	श्री हरि लक्ष्ण कापल	15.7.77	7.4.78 20.4.78 5.5.78	5.5.78	*20.12.78	
2. संविधान संशोधन विधेयक, 1977 (अनुच्छेद 23क, 23ख और 23 ग को अंतःस्थापित किया जाना)	श्री यमुना प्रसाद शास्त्री	2.10.77	5.5.78 21.7.78 4.8.78 17.3.79	17.7.78	-	

3. जनता न्यायिता विधेक , 1978	डा0 रामजी सिंह	20.4.78	24.11.78 8.12.78	8.12.78	-
4. सामाजिक आक्यता निवारण विधेक, 1977	डा0 कान्त कुमार पडित	15.7.77	23.2.79 9.3.79	9.3.79	-

* 30 नवम्बर, 1978 तक शा त्त यतौ ताना अतविज-एक तथा पटत पर शा यथा ।

४१४	४२४	४३४	४४४
-----	-----	-----	-----

खरेलेले

१९७७-७८	२८.३.१९७७	२९.३.१९७७	१. अनुदानों के लेखों की पूरक
१९७७-७८	११.६.१९७७	१३.६.१९७७	मार्गों पर प्राप्त चर्च
		१४.६.१९७७	और चर्च तथा मददान
		१५.६.१९७७	

१९७८-७९

२१.२.१९७८	६.३.१९७८
	८.३.१९७८
	९.३.१९७८
	१०.३.१९७८

१९७९-८०

२०.२.१९७९	५.३.१९७९
	६.३.१९७९
	७.३.१९७९
	८.३.१९७९

१९७८-७९ की अनुदानों के लेखों की १७.३.१९७८
मार्गों पर मददान २०.३.१९७८

१११

१३१

१२१

१४१

20.12.1976

१७१ १९७६-७७ के बजट अनुदानों की मांग

19.3.1979

2.3.1979

१८१ १९७८-७९ के बजट अनुदानों की पूरक मांग

19.3.1979

2.3.1979

१९१ १९७६-७७ के बजट अनुदानों के बारे में अधिष्ठाताओं की मांग

१५१

28.3.1977

१६१ १९७६-७७ के बजट अनुदानों की पूरक मांग

29.3.1977

अनुदानों के लेखों की पूरक मांगों पर चर्चा और मसौदा

8.3.1978

१७१ १९७७-७८ के बजट अनुदानों की पूरक मांग

20.3.1978

8.3.1978

१८१ १९७५-७६ के बजट अनुदानों की मांग

20.3.1978

30.11.1978

१९१ १९७६-७७ के बजट अनुदानों की मांग

20.12.1978

१११	१२१	१३१	१४१
-----	-----	-----	-----

१३०१ १९७६-७९ के बजट प्रलेखों
के अनुदानों की पूरक
मंजुरी ३०.११.१९७६ २०.१२.१९७६

१३०१ १९७६-७९ के बजट प्रलेखों
के अनुदानों की पूरक
मंजुरी ५.३.१९७९ १६.३.१९७९
१९.३.१९७९

१३०१ राष्ट्रपति-शासन के अधीन
राज्यों का बजट

प्रतिमितिनाइ

१३०१ १९७७-७८ का बजट प्रतिमितिनाइ २८.३.१९७७ ३०.३.१९७७

१३०१ १९७६-७७ के प्रतिमितिनाइ
राज्य के अनुदानों की
पूरक मंजुरी २८.३.१९७७ ३०.३.१९७७

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	संख्या
१११	नागालैंड	१२१	१३१
११२	नागालैंड	१२२	१३२
११३	१९७७-७८ का बजट	२८.३.१९७७	३०.३.१९७७
११४	१९७६-७७ के नागालैंड राज्य के अनुदानों की पूरक मांग	२८.३.१९७७	३०.३.१९७७
११५	१९७७-७८ के बजट	२८.३.१९७७	२२.७.१९७७
११६	नागालैंड के अनुदानों की मांग	पुहला पत्र	२५.७.१९७७
११७	संघ राज्य क्षेत्रों के बजट		
११८	पांडिचेरी		
११९	१९७७-७८ का बजट	२८.३.१९७७	३०.३.१९७७
१२०	१९७६-७७ के पांडिचेरी के अनुदानों की पूरक मांग	२८.३.१९७७	३०.३.१९७७
१२१	१९७९-८० का बजट	१२.३.१९७९	२१.३.१९७९
१२२	१९७८-७९ के पांडिचेरी के अनुदानों की पूरक मांग	१२.३.१९७९	२३.३.१९७९
१२३	१९७८-७९ के पांडिचेरी के अनुदानों की पूरक मांग	१२.३.१९७९	२३.३.१९७९

४१४	४२४	४३४	४४४
-----	-----	-----	-----

मिजोरम

एक १९७८-७९ का बजट	१०.३.१९७८	२१.३.१९७८
दो १९७७-७८ के बजट	१०.३.१९७८	२१.३.१९७८
के अनुदानों की पूरक राशि		२१.३.१९७८
तीन १९७९-८० का बजट	१२.३.१९७९	२१.३.१९७९
चार १९७८-७९ के बजट	१२.३.१९७९	२१.३.१९७९
के अनुदानों की पूरक राशि		

गोवा, दमण और दीव

१९७९-८० का बजट	१०.५.१९७९	१४.५.१९७९
और दीव		

अनुदानों को मांगों पर चर्चा और मसौदा

संलग्न विभाग का नाम	चर्चा को जारी करने का तिथि	चर्चा का समय	दिनांक
1. कृषि और सिंचन	30.6.1977		15-31
	1.7.1977		
	2.7.1977		
	4.7.1977		
	19.4.1978		
	20.4.1978		15-46
	24.4.1978		
	25.4.1978		
	6.4.1979		
	9.4.1979		
	11.4.1979		
	12.4.1979		12-24
	16.4.1979		

1	2	3	4
	14.7.1977	-	पिसोडिन क्रिप गरा
	26.4.1978	-	
	23.4.1979	-	
2. परमाणु उर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स आर अंतरिक्ष, विमान और प्रौद्योगिकी ।	25.6.1977	11-32	
	27.6.1977		
3. राष्ट्रीय. नगरिक, पूर्ति और परिवहन ।	5.4.1978	6-38	
	6.4.1978		
	19.4.1979	6-23	
	20.4.1979		
4. अंतर	14.7.1977	-	पिसोडिन क्रिप गरा
	26.4.1978	-	
	23.4.1979	-	
5. खात	4.7.1977	5-29	
	5.7.1977	5-1	
	27.3.1978		
	26.3.1979		
	27.3.1979	6-15	
	28.3.1979		

1	2	3	4
6. दिनांतर सप्त फलपत्र	5.7.1977 6.7.1977 10.4.1978 11.4.1978 12.4.1978	8-58 8-34	
7. उर्ध्व	23.4.1979 14.7.1977	- 4-54	गिरांटिन दिनांतर
8. विदेग	26.4.1978 16.4.1978 17.4.1978 29.6.1977 17.4.1978 18.4.1978 30.3.1979 2.4.1979	- 4-24 6-04 6-48 8-03	गिरांटिन दिनांतर

1	2	3	4
---	---	---	---

9. वित्त
 14.7.1977
 गिरीश्वर किराणा माला (हॉटेल)
 में तलब के बारे में अनुदानों
 को पार्लो के साथ खर्चा नहीं
 हो गई ।

10. खर्च के मासिक
 14.7.1977
 गिरीश्वर किराणा माला

7.4.1978	-
10.4.1978	6-04

11. गृह
 23.4.1979
 12.7.1977
 13.7.1977
 25.4.1978
 26.4.1978
 3.4.1979
 4.4.1979
 6.4.1979

-	-
9-46	-
8-43	-
10-30	-

गिरीश्वर किराणा माला

४११

४२१

४३१

४४१

१२. सूचना और प्रसारण

१४.७.१९७७	-	गिलोटिन खिया गया
३४.४.१९७८	५.२१	-
४.४.१९७८	-	गिलोटिन खिया गया
२३.४.१९७९	-	

१३. उद्योग

६.७.१९७७	१०.५६	
९.७.१९७७		
११.७.१९७७		
२८.३.१९७८	१०.०३	
२०.३.१९७८		

१४. श्र

१७.४.१९७९	९.०४	
१८.४.१९७९		
१९.४.१९७९		
११.७.१९७७	६.२४	
१२.७.१९७७		
८.४.१९७८	६.३४	
१४.४.१९७८		
१७.४.१९७८		

818	828	838	848
16. पैट्रोलियम, रासायन और उर्वरक	6.7.1977 7.7.1977 30.3.1978 20.4.1979 23.4.1979	6.56 5.29 6.31	- - -
17. योजना	14.7.1977 26.4.1978 28.3.1979 3.4.1979 14.7.1977	- - 5.02 -	गिलोटिन किया गया -सदेव- - गिलोटिन किया गया
18. नौवहन और परिवहन	31.3.1978 3.4.1978 23.4.1979 28.6.1977 26.5.1978 23.5.1979	5.29 -	- गिलोटिन किया गया
19. इलाक़ा और ज़ान	14.7.1977 26.4.1978 23.4.1979	- - -	गिलोटिन किया गया -सदेव- गिलोटिन किया गया
20. पर्यटन और नागर विमान	14.7.1977 26.4.1978 23.4.1979	- - -	गिलोटिन किया गया -सदेव- -सदेव-

21. निमणि, आवाज, पूर्ति और पुनर्वास	14.7.1977 4.4.1978 5.4.1976	-	गिलोटिन रिया गया
22. लोक उभा राज्य उभा, संसदीय कार्य विभागात् समरसिद्धि का सचिवालय	23.1.1979 14.7.1977 26.4.1978 23.4.1979	4.38 - - -	निमणि, आवाज मंत्रालय के साथ चर्चा की गई। गिलोटिन रिया गया

टिप्पणी: छठो लोक उभा के दौरान-

एक बजट प्रस्ताव; दो बजट प्रस्ताव, तीन अनुदानों प्रस्तावों की पूरा चर्चा बजट प्रस्तावों की पूरा चर्चा, विधानसभा, और एक विधेयकों की पूरा चर्चा की गई पर कुल 136 घंटे, 38 मिनट, राष्ट्रपति के सामने अधीन होने वाले राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों के बजटों पर 12 घंटे, 19 मिनट और विभिन्न मंत्रालयों के अनुदानों की मांगों का 225 घंटे 33 मिनट का समय लिया गया।

विवरण 34

राष्ट्रपति द्वारा प्रस्थापित अध्यादेश

1977

अध्यादेश का नाम	राजपत्र में प्रकाशन की तारीख	विधेयक के रूप में पुरःस्थापित किये जाने की तारीख	पारित किया गया तत्संबंधी अधिनियम
लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अध्यादेश, 1977 का संख्या 1	2.2.77	18.5.79	-
पेट्रोलियम पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन संशोधन अध्यादेश, 1977 का संख्या 2	3.2.77	4.4.77	1977 का अधिनियम सं० 13
राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निवचन संशोधन अध्यादेश 1977 का सं० 3	3.2.77	-	-
विवादग्रस्त निवचन प्रधानमंत्री और अध्यक्ष अध्यादेश, 1977 1977 का सं० 4	3.2.77	5.4.77	1977 का अधिनियम सं० 16
सर्व राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अध्यादेश 1977 1977 का सं० 5	7.2.77	5.4.77	-
दिल्ली प्रशासन संशोधन अध्यादेश 1977 1977 का संख्या 6	7.2.77	5.4.77	-
अतिरिक्त उपलब्धियाँ अतिवार्य निधेय संशोधन अध्यादेश, 1977 1977 का सं० 7	9.5.77	11.6.77	-
योग उपक्रम प्रबन्ध ग्रहण अध्यादेश, 1977 1977 का सं० 8	24.5.77	22.6.77	1977 का अधिनियम सं० 20 1977 का सं० 21

9. बोनस सँदाय संशोधन अध्यादेश 1977 1977 का सं० 09	3.9.77	21.11.77	1977 का अधिनियम सं० 43
10. बेवकारी सेवा आयोग निर्जन अध्यादेश, 1977 1977 का सं० 10	10.9.77	18.11.77	1978 का अधि- नियम सं० 20
11. शत्रु संपत्ति संशोधन अध्यादेश, 1977 1977 का सं० 11	23.9.77	18.11.77	1977 का अधि- नियम सं० 40
12. अस्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन संशोधन अध्यादेश, 1977 1977 का सं० 12	23.9.77	16.11.77 राज्य सभा में	1977 का अधि- नियम सं० 44
13. स्मिथ, स्टैंडस्टीट एंड कंपनी लि० उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अध्यादेश, 1977 1977 का सं० 13	30.9.77	21.11.77	1977 का अधिनियम सं० 41
14. ग्रेसम एण्ड गेवन आफ इंडिया प्राइवेट लि० उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अध्यादेश, 1977 1977 का सं० 14	30.9.77	21.11.77	1977 का अधि- नियम सं० 42
15. इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी शेयरों का अर्जन संशोधन अध्यादेश, 1977 1977 का सं० 15	13.10.77	23.11.77	1977 का अधि- नियम सं० 39
16. अधिवक्ता संशोधन अध्यादेश 1977 1977 का सं० 16	31.10.77	18.11.77	1977 का अधि- नियम सं० 38

1978

6 अध्यादेश का नाम	राजपत्र में प्रकाशन की तारीख	विधेयक के रूप में पुरःस्थापित किये जाने की तारीख	पारित किया गया तत्संबंधी अधिनियम
उच्च मूल्य बैंक नोट § विमूढीकरण § अध्यादेश, 1978 1978 का सं० 1	16.1.78	3.3.78	1978 का अधिनियम सं० 11
दिल्ली पुलिस अध्यादेश, 1978 1978 का सं० 2	1.7.78	3.8.78	1978 का अधिनियम सं० 34
बोनस संदाय § संशोधन § अध्यादेश, 1978 1978 का सं० 3	8.9.78	24.11.78	1978 का अधिनियम सं० 48
अतिरिक्त उत्पाद शुल्क § टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु § अध्यादेश, 1978 1978 का सं० 4	3.10.78	21.11.78	1978 का अधिनियम सं० 40
चीनी उपक्रम § प्रबन्ध ग्राहण § अध्यादेश, 1978 1978 का सं० 5	9.10.78	27.11.78	1978 का अधिनियम सं० 49
उद्योग § विकास और विनियमन § संशोधन अध्यादेश, 1978 1978 का सं० 6	30.12.78	-	-

1979

क्रमांक	अध्यादेश का नाम	राजपत्र में प्रकाशन की तारीख	विधेयक के रूप में पुरःस्थापित किये जाने की तारीख	पारित किया गया तत्संबंधी अधिनियम
1.	पंजाब उत्पाद शुल्क {दिल्ली संशोधन} अध्यादेश, 1979 का सं० 1	20.1.79	16.3.79	1979 का अधिनियम सं० 12
2.	चीनी उपक्रम {प्रबन्ध ग्रहण} संशोधन अध्यादेश 1979 का सं० 2	31.1.79	19.2.79	1979 का अधिनियम सं० 18
3.	श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्रकर्मचारी {सेवा की शर्तों} और प्रकीर्ण उपबंध {संशोधन} अध्यादेश 1979 का सं० 3	31.1.79	19.2.79	1979 का अधिनियम सं० 6
4.	भारतीय गिजर्व बैंक {सेवाओं का बनावे रखना} अध्यादेश 1979 का सं० 4	4.7.79	-	-
5.	अतिरिक्त उपलब्धियाँ {अनिवार्य निक्षेप} संशोधन अध्यादेश 1979 का सं० 5	4.7.79	-	-

टिप्पणी : छठी लोक सभा के भी हो जाने के पश्चात् राष्ट्रपति ने छः और अध्यादेश प्रख्यापित किये ।

अध्याय-7

प्रस्ताव, कल्प आदि ।

राष्ट्रपति का अभिभाषण और धन्यवाद प्रस्ताव

अनुच्छेद 87 § 1 § के अनुसार लोक-सभा के लिये प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधन करेगा तथा संसद को उसके आह्वान का कारण बतायेगा ।

लोक-सभा के लिये प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में, सदस्यों द्वारा शपथ ले लिये जाने तथा प्रतिज्ञान कर लिये जाने और लोक सभा के अध्यक्ष के निर्वाचित हो जाने के बाद ^{राष्ट्रपति} साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को संबोधन करता है । राष्ट्रपति/जब तक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को संबोधन न कर लिया हो और संसद को उसके आह्वान का कारण न बता दिया हो, तब तक और कोई कार्य नहीं किया जाता। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के मामले में दोनों सदनों के सत्र के आरंभ होने के लिये अधिसूचित समय पर और तारीख को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधन करते हैं । अभिभाषण की समाप्ति के आधे-घंटे के बाद, दोनों सदनों की अपने-अपने कक्षों में अलग-अलग बैठकें होती हैं और दोनों सभाओं के पटल पर राष्ट्रपति के अभिभाषण की एकप्रति रखी जाती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में निर्दिष्ट मामलों पर चर्चा किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा अन्य सदस्य द्वारा अनुमोदित धन्यवाद प्रस्ताव पर होती है । सुस्थापित प्रथा के अनुसार धन्यवाद-प्रस्ताव के प्रस्तावक और अनुमोदक का वचन प्रधान मंत्री द्वारा

किया जाता है ।

छठी लोक सभा की अवधि के दौरान, राष्ट्रपति ने साथ समेत दोनों पदनों को तीन बार अर्थात् पहले, चौथे और सातवें सत्र में संबोधित किया । इन अभिभाषणों में निर्दिष्ट मामलों पर, धन्यवाद प्रस्ताव/के प्रत्येक बार विस्तार से चर्चा की गई । इन चर्चाओं में कुल 45 घंटे और 40 मिनट का समय लगा ।

विवरण 35 में राष्ट्रपति के अभिभाषण की तारीखों और धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में लगे समय का व्यौरा दिया गया है ।

स्थगन प्रस्ताव

स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य सभा के सामान्य कार्य को रोक कर अविर्लबनीय लोक महत्व के मामले पर चर्चा करना है । किसी अविर्लबनीय लोक महत्व के सुस्पष्ट मामले पर चर्चा करने के प्रयोजन से सभा के कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की सम्मति और सभा की अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है । सामान्यतया सभा में ऐसा कोई कार्य, जो कार्य-सूची में सम्मिलित न हो, सभा में नहीं लिया जा सकता । स्थगन प्रस्ताव असाधारण प्रक्रिया है ।

अध्यक्ष स्थगन प्रस्ताव को पेश करने की सम्मति तभी देता है जब उसको यह विश्वास हो जाये कि प्रस्तावित मामला, सुस्पष्ट, अविर्लबनीय और लोक महत्व का है । अध्यक्ष प्रत्येक सूचना के गुण-दोषों के आधार पर लोक महत्व और अविर्लबनीयता के प्रश्न पर स्वविवेक से निर्णय करता है ।

सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव को पेश किये जाने की अनुमति दिये जाने और उस पर चर्चा के लिये समय निर्धारित किये जाने के बाद, अध्यक्ष निर्धारित समय पर, जो सामान्यतया 1600 बजे होता है, प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देता है । चर्चा के लिये टाई घंटे का समय नियत होता है जब तक कि

वाद-विवाद उसके पहले पूरा न हो जाये ।

जब "कि सभा अब स्थगित होती है" पर चर्चा की जा रही हो, अध्यक्ष को उस दिन के लिये सभा को स्थगित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है क्योंकि उस अवधि के दौरान सभा को स्थगित करने की शक्ति सभा के पास ही रहती है । सभा के स्थगित होने से पहले ही प्रस्ताव को निपटा देना होता है । यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये, तो सभा प्रस्ताव को स्वीकार करने के अनुसरण में अपने आप स्थगित हो जाती है । यदि प्रस्ताव का अस्वीकार कर दिया जाये तो थोड़ी देर के लिये उस कार्य को जो स्थगन प्रस्ताव के कारण स्थगित कर दिया गया था, अथवा कार्यसूची के अगले कार्य को ले लिया जाता है और तत्पश्चात् अध्यक्ष उस दिन के लिये सभा को स्थगित कर देता है । जब सभा की अनुमति से प्रस्ताव वापिस ले लिया जाता है तब सभा के अगले कार्य को फिर से शुरू किये बिना, यदि सामान्य रूप से सभा को स्थगित करने का समय हो गया हो, सभा को स्थगित किया जा सकता है ।

छठी लोक सभा की अवधि के दौरान 295 स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं । इनमें से 6 गृहीत हुये और उन पर चर्चा की गई जिसमें 20 घंटों का कुल समय लगा । इन स्थगन प्रस्तावों के माध्यम से जिन मामलों पर चर्चा की गई वे निम्नलिखित विषयों से संबंधित थे :

§1§ जम्मू तथा काश्मीर विधान सभा का भंग होना ।

§2§ उत्तर-प्रदेश और बिहार में हुये उप-चुनावों में जहाँ इन दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने चुनाव लड़ा, मतादाताओं को विशेषतः हरिजनों और समाज के अन्य कमजोर-वर्गों को अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के मामले में सरकार

रक्षण देने में

की असफलता और सत्ताधारी दल द्वारा चुनाव में बड़े पैमाने पर की गई हेराफेरी ।

§3§ लखनऊ में, 17 मार्च, 1978 को श्री रामगोपाल नायडू और संसद के कुछ अन्य सदस्यों सहित किसानों और उत्तर-प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर बर्बर और अवांछित लाठी चार्ज ।

§4§ 22 मार्च, 1979 को लोक सभा में श्री जयप्रकाश नारायण की मृत्यु के संबंध में दी गई गलत जानकारी ।

§5§ संशोधन-विधेयक के संबंध में विरोध-रैली में सम्मिलित होने के लिये 9 मई, 1979 को रेलगाड़ी से दिल्ली आ रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों पर सशस्त्र हमला ।

§6§ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों की समस्याओं और मांगों पर समय से और प्रभावशाली ढंग से विचार करने में असफलता ।

चर्चा के बाद, इनमें से एक प्रस्ताव उपर्युक्त सं0 1§ सभा की अनुमति से वापिस ले लिया गया और अन्य 5 प्रस्ताव सभा ने अस्वीकार कर दिये ।

शेष 289 स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिये अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी ।

विवरण 36 में छठी लोक सभा के विभिन्न सत्रों में प्राप्त हुये और सभा के समक्ष प्रस्तुत स्थगन प्रस्तावों की कुल संख्या उनकी प्रतिशतता और उन पर लिये गये समय का व्यौरा दिया गया है । विवरण 37 में सभा में मूहीत किये गये और जिन पर चर्चा की गयी उन स्थगन प्रस्तावों के विषय दिये गये हैं ।

विवरण 38 में उन स्थगन प्रस्तावों की संख्या दी गई है जिनका अध्यक्ष ने सभा में उल्लेख करके उन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

अविश्वास प्रस्ताव

छठी लोक सभा की अवधि के दौरान, तीन अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुये । इनमें से दो प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किये गये जिनमें से एक पर चर्चा की गई और उसे अस्वीकार कर दिया गया ; दूसरे पर, चर्चा पूरी नहीं हो सकी क्योंकि प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गई । तीसरा अविश्वास

प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत नहीं किया गया क्योंकि नये प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल ने भी सत्र के पहले दिन त्यागपत्र दे दिया था और तत्पश्चात् सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गई । विवरण 39 में इन अविश्वास प्रस्तावों का व्यौरा दिया गया है ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कोई सदस्य, अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा से अविलंबनीय लोक-महत्त्व के किसी विषय की ओर मंत्री का ध्यान दिलासकता है और मंत्री तत्काल एक संक्षिप्त वक्तव्य देगा या बाद के किसी अगली तिथि को वक्तव्य देने के लिये समय मागिगा । मंत्री द्वारा दिये गये किसी वक्तव्य पर वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी । परन्तु सूचना के प्रत्येक हस्ताक्षरकर्त्ता को एक स्पष्ट और संक्षिप्त स्पष्टीकरण संबंधी प्रश्न पूछ सकेगा । किसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अविलंबनीयता और लोक महत्त्व के आधार पर गृहीत किया जाता है । सभा की किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं लिये जा सकते । एक ही दिन के लिये एक से अधिक विषयों पर सूचनायें प्राप्त होने की स्थिति में सामान्यतया अध्यक्ष उस मामले को चुन लेता है जो उसकी राय में अधिक अविलंबनीय और महत्वपूर्ण हो ।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की अवधारणा भारत की अपनी है। आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की यह नयी धारणा है।

छठी लोक सभा के कार्यकाल के दौरान अविर्लंबनीय लोक महत्व के विषयों पर 12,049 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुईं। इनमें से विभिन्न विषयों पर 1481 सूचनाएँ गृहीत की गईं यह प्राप्त कुल सूचनाओं के 12.29 प्रतिशत के बराबर है। गृहीत सूचनाओं के उत्तर में संबंधित मंत्रियों ने सभा में 165 वक्तव्य दिये।

अल्पकालिक चर्चा

सदस्यों को अविर्लंबनीयता लोक महत्व के विषयों पर चर्चा करने का अवसर देने के उद्देश्य से लोक सभा में मार्च, 1953 से एक प्रथा शुरू की गयी जिसके अंतर्गत सदस्य बिना किसी विधिवत प्रस्ताव अथवा मतदान के थोड़े समय के लिये चर्चा उठा सकता है। बाद में यह प्रक्रिया सभा के प्रक्रिया संबंधी नियमों में अंतर्विष्ट कर दी गई।

इस प्रकार की चर्चा के बारे में सभा के मामने न तो कोई विधिवत प्रस्ताव होता है और न ही उस पर मतदान कराया जाता है। सूचना देने वाला सदस्य संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है और कोई अन्य सदस्य को, जिसने अध्यक्ष को पहले सूचना दे दी हो, चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। चर्चा उठाने वाले सदस्य को उत्तर देने का अधिकार नहीं है। चर्चा के अंत में संबंधित मंत्री संक्षिप्त उत्तर देता है।

छठी लोक सभा के कार्यकाल के दौरान सदस्यों ने 14 अल्पकालिक चर्चाएँ उठायीं। उठायी गयी महत्वपूर्ण चर्चाओं में से कुछ चर्चाएँ निम्नलिखित विषयों पर थीं, कई राज्यों में कानून तथा व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति, आरक्षित कोटे के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियोजन, देश के विभिन्न भागों में बाढ़ से प्रति वर्ष होने वाली तबाही, व्यक्तिनाम पर चीन का आक्रमण तथा एशिया में राष्ट्रों की स्वतंत्रता को उससे उत्पन्न खतरा, भारत में चुनावों के लिये अमरीका द्वारा विदेशी धन दिये जाने का समाचार तथा प्रधान-मंत्री और भूतपूर्व गृहमंत्री के परिवार के सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों को जांच के लिये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सौंपने का सरकार का निर्णय आदि।

प्रस्ताव

संविधान या लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमों में अन्यथा उपबंधित व्यवस्थाओं को छोड़कर अध्याय की सम्मति से किये गये प्रस्ताव के बिना सामान्य लोकहित के विषय पर कोई चर्चा नहीं हो सकती ।

यद्यपि कोई तरीका विशेष निर्धारित नहीं किया गया है, तथापि सामान्य लोकहित के विषयों पर चर्चा उठाने के लिये प्रस्तावों को दो स्मों में रखा जा सकता है । पहले तरीके के अंतर्गत, सभा पटल पर रखे गये दस्तावेज की ओर ध्यान देती है । दूसरे तरीके के अंतर्गत, सभा निर्दिष्ट विषय से संबद्ध स्थिति पर विचार करती है ।

पहला तरीका सामान्यतः ऐसे प्रस्ताव के बारे में अपनाया जाता है जिसमें सभा पटल पर रखे गये प्रतिवेदन अथवा वक्तव्य आदि पत्र चर्चा के लिये मांग की गयी हो । इस तरीके में किया गया प्रस्ताव अप्रतिबद्ध मूल प्रस्ताव होता है और चर्चा के अंत में सभा में मतदान कराने के लिये प्रस्तुत किया जाता है । इस प्रकार के प्रस्तावों पर लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमों के नियम 191 के अंतर्गत चर्चा की जाती है ।

प्रस्ताव का दूसरा तरीका सामान्यतः उस समय अपनाया जाता है, जब किसी नीति अथवा स्थिति अथवा वक्तव्य अथवा अन्य किसी विषय पर विचार किया जाता हो । इस प्रकार के प्रस्तावों पर लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमों के नियम 342 के अंतर्गत चर्चा की जाती है । इस प्रकार का प्रस्ताव सभा के मत के लिये नहीं रखा जाता और वाद-विवाद के समाप्त होने के बाद उस पर और कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता तथापि, यदि कोई उदरस्थ प्रारम्भिक प्रस्ताव के बदले में कोई मूल प्रस्ताव रखे तो उस पर सभा का मत प्राप्त किया जाता है ।

छठी लोक सभा के कार्यकाल के दौरान नियम 191 और 342 के अंतर्गत प्रस्तावों के माध्यम से उठाये गये महत्वपूर्ण विषयों में से निम्नलिखित विषय उल्लेखनीय है । कार्य के अडिक्कार को संविधान में सम्मिलित करना तथा सभी बेरोजगार, असमर्थ और वृद्ध व्यक्तियों को निर्वाह भत्ता देना, नेताजी सुभाषचन्द्रबोस के लापता हो जाने की जांच करने वाले आयोग [1974] का प्रतिवेदन, गृह मंत्री के व्यवहार की निन्दा, अतिरिक्त आपात-स्थिति के दौरान जन प्रचार माध्यम के दुरुपयोग के बारे में श्वेतपत्र, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पाण्डिचेरी में तूफान

और बाढ़ से हुई तबाही में उत्पन्न स्थिति, फरक्का में गंगा नदी के पानी के बंटवारे और उसके प्रवाह को बढ़ाने के बारे में भारत और बंगलादेश के बीच करार, विभिन्न राज्यों में हरिजनों पर अत्याचार, पंचवर्षीय योजना, 1978-83 का प्रारम्भ, दक्षिण भारत के राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भाषानीति के बारे में पारित प्रस्ताव, आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्ता से संबंधित कार्यदल की रिपोर्ट और ब्रिटेन में अश्वेत लोगों पर हमला ।

छठी लोक सभा के कार्यकाल के दौरान नियम, 193 के अंतर्गत की गयी चर्चाओं को विवरण 41 तथा नियम 191 और 342 के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों को विवरण 42 में प्रदर्शित गया है ।

आधे घंटे की चर्चा

कोई सदस्य पर्याप्त लोक हित के किसी भी ऐसे मामले पर आधे घंटे की चर्चा उठा सकता है जिस पर हाल ही में कोई तारांकित, अतारांकित अथवा अल्प सूचना/पूछा गया हो और उसके उत्तर से तथ्यों को स्पष्ट करने की आवश्यकता हो । चर्चा आधे घंटे तक सीमित रहती है और सभा की बैठक के अंतिम तीस मिनटों में होती है । बजट सत्र को छोड़कर अन्य सत्रों में आधे घंटे की चर्चा सप्ताह में दो-तीन दिन होती है । सामान्यतः किसी एक दिन आधे घंटे की केवल एक चर्चा की जाती है, किन्तु सत्र के अंतिम कुछ दिनों में, इस प्रकार की एकाधिक चर्चा की अनुमति दी जा सकती है । आधे घंटे की चर्चा पर मतदान नहीं कराया जाता, क्योंकि सभा के सामने विधिवत कोई प्रस्ताव नहीं होता ।

छठी लोक सभा के कार्यकाल के दौरान उठायी गई आधे घंटे की चर्चाओं को विवरण 43 में दर्शाया गया है ।

संकल्प

प्रक्रिया संबंधी नियमों के अधीन, कोई सदस्य या मंत्री सामान्य लोकहित के विषय के संबंध में संकल्प प्रस्तुत कर सकता है । संकल्पों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है :-

१ एक १ वे संकल्प, जिन पर सभा में केवल विचार व्यक्त किये जाते हैं ;

॥दो॥ साविकृत प्रभाव वाले संकल्प
॥तीन॥ वे संकल्प जिन्हें सभा स्वयं अपनी कार्यवाही के विनियमन
के बारे में पारित करती है ।

संकल्पों को इस स्तर में भी श्रेणीकृत किया जा सकता है :-

॥एक॥ गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प
॥दो॥ सरकारी संकल्प
॥तीन॥ साविकृत संकल्प

संकल्प राय की घोषणा अथवा सिफारिश के स्तर में हो सकता है या ऐसे स्तर में हो सकता है जिससे कि सरकार के किसी काम अथवा नीति का सभा द्वारा अनुमोदन या अननुमोदन अभिलिखित किया जाये या कोई संदेश दिया जाये; या किसी कार्यवाही के लिये संस्वादन, अनुरोध या प्रार्थना की जाये; या किसी विषय अथवा स्थिति पर सरकार द्वारा पुनर्विचार के लिये ध्यान आकर्षित किया जाये या किसी ऐसे अन्य स्तर में जो अध्ययन उचित लगे ।

संकल्प का उद्देश्य समूची सभा की राय की जानकारी देना होना चाहिये, न कि उसके एक वर्ग की । इसके अतिरिक्त संकल्प का विषय किसी सामान्य लोकहित में संबद्ध होना चाहिये और केवल उन्हीं मामलों के बारे में संकल्प लाया जा सकता है जो बुनियादी तौर पर भारत सरकार में संबद्ध हैं ।

सत्र के प्रत्येक वैकल्पिक शुकवार को बैठक के अंतिम टाइम का सम्यकसामान्यतः गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा के लिये नियत किया जाता है ।

सरकारी संकल्प उन्हीं नियमों के अधीन होते हैं जिन नियमों के अधीन गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प होते हैं । मोटे तौर पर सरकारी संकल्पों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :-

॥एक॥ अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समारोहों या वरारों का, जिनमें एक पक्ष सरकार है, अनुमोदन करने वाले संकल्प
॥दो॥ सरकार की कतिपय नीतियों की घोषणा या उनका अनुमोदन करने वाले संकल्प ; तथा
॥तीन॥ कतिपय नीतियों की सिफारिशों का अनुमोदन करने वाले संकल्प ।

सांविधिक संकल्प वे संकल्प हैं, जो संविधान अथवा संसद के अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में प्रस्तुत किये जाते हैं। इस प्रकार के संकल्प सरकार तथा गैर सरकारी सदस्य दोनों के द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते हैं। कुछ अधिनियमों के मामले में सरकार ने स्पष्ट रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि वह एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर संकल्प प्रस्तुत करे।

छठी लोक सभा के कार्यकाल के दौरान कुल गिलाकर 39 संकल्पों पर चर्चा की गयी, जबकि पांचवीं लोक सभा में 140, चौथी लोक सभा में 79, तीसरी लोक सभा में 84, दूसरी लोक सभा में 83, और पहली लोक सभा में 67 संकल्पों पर चर्चा की गयी। छठी लोक सभा में जिन 39 संकल्पों पर चर्चा की गयी, उनमें से 6 सरकारी संकल्प थे और सभी स्वीकार कर लिये गये; 9 सांविधिक संकल्प थे जिनमें से 7 स्वीकार कर लिये गये; और 18 गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प थे जिनमें से 4 स्वीकार कर लिये गये, तथा 3 संकल्पों का प्रस्ताव अध्यक्ष ने किया। अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प जिन विषय पर थे, वे हैं :-

तूफानों से हुई जनहानि, एक विमान दुर्घटना में प्रधानमंत्री का दैव संयोग से बचना। गैर सरकारी सदस्यों के स्वीकार किये गये संकल्प इन विषयों से संबंधित थे -

भूतपूर्व प्रधानमंत्री द्वारा लोकातिक मानदंडों का समाप्त किया जाना; अर्थव्यवस्था में सुधार तथा आय आदि में असमानताओं को कम करना और बीजर तथा परती भूमि को भूमिहीन लोगों में बांटने के लिये खेतीयोग्य बनाना तथा गोवध पर प्रतिबंध।

छठी लोक सभा के कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत किये गये सरकारी गैर-सरकारी सदस्यों के तथा सांविधिक संकल्पों और अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित संकल्पों को वितरण 44 में दिया गया है।

छठी लोक सभा के कार्यकाल के दौरान नियम 377 के अधीन उठाये गये मामलों को वितरण 45 में दर्शाया गया है।

व्यवस्था का प्रश्न

कोई भी सदस्य सभा के नियम अथवा कानून के भंग किये जाने के किसी भी मामले की ओर अध्यक्ष का ध्यान तुरंत आकर्षित कर सकता। इसीलिये व्यवस्था का प्रश्न सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों अथवा परंपराओं अथवा सभा के कार्य-संचालन को विनियमित करने वाले संविधान

छठी लोक सभा का कार्यकाल केवल 2 वर्ष 4 महीने और 48 दिन रहा।

के अनुच्छेदों की व्याख्या अथवा उन्हें लागू किये जाने से संबद्ध होना चाहिये और अध्यक्ष के विचारसिद्धि में होने चाहिये। यह प्रश्न किसी ऐसे कार्य को लेकर उठाया जा सकता है जो उस समय सभा के सामने हो। व्यवस्था का प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है और कोई भी सदस्य जानकारी मांगने के लिये या अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकता। सूचनाओं की ग्राह्यता के बारे में अध्यक्ष के निर्णय के विरुद्ध व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

छठी लोक सभा के कार्यकाल के दौरान व्यवस्था के 624 प्रश्न उठाये गये और उन पर 43 घंटे तथा 38 मिनट का समय लगा। इनमें से अध्यक्ष ने व्यवस्था के केवल 118 प्रश्न स्वीकार किये। उठाये गये व्यवस्था के प्रश्नों का विस्तृत व्यौरा विवरण 46 में दर्शाया गया है।

हो लोक सभा के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण की तारीखें तथा धनवाद प्रस्ताव पर वार्डा के लिए लिखित प्रश्न ।

क्र	सभापति के अभिभाषण की तारीख	धनवाद प्रस्ताव पर वार्डा की तारीख	लिखित प्रश्न संख्या
1	2	3	4
+ पहला	28.3.1977	31.3.1977	30 मि० 16 18

दोथा	20.2.1978	24.2.1978	15 39
		27.2.1978	
		1.3.1978	
		2.3.1978	
		3.3.1978	
		6.3.1978	
	19.2.1979	2.2.1979	1. 51
		23.2.1979	

* राष्ट्रपति के नाम में गार्ड कर रहे उप-राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण ।

1
2
3
4

19.2.1979

21.2.1979
22.2.1979
23.2.1979
26.2.1979
27.2.1979
28.2.1979

13-51

विवरण -36

छठी लोक सभा में स्थान प्रस्ताव

प्राप्त हुई, सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई और गृहीत

की गई सूचनाओं की संख्या और उन पर लगा कुल समय

प्राप्त सूचनाओं को सभा के समक्ष प्रस्तुत की गृहीत की गई सूचनाओं लिया गया कुल समय

कुल संख्या

गई सूचनाएं

संख्या कुल का प्रतिशत

वर्ष और सत्र	कुल संख्या	संख्या	गई सूचनाएं	कुल का प्रतिशत	गृहीत की गई सूचनाओं	लिया गया कुल समय
1977						80 मि०
पहला	3	1	33.33	1		2.47
दूसरा	6	-	-	-		-
तीसरा	43	2	4.65	1		4.35
1978						
चौथा	60	6	10.00	1		5.00
पांचवा	56	8	14.28	-		1.08
छठा	41	-	-	-		-
1979						
सातवा	52	7	13.46	2		7.47
आठवा	19	1	19.26	1		3.49
नौवा	15	-	-	-		-
कुल	295	25	2.47	6		25.96

* जिन 6 स्थान प्रस्तावों को गृहीत किया गया और सभा में चर्चा की गई, उनपर कुल 20 घंटे 57 मिनट समय लगा ।

विवरण 37

स्थान प्रस्ताव, जिन्हें गृहीत किया गया और जिन पर चर्चा की गई
 क्रमिक चर्चा की तारीख सदस्य का नाम स्थान-प्रस्ताव स्थान प्रस्ताव स्थान प्रस्ताव लिये गये
 की विषयवस्तु पृ. बोलने वाले अस्वीकृत किये समय
 सदस्यों का नाम गये या वापस लिये गये

1	2	3	4	5	6	7
10	29.3.77	डा० कर्ण सिंह	जम्मू काश्मीर विधानसभा का विघटन	श्री मधु लिंगो राभा की श्री सी०एम० स्टोफन अनुमति श्री के०एस० हेगड़े से वापस लिया गया		80 मि० 2-47
				श्री अकल अहद		
				श्री ज्योतिर्म बाबु		
				श्री मुहम्मद शफी कुरेशी		
				श्री अटल विहारी बाजपेयी		
				श्री कर्ण साठे		
				श्री राममदन मिश्र		
				श्रीमती अम्बरजहा बेगम		
				श्री चरण सिंह		

1.	2	3	4	5	6	7	
20	23.12.77	श्री बंगाल राज्य विहार में हुए उप दानों में जहाँ से अबन्धित राज्यों के दोनों मुख्य मंत्रियों ने लड़ा था, सरला देवी द्वारा मंत्रियों विशेषज्ञों के रिजनों तथा समाज के द्वारा निर्मित वर्गों को एक प्रजाधिकार का स्वतंत्र रूप देना करने के लिए सरकार प्रदान करने में सरकार की अफ़लाक़ी और मानों के लड़े पमाने पर ग़ुब्बड़ घोटाला।					
				श्री रामचन्द्रनिग्र श्री सी०एस०जीक श्री सी०एम०एच० श्री गौरी शंकर राय श्री के०ए०राजन श्री बंन शंके श्री शंकर लाल गुप्त श्री० लाल गुह श्री सी०एच० श्री			अस्वीकृत किता ग T 3.56

1	2	3	4	5	6	7
3-22-378	श्री वर्तन लाले लक्ष्मण में 17 मार्च, 1978	श्री श्री गो० राजगोपाल ना.इ.ओर कृ० अन्ना लाले के सदस्यों पर उत्तर प्रदेश के क्लिप्तानों ओर नष्टि का 'इत्ताओ' सहित लक्ष्मण और अर्वादि लाले प्रहार ।		1. श्री गौरी शंकर रा		कमि०
				2. श्री लाल रा	अखीकृत	3-0
				3. डा० मुरली मोहन	कि०	
				4. श्री ए० ए० ए० गोविंदन	ग०	
				5. श्री कपूर पुजारी		
				6. श्री बाबू प्रसाद		
				7. श्रीजी		
				8. डा० वी० ए०		
				9. श्री के नागेश्वर		
				10. श्री मो० राजगोपाल ना.इ.		
				11. श्री ए० ए० सिंह		
				12. श्री अशोक कृष्ण दत्त	अखीकृत	2-35
				13. श्री ए० ए० ए० टोम	कि०	
				14. श्री ए० ए० ए० ए०	ग०	
				15. श्री ए० ए० ए० ए०		
				16. श्री ए० ए० ए० ए०		
				17. श्री ए० ए० ए० ए०		
4 26-3-79	श्री के० प्रधानमंत्री द्वारा 22 मार्च, 1979	लाक्ष्मण की रोकथाम में श्री ज प्रकाश ना.इ.ओर श्री मू. के लारे में शत जानकारी दित जाना और शीक प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना तथा उसके बाद आकाशणी द्वारा श्री ज प्रकाश ना.इ.ओर श्री मू. के लारे में शत जानकारी दित जाना और शीक प्रस्ताव पर विचार के लिए के लारे में नियम 61 के अन्तर्गत क्लिप्तानों के लिए दंग किया गया प्रस्ताव 21-3-78 को स्वीकार किया गया ।				

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

नारायण के स्वारस्य में
सुधार संबंधी समाचार
प्रसारित किया जाना।

88] श्री ए० आला पजनोर ४० मि०

89] श्री १० राम गृह

90] श्री सी० के० चंद्रपन

91] श्री अमन राय

92] श्री गौराजी नाई

93] श्री विमन नाई

94] श्री ए० गुला

95] श्री पी० एम० नाईट

96] श्री विज कुमार

मन्हीत्रा

97] श्री अमन राय

98] श्री १० राम गृह

99] श्री अमन राय जाल

100] श्री नाई० ली० चव्हाण

101] श्री राम ली लाल सुन

102] श्री श्री अहिल्या यो

रागिकर

5.10.579 श्री जी० अश्विन विधायक के संबंध
में विरोध रेली में भाग
बनवाला होने के लिए रेलगाड़ी में
दिल्ली आ रहे असीम
सुरिम इनिवर्सिटी के
छात्रों पर 9 मई, 1970
को निर्दिष्ट, जोरदार
तेज निरोधित तथा
हमका, आन्दोलनों का
कुहर प्रयोग और
परिणामस्वरूप छात्रों का
घात होना, जिनमें से कुछ
अभी तक लापता हैं, तथा
छात्रों को संरक्षण प्रदान करने तथा
विरोध प्रकट करने के उनके

4.50

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

संवैधानिक अधिकार को रखा करने। 11। श्री राजनारायण
 वें सरदार की अफसाना और मुक्ति। 12। श्री मुहम्मद शकी
 अल्य अख्तियार समुदाय में प्राप्त आंकड़े

- 13। डा० मुन्शी मनोहर
 लोधी
- 14। डा० वा० ए० लाल
 महपात्र
- 15। श्री लखनसाल
 राय
- 16। श्री ए० ए० एम०
 वक्र

6 9.7.79 श्री जयर देवी : रिजर्व पुलिस बल और
 मुखर्जी के बीच औद्योगिक सुरक्षा के
 अधिकारों को समझाने और
 म.गों पर जमने और प्रभाव-
 शाली तग से काटिवाही करने में
 अनुमति

- 17। श्री राजन रा-
 अल्वीकृत
 किशोर
- 18। श्री ए० ए० एम० लोफन
- 19। डा० लुइस एम स्वामी
- 20। श्री गानेश शंकर राव
- 21। श्री ए० एन० गोविंदन नार
- 22। श्री प्रदीप कृष्ण टल्ल
- 23। श्री रामेन
- 24। श्री राज नारायण
- 25। श्री ए० जाला पजनोर

सदन के समक्ष लाए गए अध्यान प्रस्ताव परन्तु जिनकी स्वीकृति नहीं दी गई।

क्रम	विषय	सदन का नाम	सदन के समक्ष लाई जाने की तारीख	अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति के लिए लाई जाने का आधार
1	2	3	4	5

1. गांधी स्मृति के एक गार्ड और दामोदरजी (श्री बलराम साठे) की स्मृति के एक गार्ड पर राजस्थान स्वयंसेवा समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित हमला (31/10/77) की रिपोर्ट पर 14.11.77 का अध्यान प्रस्ताव का विषय बनने के कारण। इस विषय पर ध्यानार्थीका प्रस्ताव 17.11.77 के लिए स्वीकार किया गया था।

2. 149 विधानसभा का प्रस्ताव श्री बलराम साठे की रिपोर्ट पर 6.3.78 उपस्थिति के बावजूद महाराष्ट्र में राष्ट्रीय गणजोड़ के संयोजन गुप्त से नेता की सरकार बनाने के निर्माण में विवेक।

3. प्रधानमंत्री द्वारा इस आशय का विचार प्रस्ताव किया गया कि इस विचार के लिए प्रतिक्रिया दी जाये कि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं है।

ऐसे नहीं कि प्रस्ताव विचार-प्रतिक्रिया के लिए प्रतिक्रिया दी जाये कि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं है।

2

3

4

5

4. विदेश मंत्री का आचरण जिसमें उन्होंने दो सर्किलों पर पाखी में हाल की गई उस ओफिस में गोपनीयता को सम्यक अल्लेस किया, उहाँ उन्होंने यह आरोप लगाया था कि श्री भुट्टो और भुवपूर्व प्रधानमंत्री के बीच गुप्त सम्बन्धिता था और उन्होंने 18 अप्रैल, 1978 को संदेश में यह दावा किया था कि उनकी मुमना का आधार वह सरकारी दस्तावेज था जो उन्होंने मंत्री को हेतिसूत्र से देखा था ।

श्री गोरेणो
-ओफिस

अक्सिडन्टली तोफ महत्व का विषय नहीं माना जा सकता और इसके लिए तथा स्थिति नहीं को जा सकती ।

इस विषय पर अमानाकारी प्रस्ताव 10.3.78 के लिए गृहीत किया गया ।

20.4.78 सह मासिक उत्तमा

अक्सिडन्टली नहीं कि जिसके लिए स्टन को आविवाही में व्यवधान किया जाए ।

1 2 3 4 5

5. कि सरकार और विमल के नेताओं के

बीच हुए इस सम्झौते के उल्लंघन

में कि अपने दल छोड़ने वाले किसे

राजिनामों को पद त्याग करना होगा

और इसके लिए सुरक्षा विधान बनाया

जाएगा, अपने दल छोड़ने पर श्री राव

स्वामी श्री गहाराय के मुख्यमंत्री का

पद संभालने के लिए आर्जी कत किना

गया है, जिसे कलकत्ता भारत

सरकार ने --

[क] विमल के साथ किमत भी किया है ;

[ख] राज के राज के लिए निर्धारित दल-

बल विधेयक को निरर्थक कर दिया है ;

[ग] दल-बल के द्वारा ही प्रोत्साहित और मवित्र

किया है जिसे कलकत्ता प्रजासत्ताक की

18.7.78

श्री सी०एन०स्टोफन

श्री के०डी० सरकार
श्री होई जिम्मेवारी
नहीं है ।

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

5. कि सरकार और विपक्ष के नेताओं के बीच हुए इस सम्झौते के उल्लंघन

के लिए अपने दल छोड़ने वाले किसी व्यक्ति को पद त्याग करना होगा

और इसके लिए सुरक्षा विधान बनाया जाएगा, अपने दल छोड़ने पर श्री राव खवार श्री गहाराय्य के मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए आर्गुमंत किया गया है, जिसने कलकत्ता भारत सरकार ने --

[क] विपक्ष के साथ मित्रताएं भी किया है ;

[ख] संसद के गलत राय के लिए निर्धारित दल-बदल विधेयक को निरर्थक कर दिया है ;

[ग] दल-बदल के कानून को प्रोत्साहित और मंचित किया है जिसके कारण प्रजासत्ताक को

श्री लोएणगस्टीफन 18.7.78

श्री जे.डी.एस. सरकार
श्री जी.ई. जिम्मेवारी
नहीं है ।

1 2

3

4

5

असमाल में भी हथड़ी लगाई गई और उनके कौटिल्यों में लकीर लगाई गई। यह मुस्लिम द्वारा ऐसा दर्ज़ करवा है जो अभी नहीं हुआ था। हे और इस मामले पर सुरक्षित रखा जाए जो आवश्यकता है।

कारण - वीक्यू नहों
दी गई।

7. हाल के विधान सभा चुनावों में पाटनों में विधि के लिए धा कानून देगाई द्वारा श्री 010 वन्दुप्यन 80 लाख के बड़े इच्छा करने के बारे में श्री एडवोकेटों की शोरी गांधार, जिला श्री मधु सिमरी ने श्री लोचन राव प्रधानमंत्री की जिम्मेदार में उर लेख श्री वल्लभ सिंह प्रिया हे और सिवकी जनता पार्टी के श्री बालार रवि लोचन सिंह श्री लोचनोगुप्ता ने इसकी मुद्रा की है।

स्थान प्रभाव का
माफ़ता न होने के कारण।

मूलमान अत्याधिकों के बीच
 बना रही अरुणा को भावना
 तथा चिन्ता और संभार
 को निश्चिन्ता तथा उदात्तता ।
 11. बीरग विमानों के डाई-निष्पादन
 पर लोक उपलब्ध सर्जित हो रहे
 आलोचना के बावजूद इंडियन एयर
 लाईन्स कारपोरेशन ने विमान को
 सफाई के लिए जॉइंग विमानों के साथ

14.5.79

श्री ज्योतिर्मा बन्गु

दुर्कि : ह याफ़ा लदन
 के निर्धारित कार्यक्रम को
 स्थगित करने का नहीं है ।

12. पंजाब में 112 जिलों में 10 जिलों
 में वृद्ध किसानों पर हुए पुलिस
 विद्रोह को दबाने के लिए अभूतपूर्व
 दमन और भारत सरकार का वह
 निर्णय जितने जल्द से राज् सरकारों
 को परामर्श दिया है कि इन मामलों
 में एहीमेसता उपाय किए जाए ।

14.5.79

श्री ज्योतिर्मा बन्गु

राज्य का विवरण
 होने के कारण स्वीकृत
 नहीं दी गई ।

विवरण - 2392

हठी लोक सभा के दौरान नियम 198 के अधीन चित्रपिखट
में अतिरिक्त प्रस्ताव ।

क्र. सं. प्रभासी संख्या	विषय	वर्ष की शरती	टिप्पणी
111	121	141	151
1. श्री सी०एन० लोफन	चित्रपिखट में	10.5.78	अस्वीकृत हुआ ।
2. श्री वार्ड० लो वर्षाण	अतिरिक्त का अभाव चित्रपिखट में अतिरिक्त का अभाव	11.5.78 11.7.79 12.7.79	16.7.79 को अतिरिक्त में चित्रपिखट में प्रस्ताव को एक-एक प्रतिचित्रपि सभा-सदस्य पर रखा :- 111 प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दिनांक 15.7.79 का लिखा पत्र पत्र लिखते उन्होंने अपना तथा अपने अतिरिक्त का त्याग करने का प्रस्ताव ; 121 प्रधानमंत्री तथा उनके सहायोगियों का चित्रपिखट में त्याग करने का लिए जाने और नई

सरकार अपने नक अपने पट पर लेने रहने का अनुरोध किए जाने लंकी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को लिखा गया दिनांक 15-7-79 का पत्र। इसके पश्चात् सदनकी कार्यवाही निर्दिष्टकाल के लिए स्थगित कर दी गई। तदन्तर, 3.8.79 को सदन का सत्रारम्भ हो गया।

प्रभाव पर चर्चा समाप्त नहीं हुई। सदन के सत्र प्रसूत नहीं किया गया क्योंकि प्रधान 'गे और उनके परिष्क ने अपना त्यागपत्र दे दिया था और 20.8.79 को सदन को का साही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी जिस का पहला दिनांक

3. श्री क्वीर ताल गुप्त कि यह सदन मीथ-
परिषद में अपना
अविश्वास प्रकट
करना है।

विषय -40

छठी लोक सभा के दौरान मिनट 197 के अधीन अतिरिक्त लोक सभा के सदस्यों को और मंत्रियों के अतिरिक्त की सूचनाएं

सदस्य	सूचनाओं को संख्या	सूचनाओं को संख्या	काल 3 का मिनटों द्वारा	काल 5 का मिनटों द्वारा	काल 3 से मिनटों द्वारा	काल 5 से मिनटों द्वारा
112	131	4	57.14	1.02		
गहल	144	7	4.86	9.46		
दूरा	1111	124	11.16	18.54		
मेरा	947	160	17.00	11.12		
मिया	3023	371	12.23	20.26		
पांडव	2105	194	9.21	11.23		
राज	1365	218	15.23	10.38		
राज	2791	268	13.18	22.45		
राज	461	39	8.45	00.42		

सदस्य	102					
कुल	12049	1481	12.29	11.14	165	87.54

एक ही विषय पर एक से अधिक सूचनाएं प्राप्त हुईं और उन सभी सूचनाओं के सम्बन्ध में एक ही बक्तव्य दिया गया। सभापति पर रखा गया।

विवरण -4।

छठी लोक सभा की अवधि के दौरान निम्न 193 के अधीन अक्लिम्लनीय लोक महत्व के विषयों पर थोड़े समय की चर्चा को सुनानाए

क्रम सं०	विषय	सदस्य का नाम	चर्चा की तारीख
----------	------	--------------	----------------

संकेत सं०

- कोई नहीं-

दूर रा सं०

1. अनेक राज्यों में कानून व व्यवस्था श्री बी० पी० मंडल 15.6.1977
को बिगड़ती स्थिति
2. * आरक्षित कोटे में सेवाओं में अनुसूचित श्री सुवराज 6.8.1977
जातियों और अनुसूचित जनजातियों का नियोजन प्रश्न समाप्त नहीं हुई
- * अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित का 20वीं, 21वीं तथा 22वीं रिपोर्टों सम्बन्धी प्रस्ताव के साथ चर्चा हुई ।

1	2	3	4
3.	आरक्षित कोटे में सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातों में का निोजन।	श्री सुबराज	16.11.1977 17.11.1977 18.11.1977 21.11.1977
4.	दिल्ली में बावला को रमला निोजन।	श्री कंवर लाल गुप्त	30.11.1977
5.	सरकार द्वारा निर्धारित किए गए ईड के प्रतीक मूल्य पर शिक्षाओं में उपाय लक्ष्मी के सम्पर्क में सीमा उद्योग संशोधन मंत्रालय।	श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे	23.12.1977
6.	देश के विविध भागों में बाढ़ की जांच प्रिनाग लोला।	श्री योधा राज - श्री ई नहों - पत्रिका राज श्री पुष्पाराम सिंह	12.8.1978

1	2
3	4

छोट मंत्र

7. * देग के विभिन्न भागों में
बाढ़ की वार्षिक चित्रण
लीला ।

श्री पूर्ण नारायण सिंह
23.11.1978
28.11.1978

8. * सऊदा से दिल्ली की उड़ान
पर इंडियन एयर लाइन्स के
वीडियो विमान का अवरण ।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन
23.12.1978

* माँ का पूजन नहीं है ।

1

2

3

4

सातवां सत्र

9. वियतनाम पर चीनी हमला तथा परिणामस्वरूप एशिया के देशों को आजादी की आशा । श्री वेदव्रत ब.आ 21.2.1979
22.2.1979
10. जनता के वि.स.स. को दमन करू तथा हराकर मारने आ रहे देशीय कम्युनिज के परिणामस्वरूप जन्म और अयोध्या राज्य में पैदा हुई परम्परा स्थिति । डा.टो अश्विनी 22.2.1979
11. जमशेदपुर को रिजर्व के स्थिति में गृह मंत्री द्वारा दिनांक 18-4-1979 में दिया गया वक्तव्य । - 18-4-1979
12. नई दिल्ली में गला बग्घी (आई) द्वारा दिनांक 1-5-1979 को निकाली गयी जूस में बड़े पैमाने पर हिंसा का समाचार । - 3.5.1979

1 2

3

4

13. भारत में चुनाव के लिए अमरीका सरकार द्वारा विदेशी धन दिया जाना जिसका वर्णन श्री मोनिहान ने अपनी पुस्तक "ए क्लेस प्लेस" में किया है।

श्री अक्षर लाल गुप्त 7.5.1979

14. उच्चपत न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री भोगें सिंह प्रधानमंत्री श्री इरिवर के सचिवों तथा पूर्व गृह दंडी के मि. लमारे को प्रस्तावित न्यायालय के अध्यक्ष सरकार के निर्णय के अंतर्गत गृह तथा विभाग 30.4.79 को दिया गया था।

श्री लाल एचओ - लोफन 17.5.1979

आज्ञा स
- कोई नहीं -
नवा न
- कोई नहीं -

विवरण -42

छो लोक सभा में नियम 191 तथा 342 के अन्तर्गत प्रस्तावों पर हुई चर्चा

क्रमांक अधिसूचित विषय : नियम के अन्तर्गत सदस्य का नाम चर्चा को त्रितीय सदन का निर्णय

पहला सत्र

-कोई नहीं-

दूसरा सत्र

1. वर्ष 1975-76 का विधेय विद्यालय अनुदान आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन ।

342 डा.0 प्रताप शर्मा

20.7.77

21.7.77

2. x सविधान में काम करने के

अधिकारों का प्रतिबन्धन
आर. हेरोजगार, अन्वर्थ तथा
वृ. व. शर्मा को भोवन
निवाह भत्ता देना

191

श्री ज्योतिराम शर्मा

27.7.77 वापस ले लिया गया

28.7.77

3. x हेरोजगारों को सहायता

191

श्री सी.के. इन्दुरप्पन

27.7.77 वापिस ले लिया

28.7.77 गया ।

x साथ-साथ चर्चा को रखा ।

1	2	3	4	5	6
4. x	अनुसूचित जातियों/जनजातियों के आवुक्त का वर्ष 1970-71, 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 का जोसबा, इन्डीसबा तथा लखनौ प्रतिबिदन ।	342	+ प्रोफेसर मधु दंडवते	28.7.77 29.7.77 1.8.78 2.8.78 3.8.78 6.8.78	वर्ष समाप्त नहीं हुई ।
5.	नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्थापना होन के मामले में संबंध में लखनौ आंग को 1974 को वार्षिक रिपोर्ट ।	342	श्री लखर गह	3.8.77	वर्ष समाप्त नहीं हुई ।
6.	गृह मंत्री के आचरण का निवेदन ।	101	श्री सोएचओस्टोफन	4.8.77 5.8.77	असोजीकार किया गया ।

x अनुसूचित जातियों का अनुसूचित जनजातियों के नाकरियों में शोटा का भरे जाने के संबंध में निम्न 193 के अंतर्गत मध्य मध्य को वर्ष पर भी प्रस्ताव के साथ 6.8.77 को लखनौ हुई ।

+ श्री चरण सिंह को और ले ।

1	2	3	4	5	6
7	देश में मूल्यों में लगातार वृद्धि	191	श्री अंबेर लाल कृष्ण	5.8.77	वर्षी समाप्त नहीं हुई 77
8	आन्तरिक आयतनहीन स्थिति के दौरान दूर स्तर के साधनों के दायरे पर स्वैत-यंत्र । 7	342	श्री लाल कृष्ण आडवानी	8.8.77	वर्षी समाप्त नहीं हुई
तीसरा खंड					
9	आन्तरिक आयतनहीन स्थिति के दौरान दूर स्तर के साधनों के दायरे पर स्वैत-यंत्र ।	342	श्री लाल कृष्ण आडवानी	14-11-77 15-11-77	
10	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का वर्ष 1970-71, 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 का बोरवा, इकोसर्वा तथा वाईवा प्रतिवेदन ।	342	प्रो० पद्म दंडवते	16-11-77 17-11-77 18-11-77 21-11-77	
11	उत्तर रेलवे में हुई दो गम्भोर रेल दुर्घटनाओं के हारे में रेल मंत्री द्वारा दिनांक 14-11-77 को दिया गया वक्तव्य ।	342	श्रीपती पार्वती कृष्ण	23-11-77 22-11-77	वर्षी समाप्त नहीं हुई

1	2	3	4	5	6
12.	दक्षिण के राज्यों में हाल में समुद्री तटीय क्षेत्रों में आने के मुकाम को संभारना जिनमें भारत सरकार में लोगों को जाने गयी तथा छोड़े हुई काल और संस्कृति को भारी पात्रा में क्षति पहुँचा ।	191	श्री सी०के० चन्द्रपुन	24-11-77	वापस ले लिया गया
13.	"जमाचार" के बारे में सूचना तथा प्रसारण पत्रों द्वारा दीता गया संक्षेप ।	342	श्री समरगुहः	30-11-77 1-12-77 5-12-77	
14.	x आन्ध्र प्रदेश, तमिऴ नाडु केरल तथा पण्डिचेरी राज्य में हाल में आने के मुकाम तथा आद से हुई न्याही के कारण सुलभ स्थिति ।	191	श्री चित्त बसु	6-12-77	वापस ले लिया गया
15.	x देश के मुकाम पोलिस दलियों में से भारी पात्रा में रहत कार्यों को वावस्था करने दे त्तिये लोगों तथा साधनों को जुटाने के लिये एक एव-वर्-दलीय व्यवस्था में गठन ।	191	श्री पी०के० कीडियान	6-12-77	वापस ले लिया गया
	x साथ-साथ सर्वा को गर्वा ।				

1	2	3	4	5	6
16.	पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार जिलों के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के बारे में संसद अधेशन दल पटेल आयोग की सिफारिशों को अनिश्चित न करना ।	191	श्री सादवेन्द्र दत्त	7-12-77 8-12-77	वापस ले लिया गया
17.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने के मामले के संबंध में जांच आयोग को 1974 को रिपोर्ट ।	342	श्री सपरगुह	8-12-77	वर्क सम्पन्न नहीं हुई ।
18.	जन्म तथा कर्मोपर सरकार द्वारा जारी दिशे में नागरिक सुरक्षा अधादेश के बारे में गृह मंत्री द्वारा दिनांक 2-12-77 को सभा पटल पर रखा गया वाक्य ।	342	श्री जनोत्तम बसु	12-12-77	-
19.	परिसमो अंगत के सुन्दरवन में दरिद्रता तथा पिछड़ापन ।	191	श्री उलोत्तम बसु	14-12-77	वापस ले लिया गया ।

1	2	3	4	5	6
20	भारत तथा लॉस एंजिल्स देशों के मध्य सरकार पर गंगाल के बटवारे तथा इसके प्रवाह को बढ़ाने के संबंध में हुए सम्झौते के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा सदन में दिया गया वक्तव्य ।	342	श्री सपर गृह	15-12-77	--
21.	रसा मंत्री द्वारा ड सम्पूर्ण-नंद की प्रतिमा का अनावरण करने के पश्चात् उसे गंगाल से जोड़े जाने की योजना ।	191	श्री रामलाल कुरील	22-2-78	एक पत्र से खोजा हुआ ।
22.	विभिन्न राज्यों में हरिजनो पर हो रहे अत्याचार ।	191	श्री राय क्लिफ्ट पाख्यान	4-4-78 6-4-78 7-4-78	सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।
23.	देश के विभिन्न भागों में काम तथा बलस्था को स्थिति ।	342	श्री सी०एम० स्टीफन	20-4-78 24-4-78	
24.	राजबंसी योजना का प्रारम्भ 1978-83 ।	342	श्री मोरार जी देसाई	3-5-78 4-5-78 5-5-78 6-5-78 8-5-78	
		191		15-5-7	

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

संख्या संख्या

26. छात्रों में बढ़ता हुआ असंतोष 191 श्री अंबर लाल गुप्त 31-7-78 स्विकृत हुआ
27. भाषानीति के बारे में
दो अंगी राज्यों के मूल्य
विश्लेषों के सम्बन्ध में पारित
प्रस्ताव । 191 श्री वसन्त साठे 1-8-78 स्विकृत नहीं हुई ।
28. शाह जाँच आयोग के
पहले और दूसरी
अंतरिम रिपोर्टें । 342 श्री श्यामनंदन मिश्र 3-8-78 स्विकृत नहीं हुई ।
29. महाराष्ट्र राज्य के पराठ-
वाड़ा क्षेत्र में बड़ो भाग में
गड़बड़ी तथा साक्षाट से
पेदा हुई स्थिति का समाचार । 342 श्री डो0जी0गवई 14-8-78 श्री डो0जी0 गवई द्वारा
रखा गया त्यागपत्र
प्रस्ताव स्विकृत किया गया
30. लोक प्रतिनिधित्व अधि-
नियम में कुछ व्यक्तियों को
सरकारी पदों पर कार्यन
होने से अयोग्य घोषित
करने के लिये संशोधन । 392 श्री जगन्निधी बहु 16-8-78 स्विकृत नहीं हुई ।

1	2	3	4	5	6
31.	नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने के मामले से संबंधित जांच आयोग की 1974 को रिपोर्ट ।	342	श्री० रामर गृह	28-8-79	- -
32.	कच्चे पटलन की साविविधक मूल्य की औसत मूल्य कीमत पर भारी पाया में बिक्री से पैदा हुई स्थिति ।	191	श्री चित्त बसु	28-8-78	सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।
33.	महत्वपूर्ण लोगों, जिनमें मित्री तथा उज्ज राव्वा प्राप्त व्यक्ति शामिल हैं, द्वारा चुनाव के लिए भारी पाया में धन इकट्ठा करने के संबंध में हाल में रहस्योद्घाटन	191	श्री के० पी० उन्नीकृष्ण	29-8-78 30-8-78	अस्वीकृत हुआ ।
34.	उत्तरी रेलवे में हुई दो गम्भोर रेल दुर्घटनाओं के बारे में रेल मंत्री द्वारा 14.11.77 की विवक्षाता वाक्य ।	342	श्रीमती पार्वती कृष्ण । दृष्ट सत्र	30-8-78	-
35.	आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को स्वायत्ता प्रदान करने के बारे में कार्यकारी दल की रिपोर्ट ।	342	श्री लाल कृष्ण अडवानी	30-11-78 1-12-78	सर्वा समाप्त नहीं हुई ।

1	2	3	4	5	6
36.	देश के विभिन्न भागों में हाल में हुए सामुदायिक दंगों से पैदा हुई स्थिति ।	342	प्रो० जयर गृह	4-12-78	-
37.		सातवाँ सत्र			
38.	श्री जसप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य में प्रगति ।	191	श्री ए०सी०जार्ज	22-3-79	सर्वज्ञ व्यक्ति से खोजें
39.	अनुचित जातियों तथा अनुचित जनजातियों के आन्दोलन को वर्ष 1974-75 1975-76 तथा 1976-77 को रैलियों तथा मोर्चाखोरी रिपोर्ट ।	342	श्री धनिरामल मंडल	9-5-79 10-5-79 14-5-79 15-5-79 16-5-79	
39.	डिस्टेन में अचेत लोगों पर आक्रमण ।	191	श्री जतिराम लाल	16-6-79	सर्वज्ञ व्यक्ति से खोजें ।

चित्रण-43

छो लोक सभा के दौरान हर आधे घंटे की बर्बाद

क्र. सं.	बर्बाद करने वाले सदस्य का नाम	विषय	कठाने की तिथि
		प्रथम सत्र 1977	
		काठमान्डू	
		द्वितीय सत्र 1977	
1.	श्रीमती पार्वती कुण्डन	मोहरलाओं के दलों के संबंध में समिति	6.7.77
2.	डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय	आवक्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	15.7.77
3.	श्री ओम प्रकाश त्यागी	देश में मलेरिया की घटनाएँ	19.7.77
4.	श्री चित्त वसु	ग्रामीण गरीब	21.7.77
5.	डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय	पोरबा में उर्वरक कारखाना स्थापित किए जाने का प्रस्ताव	26.7.77
6.	श्री वै. लक्ष्णा	विजया बैंक लि. की कार्य प्रणाली	28.7.77
7.	श्री पी.के.देव	कालाहंडी उड़ीसा में चावल मिलों को बन्द करना	2.8.77
8.	श्री बसंत साठे	रेवेन्यू के माध्यम से मजदूरों को काम पर लगाना	4.8.
		तृतीय सत्र-1977	
9.	श्री युव राज	बनों का विकास	2.12.77
10.	श्री पी.राजशेखरपाल नायडू	राष्ट्रीय कृषि क्षेत्रों की सेवा के अन्तर्गत ब्राने वाले गाँव	5.12.77

	2	3	4
11.	श्री प्रसन्न भाई मेहता	देश में हाट की स्थिति	7.12.77
12.	श्री पी.डी. मावलकर	वरिष्ठ सिविल अभियंतियों की निरक्षारी	9.12.77
13.	श्री यादवेंद्र दत्त	रू. से प्राप्त गेहूँ के अणु की वापसी के संबंध में बातचीत	12.12.77
14.	डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय	गन्ने का मूल्य निर्धारण किए जाने पर कृषकों में अज्ञान	14.12.77
15.	श्री ज्योतिर्मय वसु	चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण	16.12.77
16.	श्री ककरलाल गुप्त	जे.हे.सी.एच.एस. लि. के प्रधान तथा अध्यक्ष से गाभूणों का जबरन किया जाना	20.12.77
<u>सोधा सत्र-1978</u>			
17.	श्री के लक्षणा	मिथिला के दौरो पर व्यय में निरव्ययिता	22.3.78
18.	श्री एस. शार.दयानी	राज्य कितने लोगों के कार्य क्लाप	29.3.78
19.	श्री युजत्यार सिंह मलिक	भारतीय किसानों के अज्ञान प्रवृत्ति	5.4.78
20.	श्री डे. लक्षणा	कुदरे मुल लौह अयस्क परिणामना को पूरा करने में किल्ला	12.4.78
21.	श्री के.पी.उन्नीकृष्णन	दायों के मूल्य में वृद्धि	26.4.78
22.	श्री राम नरेश कुमाह	मोती मुनिगरि महान की तलाशी के दौरान जल की गह वस्तु में	3.5.78

2

23. डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय
24. श्री सुरेन्द्र विक्रम

2

- नेपाल टवस्टाइल वारपोरेषम में हासि
सिन्ड्रेटक्स तथा डेमिकल्स लि. ब्रेली द्वारा राजनैतिव
दलों को दिया गया ज्ञान

4

- 8.5.78
12.5.78

?

25. प्रो. समर गुह
26. श्री राम विलास पासवान
27. श्री ज्योतिमय कसु
28. श्री आर. दे. महाल. गी

-पूर्विका-सत्र--1978

- भारत द्वारा परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध
द्वितीय विकास प्राधिकरण द्वारा मध्यम आय समूह के
फ्लोटों पर अधिभार लगाया जाना
सा. इ. इ. डिया किनोज के प्रबंध निदेश के विरुद्ध आरोप
आरोप तथा भारत रक्षा निगम नंदरत्न व्यक्तियों में से
मृतकों के उत्तराधिकारियों को भूमिपूजा तथा संस्कृति
संबंधी ।

- 26.7.78
28.7.78
31.7.78
2.8.78

29. श्री पी. जी. मातलकार
30. श्री धीरेन्द्र नाथ कसु
31. श्री रामधारी शौस्त्री
32. श्री राज कृष्ण डान
33. श्री डी. एन. रिहरी
34. श्री चित्त कसु

- भारत अमेरिकी उप आयोज
प्राधिकरण औद्योगिक घातों की आर्थिक शक्ति पर नियंत्रण
क्षेत्रों में गन्ना
चीनी तथा जूट का कसूली मू
खोसवा ठेकेदारों से किराये की कसूली
भविष्य निधि की बकाया राशि

- 4.8.78
9.8.78
9.6.78
11.8.78
14.8.78
16.8.78

2		3	
35.	डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय	ग्रिने सिलाये वस्त्रों के निर्यात में गोल्डमाल	28. 8. 78
36.	श्री रामानन्द तिवारी	गन्ध के सूत्रों में गिरावट	30. 8. 78
37.	डा. रामजी सिंह	प्रौढ शिक्षा एजेंसियों को फिंरतीय सहायता 1971 सत्र - 1978	24. 11. 78
38.	श्री ए.आर. बड़ी नारायण	राज्यों द्वारा भूमि की अधिस्तम मीमा अधिनियम का	27. 11. 78
39.	श्री चित्त कसु	कार्गिनियम प्रमाणों में	29. 11. 78
40.	श्री पी.एम. लई	अना की तुलना जगुहार के गुणावगुण तथा जगुहार के समझौते के बाद अनुकरी का खारियां त. मुर के नियो युरेनियम की राज्याह	1. 12. 78
41.	श्री राजगोपाल नायडु	तुम्काबाद दिल्ली में मकानों का गिराना	4. 12. 78
42.	डा. लक्ष्मी नारायण पण्डित	गिबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तिक	8. 12. 78
43.	श्री कुमार देवी सूर्यनारायण	आं प्रदेश में रूप - मूल्य पर धान की बिडी	12. 12. 78
44.	श्री सद्दिक मसूद	उत्तर प्रदेश तथा बिहार में गन्ने की बकाया राशि	13. 12. 78
45.	श्री भक्त राय	ब्यास मसालज लिंक, तलवाडु को टर्मिनल लाभ	15. 12. 78
46.	श्री ओ.वी. अलरोसन	धान तथा मोटे अनाज के लिए अधिष्ठ कसूनी मूल्य	20. 12. 78
47.	श्री पी. एम. सद्दिक	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोलामी से लेवे गये सोने की मात्रा	22. 12. 78

	2	3	4
		सातवाँ सत्र-1975	
48. प्रो. समर गुह		आगामी दस वर्षों में रोजगार का प्राक्धान	2.3.79
49. श्री एडुआर्डो कैरीरो		कोयले की कमी	8.3.79
50. श्री पूर्णारायण लिन्या आसाम		1 के भीमोंकी गावों पर नागा आक्रमण	16.3.79
51. प्रो. समर गुह		पूर्व पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्तियों के लिए अनुपूर्वक मुआवजा देने के लिये दावों का तुरन्त निपटान हरियाणा में डाक लेने	6.4.79
52. श्री मृगाल केशव गोरे		चम्बल घाटी क्षेत्र की विकास योजनाएँ	11.4.79
53. श्री अर्जुन सिंह भद्रौरिया		आई.आई.टी. कानपुर में कथित अनिश्चिततायें	20.4.79
54. डा. रांगनी सिंह		पारले ग्रुप की कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमयन का सुलभम	27.4.79
55. के. लक्षणा			4.5.79
56. श्री भाग्यशार शास्त्री		स्वदेशी पोलिटिक्स लि. के विरुद्ध लक्षित आरोप	10.5.79
57. श्री एडुआर्डो कैरीरो		राष्ट्रों में स्थानिक नीति का कार्यान्वयन	18.5.79

x			
	2		
		3	
			4

56. शब्दों नाथ कौर्बेदा

संस्करणल को समय से पूर्व गिर जाना

11.7.79

नवा सत्र-1979

कोई नहीं

विवरण -44

संख्या	विषय	प्रकार	दिनांक	स्थान	विवरण
2	संस्कृत का विषय	प्रभारी सदस्य का नाम	3	लाट विवाद में लगा समय	सभा द्वारा की गई कार्यवाही
3	संस्कृत पर चर्चा की गई	संस्कृत सरकारी संकल्प	4		

पहला सत्र

26.3.77	भारत के राष्ट्रपति श्री फख्रुद्दीन अली अहमद के आकस्मिक निधन पर पौक व्यक्त	श्री मोरार जी आर. देसाई	0 - 25	घंट मिन्ट	सर्व सम्मति से स्वीकृत
18.6.77	30.3.76 को लोक सभा द्वारा यथा स्वीकृत केन्द्रीय सऊ निधि को चालू रखने के संबंध में सऊ विकास के बारे में संकल्प में संशोधन	श्री मोरार जी आर. देसाई	0-30		स्वीकृत

दूसरा सत्र

	3	4	5
1- 2.8.77	रैल उपकरण द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की दर तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेलवे वित्त संबंधी पुनः रीक्षण करने के लिए संसदीय समिति की निम्नलिखित जिल्लों लोक सभा के 12 सदस्य थे।	प्रो. मधु दंडकरी	स्वीकृत
2.8.77*	रेलवे उपकरण द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की दर तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेलवे वित्त संबंधी अन्तःसंबंध मामलों का पुनरीक्षण करने के लिए संसदीय समिति में 6 सदस्य लेने के लिए राज्य सभा की सिफारिश।	प्रो. मधु दंडकरी	स्वीकृत
*	इस संकल्प पर तथा पूर्वकीर्ति संकल्प पर एक साथ चर्चा की गई थी।		

I - - - - - 2 - - - - - तीसरा खंड - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - -

22.12.77 रेल उपकरण द्वारा माया नगर में देर लाभाई की प्रो. गंधर्वको 1.36 स्वीकृत हुआ

देर तथा माया नगर वित्त की तुलना में रेलवे वित्त संबंधी पुनरीक्षण करने के लिए निर्धारित की गई समिति के 17 नवम्बर 1977 को संसद में प्रस्तुत किए गए पहले प्रतिवेदन के कुछ पैराओं में की गई रिक्तियों का अनुसोदन

सांथा खंड
कोई नहीं
पाचवां खंड
कोई नहीं
छठा खंड
कोई नहीं

1	2	3	4	5
16.3.79	सामान्य वित्त की दुलना में रेल वित्त के संबंध में रेल उपद्रम द्वारा सामान्य राजस्व तथा अन्य सहायक मागलों में देर लाभार्थी की दर की पुन-र्रीक्षण के लिये रेल अभिन्नस्य सन्निधि के पाचवे प्रतिवेदन के बुर पैराचों में ही गहर् सिफारशी का अनुमोदन करना	आठवां सत्र कोई नहीं	नवां सत्र कोई नहीं	5.16 स्वीकृत किया गया
x	अनुदान की पूरक मांग	रेलवे 1978-79 तथा बजट रेलवे 1979-80 के संबंध में अनुदान की मांगों के साथ बर्षा की गहर् ।		

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

छठे संविधान संश्लेष

पहला सत्र

- 3.4.77 तमिलनाडु के संबन्ध में 31.10.76 को जारी किये गये चौधरी चरण चौधरी द्वारा
 प्रस्तापन को 10 मार्च 1977 से एक वर्ष की और
 अवधि के लिए रद्द करने के लिये अनुमोदन करना ।
 डॉ. मि. 2.15 स्वीकृत हुआ
- 5.4.77 नागालैण्ड के संघ में 22.3.75 को जारी
 किये गये प्रस्तापन को 26 मार्च 1977 से एक
 वर्ष की और अवधि के लिये लागू करने के लिये
 अनुमोदन करना ।
 चौधरी 10.15 स्वीकृत हुआ
 चरण सिंह
- 7.4.77 काँपों, गुणक्ली, गिरणी, छिल्ले वाली गुणक्ली तथा
 इलायची पर सिमांति शुल्क बढ़ाने के लिये कुछ
 अधिसूचनाओं का अनुमोदन करना ।
 श्री एच.एम. 1.04 स्वीकृत हुआ
 पटेल
- 7.4.77 केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा तमिल नाडु स्टेट को
 आपरेटिव बैंक के संबन्ध में गारंटी ली सीमा को
 6,115 लाख रुपये तक बढ़ाना
 श्री प्रकाश 10.14 स्वीकृत हुआ
 सिंह बादल

1 - - - - - 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - -

दूसरा सत्र

18.6.77 ई. ल. माय पर नियाति शूल लगाने ई. ल. लाफी पर श्री एच. एम. 0.16 स्वीकृत हुआ
नियाति शूल बढ़ाने तथा ई. ग. ड्रोमाइट अपरस ली पटेल
कुछ किरानों पर नियाति शूल लगाने तथा ड्रोमाइट
अपस ला उ ली गूठ लिस्मों पर नियाति शूल ली
दरों को बढ़ाने के लिये कुछ अधिसूचनाओं का अनुमोदन
करना ।

तीसरा सत्र

29.11.77 * बैंक सेवा आयोग ई. निरसन ई. अध्यादेश 1977 श्री सोनात राय 3.40 अस्वीकृत हुआ
5.12.79 ई. 1977 का अध्यादेश संख्या 16 का निरनुमोदन करना ।

* बैंक सेवा आयोग ई. निरसन ई. विधेयक, 1977 पर विचार के प्रस्ताव के साथ वक्त की गई ।

----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 -----

बोधा सत्र

कोई नहीं

प्रतिवादी

17.8.78 * दिल्ली पुलिस अध्यादेश, 1978 का अध्यादेश

23.8.78 संख्या 28 का निरन्मोदन करना ।

श्रीमती पार्वती 3.27 अस्वीकृत
कृष्ण हुआ

छात्र सत्र

22.11.78 बेराइट पर न्यायि शूल लगा ने संबंधी अधिसूचना

का अनुमोदन करना ।

30.3.79 द्यास पर न्यायि शूल बढ़ाने तथा हल्दी पर न्यायि

शूल लगा ने अधिसूचनाओं का अनुमोदन करना

श्री एच.एम. 0.10 स्वीकृत
पटेल हुआ

श्री स्तीश 1.35 स्वीकृत हुआ
अग्रवाल

आठवां सत्र

कोई नहीं

नववां सत्र

कोई नहीं

* दिल्ली पुलिस विधेयक, 1978 पर विचार के प्रस्ताव के साथ चर्चा की गई ।

1	2	3	4	5
	गौसकारी सदस्यों के संकल्प पहला सत्र			
1.4.77	किसी बहूचक्र की जांच करने के लिये उच्च शक्ति प्राप्त परिषद्ति नियुक्त करना	श्री तंवर लाल	2.18	सभा की अनुमति से वापस लिया गया
1.4.77	आन्तरिक आपात्काल के दौरान हुए अत्याचारों की जांच ।	श्री ज्योतिर्मयी कसु	0.05	चर्चा समाप्त नहीं हुई
24.6.77	आन्तरिक आपात्काल के दौरान हुये अत्याचारों की जांच ।	श्री ज्योतिर्मयी कसु	2.26	सभा की अनुमति से पहले सत्र के दौरान 5 मिनट की चर्चा शामिल नहीं है ।
24.6.77	भूखपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा लोकसांख्यिक मानदंडों को लागू करना	श्री एच.वी. रामस	5.07	स्वीकृत हुआ
8.7.77	राष्ट्रिय निर्माण में युवाजनों का भूग लेना	श्री पी.के.देव	2.32	वापस ले लिया गया
22.7.77				
5.8.77				

1.-----2-----3-----4-----5-----
 5.8.77 विधान में संशोधन श्री कपालार रवि 0.01 चर्चा समाप्त हुई

तीसरा खंड

24.11.77 संविधान में संशोधन श्री कपालार रवि 3.31 चर्चा पूरी
 हिस्से द्वारा अनुमति से
 सत्र के दौरान वापस
 1. मिनट की लिए
 चर्चा शामिल गयी
 नहीं है

24.11.77 कृषि और औद्योगिक उत्पादों का उत्पाद और श्री सुनि सिंह
 9.12.77 मूल्यों के बीच समानता श्री भौरिया

9.12.77 * अर्थव्यवस्था में सुधार करने और गाय आदि श्री लखर लाल
 23.12.77 की समता का जो सम करने के उपरांत श्री गुरु
 1.02 चर्चा स्थगित हुई

* 23.12.77 को संसद पर श्री समर गृह द्वारा प्रस्तावित और सभा द्वारा स्वीकृत संकल्प पर अगले सत्र में
 और सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिये आबन्धित अगले दिन तक चर्चा स्थगित की गई जिससे द्वारा नियम 30
 के उपनिबन्ध 1.1 के उपबन्धों और नियम 29 के परन्तु को भी निम्नलिखित कर दिया गया था जिससे कि संकल्प
 प्रोब्लेट के बिना चर्चा सूची के पहली मद के रूप में रखा जा सके ।

1. 2. 3. 4. 5.
- 23.12.77 लिविधान ईबगालीसवा' लीगोथनई अधिनियम का निरसन तथा आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम को वापस लेना ।
चौथा सत्र
- 3.3.78 अर्थ ब्यवस्था में सुधार करने तथा आर आदि की असमानता को कम करने के उपाय।
श्री नवर लाल गुप्त 0.48 रवीकृत ईडसमें तीसरे हुआ सत्र के दौरान की एक छँट 2 पिनट की चर्चा शामिल नहीं है
- 3.3.78 लिविधान ईबगालीसवा' लीगोथनई अधिनियम का निरसन और आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम को वापस लेना
श्री नवर लाल क गुप्त 1.53 चर्चा स्थगित ईडसमें तीसरे हुई सत्र के दौरान की । पिनट की चर्चा शामिल नहीं है ।

	1	2	3	4	5
17.3.78					
31.3.78	अंग्रेजी को अतिरिक्त सम्पूर्ण भाषा से हटाने में जारी	श्री एस.डी. सोम	6.02	अस्वीकृत	
14.4.78	राजना ।	रुन्दराम		हुआ ।	
14.4.78	नेताजी राष्ट्रीय अकादमी स्थापित करना	श्री सगर गृह	3.29		
24.4.78					
28.4.78	संविधान में संशोधन	श्री राम जी लाल गुप्त	2.51		
12.5.78					
28.7.78	संविधान में संशोधन	श्री रामजी लाल गुप्त	1.11	अस्वीकृत	
		पांचवाँ सत्र		इन्होंने चौथे सत्र हुआ ।	
				से दौरान 2 घंटा	
				51 मिनट की चर्चा	
				शामिल नहीं है ।	
28.7.78	बढ़ती हुई लीम्फो को रोकने के लिए मार्केटिंग	श्रीमन्त अहिल्या	4.17	वापस ले	
11.8.78	विक्रय प्रणाली ।	पी. रागनेकर		लिया गया	

	1	2	3	4	5
17.3.78					
31.3.78	अंग्रेजी को अतिरिक्त सम्पूर्ण भाषा से हटाने में जारी	श्री एस.डी. सोम	6.02	अस्वीकृत	
14.4.78	राज्य ।	रुन्दराम		हुआ ।	
14.4.78	मैसाजी राष्ट्रीय अकादमी स्थापित करना	श्री सगर गुह	3.29		
24.4.78					
28.4.78	संविधान में संशोधन	श्री राम जी लाल गुप्त	2.51		
12.5.78					
28.7.78	संविधान में संशोधन	श्री रामजी लाल गुप्त	1.11	अस्वीकृत	
		पांचवाँ सत्र		इसमें चौथे सत्र हुआ ।	
				से दौरान 2 घंटा	
				51 मिनट की चर्चा	
				शामिल नहीं है ।	
28.7.78	बढ़ती हुई लीम्फो को रोकने के लिए मार्केटिंग	श्रीमत् अहिल्या	4.17	वापस ले	
11.8.78	विक्रय प्रणाली ।	पी. रागनेकर		लिया गया	

1	2	3	4	5
24.8.78	मन्त्री परिषद् से दिये गये हाल के त्यागपत्रों के कारण ।	श्री पी.राजगोपाल नारायण	2.08	अस्वीकृत हुआ
24.8.78	भूमि हीन व्यक्तियों को बाटने हे लिए बंजर और गरीबी जमीन को कृषि योग्य बनाना	श्री लक्ष्मी नारायण नायक	0.50	चर्चा समाप्त नहीं हुई
छाT सत्र				
1.12.78	भूमि हीन व्यक्तियों को बाटने हे लिए	श्री लक्ष्मी नारायण नायक	2.48	संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ
15.12.78	बंजर और गरीबी जमीन को कृषि योग्य बनाना	पाचवें सत्र के दौरान 50 मिनट की चर्चा शामिल नहीं है ।		

I
12.4.79 27.4.79 2
स्वाधियों की पदों नति से लिए अपनाइ जाने श्री. एम. स्टीफन 2.59 4 5
वाली प्रिया नही हुई ।

आवा रात्र
कोइ नही

नवा मत्र
कोइ नही

छोँ अध्याय द्वारा प्रस्तावित संकल्प

क्र.सं. --- सी.बी.स. वि.सं. ---

2 प्रस्ताव रखे जाने की तिथि --- तिथि ---
 1. 4 नवम्बर 1977 को उसाम में जोरबुद्ध है स्त्रीय एल विमान सभा ने संकल्प दुर्घटना में प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई का देवी स्मोय को बच जाना तथा भारतीय वायु सेना के विमान के उन पाँच कर्मचारियों को अर्धाजपी देना जिन्होंने प्रधान मंत्री के जीवन की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया ।

2. तमिल नाडु, पंजाब और आंध्र प्रदेश राज्यों में हाल ही में आये तूफानों के कारण जान माल की गंभीर क्षति तथा शौच स्तंभ परिवारों के सदस्यों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त करना ।

3. केरल राज्य तथा नदद्वीप संघराज्य में हाल ही में आये तूफानों के कारण जान माल की गंभीर क्षति तथा शौच स्तंभ परिवारों के सदस्यों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त करना ।

21.11.77 0.01 सभा ने संकल्प स्वीकार किया ।
 23.11.77 6.01 सभा ने संकल्प स्वीकार किया ।
 21.11.77 0.01 सभा ने संकल्प स्वीकार किया ।
 23.11.77 6.01 सभा ने संकल्प स्वीकार किया ।

संस्थान प्रकट करने के लिए सदस्यगण कुछ देर के लिए मौन रखे रहे ।
 संस्थान प्रकट करने के लिए सदस्यगण कुछ देर के लिए मौन रखे रहे ।

खिवरण -45
नियम 377 के अधीन मामले

<u>सत्र का नाम</u>	<u>उठाये गये मामलों की संख्या</u>	<u>तिरपागथा कुल समय</u>	<u>उस सम्बन्ध में मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य</u>
1. पहला सत्र	3	0 29	1
2. दूसरा सत्र	55	3 40	6
3. तीसरा सत्र	72	5 06	2
4. चौथा सत्र	225	13 06	8
5. पाचवाँ सत्र	110	5 12	3
6. छठा सत्र	92	3 46	3
7. सातवाँ सत्र	263	12 22	12
8. आठवाँ सत्र	9	0 15	'
	-----	-----	-----
	829	43 56	35
	-----	-----	-----

छठी लोक सभा में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न

1. उठाये गये व्यवस्था के प्रश्नों को कुल संख्या । 624
2. पोठासीन अधिकारों द्वारा स्वीकार कर लिये गये व्यवस्था के प्रश्न । 118
3. पोठासीन अधिकारों द्वारा स्वीकार नहीं किये गये व्यवस्था के प्रश्न । 424
4. व्यवस्था के वे प्रश्न लिनपर, व्यवस्था के प्रश्न न होने के कारण, कोई निर्णय नहीं दिया गया । 82
5. व्यवस्था के प्रश्नों के लिये लगा कुल समय । 43 घंटे 38 मिनट

विशेषाधिकार के प्रश्न

संसदीय भाषा में, विशेषाधिकार शब्द संसद के प्रत्येक सदन की समितियों को संयुक्त रूप से और प्रत्येक सदन के सदस्य को वैयक्तिक रूप से प्राप्त उन कतिपय अधिकारों तथा उन्मुक्तियों पर लागू होता है जिनके बिना वे अपने कृत्यों का प्रभावी रूप से तथा दक्षतापूर्वक निर्वहन नहीं कर सकते। ये विशेषाधिकार सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं क्योंकि सदन अपने सदस्यों की सेवाओं का निर्वाह प्रयोग किये बिना अपने कृत्यों का निष्पादन नहीं कर सकता तथा प्रत्येक सदन इन विशेषाधिकारों का प्रयोग अपने सदस्यों की रक्षा के लिये तथा स्वयं अपने अधिकार और गरिमा को नष्ट होने से बचाने के लिये सामूहिक रूप से करता है।

संसद के दोनों सदनों और उनकी समितियों तथा उनके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 105 में किया गया है। इन अनुच्छेद में इस बात का विशेष उपबंध किया गया है कि संसद सदस्यों को वाक-स्वातन्त्र्य वा विशेषाधिकार होगा तथा संसद में या उसकी किसी समिति में कही हुई किसी बात अथवा दिये हुये किसी मत के विषय में संसद के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में होने वाली किसी भी कार्यवाही में उन्मुक्ति प्राप्त होगी। इन अनुच्छेद में यह भी व्यवस्था है कि संसद के किसी सदन के द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के विषय में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। तथापि, इस अनुच्छेद के मूल रूप से अधिनियमित किये गये खंड 3 में अन्य बातों के द्वारे में यह उपबंध किया गया था कि "संसद के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी, जैसी संसद, समय-समय पर, विधि द्वारा परिभाषित करे तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जाती, तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के प्रारंभ होने के समय अर्थात् 26 जनवरी, 1950 को, यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के हाउस आफ कॉमन्स की तथा उसके सदस्यों और समितियों की है।" परन्तु इस खंड 3 में संविधान 37वालीसवां संशोधन अधिनियम, 1978 की धारा 15

द्वारा शोधन कर दिया गया। जो कि 19 जून, 1979 से लागू हुआ। संशोधित खंड 3 में अब यह व्यवस्था की गयी है कि "अन्य बातों के संबंध में संसद के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी जैसी संसद, समय-समय पर, विधि द्वारा परिभाषित करे तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जाती, तब तक वे ही होंगी जो कि संविधान [चवालीसा संशोधन] अधिनियम, 1978 की धारा 15 के लागू होने से तत्काल पहले थीं।"

संसद के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को परिभाषित करने के लिये संसद ने अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है।

विशेषाधिकार के मामलों के संबंध में लोक सभा की प्रक्रिया

कोई भी सदस्य लोक सभा में विशेषाधिकार का कोई प्रश्न केवल अध्यक्ष की सहमति प्राप्त करने के बाद ही उठा सकता है। यह अनिवार्य कर दिया गया है ताकि ऐसा कोई मामला उठाकर सदन का समय नष्ट न किया जाये जो कि प्रथम दृष्टया अनुमत्त नहीं हो।

सूचना प्राप्त होने पर, मामले पर अध्यक्ष द्वारा विचार किया जाता है जो कि विशेषाधिकार के प्रश्न को सदन में उठाये जाने के बारे में अपनी सहमति दे सकता है या रोक सकता है। तब संशोधित सदस्य को अध्यक्ष के निर्णय की सूचना दे दी जाती है। सामान्यतः अध्यक्ष द्वारा सहमति देने से इंकार कर दिये जाने पर, मामला वहीं समाप्त हो जाता है तथा उसे सदन में नहीं उठाया जाता। तथापि, ऐसे किसी मामले में जहाँ अध्यक्ष ने अपनी सहमति देने से इंकार कर दिया हो या उस की राय हो कि चर्चा के लिये प्रस्थापित विषय नियमानुकूल नहीं है, तो वह यदि वह आवश्यक समझे, उस विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना को पढ़कर सुना सकेगा और यह कह सकेगा कि वह सहमति देने से इंकार करता है या विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना को नियमानुकूल नहीं ठहराता।²

1. नियम 222

2. नियम 225 [1], पहला परन्तुक

अध्यक्ष किसी मामले को विशेषाधिकार के प्रश्न के सम में सदन में उठाये जाने के संबंध में अपनी समिति देते समय केवल इतना बात पर विचार करता है कि क्या मामला और आगे जांच के योग्य है तथा क्या उसे एक प्राथमिकता प्राप्त विषय के सम में सदन के समक्ष लाये जाने दिया जाना चाहिये। सामान्यतः इस प्रश्न का निर्णय सदन ही करता है कि जिस मामले की शिकायत की गयी है, क्या उससे वस्तुतः सदन का विशेषाधिकार भंग होता है या सदन की अवमानना होती है, क्योंकि केवल सदन ही अपने विशेषाधिकारों का मालिक होता है।

कार्यसूची में विशेषाधिकार के प्रश्नों को अन्य विषयों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है तथा ये मामले प्रश्न काल³ के तत्काल पश्चात और कार्य-सूची की अन्य मदों पर चर्चा से पहले उठाये जाते हैं। सदन या तो विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार करता है और स्वयं कोई निर्णय करता है अथवा वह मामले की जांच-पड़ताल करने तथा उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये उसे विशेषाधिकार समिति को सौंप सकता है। तथापि सामान्यतः प्रथा यह है कि शिकायत के मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाता है तथा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत होने तक सदन उस संबंध में अपना कोई निर्णय नहीं देता। तथापि उस स्थिति में जब कि सदन यह देखता है कि मामला बहुत मामूली या है अथवा यह कि दोषी व्यक्ति ने पहले ही पर्याप्त सम में क्षमा याचना कर ली है तो सदन स्वयं ही उस मामले में आगे और कोई कार्यवाही न करने का निर्णय करके मामले को वहीं निपटा देता है।

3. लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश, 1977 का संस्करण, निदेश 2

4. नियम 226

सभा के गठन के प्रारंभ में या समय-समय पर यथास्थिति विशेषाधिकार समिति अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित की जाती है। इसमें प्रंद्रह से अधिक सदस्य नहीं होते। {नियम 313} सामान्यतः समिति का गठन प्रत्येक वर्ष लोक सभा की अन्य स्थायी समितियों के साथ-साथ किया जाता है। समिति का गठन करते समय अध्यक्ष सदन में विद्यमान विभिन्न दलों तथा समूहों के दावों, हितों तथा शक्ति को ध्यान में रखता है ताकि समिति में सभी को पूरी तरह प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके।

अध्यक्ष को यह शक्ति भी प्राप्त है कि वह किसी भी विशेषाधिकार के प्रश्न की जांच, अनुाधान या प्रतिवेदन के लिये विशेषाधिकार समिति को स्वतः मौप सकता है।⁵

समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत हो जाने के बाद कोई भी सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाये।⁶ इस प्रश्न के प्रस्तुत करने से पूर्व अध्यक्ष उस प्रस्ताव पर वाद-विवाद की अनुमति दे सकता है जो कि आधे घंटे से अधिक नहीं होगा। परन्तु सदन सभ्यता के नियम को निलंबित करके इस अवधि को बढ़ा सकता है। इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के बाद कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों को⁷ अथवा मामले में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में सदन के निर्णय को अंतर्विष्ट करने वाले किसी अन्य मूल प्रस्ताव को स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है या संशोधनों के साथ स्वीकार करती है।

जहाँ समिति यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है कि सदन का विशेषाधिकार भंग नहीं हुआ है, तो सामान्यतः उस प्रतिवेदन के बारे में सदन में आगे और कोई कार्यवाही नहीं की जाती।

विवरण संख्या 47 में छठी लोक सभा के दौरान सदस्यों द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्नों तथा उनके संबंध में सदन द्वारा लिये गये निर्णयों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

छठी लोक सभा के दौरान सदन में उठाये गये इक्यावन मामलों में से सदन/अध्यक्ष ने आठ मामले विशेषाधिकार समिति को मौप। विशेषाधिकार समिति ने छः मामलों में सदन/अध्यक्ष को अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत लिये तथा बाकी दो मामले 22 अगस्त, 1979 को सभा भंग हो जाने के कारण व्यपगत हो गये।

5. नियम 227

6. सामान्यतः इस प्रस्ताव को कि विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार लिये जाये, प्राथमिकता दी जाती है, जब तक कि विशेषाधिकार के मामले को आगे लाने में विलंब न हुआ हो। अध्यक्ष सदन के सामने विद्यमान कार्य की स्थिति तथा मामले की अविलंबनीयता पर विचार करने के बाद प्रस्ताव पर विचार के लिये तिथि निर्धारित करता है... नियम 316। वह इस संबंध में सदन के नेता से भी परामर्श कर सकता है।

7. नियम 315

एक मामले में, जदन ने विशेषाधिकार प्रणिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद, अपने एक सदस्य को जदन के तहियतुत कर दिया तथा उसे और भाभा के बाहर के दो अन्य व्यक्तियों को जदन का आक्रामान होने तक के समय के लिये जेल भेज दिया ।

जदन में दरफियों द्वारा नारे लगाये जाने तथा दरफि दीर्घा के जदन में परचे फेरे जाने के सात मामले हुये । इन मामलों में जदन ने अपराधकारियों को जेल भेजने अथवा चेतावनी देकर छोड़ देने की आज्ञा दी । आचारपत्रों तथा अन्य के खिलाफ छः मामलों में, जदन ने दोषी व्यक्तियों द्वारा मांगी गयी माफी को स्वीकार कर लिया तथा मामले को वहीं छोड़ दिया ।

एक अन्य मामले में जिजमें राज्य भाभा का एक वर्तमान सदस्य अंतर्ग्रस्त था, अध्यक्ष ने सुस्थापित परंपरा के अनुसार मामले को राज्य भाभा के केयरमैन को भेज दिया ।

उन्तीस मामलों में अध्यक्ष ने अपने विनिर्णय द्वारा विशेषाधिकार के प्रश्नों की चुनाओं को अस्वीकृत कर दिया ।

क्रमिक संज्ञित विषय

मामला उठाने वाले
सदस्य का नाम

सभा का निर्णय

§1§ §2§

§3§
की तारीख
§4§

§5§

1. भारत में राजनितिक नेताओं की
नजरबन्दी के बारे में जुलाई, 1975
में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत
के तत्कालीन राजदूत श्री टी.एन.
कौल द्वारा की गयी हतिपद्य टिप्पणियाँ

श्री ज्योतिर्मय बसु

1.4.1977
7.4.1977

1.4.1977 को सभा में विदेश मंत्री
के वक्तव्य के बाद मामला रोक
दिया गया। 7.4.1977 को अध्यक्ष
ने अपना निर्णय दिया था। मामले को
विशेषीकरण के प्रश्न के रूप में उठाये
जाने के संबंध में अपनी सम्पत्ति नहीं दी।

2. बलात्कृत महिला के शिकार व्यक्तियों को
हजना देने के बारे में सभा के प्रश्न चालू
रहने के समय सदन के बाहर स्वास्थ्य और
परिवार क्लिनिक्स की श्री राज नारायण
द्वारा किया गया कथित नीति संबंधी वक्तव्य

श्री देवराव
धोंगड़े

6.4.1977

स्वास्थ्य और परिवार क्लिनिक्स मंत्री
द्वारा सभा में वक्तव्य दिये जाने
के बाद, अध्यक्ष ने मामले को
विशेषीकरण के प्रश्न के रूप में
उठाये जाने के संबंध में अपनी सम्पत्ति
नहीं दी।

३. २७ जून, १९७७ को लोक सभा में, वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में मसर्स जमना दास माधव जी एण्ड कम्पनी, बम्बई के श्री किशोर जे. तन्ना द्वारा लिखित एक पत्र में जो छि दिनांक ११ जुलाई, १९७७ के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित हुआ था, लाया गये कथित आरोप ।

११.७.१९७७ को मामला रोक दिया गया । १२.७.१९७७ को उपाध्यक्ष ने, जो कि उस समय पीठासीन थे, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमों के नियम २२७ के अर्धीन मामला जांच के लिये और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए विशेषाधिकार संपत्ति को सौंप दिया ।

१४ नवम्बर, १९७७ को पदन में प्रस्तुत अपने पहले प्रतिवेदन में विशेषाधिकार संपत्ति ने यह मत व्यक्त किया कि श्री किशोर जे. तन्ना द्वारा बिना शर्त संपत्ति गयी क्षमा याचना को पर्याप्त माना जा सकता है तथा यह सिफारिश की कि मामले पर और बागे कार्यवाही न की जाये । इस मामले पर सदन ने ओ और कोई कार्यवाही नहीं की ।

2	3	4	5		
4. अपात स्थिति के दौरान प्रमुख श्री गौरी शंकर राय 16.7.1977 को उपाध्यक्ष महोदय ने, जो विपक्षी नेताओं की हत्या करने के पिछली सरकार के विचार के बारे में 18.7.1977 की कि वे अपना विचार्य 18.7.1977 को देते । 18.7.77 को उपाध्यक्ष महोदय ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 227 के अर्धीन मामला जांच करने और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया ।					
			। मार्च, 1978 को सभा में प्रस्तुत किये गये अपने दूरे प्रतिवेदन में विशेषाधिकार समिति ने यह मत व्यक्त किया कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के कथित रूप वक्तव्य से सदन का विशेषाधिकार भी हुआ है तथा सभा की अमानता हुई है तथा उन्हें यह सलावनी दी कि वे सभा की कार्यवाही अथवा सदस्यों द्वारा सदन में दिये गये उनके भाषणों के संबंध में टिप्पणी करते समय भविष्य में और अधिक सावधानी बरते ।		

तथापि मामले की परिस्थितियों की संग्रता को देखते हुए समिति ने सिफारिश की कि आगे कोई कार्यवाही न की जाये तथा मामले को छोड़ दिया जाये। सदन ने विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत किया तथा मामले पर आगे और कोई कार्यवाही नहीं की।

5. बिहार में बेलची गाँव में हरिजनों श्री सी.के. चन्द्रप्पन 10.7.77 5.8.77 को अध्यक्ष ने मामले को इस आधार पर हुए कथित हत्याचारों के बारे में श्री बी. राजैया 4.8.77 पर भस्वीकार कर दिया कि इस घटना मयानावरण मामले से सम्बन्धित 5.8.77 के उद्देश्य से सम्बन्धित प्रश्न न्यायालय वस्तुव्य में 13 जून, 1977 को गृह मंत्री श्री. चरण सिंह द्वारा सभा को दी गयी कथित भ्रामक जानकारी

6. भापारकाल के दौरान विरोधी दलों श्री ब्यालार रवि 10.7.77 के राक्षस्य नेताओं की पिछली सरकार श्री के.पी.ए. उन्नीकृष्णन द्वारा हत्या की योजना के बारे में गृह मंत्री श्री चरण सिंह द्वारा 13 जुलाई, 1977 को सदन में दिया गया भ्रामक कथित वक्तव्य

उपरोक्त पत्रोदय ने, जो पीठासीन थे, विशेषाधिकार के प्राण को भस्वीकार कर दिया तथा निर्णय दिया कि मंत्री के वक्तव्य में भ्रमिता की ओर ध्यान दिलाने के लिए निर्देश 115 में प्रक्रिया निर्धारित है तथा गृह मंत्री ने 14 जुलाई,

1
2
3
4
5

7. मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र देने के
संदर्भ में एक भूतपूर्व मंत्री को वक्तव्य देने
के रोकने के लिए तीन सदस्यों द्वारा
दक्षिण हस्तक्षेप
श्री व्यालार रवि 7.3.78

8. एक संवदीय दल की कार्यकारिणी की
दृष्टि में कुछ सदस्यों के सदन में
व्यवहार के संबंध में कथित आलोचना
श्री सी.के.चन्द्रप्पन 7.8.78

9. सदन की दिनांक 4 अगस्त 1977 की
कार्यवाही को आसानी से आसानी द्वारा श्री के.ए.गुन्नीकृष्णन 8.8.77
गलत ढंग से पेश किए जाने के
संबंध में कथित आरोप

1977 को अपने वक्तव्य का स्पष्टीकरण
दिया था, जो पुनः स्थिति स्पष्ट कर
सकते हैं और इस मामले को समाप्त समझा
जाए।

अध्यक्ष महोदय ने अपने निर्णय में
विशेषाधिकार के प्रश्न को हस्तक्षेप
कर दिया।

अध्यक्ष महोदय ने अपने निर्णय में
विशेषाधिकार के प्रश्न को हस्तक्षेप
कर दिया।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि सूचना तथा
प्रसारण मंत्रालय ने उन स्थितियों को
स्पष्ट किया, जिन्हें कारण यह गलती
हुई तथा यह प्रकट किया है; दिए
गए स्पष्टीकरण तथा प्रश्न को ध्यान में

10. सुरेंद्र मझुली सावन्त तथा
बंजन उदाले द्वारा 14.11.77
को 12.35 बजे दर्शन दीर्घा से
सिलाना तथा सदन में कूब पचे
के ना

श्री लारंग साई
सम तथा संसदीय कार्य
मंत्रालय में राज्य मंत्री

14.11.77

14.11.77 को श्री लारंग साई द्वारा
प्राप्त किया गया एक प्रस्ताव कि इन
दो व्यक्तियों ने सदन का अपमान
किया है तथा इन्हें 15 नवम्बर 1977
को सायं 6 बजे तक की कारावास की
सजा दी जाए, सदन द्वारा स्वीकृत हुआ
तथा बिना किसी अन्य कार्यवाही को
ध्यान में रखा हुए, जो कानून के अंगति
की जा सकती है, उन्हें केन्द्रीय
कारागार, तिहाड़, नई दिल्ली में
रिहात ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा कुछ
अन्य लोगों द्वारा बाधा डालने
तथा परेशान करने का कथित
भारोप

8.12.78
12.12.78
13.12.78
18.12.78
19.12.78

"कि श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा अन्य
के विरुद्ध विशेषाधिकार के हनन तथा
सदन की अस्मानना के प्रश्न को,
विशेषाधिकार समिति के पास इस
संबंध में थाय कि वह छः माह की
अवधि के भीतर अपना प्रतिवेदन दे दे,
भेज दिया जाए ।"

21 नवम्बर, 1978 को सदन में
प्रस्तुत किए गए अपने प्रतिवेदन में
विशेषाधिकार समिति ने भूतपूर्व
प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी
तथा दो संरक्षित अधिकारियों को
विशेषाधिकार के हनन तथा
सदन की अस्मानना के लिए दोषी
पाया है तथा विधायिका की कि
गम्भीर रूप से विशेषाधिकार के
हनन तथा सदन की अस्मानना करने के
लिए वे दण्ड के योग्य हैं किन्तु इस प्रकार
का दण्ड देना समिति ने सदन के

1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - -

आपूविल विवेक पर छोड़ दिया कि जैसा वह अधिक समझे कुछ ही संज्ञित की जिम्मेदारियों तथा निष्कर्षों पर खदन ने सहपति दे दी तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी को खदन ने नियोजित कर दिया तथा उसे और अन्य दो संज्ञित अधिकारियों को खदन ने अज्ञान तक जेल भेज दिया ।

12. श्री पं. तिमके द्वारा 16.11.77 श्री सी.एम. 29.11.1977 को जब श्री सी.एम.स्टीफन को पकड़ी तोर सात के अद्य स्टीफन ने इन मामले को खदन से उठाना चाहा तो के बारे में खदन ने की ई शयम महोदय ने उन्हें बताया कि श्री मधु सिन्हा तथा रि एडवार्सरी टिप्पणी कि "सत्कारित शयम को खदन की प्रतिक्रिया तथा ने विनोबाधिकार को बनाए रखने के कारण हटाने जाने का खदद भ्र रहता था।"

29.11.77 7.12.77

शयम महोदय ने उन्हें बताया कि श्री मधु तिमके की टिप्पणी की प्रतीति ही जा रही है । 7.1.1977 को शयम महोदय ने विनोबाधिकार के प्रान्तों स्वीकृति नहीं दी, क्योंकि इस मामले में खदन के विनोबाधिकार का हनन शामिल नहीं था।

1 2 3 4 5

13. संबोधित अधिकारी द्वारा अध्ययन को भेजी गई सदस्य की निराफ़्तारी संबंधी सूचना की सदस्य की कार्यवाही को "सुलझाजी" के रूप में गन्त तथा निम्नलिखित रूप से जानकारी देने का अधिकार प्रयोग

श्री एम. कल्याणामुन्दरम 29.11.77

संबोधित पुलिस अधिकाारी ने "सुलझाजी" शब्द का प्रयोग किये जाने पर भेद प्रकट किया है। जब सदस्य ने इस मामले को गठन में उठाया चाहा, तथा कहा कि संबंधित पुलिस अधिकाारी द्वारा प्रकट किए गये भेद को मानने में तन्हे कोई बाधकता नहीं है, उन्हेने कहा कि संयुक्त रूप से भेद दे दिए जाये पभी सदस्यों को सूचना भेजी जाए। कथिया पहोदय इससे सहमत हो गए तथा गृह मंत्रालय से प्राप्त पत्र, जसमें पुलिस अधिकाारी द्वारा भेद प्रकट किया गया था, के संबोधित को को समाचार-गा-दो दिनांक 29.11.77 में सदस्यों की जानकारी के लिए प्रकटित किया गया।

14. पुलिस अधिकाारी द्वारा एक सदस्य की श्री गुरुदास 5.12.78 नजरबन्दी तथा उसकी रिहाई के बारे में तथा अपने दल के चुनाव कार्य के संबंध में हुंठे मामलों में फ़साये जाने के संबंध में यू.एन.आई. द्वारा दिया गया अधिका गन्त समाचार।

जब सदस्य ने यह मामला सदन में उठाना चाहा तो अध्यक्ष इस विषयों के प्रश्न को दखीदार कर दिया तथा निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत तब तक सदस्यों के विशेषाधिकार का प्रयोग है, ये उन सदस्यों के लिए है जो बाहर सदस्य की हैसियत में कार्य कर रहे हैं न कि दल के एक नेता कथिया दल के कार्यकर्ता के रूप में।

१११	१२१	१३१	१४१	१५१
-----	-----	-----	-----	-----

15. आपातकाल की घोषणा के त्तारे में, निम्ने स्वर द्वारा स्वीकृति दी गई थी, न्यायमूर्ति जे.पी. शाह, अध्यक्ष, जांच आयोग द्वारा कथित जांच ।

श्री वसन्त साठे

5.12.1977
7.12.1977

5.12.1977 को जब श्री वसन्त साठे ने यह मामला सदन में उठाना चाहा, तो अध्यक्ष ने बताया कि यह मामला उनके विचारार्थीन है । 7.12.1977 को अध्यक्ष ने विनिर्णय दिया कि क्योंकि इस मामले में सदन के विशेषाधिकार का हनन नहीं हुआ । वह विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अपनी अनुमति नहीं देते ।

16. गृह मंत्री श्री चरण सिंह द्वारा सदन के सत्र के दौरान सभा में पढ़े नीति संबंधी वक्तव्य देने के स्थान पर आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर कथित वक्तव्य देना ।

श्री तयात्तार
रवि

30.11.1977
7.12.1977

23.11.1977 को श्री तयात्तार रवि ने यह मामला सदन में उठाने की अनुमति मांगी । 7.12.1977 को अध्यक्ष ने विनिर्णय दिया कि क्योंकि इस मामले में सदन के विशेषाधिकार का हनन नहीं हुआ था, वह विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं देते ।

818 828 838 848 858

17. दक्षिण के राज्यों में चक्रवात के प्रस्ताव पर बीनो दे ए कृषि तथा सिरिगई मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह द्वारा 24.11.77 को सदन में पुरस्कार करने वाला अधिनियम प्रस्तुत किया जाना ।

18. 20.12.1977 को एक दर्शक श्री शंवा-बक्स सिंह द्वारा लगभग 12.40 बजे दर्शन दीर्घ में नारे लगाना ।

श्री जी एस. टीपन 7.12.1977

अध्यक्ष महोदय ने विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी ।

... 20.12.1977

सभापति ने सदन को सूचित किया कि संबंधित व्यक्ति ने एक लिखित उक्तव्य में अपने साक्षरण तथा दर्शक दीर्घ से नारे लगाने पर एक प्रकट किया है तथा अनुरोध किया है कि अपने इस कृत्य के लिए उसे दण्ड कर दिया जाए । सदन ने उसके अर्थ को स्वीकार कर लिया तथा उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया ।

819	828	838	848	858
-----	-----	-----	-----	-----

19. जोड बना मण्डि के मर
 पाया हेने के कारण, ककला
 मल्ल मगस के एक मकानी के
 एक ककला मल्ल मगस के
 अरु मर मण्डि मरवानी ।

श्री जगन्निधि
 मरु

22. 20.1.77

रुध्या ने लोक भा के मुद्रिया
 तथा कार्य खालन मलेने नियम
 के नियम 227 के अन्तर्गत हू मासले
 को खिलोबाधिकार मिति को
 सौंप दिया । 22 अप्रैल, 1979
 को एही लोक भा के विधेन
 ए मर मासला मरव हो गया ।

20 23. 20.1.77 को एक मरु
 श्री मरु मरु मरु मरु मरु
 मरु मरु मरु मरु मरु

25. 20.1.77

रुधने ने निर्णय लिया कि मरु
 को मरु मरु मरु मरु मरु
 मरु मरु मरु मरु मरु

819 828 838 848 858

19. जोड का परिधि के अंत
वाला हेतु के कारण, ककला
गल्ले नगर के एक कारखाने के
व्यक्त ककला गल्ले नगर के
अंत द्वारा स्थित कार्यवाही ।

श्री जगन्निर्मल
बसु
22. 20.1.77
रक्षक ने लोक शा के प्रशिक्षण
तथा कार्य स्थानन स्थिति नियम
के विषय 227 के अंतर्गत दस मासों
को विशेषाधिकार प्रिति को
सौंप दिया । 22 अप्रैल, 1979
को एडी लोक शा के विधेन
एक यह मासका समाप्त हो गया ।

20 23. 20.1.77 को एक व्यक्ति
श्री ... द्वारा एक ...
के न. के लागू तथा एक पैकना ।

25. 20.1.77
एक से निर्णय किया एक व्यक्ति
को धोखाड़ी देकर को दिया
जाए ।

818	828	838	848	858
21. आकाशवाणी द्वारा गदन की कार्यवाही को गतन प्रसारण करने का कथित आरोप	श्री मन्जी राम लागंडी	22.2.1978 24.2.1978	दिनांक 21 फरवरी 1978 को सायं 8.45 बजे आकाशवाणी द्वारा प्रसारित उस दिन राधा की कार्यवाही संबंधी हिस्ट्री लगाचार कुलेटिन के बारे में श्री मन्जी राम बागडी से 22 फरवरी, 1978 को प्राप्त हुए पत्र के विषय में अधिका ने गदन को सूचित किया। सूचना तथा प्रसारण मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण तथा बैंक प्रकट किये जाने को देखते हुए मामले को समाप्त समझा गया।	
22. एक संदेश श्री मोहम्मद अफ्ती कुरैशी द्वारा अधिका महोदय पर गदन के लगाया गया कथित आरोप	श्री अंबर लाल गुप्त	1.2.1978	अधिका महोदय के संबंध में श्री मोहम्मद अफ्ती कुरैशी द्वारा पहले की गई टिप्पणी को विशेषाधिकार समिति को भेजने के लिए श्री अंबर लाल गुप्त द्वारा प्रस्तुत किए गए एक प्रस्ताव को स्वीकृत की गई। बाद में श्री मोहम्मद अफ्ती कुरैशी ने कथित टिप्पणी वापस ले ली तथा इस मामले को समाप्त करने का निर्णय लिया।	

1	2	3	4	5
23.	दिनांक 22.3.78 के "विज्ञान टाइम्स" के एक सामग्री में एक लेख के दल से सम्बन्ध होने को मन्त्र टोम ने पेश करने का स्थित शर्तीय ।	श्री कान्तार रवि	22.3.1978	सम्पादक द्वारा शेर प्रकट करने पर सामग्री को समाप्त कर दिया गया ।
24.	एक विचार के माध्यम से 11 विभिन्न डालर के भुगतान के बारे में विज्ञान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 12 अप्रैल, 1978 को सदन में किया गया प्रश्न करने वाला स्थित वक्तव्य ।	श्री के.पी. उन्नीकुण्णन श्री कान्तार रवि	15.5.1978 18.7.1978	दिनांक 15.5.1978 को कुछ सट्टियों तथा विदेश मंत्री को सुनने के पश्चात अध्यक्ष महोदय ने निम्न 222 के अन्तर्गत विशेषाधिकार के प्रश्न को स्वीकार करने का अपना निर्णय सुरक्षित रखा ।
	श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 12 अप्रैल, 1978 को सदन में किया गया प्रश्न करने वाला स्थित वक्तव्य ।			उपाध्यक्ष महोदय ने विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा सुरक्षित रखे गये विनिर्णय से सदन को अवगत कराया ।

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

25. 15.5.1978 को एक दर्शक 15.5.1978
श्री मैनेन्द्र कुमार मिश्रा जी ने सदन को बताया कि दर्शक श्री मैनेन्द्र कुमार मिश्रा को जिसने दर्शक दीर्घा से नारे लगाए तथा उन्हें कैके थे, वेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। सभा ने इस पर सहमति प्रकट की।

26. आपत्काल में हुई ज्या-स्तियों के लिए तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के लिए विशेष च्यायालयों की स्थापना के संबंध में इंपात तथा मान मंत्री श्री बीजू पटनायक द्वारा सदन में की गई मसौदा करने वाली कृपया टिप्पणी।
श्री के.पी उन्नीकृष्णन श्री त्यागार रवि

28.7.1978
अध्यक्ष महोदय ने विशाखाध्वजार के प्रश्न पर अपनी अनुमति रोक कर अपना विनिर्णय दिया।

1	?	3	4	5
---	---	---	---	---

27. दिनांक 19.7.78 के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" से प्रकाशित एक प्रश्न-समाधान में भू-पूर्व गृह मंत्री श्री वरेण सिंह द्वारा यदन के एक अन्य यदन श्री के.पी. उन्नीकृष्णन पर लगाए गए स्थित आरोप ।

श्री कालार रवि 31.7.1978 श्री के.पी. उन्नीकृष्णन

विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने के संबंध में अपनी सहमति को रोक कर अध्यक्ष ने अपना विनिर्णय दिया ।

28. एक यदन श्री लालजी भाई द्वारा एक अन्य यदन तथा एक भारतीय समिति के विरुद्ध यदन में लगाए गए स्थित आरोप

31.7.78 26.4.79

31.7.78 को जब श्री लालजी भाई ने यदन में कुछ आरोप लगाए तो अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की कि ये आरोप गम्भीर है और वे इन्की लौट करेगे । उनके बाद इन आरोपों को यदन की कार्य-वाही से निकाल दिया गया । 26.4.79 को अध्यक्ष महोदय ने यदन को सूचित किया कि विराशाधिकार समिति ने जिसे उन्होंने नियम 227 के अन्तर्ग यह मामला भेजा था 23.4.79 को प्रस्तुत किए गए अपने प्रन्विदेन में

टिप्पणी की है कि श्री बालजी भाई द्वारा यह प्रश्न करने तथा समाप्त करने के ध्यान में रहते हुए अपने कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। तथा इस मामले को समाप्त किया जाये। इस मामले में उक्त द्वारा अपने कोई कार्यवाही करने की गर्द।

1. भारत, 1978 को श्री बालजी भाई ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-
 "कि इस मामले को विशेष-रूप से ध्यान में रखा जाये" एक अन्य संशोधन श्री ज्योतिष्य बसु ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया :-
 "कि उक्त का प्रश्न लक्षित किया करे तथा इस विषयपर विचार के प्रश्न के संबंध में निर्णय ले।"
 यह कार्य पूरी नहीं हुई। 16 अगस्त, 1978 को निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :-

1.8.78
 16.8.78

श्री बालजी भाई

29. टाइमिंग ऑफ़ दिसकशन
 यह कमेटी के विशेष स्वरदानों द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर, 1978 के साधारण सत्र में 19 अक्टूबर, 1978 को जोड़कर श्री कार्यवाही को कर लेना होगा। प्रस्तावित करने का अधिकार आयोग।

29.

“कि वह साला क्लोथा-
धिकार क्लिफि- के पाठ- इस
निर्देश के साथ भेज- दिया
जाये कि क्लिफि आले
य- की समाप्ति से पूर्व अपना
प्रतिकेन दे दे ।
क्लिफिधिकार क्लिफि 22
मार्च, 1979 को टन से
प्रभुत किए गए अपने चौथे
प्रतिकेन से क्लिफि पर
पत्रों के कि टाग-टाग शफ
क्लिफि के क्लिफि टाग-
लिए गए - पत्रिकेन यथा
प्रकट किए गए भेट को एगन
से राई हुए क्लिफि में आगे
कोई कार्यवाही करने की शक्यकता
नहीं है । इस मामले से लटन
द्वारा कोई कार्यवाही नहीं
की गई ।

1	2	3	4	5
30.	संस्थान के अध्यक्ष 14.8.78 के अ.सं.सं. प्रतिपक्ष और संसदीय संस्थान से विरोध व्यक्त की प्रतिपक्ष के अ.सं.सं. का कथित विरोध ।	श्री जी.एस. दोष	14.8.1978	संस्थान के प्रथम को उठाने पर अनुपस्थिति विनिर्णय दिया ।
31.	श्री सुभाष चरण शर्मा, संस्थान के वि.सं.सं. 14.8.78 के प्रसंग से कथित विरोध ।	श्री सुभाष चरण शर्मा	16.8.1978	संस्थान की कि प्रसंग के प्रस्तावक और प्रकाशक द्वारा विना परिपक्वता के कारण संस्थान स्थापित किया गया परन्तु प्रस्तावक एवं प्रकाशक को भविष्य में और अधिक गंभीर होने की चेतावनी दी गई थी।

34. श्री गोपजी भाई डागोर, पंडित जी. एन. दादर मुंबई, तारा - 1.7.78 विवाही
 जी मरण से तथा मरण की
 किन्ने एक पत्र में मरण की आवास
 - अन्तिम के आशय पंडित जी. एन.
 विवाही के वि. विरागार आरोप
 आगत ।

29.8.1978

उपाध्याय ने सदन को सूचित किया कि
 श्री गोपजी भाई डागोर, दादर मुंबई
 ने कहा गया है कि वह या तो अपने
 द्वारा लगाये गये आरोपों की मुद्रि
 के अथवा गेट बयक्त करे गे श्री
 गोपजी भाई डागोर ने उध्या तथा
 आवास विधि के आशय से बिना
 पत्र गेट बयक्त किया है । श्री गोपजी
 भाई डागोर ने विना पत्र गेट बयक्त
 किये जाने को ध्यान से समझे हुए
 सदन ने पाते ही समाप्ति/कि
 सदन की समाप्ति प्रकृत की ।

1 2 3 4

35. श्री. लक्ष्मणोत्तम शरण
के परिवार ने नारे लगाया था
सामग्री उपस्थित की।

21.12.1978 अद्योतने रतन की प्रतिक्रिया कि
को लक्षित लाल टिन के लिए भवन
के परिवार ने नारे लगा रहे थे तथा
इसका नाम उपस्थित कर रहे थे।
उसको अंतर्गत भवन के परिवार वाच एण्ड
वार्ड अधिकारी द्वारा हटाया गया
था उन्हें प्रतिक्रिया अधिकारियों को
नौपा गया। रतन ने अध्या के इस
प्रमाण पर, कि उन्हें गैर ठीक दिया जाए
आपनी सहमति प्रकट की।

36. श्री. लक्ष्मणोत्तम शरण
के परिवार ने नारे लगाया था
सामग्री उपस्थित की।

22.12.1978 अद्योतने रतन की प्रतिक्रिया
कि लक्ष्मणोत्तम शरण के परिवार
के परिवार एवं लक्ष्मणोत्तम शरण
तथा लक्ष्मणोत्तम शरण के परिवार
नारे थे श्री. लक्ष्मणोत्तम शरण की
को प्रतिक्रिया के लिए लक्ष्मणोत्तम शरण
प्रमाणित करने के लिए लक्ष्मणोत्तम शरण
के परिवार द्वारा किया गया।

1	2	3	4
---	---	---	---

39. श्री पी. वेंकट सुब्बाराव भारत
 जन ट्रेडिंग विल्डिजी आफ इण्डिया
 के सम्पादक एवं प्रकाशन के लिए
 वर्ष 5 अक्टूबर, 1978 के अंक में
 सम्पादकीय सूचना के लिए
 प्रेषित श्री कि के सम्पादन के अंक में
 पर प्रेषित श्री कि के लिए, विभागाधीन
 के प्रेषण की सूचना दे गई।

22.12.1978

संलग्न संशोधन से सदन को सूचित
 किया कि जन ट्रेडिंग विल्डिजी आफ
 इण्डिया के सम्पादक एवं प्रकाशन
 के रूप में श्री कि के लिए प्रकाशन
 नहीं है। उनके द्वारा जारी गई
 पत्रिकाओं के लिए, सम्पादन के
 अंक में प्रेषित किया गया फिर भी
 उनके सम्पादन के लिए कि सम्पादक
 के जन ट्रेडिंग विल्डिजी आफ इण्डिया
 के प्रकाशन के प्रकाशन करने को
 कहा जाय। सदन की आज्ञानुसार
 सम्पादक द्वारा जन ट्रेडिंग विल्डिजी
 आफ इण्डिया के दिनांक 22-27
 अक्टूबर, 1979 के अंक में प्रकाशन
 प्रकाशित की गई।

1	3	4	5
<p>40. 19 दिसम्बर, 1978 को उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मान अखिल भारतीय किसान मजदूर संघ के जना लोक महा मंच के प्रथम सत्र के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया था जो संसद में पेश करने के लिए अखिल भारतीय किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार सिंह के द्वारा प्रस्तुत किया गया था।</p>	<p>22.2.1979</p>	<p>अखिल भारतीय किसान मजदूर संघ के अखिल भारतीय किसान मजदूर संघ के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए</p>	<p>उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए</p>
<p>41. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए</p>	<p>1.3.1979</p>	<p>उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए</p>	<p>उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए</p>

विशेषाधिकार संहिता में अपने
पत्रों रिपोर्ट में, जो कि 31 मार्च,
1979 को प्रकाशित हुए, प्रत्येक की
की थी तथा 9 मार्च, 1979 को
का है पत्र का रॉजिस्ट्रार की, टिप्पणी
की कि का में अपने कार्रवाई
की की आवश्यकता नहीं है तथा इसे
साप्त कर दिया जाय। उक्त द्वारा
र का से में अपने कौर्न कार्रवाई
की गई।

42. दार्जिलिंग में बृहत् काल फैसला 6.3.1979

समापति ने जग मो झंस्त दिया कि बाल हमने पहले दस्तीने ने पभा में कुछ कागल कैसे थे तथा उन्हेंने लिखित बतव्य किया है, परन्तु अपने इस कार्य के लिए पैद प्रस्ट नहीं किया। पभा ने लिफाय दिया कि उन्हेंने भीर अण्णाल किया है तथा पभा के स्वमान के दो ती है। आग/र लिफाय किया कि उन्हेंने उन लिच पभा ने उठने तक वाच ण्ड वाई अस्पर की अश्रया में रग जाय और उनके पचात केतवनी देकर छोड़ दिया जाय। तदनुसार दोस्तीने तो पभा ने उठने के बाद केतवनी देकर छोड़ दिया गया।

43. सन्ने, नार्दन झंस्त्या पक्रा, इलाहाबाद तथा माथीग ईको, नई दिल्ली में प्रचलित समाचार के अनुसार, 1979-80 के बजट प्रस्तावों को संवेद में प्रस्तुत करने जाने से पूर्व उनका पता लग जाने के कश्चित मामलों के संबंध में सर्वज्ञा क्यालार रचि तथा वस्तु साठे का उप्रधान मंत्री एवं वित्त मंत्री श्री करण सिंह के विरुद्ध दी गयी विवेकीय अधिकार के प्रान की सूचना।

अरयस ने संपना त्रिनिफाय दिया बार यथ ने विवेकीय अधिकार के प्रान को उठाने की अनुमति नहीं दी।

7.3.1979

44. अंतराष्ट्रीय प्रज्ञा संसद के सम्बंध में, जिसका 6 दिसम्बर, 1978 को किया गया था लोक सभा को गलत जानकारी देने के अर्थ वाक्य के अर्थ में श्री एडुवाडो फ्लोरिओ, फारमोसो मंत्री श्री पी. रामकृष्ण, उन्मादी भार.पी. सोमना, संयुक्त शक्ति, राजा मंत्रालय के विरुद्ध की गयी विनोदशिकार के प्रश्न की सूचना ।

45. रिट याचिका के संबंध में जनरल उच्च न्यायालय ने प्राप्त सूचना जिसमें लोक सभा शक्ति को उच्च न्यायालय के अपराध समझा होने के लिये कहा गया था ।

46. कलकत्ता उच्च न्यायालय के ए. ... क्लीन और ए. न्यायाधीश द्वारा लोक सभा शक्ति के 176वें प्रतिवेदन शिकायती लोक सभा में अन्तर्विद्वेष शिकायतों पर की गई हुई रिपोर्टों के संबंध में

8.3.1979 अक्षय महोदय ने अपना विनिर्णय किया और विनोदशिकार के प्रश्न को ठठाने की अनुमति नहीं दी ।

12.4.1979 अक्षय ने रिपोर्टों की कि सभा की शक्ति पर शक्ति, लोक सभा को नोटिस का फालत न करने को कहा गया है तथा रिपोर्टों में अनुमति दिया जा रहा है कि वह इस संबंध में जनरल उच्च न्यायालय को शिकायतें शक्ति से कराए ।

16.4.1979 अक्षय ने अपना विनिर्णय किया और विनोदशिकार के प्रश्न को ठठाने की अनुमति नहीं दी ।

श्री ज्योतिष बिबु द्वारा दी गयी
विशेषाधिकारों के प्राप्ति की सूचना ।

47. लोक सेवा सचिवालय में 123वें प्रतिवेदन
के अन्तर्गत श्री अन्तर्दिष्ट सिफारिशों
के अन्तर्गत राजस्व तथा बजट प्रभाग के
अधीन राज्यमंत्री श्री प्रणव कुमार मुजुम-
दार का अन्तर्गत प्रवृत्ति के स्वेच्छा प्रदान
के अन्तर्गत 19 जनवरी, 1976 को दिनांक
में श्री ज्योतिष बिबु द्वारा दी गयी
विशेषाधिकारों के प्राप्ति की सूचना ।

23.4.1979
16.5.1979

दिनांक 23.4.1979 को अध्याय ने टिप्पणी
की कि सेवा प्रवृत्ति होना है कि सेवा को दी
गयी सूचना खिलाना गत है । प्रश्न यह है कि
क्या सेवा को जानबूझकर गुप्तारह किया
गया है ? यदि हाँ, तो उसके कौन
जिम्मेदार हैं ? सरकार से यह आशा की
जाती है कि वह इन प्रश्नों के अर्थ में
अवलम्बित जांच करने का आदेश दे ।

अध्याय ने यह टिप्पणी की थी कि वह इस
अध्याय पर कि जांच जारी ही जाणी,
प्राप्ति पर जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक
विचार करना सम्भव नहीं है ।

दिनांक 16.5.1979 को अध्याय ने अपना
निष्कर्ष देते हुए बताया कि, लोक सेवा
एवं राज्य सेवा की विशेषाधिकार सचिवा-
लयों की प्रवृत्ति के प्रतिवेदन में निर्धारित
तथा संघ की दोनों संभाओं द्वारा स्वीकृत
कार्यप्रणाली के अनुसार, राज्य सेवा के
समाप्ति के प्राप्ति देखा ।

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

48. 1 अप्रैल, 1979 को प्रकाशित हिन्दुस्तान ... 4.5.1979
 टाइम्स में दिनांक 16 अप्रैल 1979 की
 लोक सभा की कार्यवाही के कुछ अंशों
 को गलत रूप से प्रकाशित करने पर
 हिन्दुस्तान टाइम्स के विरुद्ध श्री मल्लिकार्जुन
 खारसी विनोदगिरी के प्रश्न
 की दी गई सूचना ।

49. पुणे ये वारं. व्याख्यामाला के तत्वावधान ... 16.5.1979
 में 12 मई, 1979 को लोक सभा अध्यक्ष
 द्वारा दिए गए भाषणा के दौरान संसद
 सदस्यों के बीच लड़के के प्रति अपमानजनक
 टिप्पणी करने के विरुद्ध श्री पी.एम.पंडित
 द्वारा लोक सभाध्यक्ष के विरुद्ध
 विनोदगिरी के प्रश्न की दी गई सूचना ।

50. दिनांक 20.5.1979 को समाचार पत्रों
 में प्रकाशित समाचारों के अनुसार एमर
 इण्डिया के पूर्व अध्यक्ष श्री जे.कार.श्री.
 टाटा द्वारा पी.पी.काई ली एक प्रेस
 इन्टरव्यू में लोक सभा के सरकारी
 उपक्रमों संबंधी सन्निधि के बारे में की
 गई कतिपय टिप्पणियाँ
 तथा अन्य

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि
 हिन्दुस्तान टाइम्स के अंशों तथा
 प्रकाशकों दोनों ने ही इस गलती के लिए
 ज़ेद प्रकट किया है । उन दो द्वारा की
 गई क्षमा याचना को देखते हुए मामले को
 समाप्त प्रकटा जाए ।

लोक सभाध्यक्ष ने अपना विनोदगिरी विद्या
 और विनोदगिरी प्रश्न रखाने की
 अनुमति नहीं दी ।

लोक सभाध्यक्ष ने 9.7.1979 को यह
 मामला सदन की विनोदगिरी सन्निधि
 को प्रेषित अतः 22 अगस्त 1979 को
 इसी लोक सभा में होने के कारण यह
 मामला समाप्त हो गया ।

----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 -----

51. सरकारी उपग्रहों सम्बन्धी संपत्ति श्री कपालाक्ष रवि 19.7.1979 - वही -
तथा संशुद्ध हो बरनाम करने के लिए
16 मई, 1979 के इंडिया टुडे में
प्रकाशित तथा शिक्षा दुर्भविष्य
रिपोर्ट ।

अध्याय-9

सभा पटल पर रचे गए वितरण/पत्र

मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्य :

लोक महत्व के विषयों अथवा प्राथमिक महत्व सम्बन्धी सरकार की नीति से सभा को अज्ञात कराने के लिए मंत्री महोदय लोक सभाध्यक्ष की अनुमति से प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 372 के अधीन समय समय पर सदन में वक्तव्य देते हैं ।

नियमानुसार सभा द्वारा वक्तव्य दिए जाने के बाद प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है क्योंकि सदन ने सामने ऐसा कोई प्राथमिक प्रस्ताव नहीं होता जिस पर वाद-विवाद किया जा सके।

देश में घटने वाली सभी गंभीर घटनाओं की सदन को यथासंभव शीघ्र सूचना देने की दृष्टि से इस परम्परा का पालन किया जाता है कि घटित घटना के बारे में मंत्री स्वतः ही सदन में वक्तव्य दे । यह एक सामान्य परम्परा है कि जब सदन सत्राधीन होता है उस समय नीति सम्बन्धी वक्तव्य प्रेष में प्रकाशित होने से पूर्व सदन में दिए जाते हैं ।

वितरण संख्या-48 में छठी लोक सभा के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण वक्तव्यों का उल्लेख किया गया है ।

सभा पटल पर रचे गए पत्र

संसदीय भाषा में "सभा पटल पर रचे गए पत्रों" का तात्पर्य उन सभी दस्तावेजों, वक्तव्यों, रिपोर्टों, नियम एवं विनियमों, सरकारी अधिसूचनाओं आदि से है जो लेखित करने के लिए सभा पटल पर रचे जाते हैं । सदन में विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए वातावरण तैयार करने हेतु संसद को अधिकृत तथ्य तथा सूचनाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है ।

लोक सभा को अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी सूचना के लिए आवश्यक सभी पत्रों को सभापटल पर रखने का सामान्यतः अधिकार में अन्तर्दिष्ट विविध उपबन्धों, विभिन्न केन्द्रीय संविधियों, प्रदान की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली, लोक सभाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों और तत्संबंधी निर्धारित प्रक्रियाओं तथा परम्पराओं एवं संसदीय सर्पितियों की विफािशों के अनुपालन में ही ये पत्र सभा पटल पर रखे जाते हैं ।

संविधान के अन्तर्गत सभा पटल पर रखे गए पत्र

संविधान के उपबन्धों के अनुकरण में निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे जाते हैं :-

- § एक § बजट तथा तत्संबंधी अन्य दस्तावेज § अनुच्छेद 112 §,
- § दो § अनुपूरक तथा अतिरिक्त अनुदानों की प्राप्ति § अनुच्छेद 115 §,
- § तीन § रा राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश § अनुच्छेद 123 §,
- § चार § भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन § अनुच्छेद 151 §,
- § पांच § वित्त आयोग के प्रतिवेदन § अनुच्छेद 281 §, .
- § छ § संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन § अनुच्छेद 323 §,
- § सात § अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विशेष अधिकारों के प्रतिवेदन § अनुच्छेद 338 §,
- § आठ § पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिवेदन § अनुच्छेद 340 § .
- § नौ § भाषाई मल्पसंन्यकों के विशेष अधिकारों के प्रतिवेदन § अनुच्छेद 350-3 §,
- § दस § आपातस्थिति की उद्घोषणा § अनुच्छेद 352 §,
- § ग्यारह § किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा § अनुच्छेद 356 §,
- § बारह § अनुच्छेद 359 के अन्तर्गत जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश, §
- § तेरह § वित्तीय आपातस्थिति की उद्घोषणा § अनुच्छेद 360 § ।

परिचालन के अंतर्गत रहे गए पत्र :

विभिन्न परिचालन के अंतर्गत निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर री जाते हैं :-

- ॥ एक ॥ वापसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत संस्थापित या संसद के विधायक अधिनियमों के अंतर्गत संस्थापित सरकारी उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा लेने,
- ॥ दो ॥ संसद के विधायक अधिनियमों के अंतर्गत संस्थापित, सरकारी उपक्रमों के अंतर्गत, पाठ्यक्रम विकास के प्रतिवेदन,
- ॥ तीन ॥ प्रत्यायोजित विधान की शक्तियों के अंतर्गत सरकार द्वारा बनाए गए नियम, उप नियम, विनियम, उप विधायक ,
- ॥ चार ॥ सरकारी संकल्प, पाठ्यक्रम या कार्यकारी आदेश अथवा विभिन्न केन्द्रीय संस्थानों के अंतर्गत जारी अन्य पत्र ।

प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमावली के अंतर्गत रहे गए पत्र

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के पत्र सभा पटल पर री जाते हैं :-

- ॥ एक ॥ विधेयकों सम्बंधी प्रश्न तथा संयुक्त समितिके प्रतिवेदन,
- ॥ दो ॥ स्थायी संसदीय समिति के प्रतिवेदन,
- ॥ तीन ॥ याचिकाएं,
- ॥ चार ॥ अध्यादेशों से संबंधित विवरण
- ॥ पांच ॥ संसद के दोनों सदनो द्वारा संशोधित रूप स्थापित नियम, विनियम आदि,
- ॥ छ ॥ राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में वापस किए गए तथा पारित किए गए विधेयक,
- ॥ सात ॥ पुनर्विचार के लिए/वापस किए गए विधेयक, राष्ट्रपति द्वारा
- ॥ आठ ॥ अतारांकित प्रश्नों के अथवा उन तारांकित प्रश्नों के उत्तर जिन्के मासिक उत्तर भी जारी/वा सकी हो ।

लोक सभाध्यक्ष के निर्देशों के अन्तर्गत सभा पटल पर
रखे गए पत्र

लोक सभाध्यक्ष द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे जाते हैं :-

- § एक § आधे घंटे की चर्चा के उत्तर में मंत्री द्वारा वक्तव्य जबकि इन प्रयोजन के लिए निर्धारित समय में पूरा उत्तर न दिया जा सका हो,
 - § दो § जनमत प्राप्त करने के लिए परिवर्तित विधेयक पर राय ।
 - § तीन § राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत विधेयक,
 - § चार § ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी विवरणा, उस दशा में जब एक से अधिक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत कर लिए जायें ।
 - § पांच § स्थायी संसदीय समितियों की बैठकों के कार्यवाही सारंगरा ।
 - § छः § किसी प्रवर या संयुक्त समिति से संबंधित दस्तावेज ।
- संसदीय समितियों की सिफारिशों पर सभा पटल पर
रखे जाने वाले पत्र -

कई बार संसदीय समितियों सभा पटल पर रखे जाने वाले अपने प्रतिवेदनों में कुछ दस्तावेज, ^{प्रतिवेदन} व्याख्यात्मक ज्ञापन आदि सभा पटल पर रखने की सिफारिश करती हैं । इन सिफारिशों के अनुसरण में उक्त पत्र सभा पटल पर रखे जाते हैं ।

कोई गैर-सरकारी सदस्य भी लोक सभा के अध्यक्ष की अनुमति से सभापटल पर पत्र रख सकता है । अतः जब कोई गैर-सरकारी सदस्य किसी दस्तावेज से कोई उद्धरण देता है तो वह अपनी इच्छा से या सदन की भांग पर इस दस्तावेज को सभापटल पर रख सकता है । गैर सरकारी सदस्य से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज भी वह सभा पटल पर रखे ।

छठी लोक सभा के दौरान कुल 5872 पत्र सभा पटल पर रखे गए । छठी लोक सभा के दौरान सभा पटल पर रखे गए विभिन्न श्रेणी के पत्रों की संख्या विवरणा 49 में दी गई है ।

नियम 372 के अन्तर्गत छद्म लोके साक्षात् में मंत्रियों
द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण वक्तव्य

द्वारा

सत्र की संख्या	वक्तव्य देने वाले मंत्री का नाम	वक्तव्य का विषय	वक्तव्य की तिथि	लिया गया समय
पहला	श्री जार्ज फ्लाइस	ड्राक तथा दूर संचार सेवाओं के कुछ पहलू	31.3.77	0-08
	श्री मधु दण्डुक्ते	* 30 मार्च, 1977 को दक्षिण रेलवे के सेवर स्टेशन पर 28 अप्रैल मंगलौर मेट्रो एक्सप्रेस का घटरी से उतर जाना	31.3.77	0-01
	श्री रवीन्द्र वर्मा	समाचार पत्रों के अज्ञेयों द्वारा तथा और पत्रकार कमिश्नरियों के मामले में मजुरों की अन्तर्गत दरे निष्कारित करने के प्रश्न	1.4.77	0-04
	श्री प्रताप चन्द्र चन्दर	11 साक्षरता का सर्व प्रसार 12 माध्यमिक शिक्षा का सुधार 13 अनुष्ठान शिक्षा और संस्कृति विभागों में राजनीतिक मंत्राय और 15 छात्र संघ चुनावों पर प्रतिबंध की हटाए और आपात्काल के दौरान जारी किये गये इसी प्रकार के आदेशों के पुनरीक्षण के बारे में सरकार को नीति	5.4.77	0-05

* वक्तव्य साक्षात् पटले पर रखा गया।

बोधधारी वरणा सिंह

आपात काल के दौरान जो गई ज्यादतियों को जांच का आदेश देने के बारे में सरकार का प्रस्ताव

7.4.77 0-09

। बोधधारी वरणा सिंह

सुन्दर सिंह डूँडत की दिल्ली पुलिस को धरारास्त में मृत्यु की जांच का आदेश देने का सरकार का प्रस्ताव

7.4.77 0-09

श्री लाल कुंज उडवानी
श्री पुरुषोत्तम कौराक

समाचार
नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के डो0सो0-3 विमान का 5 अप्रैल 1977 को आन्ध्र प्रदेश में ओगोल के समीप दुष्टिनाग्रस्त होना

7.4.77 0-06

7.4.77 0-02

बोधधारी वरणा सिंह

ग्रामीण विकास स्वच्छिञ्ज एजेंसी एसोसियेशन तथा कुछ अन्य संगठनों के विरुद्ध जांच दिनांक 30.5.1977 को पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के बदलगुरी और रोटा बागान स्टेशनों के बीच रेल गाड़ी संख्या 13 अ की तेजपुर एक्सप्रेस के साथ दुष्टिना

7.4.77 0-02

दूसरा श्री 0 मधु दण्डवती

बोधधारी वरणा सिंह

विहार में 10.6.77 को, जो राज्य विधान सभा के चुनाव के लिये मतदान का पहला दिन था, कई निर्वाचन क्षेत्रों में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने तथा झाड़ा के परिणाम

11.6.77 0-01

13.6.77 0-05

स्वस

कुछ व्यक्तियों को मृत्यु और कुछ व्यक्तियों को चोट आने के समाचार

श्री चौधारी चरण सिंह

जन्म तथा काश्मीर में हुआ तथा अत्याचार को घटाना

15.6.77 0-03

श्री मोरारजी देसाई

लन्दन में राष्ट्र मण्डल प्रधान मंत्री सम्मेलन में प्रधान मंत्री द्वारा भाग लेना

17.6.77 0-19

श्री पी० रामचन्द्रन

दिल्ली में बिजली को कमी तथा बदरपुर तापीय विजली घर में युनिट संख्या 1 का बन्द होना

22.6.77 0-02

श्री अटल बिहारी वाजपेयी

नौसम छाराब होने/इंधन की कमी के कारण 30 जून, 1977 को अमृतसर हवाई अड्डे पर पाकिस्तान के दो इंजन वाले वाइपर विमान का हतरना

30.6.77 0-02

श्री चौधारी चरण सिंह

श्री संजय गांधी और हुन्को पत्नी से सम्बन्धित। जुलाई 1977 को पाल्म हवाई अड्डे पर कठिना घटनाएं

2.7.77 0-02

श्री अटल बिहारी वाजपेयी

पाकिस्तान में सेना द्वारा सत्ता हथियाने तथा प्रधान मंत्री श्री भुट्टो की गिरफ्तारी का समाचार

5.7.77 0-01

2 3 4 5

श्री रवीन्द्र वर्मा	इण्डियन एक्सप्रेस ग्रुप के समाचार पत्रों के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच हुआ समझौता	6.7.77	0-02
श्री मोरारजी देसाई	भारत रत्न और पद्म अर्पाधायों नामक शिविलियन अर्पाधायों का बन्द किया जाना	13.7.77	0-01
चौधारी चरण सिंह	दिल्ली में वित्तोली शराब पीने के कारण कुछ व्यक्तियों को मृत्यु	14.7.77	0-03
श्री राजेंद्र वर्मा	पत्तन और गोदी श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के बीच हुआ समझौता	14.7.77	0-01
डॉ० पी० सी० चन्दर	केन्द्रीय सरकार में ली०और डी० ग्रुप के पदों में तथा भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समकक्ष पदों में विकलांग व्यक्तियों के लिये रिक्त पदों का आरक्षण	15.7.77	0-04
चौधारी चरण सिंह	मासिक ग्रुप के कार्यों का जांच करने के लिये एक सदस्यीय जांच आयोग से न्यायमूर्ति डी०एस० माथुर का त्याग पत्र	20.7.77	0-17
श्री एच० एस० पटेल	अतिरिक्त परिनिष्ठायां अतिरिक्त अधिस्थान, 1974 के अधीन अतिरिक्त महंगाई भत्ता अर्थात् राशि को दूसरी किस्त का भुगतान	22.7.77	0-04

श्री धारो वरण सिंह

20 जुलाई, 1977 को मारुति ग्रुप के कार्यालयापों को जांच करने के लिये एक सदस्यीय जांच आयोग से न्यायमूर्ति डी०एस० माथुर के आग मंत्र के बारे में वक्तव्य पर प्रश्नों के दोरान गृह मंत्री द्वारा दो गई कुछ जाकारों का स्पष्टीकरण

26.7.77 0-03

श्री जार्ज फ्लॉजिस

सोमेश को अपलब्धाता

28.7.77 0-04

श्री० मधु दण्डवते

राजधरा -सहारसु -ले लाइन के निर्माण के लिये निर्माण व्यवस्था में परिवर्तन

3.8.77 0-01

श्री अटल बिहारी वाजपेयी

विदेरा मंत्री का तंजाविया का दोरा तथा तंजाविया के भेजाओं के सारा हुई रकको बात-चीत का परिणाम

4.8.77 0-09

श्री सुरजीत सिंह बरनाला

* देश में बाढ़ को र्थिति तथा इस स्थिति का निबन्धा करने के लिये सरकार द्वारा वा गई कार्यवाही

5.3.77 0-01

श्री० मधु दण्डवते

श्री०लापूर डिवोजन को मध्य रेलवे में मिलाने का प्रश्न

6.8.77 0-03

* वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया ।

	2	3	4	5
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	भारतीय राष्ट्रियों को पारंप्र देने के लिये पुनरोद्दिष्ट तथा हठार नीति		8.8.77	0-32
श्री बृज लाल वर्मा	डाक तथा दूरसंचार सेवा में से सम्बन्धित कुछ नीतियां गहलू		8.8.77	0-16
श्री धारी चरण सिंह	दिल्ली में पुलिस आयुक्त प्रणाली आरम्भ करना		8.8.77	0-05
श्री धारी चरण सिंह	दिल्ली के तत्कालीन समाप्त द्वारा जारी किये गये 26 जून, 1975 के "मोसा" वार्डों को फोर्से डेटापों का प्रकाशन		8.8.77	0-15
श्री मोरारजी देसाई	फरका पर गंगा नदी के जल के बंटवारे तथा इसके बहाव को बढ़ाने के बारे में भारतीय गणतंत्र को सरकार तथा बंगलादेश लोकतांत्रिक गणराज्य को सरकार के बीच करार		14.11.77	0-26
श्री मोरारजी देसाई	प्रधान मंत्री को 21 से 26 अक्टूबर, 1977 तक संविधान संघ की यात्रा		14.11.77	0-06
श्री लाल कृष्ण खड्गानी	समाचार न्यूज एजेंसी		14.11.77	0-09

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

श्री० मधु दण्डवकी

14.11.77 0-07

हस्तर रेलवे में दो गम्भीर रेलगाड़ी दुर्घटनाएँ अर्थात् 11/28.8.77 को सराय गीपा फ्लैग स्टेशन पर रेल फाटक दुर्घटना और 2/10.10.77 को मैना स्टेशन पर 103 अण्डाकड़ा-अमृतसर डी.के.एस. एक्सप्रेस तथा कानपुर रीशल मालगाड़ी के बीच टक्कर

श्री धारी चरण सिंह

15.11.77 0-06

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति

श्री एच० राम० पटेल

15.11.77 0-02

चीनो पर हत्यादन शुल्क / कमी

श्री एच० राम० पटेल

16.11.77 0-05

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त नवगाई भातले को एक किस्त की मंजूरी

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

श्री० मधु दण्डव्ते

18.11.77 0-06

हाल ही में आये समुद्री तूफान के कारण दक्षिण रेलवे पर रेल मार्ग को पहुँचो व्यापक क्षति तथा रेल सेवाओं का प्रस्त व्य. हो जाना ।

श्री मोहन धारिया

21.11.77 0-07

दालें तथा ग्राव्स के भण्डारण नियंत्रण आदेश, 1977

श्री भानु प्रताप सिंह

21.11.77 0-05

आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों में डान में आये समुद्री तूफान के कारण हुई जन हानि और नुकसान सम्बन्धित को पहुँचो क्षति

श्री सतोरण अग्रवाल

21.11.77 0-04

तमिल नाडु और आन्ध्र प्रदेश में दैवी विपत्ति

श्री० मधु दण्डव्ते

23.11.77 0-05

23 नवम्बर 1977 को मम्बई रेलवे के जयपुर बाँदी बुई-रिवाड़ी जोखान पर अजारका और डाल स्टेशनों के बीच अहमदाबाद-दिल्ली मेल का पटरी से उतर जाना ।

श्री जल बिहारी वाजोयेयी

24.11.77 -

विदेश मंत्रों को 7 से 9 नवम्बर, 1977 तक यूगोस्लाविया को यात्रा

श्री रवीन्द्र वर्मा

नागपुर डिवीजन के आभला-नागपुर
सेक्शन पर नागपुर से आभला
90 किलोमीटर दूर नारडोड के
निष्कट जोक्टो ऐडमिंस का
दुर्घटनाग्रस्त हो जाना

2.12.77

0-01

श्री लारंग साई

देश के दक्षिणी भागों में जाये समुद्री
तूफान और राहत कार्य पर वर्धा करने
के लिये मंगलवार, 6 दिसम्बर 1977 को
3 बजे नागपुर से 7 बजे कोच्ची
का समय निधारित किया जाना
और फरवका पर गंगा के तानों के बन्दारे
के त्तारे में बंगलादेश के साधा किये गये
करार पर वर्धा को त्तिया को मंगलवार
6 दिसम्बर से बदल कर गुस्वार
15 दिसम्बर 1977 निधारित किया
जाना

2.12.77

0-01

श्री हेमकान्तो नन्दन बहुगुणा

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन

5.12.77

0-05

श्री 0 गधु दण्डक्से

रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन

5.12.77

0-05

	2	3	4	5
श्री मोरारजी देसाई	प्रधान मंत्री को नेपाल यात्रा		12.12.77	0-07
श्री मोरारजी देसाई	संघात राज संस्थाओं के कार्यकरण की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति		12.12.77	0-01
श्री मोहन धारिया	द्वितीय अर्थसूची 1977 के अन्तर्गत प्रसारण के अक्षर पर बचत को व्यवस्थापन		16.12.77	0-01
श्री हेमवती नन्दन अहिरा	तेल मूल्य समिति को अफिशियों पर सरकार के नियंत्रण		16.12.77	0-03
श्री हेमवती नन्दन अहिरा	मेसर्स बंगाल केमिकल् एंड मार्केटिंग एजेंसी लिमिटेड सरकार के प्रशासन को अपने हाथ में लेना		16.12.77	0-02
श्री 0 नन्दन अहिरा	दुध उत्पादन के सम्पूर्ण मामलों पर विचार करने के लिये उच्च शक्ति प्राप्त दुध उत्पादन समिति का गठन		19.12.77	0-02

	2	3	4	5
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	विदेशी मंत्रों को 6 से 8 फरवरी, 1978 तक पाकिस्तान की यात्रा		27.2.78	0-08
श्री सुशील सिंह बरनाला	चीनी सम्बन्धी नीति		27.2.78	0-05
श्री एस० एस० टेल	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 1978 से महंगाई भत्ते को एक अतिरिक्त किस्त को नष्टुरी		27.2.78	0-02
श्री धारम चरण सिंह	शाह जॉन आयोग द्वारा दिया गया अन्तिम प्रतिवेदन		13.3.78	0-07
श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र	भारतीय राष्ट्रीय ग्रन्थालय अधिनियम, 1976		14.3.78	0-05
श्री धारम चरण सिंह	26 फरवरी, 1978 को उद्योगी राजस्थान में औरतों के साथ शिष्ट व्यवहार		17.3.78	0-09
श्री मोहन धारिया	अग्रिधातु व्यापार को रोकने के लिये भारत सरकार तथा नेपाल सरकार के बीच 17 मार्च, 1978 को हुए व्यापार तथा पारगमन समझौते और सहकारिता करार		20.3.78	0-03

	2	3	4	5
श्री श्री 0 रामचन्द्रन	श्री श्री 0 रामचन्द्रन	श्री श्री 0 रामचन्द्रन	29.3.78	6-01
श्री लाल कृष्ण खड्गवानी	श्री लाल कृष्ण खड्गवानी	श्री लाल कृष्ण खड्गवानी	29.3.78	0-03
श्री जगजोवन राम	श्री जगजोवन राम	श्री जगजोवन राम	29.3.78	0-16
श्री मोहन धा, रिया	श्री मोहन धा, रिया	श्री मोहन धा, रिया	29.3.78	0-07
श्री लाल कृष्ण खड्गवानी	श्री लाल कृष्ण खड्गवानी	श्री लाल कृष्ण खड्गवानी	29.3.78	0-18
श्री जगजोवन राम	श्री जगजोवन राम	श्री जगजोवन राम	29.3.78	0-11

मिजोरम
निवारक मजबूदी
औद्योगिक और मॉर्नस्युटिवल्स इद्योग
सम्बन्धी मुद्दों के सम्बन्ध में पर
निर्णयों को दृष्टान्तित्वात् विवरण
बदरपुर ताम विद्युत परिचोजना और
बदरपुर ताम विद्युत केन्द्र की सम्बन्ध
राष्ट्रीय ताम विद्युत निगम अन्तर्गत
किया जाना
वर्ष 1978-79 के लिये सरकार को
आयात निर्यात नीति
दूरदर्शन केन्द्र, सोनार में
अग्निशक्ति का समाचार
भारतीय वायु सेना के लिये कैबिनेट
और हॉटलों के पुराने ढोंके के स्थान
पर नई किसिम का विमान प्राप्त करने
के प्रस्ताव के समाचार के बारे में
श्री श्यामनन्दन मिश्र द्वारा 4 अप्रैल, 1978
को प्रश्न 377 के अन्तर्गत सभा में उठाने
गया मामला ।

	2	3	4	5
श्री शीर सिंह	बबेना ठावनी बोर्ड के 22 हरिजन सफाई कार्यकारियों को छुट्टी किये जाने के बारे में श्री लक्ष्मीनारायण नायक द्वारा नियम 377 के धारा 8 मार्च 1978 को सभा में ठाया गया मामला ।		5.4.78	0-01
प्रो० मधु दण्डवते	पटना जंक्शन पर रेलवे प्रायोजित छात्रावास के पुनः छोले जाने के बारे में 6 अगस्त, 1978 को सभा में श्री राम क्लाना द्वारा द्वारा नियम 377 के अधीन ठाया गया मामला		7.4.78	0-02
श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र	काल रात्र		10.4.78	0-25
श्री अल विहारी वाजसेयी	लेबनान के संदर्भ में भारतीय नागरिकों के अन्तर्गत होने का समाचार		10.4.78	0-04
श्री अल विहारी वाजसेयी	पिछली सरकार के शासन काल में विदेश मंत्रालय के कहने पर एफ स्विस् बैंक को 100-110 नोट डालने के किरात अन्तर्गत के बारे में श्री श्यामनन्दन मिश्र द्वारा 2 मार्च, 1978 को नियम 377 के अधीन सभा में ठाया गया मामला		12.4.78	0-05

श्री सुरजीत सिंह बरनाला	1977-78 के विपणन मौसम के लिये गेहूँ के नूत्य और कसूली नीति	12.4.78	0-12
श्री एच0 एम0 पटेल	तेन्द्रीय सरकार के कमिश्नरियों को महंगाई भत्ते को अतिरिक्त छूटों किस्त नाद दिये जाने का सरकार का निर्णय	14.4.78	0-03
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	सलान पन बिजली संयंत्र	14.4.78	0-07
श्री जार्ज फरनान्डीज	स्वदेशी काटन मिल्स और इनके अन्य एककों के संबंध में सरकार का निर्णय	14.4.78	0-14
श्री शिवाव नारायण	18 अप्रैल, 1978 को परिक्रम रेलवे के बम्बई सैन्ट्रल विरार हाण्ड पर नौगांव और बसई रोड स्टेशनों के बीच 7 डाठन बम्बई अहमदाबाद जंक्शन एक्सप्रेस और 537 डाठन लोकल बिजली गाड़ी के बीच हुई टक्कर	19.4.78	0-02
श्री राज नारायण	डॉ० बिबिलेण्डन अस्पताल का नाम बदलकर डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और नर्सिंग होम रहाने और डॉ० लेडी हाडिंग अस्पताल का नाम बदल कर सुकेता कुपालानी अस्पताल रहाना ।	20.4.78	0-03

2

3

4

5

श्री जगबीर सिंह

दिल्ली से अलीगढ़ जा रही गाड़ी में श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ जा रहे आश्रीस (आइस) के तीन कार्यकर्ताओं द्वारा बिना टिकट यात्रा हे सम्बन्ध में आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार के बारे में 26 अप्रैल 1978 को श्री कस्त साठे द्वारा न्युम 377 के अधीन ठाया गया मानला ।

27.4.78 0-01

श्री राज नारायण

दिल्ली में मेडिकल कालेजों के इन्टरनियों की मार्गी

28.4.78 0-21

श्री सुरजीत सिंह बरनाला

कृष्णा और सिंवाइ मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों के लिये मार्गों पर वाद-विवाद का हलतर देते हुए 25 जून 1978 को कृष्णा और सिंवाइ मंत्री द्वारा दी गई जानकारी में श्रुतिदा किया जाना ।

2.5.78 0-01

श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम तथा परि, न्युमों में संशोधन

4.5.78 0-03

1	2	3	4	5
श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा	विमान तेल कम्पनियों को वर्तमान तेल प्रदौलियम गैस और पौ जीवा कुक्ति गैस विकरण प्रणालियों का पुनर्गठन	15.5.78	C-05	
श्री जार्ज फर्नान्डोज	* रण रद्योग सम्बन्धी नीति	15.5.78	0-01	

* विकरण सभा पटल पर रखा गया था ।

1	2	3	4	5
पाचवा	श्री गोरारजी देसाई	प्रधान मंत्री को बेल्लियम, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को यात्रा	20.7.78	0-14
	श्री धानिक लाल मण्डल	असुचित जाति और असुक्ति जनजाति आयोग को स्थापना	21.7.78	0-07
	श्री धानिक लाल मण्डल	अल्प-संख्यक आयोग का पुनर्गठन	26.7.78	0-01
	श्री मोहन धारिया	* आयात नीति	29.7.78	0-08
	श्री सिकन्दर बख्त	श्री रामे विक्रमवार राम संद सदस्य से मनका गुम्द्वारा राम अग्रि रोड नई दिल्ली स्थित अंगण हॉल को कराया जाना ।	31.7.78	0-04
	श्री अल बिहारी वाजपेयी	बेल्जियम में हुआ ग्रेट निर्बंधा देशों के विदेशी नीतियों का सम्मेलन	3.8.78	0-15
	श्री मोहन धारिया	* सोने के आभूषणों के निर्यात के बदले में सोने की प्रतिपूर्ति योजना	11.8.78	0-01
	श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा	मधुरा तेल शोधक कारखाने का वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में जुलाई, 1974 में गठित की गई विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन	14.4.78	0-02

* वक्तव्य संघ में गटल पर रक्षा में ।

1 |----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 -----

श्री सुरजीत सिंह बरनाला	नर्मदा जल	16.8.78	0-09
श्री रवीन्द्र वर्मा	बोनस प्रश्न	22.8.78	0-16
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	विदेश मंत्रों को जापान और कोरिया गणराज्य की यात्रा ।	23.8.78	0-11
श्री रवीन्द्र वर्मा	28 अगस्त, 1979 को आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य	24.8.78	0-16
श्री जगजीवन राम	भारतीय वायु सेना के लिए विक्रान्त का क्या किए जाने से सम्बन्धित समाचार के बारे में श्री. राजनारायण द्वारा 29 अगस्त, 1978 को सदन में प्रश्न 377 के अन्तर्गत उठाये गये मामले के सम्बन्ध में सख्तीकरण ।	31.8.78	0-05
श्री एस0 डी0 पाटिल	31 अगस्त, 1978 को बोट क्लब पर हुई धाटना जिसमें पथराव के कारण विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को चोटें आई ।	31.8.78	0-05

1	2	3	4	5
छटा	श्री जगजीवन राम	19 नवम्बर, 1978 को हुई विमान दुर्घटना जिसमें वायुसेना के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण भारी अनहानि हुई थी।	20.11.78	0-04
	श्री एच0 एस0 पटेल	भारतीय सये और स्वल के बीच त्रिकोण दर निर्धारित किया जाना	27.11.78	0-04
	श्री धानिक नाल मण्डल	बिहार सरकार के एक मंत्री का एक दल सदस्य को बिहार में गिरफ्तारो।	28.11.78	0-02
	श्री चांद राम	सूय पत्तनों पर पत्तन और गोदावरी नदियों द्वारा अनिश्चित काल की ताल समाप्त किया जाना।	29.11.78	0-03
	श्री मोरारजी देसाई	वे परिस्थितियों जिन्हें सभा के सदस्य श्री सूर्य नारायण सिंह को 14 दिसम्बर, 1978 को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हुई।	18.12.78	0-18
	श्री पूरुषोत्तम कौशिक	हेदराबाद में 17 दिसम्बर, 1978 को इण्डियन एयरलाइन्स के एक बोइंग 737 विमान का गतरो समय दुर्घटनाग्रस्त होना।	18.12.78	0-06

2

3

श्री गोरारजी देसाई	पिछड़ी जाति आयोग की नियुक्ति	4	5
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	नरिम (अम्बई) में अपतटीय गैस की नई होज ।	20.12.76	0-02
श्री पुरुषोत्तम कौशिक	20 दिसम्बर 1978 को कलकत्ता से दिल्ली जाने वाले इंडियन एयर लाइन्स के बोइंग 737 विमान के अपहरण का समाचार ।	21.12.78	0-04
श्री मोहन धारिया	* गुड़ और चीनी का निर्यात ।	21.12.78	0-20
		22.12.78	0-08

* वस्तुव्य सभा फल पर रखा गया ।

1	2	3	4	5
				ED मि०
सातवाँ	श्री मोरारजी देसाई	प्रधान मंत्री की श्रीलंका-यात्रा	20.2.79	0-05
	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	चिट्ठा मंत्री की 12 से 18 अक्टूबर, 1979 तक चीन यात्रा	21.12.79	0-19
	श्री शीर सिंह	परोक्षालिया द्वारा निम्ति गिरवहन विमान की-222 की हारों के बारे में 2 मार्च, 1979 को सभा में श्री अल्लुलार्जुन द्वारा निम्न 377 के अधीन हुआये गये मार्ग के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।	5.3.79	0-05
	श्री शान्ति भूषण	दिल्ली उच्च न्यायालय । एक न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में श्री कर्तार साठे द्वारा 1 मार्च, 1979 को सभा में लगे गई टिप्पणियों का स्पष्टीकरण	6.3.79	0-06
	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक बस्ते की स्थिति ।	12.3.79	0-02
	श्री शान्ति भूषण	दिल्ली के अतिरिक्त सब न्यायाधीशों और वृद्धाधिकारियों के 16 मार्च, 1979 को संसद भवन तक जलू निकालने के कठोर निर्दिष्ट सम्बन्धी ध्यान आकर्षण के हल्लर में 7 मार्च, 1979 को सभा में दी गई अतिथय जानकारी का स्पष्टीकरण	13.3.79	0-01

1	2	3	4	5
श्री रवि राय		श्री जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य की स्थिति तथा भत्ता इलाज ।	21.3.79	6-04
श्री मोरारजी देसाइ		श्री जयप्रकाश नारायण के निधन के सम्बन्ध में सदन को ज्ञात सूचना का दिया जाना ।	22.3.79	6-07
श्री मोरारजी देसाइ		सोवियत संघ के प्रधान मंत्री श्री ज़नेडो ज़ोसीगिन की भारत यात्रा ।	26.3.79	6-04
श्री मोहन धारिया		वर्ष 1979-80 के लिए अत्याव निकास नीति के	30.3.79	6-06
श्री भारी वरुण सिंह		केन्द्रीय सरकार/कर्मचारियों का बिगाई भावना और अन्य संबन्धता मामले ।	30.3.79	6-10
श्री जगजीवन राम		रक्षा सेवाओं के कर्मचारियों को देय बिगाई भावने और पेंशन का पुनरीक्षण ।	2.4.79	6-08
श्री बोसू पटनायक		रक्षणत नृत्यों का पुनरीक्षण	6.4.79	6-06
श्री सुरजीत सिंह बरनाला		1979-80 के विपणन मौसम के लिए रबी अनाज की मूल्य और खुली नोति के सम्बन्ध में किये गये निर्णय ।	12.4.79	6-03

2	3	4	5
श्री एच० एम० पटेल	जम्मूदपुर में विद्यमान स्थिति	12.4.79	0-04
श्री जार्ज फर्नान्डिस	भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और ए० के० सरकार को अध्यक्षता में बनाये गये बड़े औद्योगिक गृहों संबंधी जॉन प्रायोग ।	18.4.79	0-12
श्री एच० एम० पटेल	जम्मूदपुर में विद्यमान स्थिति ।	18.4.79	0-10
श्री गोरारजी देसाई	प्रधान मंत्री को काला देश यात्रा ।	17.4.79	0-10
श्री एच० एम० पटेल	उत्तर प्रदेश में श्री गुण दत्त सोलंकी और श्री गोविन्द सिंह द्वारा लिखे गए भूमि सौदे ।	20.4.79	0-04
श्री गोरारजी देसाई	गोरक्षा	26.4.79	0-03
श्री एच० एम० पटेल	गृह मंत्री को 22 और 23 अप्रैल, 1979 को जम्मू और काश्मीर की यात्रा ।	27.4.79	0-06
श्री एच० एम० पटेल	प्रधान मंत्री और भूतपूर्व गृह मंत्री के परिवारों के सदस्यों के विस्फोट भण्डार के आरोप ।	30.4.79	0-04

	2	3	4	5
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	विपणन वर्क 1979-80 के लिए तुर आहरण में और बड़द के लिए समाधिनि मूल्य ।		2.5.79	0-01
श्री मोहन धारिया	वर्क 1979-80 के लिए विदेश व्यापार निति ।		3.5.79	0-21
श्री रवि राय	डा० राम मनोहर लोहिया ने इलाज सम्बन्धी जांच समिति के निष्कर्ष तथा मन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।		3.5.79	0-02
श्री जार्ज फर्नान्डोस	सोश्ले मध्यम सम्बन्धता मध्य स्तरीय समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय ।		3.5.79	0-04
श्री जार्ज फर्नान्डोज	सूतो कपड़े और सूतो धागे के मूल्यों में कमी ।		10.5.79	0-09
श्री धारो वरण सिंह	व्यय आयोजन की नियुक्ति और इसके निदेशा पत्र ।		10.5.79	0-03

1	2	3	4	5
	श्री सिकन्दर बख्त	दिल्ली और नई दिल्ली के अधिकांश भागों में पौने के पानी को सप्लाई में बाधा ।	12.7.79	0-02
	श्री सिकन्दर बख्त	दिल्ली और नई दिल्ली में पौने के पानी को सप्लाई में बाधा ।	13.7.79	0-16
नोवा	-	शून्य		

विवरण	1	2	3	4	5	6	7	8	9	जोड़
प्रतिवेदन	36	60	30	74	29	20	65	8	-	322
लेगा/लेगापरांश										
प्रतिवेदन	32	95	22	32	31	61	73	6	-	352
द्वारा अन्य	13	39	1	39	5	-	44	1	-	142
अट्ट ग्राहकलन/अनुदानों को मांमि तथा संवद्ध वत्र										
राष्ट्रपति का अभिभाषण	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3
अध्यक्ष और संवद्ध वत्र	15	20	2	2	2	6	8	2	-	71
राष्ट्रपति को संवद्ध वत्र	11	36	7	2	-	-	-	-	-	56
संवद्ध वत्र										
सदस्यों द्वारा निर्देश	3	7	3	8	-	-	-	-	-	21
संविधान के अंतर्गत										
संविधान पर रजि गये वत्र	18	120	32	35	43	12	90	21	2	373
विवरण										
संविधान	695	1194	678	898	945	577	1266	87	2	5872

अध्याय-10

समितियाँ और समेजन

समितियाँ

आधुनिक काल में संसद द्वारा किया गया कार्य न केवल स्वल्प में भिन्न है अपितु बहुत अधिक है। इसके पास समय कम होता है। अतः यह सभी विधायी और अन्य मामलों पर जो इसके पास होते हैं, गहराई से विचार नहीं कर सकती। अतः इसके कार्य का काफी भाग संसदीय समितियों के माध्यम से किया जाता है।

संसदीय समितियाँ दो प्रकार की हैं- तुर्द्ध समितियाँ और स्थायी समितियाँ। तुर्द्ध समितियाँ किसी विशेष प्रयोजन के लिए नियुक्त की जाती हैं और इन्हें सौंपे गये कार्य के पूरा हो जाने और प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये जाने के बाद ये समाप्त हो जाती हैं। मुख्य तुर्द्ध समितियाँ विधेयकों सम्बन्धी प्रवर और संयुक्त समितियाँ हैं। अन्य तुर्द्ध समितियाँ किसी विशेष प्रयोजन के लिए नियुक्त की जाती हैं और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये जाने के तत्काल बाद वे निर्धिश्य हो जाती हैं।

तुर्द्ध समितियों के अतिरिक्त संसद के प्रत्येक सदन की स्थायी समितियाँ होती हैं जैसे कार्य मंत्रणा समिति, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, नियम समिति आदि। एक अन्य प्रकार की विशेष महत्व की समितियाँ है जो कार्यपालिका पर संसद की निगरानी रखने वाले के रूप में कार्य करती हैं। ये समितियाँ अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति हैं। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति सरकारी खर्चों पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

छठी लोक सभा के दौरान स्थायी संसदीय समितियों की 185 बैठकें हुई - तीन वित्तीय समितियों की 429 बैठकें हुई ।

लोक सेवा समिति की 250 घंटों की अवधि की 122 बैठकें हुई। समिति ने 14 उप-समितियों/अध्ययन दलों का गठन किया और अपने दौरों में 86 कार्यालयों का दौरा किया । समिति ने 149 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए ।

प्राक्कलन समिति की 224 घंटों की अवधि की 118 बैठकें हुई । समिति ने 28 उप-समितियों/अध्ययन दलों का गठन किया और 45 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए । समितिने अपने दौरों के दौरान 118 प्रतिष्ठानों/संगठनों का दौरा किया ।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की 367 घंटों की अवधि की 189 बैठकें हुई । समिति ने 12 उप-समितियों/अध्ययन दलों का गठन किया और अपने दौरों के दौरान 80 प्रतिष्ठानों/संगठनों का दौरा किया । समिति ने कुल 55 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए ।

अनुचित जातियों तथा अनुचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की लगभग 176 घंटों की अवधि की 89 बैठकें हुई । समिति ने 8 उप-समितियों/अध्ययन दलों का गठन किया और अपने दौरों के दौरान 94 स्थानों का दौरा किया । समिति ने 64 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए ।

तदर्थ समितियों में लोकपाल विधेयक, 1977 संबंधी संयुक्त समिति, की 25 बैठकें हुई और इसने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1978 संबंधी संयुक्त समिति और वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण विधेयक, 1978 संबंधी संयुक्त समिति ने एक-एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था इनकी प्रमत्ता: 14 और 13 बैठकें हुई । बहु राज्य सहकारी समितियाँ विधेयक, 1977 संबंधी संयुक्त समिति और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक, 1978 संबंधी संयुक्त समिति की प्रत्येक की 15 बैठकें हुई परन्तु इन्होंने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया ।

अनुचित जाति तथा अनुचित जनजाति आदेशां संशोधन विधेय। 1978 संबंधी संयुक्त समिति और प्रचार भारती द्वारा ब्राडकास्टिंग द्वारा पोरेसान आफ शिख्या विधेय, 1979 संबंधी संयुक्त समिति की क्रमशः 9 और 7 बैठकें हुईं। इन दो समितियों ने भी कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

विवरण 50 में छठी लोक सभा की अवधि के दौरान संसदीय समितियों द्वारा किए गए कार्य का ब्योरा दिया गया।

सम्मेलन

भारत और विदेशों में आयोजित महत्वपूर्ण संसदीय सम्मेलनों के स्वल्प और प्रयोजन के बारे में एक संक्षिप्त तार नीचे दिया गया है :

एक भारत में विधायी निकायों के पारितोषिक
अधिकारियों का सम्मेलन।

भारत में विधायी निकायों के पारितोषिक अधिकारियों का सम्मेलन मोंटिग-चेम्सफोर्ड सुधारों (रिफार्म्स) के परिणामस्वरूप 1921 में प्रारम्भ हुआ।

जैसा कि दिसम्बर, 1923 में दिल्ली में आयोजित तीसरे सम्मेलन में स्वीकृत किए गए विल्प में कहा गया है, सम्मेलन का उद्देश्य "समस्त भारत में संसदीय प्रक्रिया के समुचित समन्वय को लाना" है। जब तक ऐसे 44 सम्मेलन हुए हैं और पिछला सम्मेलन अक्टूबर, 1978 में जयपुर में हुआ था।

अब सामान्यतः पारितोषिक अधिकारियों का सम्मेलन बारी-बारी से विभिन्न राज्यों की राजधानियों में प्रति वर्ष 2-3 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। राज्य विधान मंडलों के पारितोषिक अधिकारियों द्वारा विकास-विपरीत के लिए सुझाये गये मुद्दों में से सम्मेलन के सभापति (अर्थात् अध्यक्ष, लोक सभा) द्वारा नियुक्त किए गए 5 अथवा 6 पारितोषिक अधिकारियों की एक समिति द्वारा सम्मेलन के लिए कार्य सूची का

निर्णय किया जाता है। इस सम्मेलन में संसदीय प्रक्रियाओं के मामलों के अतिरिक्त सभी विधान-मंडलों के सामान्य रुचि के अन्य मामलों पर भी विचार-विमर्श किया जाता है।

दो॥ भारत में विधायी निकायों के सचिवों का सम्मेलन।

भारत में विधायी निकायों के सचिवों का सम्मेलन भी सामान्यतः प्रति वर्ष पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के साथ-साथ होता है और कभी यह पहले होता है और कभी बाद में होता है। सम्मेलन के लिए कार्य-सूची का निर्णय राज्यों के विधान-मंडलों के सचिवों द्वारा तैयार किये गये मुद्दों में से सम्मेलन के उभापति द्वारा किया जाता है। ऐसा प्रथम सम्मेलन 1953 में ग्वालियर में हुआ था और पिछला सम्मेलन अक्टूबर, 1978 में जयपुर में हुआ था।

तीन॥ अन्तर्संसदीय संघ का सम्मेलन

अन्तर्संसदीय संघ संसदीय ग्रुपों की एक ऐसी संस्था है जो विभिन्न संसदों के सदस्यों के बीच राष्ट्रीय ग्रुपों में गठित वैयक्तिक संबंधों को बढ़ावा देने और सुदृढ़ संस्था के रूप में अपने-अपने देश की पूरी भागीदारी को प्राप्त करने और बनाये रखने के लिए समान कार्यवाही में उन्हें एकजुट करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के प्रयोजनार्थ विभिन्न राष्ट्रीय संसदों के भीतर गठित की गई है। अन्तर्संसदीय संघ की गतिविधियाँ अन्तर्संसदीय परिषद् द्वारा निर्धारित और मार्गनिर्देशित की जाती हैं। परिषद् में प्रत्येक राष्ट्रीय ग्रुप के दो प्रतिनिधि होते हैं। परिषद् के एक वर्ष में दो सत्र होते हैं- एक सत्र वसन्तकालीन बैठकों के समय और दूसरा सत्र अन्तर्संसदीय संघ के वार्षिक सत्र के समय।

अन्तर्संसदीय संघ वर्ष में एक बार सम्मेलनों का आयोजन करता है, इसकी बैठकें सामान्यतः विभिन्न देशों की

राजधानियों में आयोजित की जाती हैं। सम्मेलन आयोजित करने की जिम्मेदारी सम्मेलन के मेजबान राष्ट्रीय ग्रुप पर होती है।

सामान्यतः प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय संघों की विभिन्न पार्टियों अथवा ग्रुपों के सदस्य होते हैं और इस प्रकार इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के सरकारी और विपक्ष के सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। भारतीय संसदीय ग्रुप 1949 से अन्तर्राष्ट्रीय संघ के वार्षिक सम्मेलनों में प्रतिनिधिमंडल भेजता रहा है। वर्ष 1979 में कराकस {वेनेजुएला} में आयोजित पिछले वार्षिक सम्मेलन में आठ सदस्यीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था।

{चार} राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ {सीओएओ} राष्ट्रमंडल संसदियों की एक संस्था है जो जाति, धर्म अथवा संस्कृति की उपेक्षा करते हुए सामूहिक हित, कानून के नियम और वैयक्तिक नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए सम्मान और संसदीय लोक तंत्र के ठोस आदर्शों के अनुसरण द्वारा जुड़ा हुआ है।

ये उद्देश्य सम्मेलनों - पूर्ण और प्रादेशिक, प्रतिनिधिमंडलों के पारस्परिक आदान-प्रदान, गोप्यियों का आयोजन पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन विशेष रूप से संसदियों द्वारा और संसदीय सूचना और सन्दर्भ केन्द्र के लेख द्वारा पूरे किए जाते हैं।

1911 में स्थापित यह संस्था राष्ट्रमंडल देशों से विकसित हुई है।

विधायी चेम्बरों के पीठासीन अधिकारी सामान्य रूप से "ब्रांच प्रेजीडेंट" कहलाते हैं। विधान-मंडल का सचिव

प्रब्लार्क सामान्यतः ब्रांच के अवैतनिक सचिव के रूप में कार्य करता है ।

एसोसिएशन के पूर्ण अधिवेशन प्रति वर्ष आयोजित किए जाते हैं और ये प्रति वर्ष भिन्न-भिन्न राष्ट्रमंडलीय देश में होते हैं ।

ये सम्मेलन, जो सामान्यतः एक सप्ताह तक चलते हैं, राष्ट्रमंडलीय देशों के लिए तात्कालिक महत्व के मामलों पर चर्चा करते हैं ।

विवरण 52 में छठी लोक सभा की अधिवेध के दौरान भारत और विदेशों में आयोजित संसदीय सम्मेलनों की सूची दी गई है ।

छठी लोक सभा के दौरान संसदीय
समितियों की गतिविधियाँ

क. स्थायी समितियाँ

॥ एक ॥ वित्तसमिति

मर्दाने	वर्ष	
	1977-78	1978-79
<u>प्राक्कलनो विषयक समिति</u>		
पेशा किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	20	25
की गई बैठकों की संख्या	30	88
बैठकों का काल ॥ घंटों में ॥	48	176
अध्ययन किए गए पृष्ठों की संख्या	8738	11321
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन समूहों की संख्या	16	12
सी. सि. द्वारा अपने कार्यालय के दौरान जिन प्रतिष्ठानों/संघनों का दौरा किया गया उसकी संख्या	52	66
<u>लोक लेखों विषयक समिति</u>		
पेशा किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	80	69
की गई बैठकों की संख्या	57	65
बैठकों का काल ॥ घंटों में ॥	112	138
अध्ययन किए गए पृष्ठों की संख्या	3578	18610
गठित की गई उप-समितियों/अध्ययन समूहों की संख्या	7	7
समिति द्वारा दौरा किए गए कार्यालयों की संख्या	43	43

सरकारा उपक्रमों वि. श्रम समिति :

पेशा किए गए प्रतिवेदनो की संख्या	11	44
की गई बैठको की संख्या	81	104
बैठको का काल घण्टो में	188	186
अध्ययन किए गए पृष्ठो की संख्या	33319	25,365
गठित की गई उप-समितियो/अध्ययन समूहो की संख्या	6	6
समितियो/अध्ययन समूहो द्वारा अपने दौरो के दौरान जिन प्रतिष्ठानो/संगठनो को यात्रा की गई उन की संख्या	29	34

दो अनुसूचित जातिको और अनुसूचित

जनजातिको वि. श्रम समिति

पेशा किए गए प्रतिवेदनो की संख्या	23	50
की गई बैठको की संख्या	40	18
बैठको का काल घण्टो में	70	106
अध्ययन किए गए पृष्ठो की संख्या	3700	2867
गठित की गई उप-समितियो/अध्ययन समूहो की संख्या	3	3
समिति/अध्ययन समूहो द्वारा जिन प्रतिष्ठानो/संगठनो का दौरा किया गया उनकी संख्या	31	63

तीनवाँ स्थायी समितियाँ

समिति का नाम	बैठकों की संख्या	पेशा किए गए प्रतिवेदनों की संख्या
1	2	3
याचिका समिति *	70	11
विशेषाधिकार समिति	68	5
नियम समिति	5	शून्य
सामान्य प्रयोजन समिति	5	शून्य
अधीनस्थ विधान समिति	42	21
सरकारी आश्वासनों विषयक समिति	19	21
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों विषयक समिति	35	35
सभा पटल पर रखे गए पत्रों विषयक समिति	39	22
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति विषयक समिति	11	11
कार्य मन्त्रणा समिति	45	34
ग्रंथालय समिति	7	शून्य
ग्रंथालय उप-समिति	11	शून्य
आवास समिति	26	शून्य
आवास स्थान उप-समिति	12	शून्य
अध्यक्ष की संयुक्त समिति	11	शून्य

* छठी लोक सभा के दौरान समिति को कुल मिला कर 31 याचिकाएँ प्रस्तुत की गई थीं ।

संसद के दोनों सदनों की
आवास समितियाँ

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते विषयक संयुक्त समिति	19	शून्य
रेलवे अभिराम्य समिति	42	5

ख. तदर्थ समितियाँ

1	2	3
लोक पाल विधेयक, 1977 पर संयुक्त समिति	25	1
मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1978 पर संयुक्त समिति	14	1
बहु राजकीय सहकारी समितियाँ विधेयक, 1977, पर संयुक्त समिति	15	-
वायु प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण विधेयक, 1978 पर संयुक्त समिति	13	1
खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक, 1978 पर संयुक्त समिति	15	-
अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जन- जातियाँ आदेशांश विधेयक, 1978 पर संयुक्त समिति	9	-
प्रसार भारती प्रसारण निगम विधेयक, 1979 पर संयुक्त समिति	7	

पेश की गई थाचिकायें

क्रमांक	सत्र	पेश की गई थाचिकाओं की संख्या
1.	प्रथम ॥25.3.1977 से 7 अप्रैल, 1977॥	1
2.	द्वितीय ॥11.6.1977 से 8.8.1977॥	1
3.	तृतीय ॥14.11.1977 से 23.12.1977॥	6
4.	चतुर्थ ॥20.2.1978 से 16.5.1977॥	10
5.	पाचवीं ॥17.7.1978 से 31.8.1978॥	3
6.	छठी ॥20.11.1978 से 23.12.1978॥	4
7.	सातवीं ॥19.2.1979 से 18.5.1979॥	6
8.	आठवीं ॥9.7.1979 से 16.7.1979॥	-
9.	नवीं ॥20.8.1979	-
जोड़		<u>31</u>

विवरण-52

छठी लोक सभा की अवधि के दौरान

संसदीय सम्मेलन/बैठकें

<u>सम्मेलन/ बैठक की रिखा</u>	<u>स्थान</u>	<u>तिथि</u>	<u>टिप्पण</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
क. भारतीय			
} एक } <u>भारत में विधायी निकायों के</u> <u>पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन</u>			
43वीं.	भुवनेश्वर	19-20 जनवरी, 1978	
44वीं.	जयपुर	21, 22 तथा 23 अक्टूबर, 1978	
} दो } <u>भारत में विधायी निकायों के</u> <u>सचिवों के सम्मेलन</u>			
24वीं	भुवनेश्वर	17-18 जनवरी, 1978	
25वीं.	जयपुर	20 अक्टूबर, 1978	
} तीन } <u>भारत में विधायी निकायों के</u> <u>पीठासीन अधिकारियों के</u> <u>तत्वाधान में हुए सम्मेलन</u>			
	भुवनेश्वर	21 जनवरी, 1978	
	जयपुर	23 अक्टूबर, 1978	

1	2	3	4
---	---	---	---

॥चार॥ संघीय समितियों के अध्यक्षों
के सम्मेलन

1. लोक सेवा समितियों के अध्यक्षों
के सम्मेलन

16-17 दिसम्बर, 1978

2. याचिका समितियों के अध्यक्षों
के सम्मेलन

7-8 अप्रैल, 1979

3. अनुचित जातियों तथा अनुचित
जनजातियों के कल्याण विद्यक
समितियों के अध्यक्षों के सम्मेलन

21-22 अप्रैल, 1979

॥ख॥ राजमंडल और अन्तः संघीय
सम्मेलन, जिनमें भारतीय प्रति-
निधेध-संघों ने भाग लिया

॥एक॥ अन्तः संघीय यूनिफन
के सम्मेलन

सोफिया
॥बुल्गारिया॥

19 से 30
सितम्बर, 1977

आठ सदस्यीय
भारतीय संघीय
प्रतिनिधिमंडल ने
भाग लिया

बॉन
॥संघीय गणराज्य
जर्मनी॥

4 से 13 जनवरी,
1978

-संदेव-

1	2	3	4
कराकास ॥वेनेजुएला॥	13 से 21 सितम्बर, 1979	-तदेव-	
	॥दो॥	<u>अन्तः संसदीय यूनिथन की वसन्त बैठकें</u>	
केनबरा ॥आस्ट्रेलिया॥	11 से 16 अप्रैल 1979	तीन सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि-	मंडल ने भाग लिया
लिस्बन ॥पुर्तगाल॥	28 मार्च से 2 अप्रैल, 1978	-तदेव-	
प्राग ॥चेकोस्लोवाकिया॥	15 से 22 अप्रैल, 1979	-तदेव-	
	॥तीन॥	<u>राष्ट्रमंडलीय संसदीय एसोसिएशन के सम्मेलन</u>	
23वीं	ओटावा ॥कनाडा॥	सितम्बर, 1977	छः सदस्यीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया
24वीं	किंगस्टन ॥जमैका॥	सितम्बर, 1978	सात सदस्यीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया
	॥चार॥	<u>राष्ट्रमंडलीय संसदीय एसोसिएशन की सामान्य परिषद् की बैठकें</u>	
	ओटावा ॥कनाडा॥	सितम्बर, 1977	दो सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया

1	2	3	4
---	---	---	---

॥ पांच ॥ रा.दमंडलौच अध्यक्षी तथा
पीठासीन अधिकारियों का
सम्मेलन

केनबरा ॥ आस्ट्रेलिया ॥	28 अगस्त से 1, सितम्बर, 1978	श्री के. एस. हेगडे अध्यक्ष, लोक सभा तथा श्री राम निवास मिर्धा, उप-सभापति, राज्य सभा ने भाग लिया
---------------------------	---------------------------------	--

॥ छः ॥ संसद के महा-सचिवों की एसोसियेशन
की बैठकें

केनबरा ॥ आस्ट्रेलिया ॥	अप्रैल, 1977	संयुक्त सचिव, राज्य सभा ने भाग लिया
लोफिया ॥ बुलगारिया ॥	सितम्बर, 1977	सचिव, लोक सभा ने भाग लिया
लिस्बन ॥ पुर्तगाल ॥	अप्रैल, 1978	महा-सचिव, राज्य सभा ने भाग लिया
बॉन ॥ संघीय गणराज्य जर्मनी ॥	सितम्बर, 1978	सचिव, लोक सभा ने भाग लिया
प्राग ॥ चेकोस्लोवाकिया ॥	अप्रैल, 1979	महा-सचिव, राज्य सभा ने भाग लिया
कराकास ॥ वेनेजुएला ॥	सितम्बर, 1979	सचिव, लोक सभा ने भाग लिया ।

अध्याय 11

संसद के लिए दर्शक

लोक सभा की बैठकों के दौरान संसद् भवन के ऐसे भागों में, जो केवल सदस्यों के प्रयोग के लिये आरक्षित नहीं हैं, अजनवियों का प्रवेश अध्याज द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाता है। सभा के अधिकारियों तथा द्यूरी पर कार्यचारियों को छोड़कर सभा के सदस्यों के अतिरिक्त सभी अन्य व्यक्ति अजनवी माने जाते हैं। जब सभा की बैठकें चल रही हों, तब सभाका केवल वही सदस्यों के प्रयोग के लिये आरक्षित होता है और किसी भी अजनवी उसमें प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। भवन के अन्य भाग, जहां विशिष्ट शर्तों के अधीन अजनवियों को जाने की अनुमति दी जा सकती है, दीर्घाएं और सन्दूक हाल हैं।

लोक सभा की विभिन्न दीर्घाओं में अजनवियों का प्रवेश अध्याज के निदेशों के अधीन इस नियमित बनाये गये नियमों के अनुसार विनियमित किया जाता है। विशेष प्रक्षेप (वाक्स) को छोड़कर, जिसमें प्रवेश के लिये कोई कर्डी/नहीं किये जाते हैं, दीर्घाओं में प्रवेश कर्डी द्वारा होता है।

अध्याज दीर्घा और प्रतिष्ठित दर्शक दीर्घा ऐसे व्यक्तियों के प्रयोग के लिये हैं, जो देश में राज विधान सभाओं के सदस्य, केन्द्रीय विधान सभा के पूर्व सदस्य, लोक सभा के तत्सम सदस्यों के पति/पत्नी, उच्च अधिकारी, लोक जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्ति, निदेशों से प्रतिष्ठित दर्शक आदि हैं।

राजनयिक दीर्घा विदेशी राजनयिकों के प्रयोग के लिये है ।

विशेष प्रत्येक (कक्षा) राष्ट्रपति के परिवार तथा अतिथियों, राज्यों के राजपालों, विदेशों के राष्ट्रवाहकों, प्रधान मंत्रियों और गुजराजों (क्राउन प्रिन्सेज) तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों जैसे भूतपूर्व राष्ट्रपति और भूतपूर्व गवर्नर जनरलों, भारत के मुक्त जगत्वाधिपति, राज्यों के मुक्त मंत्रियों अदि के लिये आरक्षित है ।

सार्वजनिक दीर्घा सामान्य जनता के प्रयोग के लिये है ।

राज्य तथा दीर्घा केवल राज्य तथा के रेरे सदस्यों के लिये है, जो लोक सभा की कार्यवाही देखना चाहते हैं ।

अधिकारी दीर्घा केवल भारत सरकार के अधिकारियों और कतिपय प्रायतों में राज्य सरकारों के रेरे अधिकारियों के लिये है, जिनकी उपस्थिति सभा के सम्बन्ध कार्य के सम्बन्ध में अपेक्षित हो ।

विवरण संख्या 53 और 54 में छठी लोक सभा की अवधि में संसद् भवन में आने विदेशी शिष्टमंडलों और विशिष्ट व्यक्तियों के नाय तथा विभिन्न दीर्घाओं में आने दर्शकों की संख्या दी गई है ।

जब लोक सभा तल सत्र नहीं होता है, तब दर्शकों को संसद् भवन दिखाने के लिये प्रकथ किये जाते हैं । प्रत्येक आधे घण्टे के बाद एक समय में 40-50 व्यक्तियों के सुविधाजनक समूहों में दर्शकों को ले जहा जाता है । उन्हें स्वागत कमलिया द्वारा जारी किये गये एक दर्शकों अनुपति-पत्र के प्राधिकार पर भवन में बुलाया जाता है ।

विवरण 55 में छठी लोक सभा के दौरान संसद् भवन के दर्शकों की वर्षवार संख्या दी गई है ।

विवरण 53

विदेशी शिष्टमंडलों/विशिष्ट व्यक्तियों के नाम
जो हठी लोक सभा के दौरान संसद् भवन आये

क्रम संख्या	शिष्टमंडल/विशिष्ट व्यक्ति	टिप्पणी
<u>अप्रैल-दिसम्बर, 1977*</u>		
1.	6-सदस्यीय फिनलैंड संसदीय शिष्टमंडल	
2.	महाप्रतिभम श्री पिस्टर स्टेफ़ेकी, फीलेण्ड की संसद् के उपाध्यक्ष	
3.	राइट आनरेबल फ्रेडरिक विलेस्की, संसद् सदस्य, ब्रिटेन के हाउस आफ कॉमन्स के सहायक, पांच संसद् सदस्यों के साथ	
4.	6-सदस्यीय जापानी संसदीय शिष्टमंडल	
5.	श्री वी० जे० इवान्स, संसद् सदस्य तथा उनकी पत्नी (राष्ट्रमंडल संसदीय संस्था की दिक्टोरियल शक्ता)	
6.	श्री बुक्करिन मिफुमोविक, संसद् सदस्य (गुगोस्लविया) तथा अन्य	लोक सभा की कार्यवाही देखी
7.	श्रीमती जूडिया हार्ट, गुनाइटेड किंगडम की समुद्र पार विकास मंत्री	नदेव-
8.	9-सदस्यीय ईरानी संसदीय शिष्टमंडल	
9.	महाप्रतिभम श्री आइकुरो हतोयाया, जापान के विदेश मंत्री	
10.	श्री स्वेन रस्पलिंग, स्वीडन की संसद् के पूर्व स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री	
11.	डॉ० एफ० विटमन, संसद् सदस्य तथा शिचयी जर्मनी की संसद् के चेयरमैन	लोक सभा की कार्यवाही देखी ।

* उपरोक्त शिष्टमंडलों और विशिष्ट व्यक्तियों के अतिरिक्त वर्ष, 1977 में 20 प्रतिष्ठित व्यक्ति भी संसद् भवन आये ।

क्रम संख्या	शिष्टमंडल/विशिष्ट व्यक्ति	टिप्पणी
12.	श्री दशरो एन० बी० श्रेत्री तथा अन्य, बूटान नेशनल एसेम्बली के सदस्य	लोक सभा की कार्यवाही देखी
13.	श्री स्टूरे कंगपाथ, स्वीडिश अन्तर्सर्वदीय दल के केपारमैन तथा स्वीडिश संसद् के सदस्य	
14.	यूनाइटेड किंगडम के माननीय बर्नार्ड एल० लीवर 1978*	
15.	अमरीकी सीनेटरीयों का 8 सदस्यीय शिष्टमंडल	
16.	15 सदस्यीय अमरीकी कांग्रेस शिष्टमंडल	
17.	फ्रेजरल रिपब्लिक अफ जर्मनी से श्री पुजेन ब्लेणविग	
18.	श्री जीन जेचो, फ्रेंच स्केचर	
19.	महा महिम श्री सिररी एटले, प्रेसीडेन्ट आफ दि सिनेट (टर्की) के नेतृत्व में 9 सदस्यीय तुर्की संसदीय शिष्टमंडल	
20.	न्यूजीलैंड के संसदीय वर्गों का 5-सदस्यीय शिष्ट-मंडल	
21.	जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से 18 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल	
22.	महा महिम श्री भंगोलीन डुजेरचुरल, भंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक के विदेश मंत्री	लोक सभा की कार्यवाही देखी ।
23.	श्री एम० विविलियम, एम० पी० (विश्वेसियरिया)	-तदेव-
24.	महा महिम श्री साहरिल मैथ्यू, श्रीलंका के उद्योग मंत्री	-तदेव-
25.	डॉ० अमीन मोहम्मद, पाकिस्तान सरकार के सलाहकार	-तदेव-
26.	कोरिया गणराज्य का 14 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल	

* उपरोक्त शिष्टमंडलों तथा उच्च पदस्थ व्यक्तियों के अतिरिक्त वर्ष 1978 के दौरान 30 गणमान्य व्यक्तियों ने भी संसद गयेन देखा ।

क्रम संख्या	शिष्ट मंडल/विशिष्ट व्यक्ति	टिप्पणी
27.	9-सदस्यीय यूएस0 एस0 आर0 सुप्रीम सोवियट शिष्ट मंडल	
28.	श्री एडमंड हेल, व्यापार तथा उद्योग राज्यमंत्री और ब्रिटिश व्यापार प्रतिनिधिमंडल के नेता	लोक सभा की कार्यवाही देखी
29.	महा महिम एन0 एगाची, क्यानिशन यिनिसटर आफ पैट्रनर्जी एन्ड पार्टी	-तदेव-
30.	7-सदस्यीय आस्ट्रेलियन संसदीय शिष्टमंडल	
31.	श्री यजीद जवाद अल-जिशी, निर्माण, शक्ति और जल मंत्री, बहराइन सरकार	लोक सभा की कार्यवाही देखी
32.	श्री प्रीजन रोजिक, यूगोस्लाविया से	- तदेव -
33.	डा0 फ्रेक फिलब्रुक, श्रीमती लेनी फिशर, कुमारी बिटी ब्रुयोयड (कनाडा, फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी और ब्रिटेन से संसद्विहृत)	
34.	श्री टी0 वूल्फगांग, संसद् सदस्य एवं भारत-जर्मन संसदीय ग्रुप के उप गण्यपति	
35.	श्री ह्यूग एन सोंग तथा दक्षिण कैरिबार्ड संसद् सदस्यों की पार्टी	लोक सभा की कार्यवाही देखी
36.	श्री पी0 एल0 ग्नल, वाइस-प्रेसीडेन्ट, राष्ट्रमंडल संसदीय एसोसिएशन (जर्सी ब्रांच)	
37.	महा महिम लयाची गकेर, अलजीरिया राष्ट्रीय विधान सभा के वाइस-प्रेसीडेन्ट	
38.	श्री आर0 एम0 नबुलियाटो, स्पीकर आफ दि नेशनल एसेम्बली आफ जाम्बिया और श्रीमती नबुलियाटो और एन9 एम0 चिबेस्कुडा, क्लार्क आफ दि नेशनल एसेम्बली आफ जाम्बिया और श्रीमती चिबेस्कुडा	

क्रम संख्या	शिष्टमंडल/विशिष्ट व्यक्ति	टिप्पणी
39.	वुडस्टैग (फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी) में भारत-जर्मन संसदीय ग्रुप के सभापति और सदस्य	
40.	मलनीया श्रीमती ग्रेष वॉयन, पश्चिमी आस्ट्रेलिया की सीनेट की एक महिला सदस्य	लोक सभा की कार्यवाही देखी ।
41.	महा महिम डा० ओट्टो ग्राफ लेम्बहोफ, फेडरल मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी	-तदेव-
42.	श्री लिओन जोर्जो-पैरीन, फ्रेंच सीनेट क्यारपीन और ला के सभापति और सदस्य	
43.	डा० पौल होफेकर तथा दो अन्य, गणित जर्मनी की आर्टिफिशियल सभ्यता की सीमा में सदस्य	
44.	महा महिम ओइची शिगामे, जापान की प्रतिनिधि सभा के वाइस-प्रीसिडेंट तथा पार्टी	
45.	श्री जेन थ्रियने तथा पार्टी-मिनिस्टर संसद् वि	
46.	श्री गोरन कार्लसन, स्वीडन के संसदीय शिष्ट मंडल के सभापति और पार्टी ।	

क्रम शिष्ट मण्डल/विशिष्ट व्यक्ति टिप्पणी
क्रिया

47. श्रीमती एलस्पेथ क्वायले, मेम्बर आफ दि लोक सभा
हाउस आफ कीस, आइसले आफ मान की कार्यवाही
लेजिसलेवर । देखी ।
48. डा० उंज़ील फरनेन्डो, श्रीलंका के उद्योग -तदेव-
मंत्री ।
49. श्रीमती जुनिता क्रेप्स, यू०एस० सेक्रेटरी ऑफ
कामर्स एन्ड पार्टी
50. 9 सदस्यीय पोलैन्ड संसदीय शिष्टमंडल ।
51. 7 सदस्यीय ब्रिटिश संसदीय शिष्टमंडल ।
- 1979*
52. महामहिम श्री अलिकोस पी० मिक्कालिडेस,
साइप्रस प्रतिनिधि सदन के प्रेसीडेंट ।
53. 8 सदस्यीय श्रीलंका संसदीय शिष्टमंडल ।
54. हंगरी का 6 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल ।
55. फ्लेशिया के प्रधान मंत्री की पत्नी और पार्टी ।
56. श्री बिसनदाथ ओजा महाराज, ट्रिनिडाड एवं
टोबैगो रिपब्लिक के गवर्नमिन्ट सीनेटर और
चीफ विह्व तथा श्रीमती ओजा महाराज।
57. श्री ईस्टाफन बैसीली गिरगेस, काहिरा का लोक सभा
एक प्रमुख वकील तथा संसद् विज्ञ । की कार्य-
वाही
देखी

* उपरोक्त शिष्टमण्डलों तथा विशिष्ट व्यक्तियों के अतिरिक्त वर्ष 1979 के
दौरान 35 प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भी संसद भवन देखा ।

क्रम संख्या	शिष्ट मण्डल/विशिष्ट व्यक्ति	टिप्पणी
58*	माननीय श्री अमीरथलिंगम, श्रीलंका संसद में प्रतिपक्ष के नेता और श्रीमती अमीरथ-लिंगम ।	
59*	सीरियन अरब रिपब्लिक का 10 संसदीय सदस्यों का शिष्टमंडल ।	
60*	नेपाली राष्ट्रीय पंचायत का 10 सदस्यीय शिष्टमंडल ।	
61*	माननीय श्री जे० आर० हरीसन, न्यूजीलैंड प्रतिनिधि सभा के स्पीकर तथा श्रीमती हरीसन ।	
62*	श्री बोगडन ओ सोलनिक, युगोस्लाव आई०पी०यू० ग्रुप के वाइस-प्रेसीडेंट ।	
63*	स्वीडन का 5 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल ।	
64*	महामहिम श्री वांग जंग योप, डी०पी०आर०के० उत्तर कोरिया के लोक विधान सभा की स्थायी समिति के सभापति ।	
65*	महामहिम श्री एस० थोडामन, श्रीलंका सरकार के ग्रामीण औद्योगिक विकास मंत्री ।	लोक सभा की कार्यवाही देखी ।

क्रम संख्या	जिला मंडल/विधि पट व्यक्ति	टिप्पणी
66.	महामहिम डा० माना सईद अल औटाइबा, पेट्रोलियम तथा खनिज संसाधन मंत्री, संयुक्त अरब अमीरात	लोक सभा की कार्यवाही देखी ।
67.	माननीय प्रेम दत्त डूंगूर, शक्ति, ईंधन और ऊर्जा के संसदीय सचिव, मौरिशस	तदेव-
68.	श्री जीन रिपर्ट, अन्तर सेक्रेटरी-जनरल, इन्चार्ज आफ डिपार्टमेंट आफ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड सेन्सल अपेयर्स, यूनाइटेड नेशन्स	-तदेव-
69.	उच्चतम आर्टिस्ट संस्थाओं/एशियाई संगठन की प्रथम सेसम्बली के सदस्य	
70.	महा मीर हय श्री दातो मुहम्मद रहमत, गलेशिया के सूचना मंत्री	लोक सभा की कार्यवाही देखी ।
71.	गलेशिया की विधान सभा के स्पीकर, माननीय नाजी मुहम्मद सुंध, धारों ; डिप्टी स्पीकर माननीय श्री फ्रेडरिक जिनु, और सचिव माननीय प्रेसिस गाय ताई येन ।	
72.	श्री पिगो कार्लो टेर्रेजियो, आई०पी०यू० के महासचिव	
73.	श्री विलियम वेट्स, जास्टेलियन पार्टियामेंट के एक सदस्य	लोक सभा की कार्यवाही देखी ।
74.	कोलम्बिया से 10 सदस्य	
75.	सुरीनाम का 8 सदस्यीय संसदीय शिष्ट मंडल	
76.	महा महिम डा० कार्लोस रफेल रोड्रीगेज एन्ड पार्ट आफ यूवा	

क्रम संख्या	शिष्ट मंडल/विशिष्ट व्यक्ति	टिप्पणी
77.	श्री तथा श्रीमती जेस्विटस मार्गेट, फ्रान्सिसी राष्ट्रीय विधान सभा के एक सदस्य	
78.	आस्ट्रिया का 9 सदस्यीय संसदीय शिष्ट मंडल	
79.	आस्ट्रिया का 8 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल	
80.	श्रीमती इनीफ्रेनिगा पार्तिन्घ, पैरिसी की महिला संसद सदस्य	लोक सभा की कार्यवाही देखी।
81.	फ्रान्सिसी राष्ट्रीय विधान सभा के 4 सदस्य	
82.	फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी से 5 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल	
83.	रूथ गृहविल मिनन की जापनी साउथ एशिया टीम के 15 सदस्य	

विवरण F-54

छटी लोक सभा के सत्रों की बैठकों के
दौरान विभिन्न दीर्घाओं में आने वाले
दर्शकों की संख्या

क्र. संख्या	दीर्घा का नाम	दीर्घा में आने वाले दर्शकों की संख्या	कुल संख्या का प्रतिशत
1.	सार्वजनिक दीर्घा	1,81,594	85.11%
2.	सरकारी दीर्घा	19,265	9.04%
3.	अवकाश दीर्घा	1,238	0.58%
4.	प्रतिष्ठित दर्शकों की दीर्घा	5,742	2.66%
5.	राज्य सभा दीर्घा	2,168	1.02%
6.	राजनयिक दीर्घा	537	0.26%
7.	विशेष दीर्घा	2,772	1.28%
8.	विशिष्ट सभा (अपेक्षित बैठक)	102	0.05%
	कुल	<u>2,13,368</u>	<u>100%</u>

तितरण - 55

छठी लेल सभ के दौरान संद भवन
में जाने वाले पर्यटकों की संख्या

<u>वर्ष</u>	<u>संख्या</u>
1977	24,910
1978	3,896
1979	7,990
	<u>कुल</u>
	<u>36,796</u>

प्रेस सम्वाददाताओं को दी गई सुविधाएं

पत्रकार दीर्घा सम्बन्धी सुविधाएं

दीर्घा में 98 सम्वाददाताओं के बैठने का स्थान है, जिस ही प्रत्येक स्थान पर एक लाउडस्पीकर लगा हुआ है। पहली दो पंक्तियों में बैठने के स्थान, जिनके साथ किन्ने के छोटे डेस्क की व्यवस्था है, पत्रकार दीर्घा समिति के परामर्श से विशेष सभाचार पत्रों और सभाचार रजिस्ट्रों को आवंटित किये जाते हैं। पत्रकार दीर्घा में साथ-साथ भाषान्तर पद्धति से सम्बन्धित 64 हेड मैनो की व्यवस्था की है।

संसदीय पत्रों और संदर्भ सम्बन्धी सुविधाओं का दिना जना

प्रेस सम्वाददाता कार्यावाही को समझ सकें, इस दृष्टि से उन्हें आवश्यक संसदीय पत्र और सभा में पुरःस्थानित विद्येयक दिये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न सत्रों के दाद-विवादों, संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों, सभा-पटल पर रखे गये पत्रों आदि का एक सेट उनके प्रयोग के लिये रखा जाता है। साथ ही सामान्य रूप से पत्र सम्वाददाताओं द्वारा मांगी जाने वाली पुस्तकों के एक छोटे प्रेस ग्रन्थालय की भी व्यवस्था की गई है।

पत्रकार कक्षों में सुविधायें

तीन पत्रकार कक्ष, जिनमें कुर्सियों और मेजों की व्यवस्था की गई है, समाचार एजेंसियों और प्रमुख समाचार पत्रों के सम्वाददाताओं के काम करने और अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिये अलग से रखे गये हैं।

प्रेस प्रकाशनियों का जारी करना

प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपकरणों सम्बन्धी समिति जैसी विभिन्न संसदीय समितियों द्वारा सभा को प्रस्तुत प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में उनके प्रेषण-पत्रों को तैयार करने में सम्वाददाताओं को सहायता देने के लिये प्रतिवेदनों में दी गई सिफारिशों/कथनों की मुख्य बातों पर प्रकाश डालते हुए लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रेस प्रकाशनियां जारी की जाती हैं।

लोक सभा अधिवेशनों के बुलाने तथा सत्रावसान, संसदीय समितियों और सम्मेलनों एवं संसदीय शिष्टमण्डलों की यात्राओं के सम्बन्ध में भी प्रेस प्रकाशनियां जारी की जाती हैं।

विवरण 56 में लोक सभा की प्रेस दीर्घा में प्रविष्ट पत्र सम्वाददाताओं, प्रतिनिधित्व पाने वाले भारतीय एवं विदेशी समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों सम्बन्धी आंकड़े (छठी लोक सभा के नौवें सत्र पर आधारित) दशादि गये हैं।

विवरण 56

द. लोक सभा की प्रेस दीक्षा

छठी लोक सभा, 9वें सत्र पर
आधारित आंकड़े

1.	प्रविष्ट पत्र सम्वाददाताओं की कुल संख्या	274
2.	भारतीय समाचार पत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले पत्र सम्वाददाता	122
3.	भारतीय समाचार एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पत्र सम्वाददाता	62
4.	विदेशी समाचार पत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रेस सम्वाददाता	60
5.	विदेशी समाचार एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रेस सम्वाददाता	30
6.	भारतीय समाचार पत्र तथा समाचार एजेंसियाँ, जिन्हें प्रतिनिधित्व मिला है	110
7.	विदेशी समाचार पत्र और समाचार एजेंसियाँ, जिन्हें प्रतिनिधित्व मिला है	50
8.	प्रेस दीक्षा में स्थानों की संख्या	98
9.	विशेष समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों को आवंटित स्थानों की संख्या	60
10.	प्रेस दीक्षा में प्रतिनिधित्व पाने वाले भारतीय समाचार पत्रों का निर्मित प्रकाशन	44 लाख लगभग

ए. लोक सभा का सेंट्रल हाल और लाबी

1.	सेंट्रल हाल की सुविधाओं को प्राप्त करने वाले पत्र सम्वाददाता	93
2.	लाबी सुविधाओं को प्राप्त करने वाले पत्र सम्वाददाता	12

अध्याय 13

क. संसद ग्रन्थालय और सन्दर्भ, अनुसंधान,
प्रलेखन और सूचना सेवा

ग्रन्थालय और सन्दर्भ, अनुसंधान, प्रलेखन तथा सूचना सेवा का मुख्य उद्देश्य एक आधुनिकतम तथा सुसज्जित ग्रन्थालय और सभ्य अनुसंधान और सन्दर्भ-सेवा कायम रखकर संसद सदस्यों को भारत और विदेश की रोजाना की घटनाओं से भली भाँति अवगत कराना है। यह सेवा दोनों सदनों - राज्य सभा और लोक सभा-के समक्ष आने वाले विधायी कार्य तथा अन्य मामलों पर सन्दर्भ सामग्री देती है जिससे कि सदस्य अपने अपने सदनों के वाद-विवादों में प्रभावपूर्ण ढंग से भाग ले सकें।

इस सेवा में तीन प्रभाग हैं, अर्थात् ग्रन्थालय तथा प्रेस और लोक सम्पर्क प्रभाग, सन्दर्भ और प्रलेखन प्रभाग तथा अनुसंधान और सूचना प्रभाग।

संसदीय ग्रन्थालय तथा प्रेस और लोक सम्पर्क प्रभाग

ग्रन्थालय और प्रेस तथा लोक सम्पर्क प्रभाग के दो विभाग हैं, अर्थात् {एक} ग्रन्थालय विभाग और {दो} प्रेस तथा लोक सम्पर्क विभाग।

{एक} ग्रन्थालय विभाग

सदस्यों को ग्रन्थालय सेवा संसद ग्रन्थालय प्रदान करता है जो संसद भवन के भूमि तल पर ग्रन्थालय भवन और उसके समीपवर्ती कमरों तथा प्रथम तल पर कई कमरों में स्थित है। इसके मुख्य कार्य पुस्तकें, पत्रिकायें, प्रतिवेदन आदि प्राप्त करना, उन्हें क्रम और मुद्रण शीर्षों के अनुसार लगाना, जारी करना तथा ग्रन्थालय की इन पुस्तकों आदि को रखना है।

ग्रन्थालय में इस समय 6,25,000 पुस्तकें आदि हैं। पुस्तकें वर्गीकरण की डिजिटल पद्धति के अनुसार रखी हुई हैं। ग्रन्थालय में 207 भारतीय और विदेशी समाचार-पत्र तथा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं की 998 पत्रिकाएँ नियमित रूप से जाती हैं।

ग्रन्थालय से केवल संसद सदस्य ही पुस्तकें ले सकते हैं। ग्रन्थालय से पुस्तकें ग्रन्थालय नियमों के अनुसार दी जाती हैं। छठी लोक सभा के कार्यकाल में ग्रन्थालय फलकों से कुल 43488 प्रकाशन दिये गये।

"गांधियाना" नामक एक नया खण्ड अगस्त, 1978 में स्थापित किया गया। ग्रन्थालय में उपलब्ध महात्मा गांधी पर लिखे गये तथा उनके द्वारा लिखे गये ग्रन्थों का सम्पूर्ण संग्रह संसद सदस्यों के उपयोग के लिये एक स्थान पर रखा गया है।

ग्रन्थालय में विभिन्न विषयों पर उपलब्ध संग्रहों के बारे में संसद सदस्यों को जानकारी देने के लिये, एक "दुर्लभ तथा क्ला पुस्तकों" और दो "भारत के स्वतंत्रता संग्राम" पर दो प्रदर्शनियाँ 1978 में आयोजित की गईं।

दो० प्रेस तथा लोक सम्पर्क विभाग

लोक सभा सचिवालय के प्रेस तथा लोक सम्पर्क कार्य, जिसमें मुख्य रूप से प्रेस और विभिन्न सरकारी प्रचार संगठन तथा संचार माध्यमों के साथ सम्पर्क बनाये रखना शामिल है, की देखरेख प्रेस तथा लोक सम्पर्क विभाग द्वारा की जाती है। लोक सभा की प्रेस दीर्घा सम्बन्धी सभी मामले, जिनमें प्रेस दीर्घा के पास जारी करना, लोक सभा की कार्यवाही के बारे में समाचार देने वाले सम्वाददाताओं को सुविधाएँ प्रदान करना, लोक सभा द्वारा निष्पादित कार्य के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों और जनता को जानकारी देना शामिल है,

तथा अन्य सम्बन्धित मामले इस विभाग द्वारा निपटारे जाते हैं ।

सदस्यों को भारतीय तथा विदेशी दोनों प्रकार के नवीनतम समाचारों के बारे में भली भाँति अवगत रखने के लिये, संसद भवन में अंग्रेजी और हिन्दी की टेलीप्रिन्टर मशीनें लगाई गई हैं । महत्वपूर्ण समाचार सत्रकाल के दौरान सारा दिन थोड़ी थोड़ी देर बाद भूमि तल के ग्रन्थालय के बाहर समाचार बोर्डों पर प्रदर्शित किये जाते हैं ।



अन्य प्रकाशनों के साथ-साथ यह विंग 'सदस्य परिषद्' भी प्रकाशित करता है । समय-समय पर यह विंग सरकारी एजेंसियों के सहयोग से प्रदर्शनियों का आयोजन करता है और संसद की गतिविधियों के सम्बन्ध में पुस्तिकाएँ प्रकाशित करता है ।

संदर्भ और प्रलेखन प्रभाग

संदर्भ और प्रलेखन प्रभाग में ये तीन विंग हैं: {एक} संदर्भ विंग, {दो} प्रलेखन विंग और {तीन} समाचार कतरन और रेपरोग्राफी विंग । ये विंग आपस में निकट सहयोग से कार्य करते हैं ।

{एक} संदर्भ विंग

संदर्भ विंग सदस्यों को मोटे तौर पर निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करता है:

- {क} प्रकाशित कागजातों में उपलब्ध संदर्भों की तत्काल जानकारी देना;
- {ख} अध्ययन और संदर्भ कार्य से सम्बन्धित सामग्री, तथात्मक जानकारी और आँकड़े आदि इकट्ठा करना;
- {ग} संसद के समक्ष प्रस्तुत होने वाले महत्वपूर्ण विधेयकों के संबंध में ग्रन्थ सुकियाँ तैयार करना;
- {घ} संसद के समक्ष आने वाले महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में संदर्भ टिप्पण, कार्ट इनफारमेशन डाइजेस्ट और तथात्मक विवरण तैयार करना ।

सामान्यतः, जो सदस्य कोई जानकारी चाहते हैं वे संदर्भ विंग को लिखित रूप में अनुरोध करते हैं। संदर्भ सम्बन्धी जानकारी व्यक्तिगत रूप में अथवा टेलीफोन पर मौखिक भी प्राप्त की जा सकती है। मांगी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप में प्रमाणिक पुस्तकों, प्रतिवेदनों और सरकारी प्रकाशनों से इकट्ठा की जाती है और यथासंभव निश्चित समय में सदस्यों को दी जाती है।

छठी लोक सभा के दौरान सदस्यों से अपने संसदीय कार्य के संबंध में प्राप्त 5192 संदर्भों के बारे में विस्तृत जानकारी उन्हें दी गई। इसके अतिरिक्त सदस्यों को 1530 मामलों में मौखिक जानकारी तत्काल दी गई।

इस विंग का संदर्भ अध्ययन अनुभाग सदस्यों की प्रत्येक सत्र और दिन प्रतिदिन की संदर्भ सम्बन्धी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाता है और आवश्यक सामग्री पहले ही से तैयार रखता है। जिससे वह थोड़े से समय में ही उपलब्ध कराई जा सके। सदनों के सम्मुख चर्चा के लिए प्रस्तुत विधेयकों अथवा अन्य विषयों सम्बन्धी साहित्य के अध्ययन में जिज्ञासु सदस्यों की सहायता करने के लिये सत्र के दौरान ग्रन्थागार {भूमि तल} में अध्ययन-सामग्री पेटियों रखी जाती है। सदन के समक्ष प्रस्तुत विधेयकों अथवा विषयों सम्बन्धी सभी पुस्तकें, प्रतिवेदन और अन्य कागजात एक जगह इकट्ठा कर इन "पेटियों" में रखे जाते हैं जिससे वे सदस्यों को एक ही जगह मिल सकें।

{दो} प्रलेखन विंग

प्रलेखन विंग का कार्य कागजातों और रिकार्ड जैसे पुस्तकों, प्रतिवेदनों, पत्रिकाओं, समाचार-क्तरनों और संसद ग्रन्थालय

में प्राप्त होने और रखी जानेवाली अन्य सामग्री का पता लगाना, इकट्ठा करना और उनका विषयवार बर्गीकरण/पुस्तक सूची तैयार करना है। व्याख्या/सार सामग्री सदस्यों को उपलब्ध होने के साथ-साथ यह और आगे अनुसंधान करने और संदर्भ कार्य में अमूल्य सहायता देता है। इस सेवा द्वारा किये जाने वाले प्रलेखन कार्य को पत्रिकाओं और तदर्थ प्रलेखन सूचियों के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

॥तीन॥ समाचार कतरन और रेपरोग्राफी

अनुभाग

समाचार कतरन २ : संसद सदस्यों के संदर्भ के लिये सम्बन्धित विषय के फोल्डरों में लगभग 2,500 महत्वपूर्ण विषयों की समाचार कतरने रखता है।

अनुभाग

रेपरोग्राफी २ : संसद सदस्यों की आवश्यकता की सामग्री को शीघ्रता से पेनाप्रिन्टिंग/जेरोक्सिंग/डुपलिकेटिंग करने में मदद देता है।

अनुसंधान और सूचना प्रभाग

सदस्यों के लिये संदर्भ सेवा के सहयोग हेतु बनाए गए दो प्रभागों का उद्देश्य ऐसे सामयिक विषयों का पता लगाना है जिनके संबंध में सामान्य जानकारी के लिए अधिक मांग की संभावना हो, ताकि विधायकों की आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाया जा सके।

इन प्रभागों के पांच अलग-अलग विंग है जिनके :
 विषय है: आर्थिक और वित्तीय कार्य विंग, संसदीय कार्य
 विंग, विधिक और संवैधानिक कार्य विंग, सामाजिक कार्य
 विंग और राजनीतिक कार्य विंग ।

अनुसंधान आर सूचना अध्ययन

अनुसंधान और सूचना प्रभाग उचित समय पर विभिन्न
 स्रोतों से प्राप्त निश्चित तिथि तथा अर्न्त जानकारी के
 आधार पर पुस्तिकाएं, सूचना बुलेटिन, पृष्ठाधार
 टिप्पणियां, तथात्मक विवरण, करंट इनफारमेशन डाइजेस्ट
 आदि सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों की ताजा समस्याओं से
 अवगत कराने के लिये प्रकाशित करता है । ये व्यापक
 अध्ययन और जानकारी देने वाली छोटी-छोटी पुस्तिकाएं
 प्रकाशित की जाती है और इस प्रकार सदस्यों को उपलब्ध
 कराई जाती है ।

पत्रिकाएं

अनुसंधान और सूचना प्रभाग कुछ पत्रिकाएं भी
 प्रकाशित करता है । वे हैं: {एक} जरनल आफ पार्लियामेन्ट-
 मेटरी इनफारमेशन {एक} त्रैमासिक पत्रिका, जिसमें भारत
 तथा विदेशों में संसदाय तथा संवैधानिक विकास के बारे में
 लेख तथा अन्य सामग्री होती है {दो} डाइजेस्ट आफ सेन्ट्रल
 एक्ट्स {इसमें संसद द्वारा पास किये गये सभी केन्द्रीय
 विधानों का सार होता है}, {तीन} डाइजेस्ट आफ
 कंस्टीट्यूशनल एण्ड लेजिस्लेटिव केसेस {इसमें संवैधानिक विधायी
 मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय

द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का सार होता है ।
॥ वार ॥ डायरी आफ ^{पोलिटिकल} इवन्ट्स ॥ एक मासिक पत्रिका,
जिसमें भारत और विदेश में होने वाली राजनीतिक घटनाओं
के महत्वपूर्ण समाचारों का सार होता है ॥ और ॥ वाच ॥
डाइजेस्ट आफ न्यूज एण्ड न्यूज आन पब्लिक अडरटेकिंग्स
॥ एक मासिक पत्रिका, जिसमें ग्रन्थालय में प्राप्त होने वाले
समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं में विभिन्न सरकारी उपक्रमों
के बारे में प्रकाशित समाचारों तथा रायों के सार दिये
जाते हैं ॥

सार-संक्षेप और अनुसंधान टिप्पण

अनुसंधान और सूचना प्रभाग अन्तः संसदीय सम्मेलनों,
राष्ट्रमण्डल संसदीय सम्मेलन आदि विभिन्न संसदीय सम्मेलनों
में जाने वाले भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिये
"सार-संक्षेप" और पृष्ठाधार टिप्पणियाँ और संसदीय अध्ययन
तथा प्रशिक्षण ब्यूरो द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में
भाग लेने वालों में परिचालित करने और संसदीय समितियों
के उपयोग के लिये अनुसंधान । अध्ययन टिप्पणियाँ तैयार
करता है । प्रभाग सदस्यों द्वारा जानकारी के लिये किये गये
उन अनुरोधों को भी पूरा करता है जिनके लिये गहन अध्ययन
अपेक्षित है ।

हिन्दी अनुभाग

हिन्दी अनुभाग हिन्दी में जानकारी मांगने वाले सदस्यों
से प्राप्त संदर्भों में सहायता करता है । यह अनुभाग "संसदीय
पत्रिका" नामक एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करता है जिसमें
संसदीय और संवैधानिक मामलों सम्बन्धी लेख और अन्य सामग्री
होती है ।

छठी लोक सभा के कार्यकाल में सात पृष्ठाधार टिप्पण तैयार
किये गये।

ख. संसदीय प्रकाशनों की बिक्री

लोगों को विधेयक, वाद-विवाद, समितियों के प्रतिवेदन तथा अन्य संसदीय प्रकाशनों खरीदने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से संसद भवन के स्वागत कार्यालय में एक विक्रय फलक जुड़ा हुआ है। सभी कमूल्य संसदीय प्रकाशन तथा भारत सरकार के अन्य महत्त्वपूर्ण प्रकाशन विक्रय फलक से खरीदे जा सकते हैं।

विवरण 56 से 60 में संसदीय ग्रंथालय के विकास, ग्रंथालय, सन्दर्भ, अनुसंधान, प्रलेखन तथा सूचना सेवा द्वारा निकाले गये प्रकाशनों की संख्या, वर्ष-वार मांगे गये सन्दर्भ तथा छठी लोक सभा में संसदीय प्रकाशनों की बिक्री सम्बन्धी विवरण दर्शाए गये हैं।

विवरण 57

ग्रन्थालय, सन्दर्भ, अनुसंधान, प्रलेखन तथा सूचना सेवा

क. संसदीय ग्रन्थालय का विकास

मद	वर्ष		
	1977	1978	1979 ॥5 सितम्बर तक॥
1. पत्र और पत्रिकाएँ	912	996	998
2. पुस्तक और प्रतिवेदन	303234	312435	319710
3. जारी किये गये प्रकाशन	15319	11503	15666

विवरण 58

ग्रंथालय, सन्दर्भ, अनुसंधान, प्रलेखन तथा सूचना सेवा द्वारा छठी लोक सभा में निकाले गये प्रकाशनों की संख्या -----

प्रकाशन का नाम	निकाले गये प्रकाशनों की संख्या	पृष्ठों की संख्या
पुस्तिकाएँ तथा प्रबन्ध	7	334
पुस्तकें	4	1926
सूचना बुलेटिन	6	496
पृष्ठाधार टिप्पणियाँ	11	123
साक्षात्कार विवरण	3	76
ग्रंथ सूचियाँ/प्रलेखन सूचियाँ	6	556
हिन्दी प्रकाशन	4	754
पत्रिकाएँ	9	718
राजनीतिक घटनाओं की डायरी	29	1858
डाइजेस्ट आफ रौटल एक्ट्स	9	194
डाइजेस्ट आफ लेजिस्लेटिव एण्ड कारिटीयूशनल केसिस	9	342
डा क्यूमिशन फोर्टनाइटली	58	3188
जर्नल आफ पारलियामेंटरी इन्फारमेशन	10	1690
पारलियामेंटरी लाइबरेरी बुलेटिन	127	3882
पब्लिक अंडरटेकिंग्स-डाइजेस्ट आफ न्यूज एण्ड व्यूज	22	1805
संसदीय पत्रिका हिन्दी	10	1055

विवरण 59

निम्नलिखित विवरण में तीसरी, चौथी, पाचवी और छठी लोक सभा की अवधि में सदस्यों द्वारा वर्षानुवर्ष मांगे गये सन्दर्भों की संख्या दर्शायी गयी है। इन सन्दर्भों के अतिरिक्त, जिनके लिखित उत्तर दिये गये, तीसरी लोक सभा में 1950, चौथी लोक सभा में 3000, पाचवी लोक सभा में 4889 और छठी लोक सभा में 1530* सन्दर्भों सम्बन्धी जानकारी मौके पर ही दी गई।

वर्ष	मांगे गये सन्दर्भों की संख्या
1962	340
1963	317
1964	326
1965	434
1966	480
1967	668
1968	725
1969	832
1970	700
1971	500
1972	600
1973	890
1974	950
1975	580
1976	574
1977	1120
1978	2490
1979 [⊙]	1592

⊙ 22.8.79 तक

* छठी लोक सभा का कार्यकाल केवल 2 वर्ष, 4 मास और 28 दिन ही रहा।

विवरण 60

छठी लोक सभा में संसदीय प्रकाशनों की बिक्री

वर्ष	प्रतियों की संख्या	राशि	
		₹0	पैसे
1977	8502	77,232	86
1978	6673	2,89,725	06
1979 {अगस्त, 1979 तक}	8622	1,61,126	38

(ग) संसदीय अद्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो

केन्द्र एवं राज्यों में विधानी निकायों को सुगम, सुजाल और अचलमय सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से। जनवरी, 1976 को, लोक सभा सचिवालय के एक अभिन्न खण्ड के रूप में, संसदीय अद्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो की स्थापना की गई। ब्यूरो की स्थापना लोकतंत्रीय पद्धति के सभी संघात्मकों अर्थात् विधायकों, नीति-निर्माताओं, प्रशासकों तथा विभिन्न स्तरों के विभिन्न अन्य कार्मिकों को संसदीय संस्थाओं के विभिन्न प्रशिक्षणों में व्यवस्थित प्रशिक्षण, प्रवचन तथा समस्या एवं वाक्य-प्रधान अद्ययन, मार्गदर्शनी और प्रक्रिया सम्बन्धी संघात्मक अन्तर प्रदान करने के लिए की गयी है।

संसदीय तथा राज्य विधानमण्डलीय सचिवालयों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम अर्पणित करने तथा भारत सरकार के त्रिस्तरीय एवं याचनीय स्तर के अधिकारियों और अञ्जित भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं के त्रिस्तरीय अधिकारियों के लिए परिबोधन कार्यक्रम संघालित करने के अलावा, ब्यूरो ने संसदीय महत्व के विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में अद्ययन गोष्ठियों का आयोजन किया। प्रसन्नता की बात यह है कि इन गोष्ठियों में न केवल संसद् सदस्यों ने ही अपितु बहुत से राज्यों के मन्त्रियों, पीठासीन अधिकारियों तथा विधायकों ने भी भाग लिया। इस प्रकार इन गोष्ठियों में पीठासीन अधिकारियों, मन्त्रियों, संसदीय समितियों के सभापतियों, प्रमुख संसद् सदस्यों तथा राज्य विधायकों और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक जैसे विशेषज्ञों द्वारा भाग लिये जाने के फलस्वरूप, इन गोष्ठियों में, जिनका विधायकों के लिए तो स्पष्ट शिक्षात्मक महत्व है ही, उसके अलावा, कई नये तथा महत्वपूर्ण विचार सामने आये हैं। ऐसी गोष्ठियों के कुछ महत्वपूर्ण विषय थे - "संसद् की वित्तीय समितियाँ", "विधानमण्डलों के विशेषाधिकार", "सचिवालय में संशोधन", "वज्र सम्बन्धी प्रक्रिया", आदि।

गोष्ठियों के अतिरिक्त, बूरो ने नये संसद् सदस्यों के लिए (i) संसदीय कार्यविधियों तथा प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं पर विचारविमर्श करने और (ii) संसदीय संस्थाओं की कार्यसंचालन व्यवस्था से उन्हें व्यापक रूप से अवगत कराने के लिए प्रबोधन कार्यक्रम अणोजित किए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ साथ " प्रश्न काल ", " गैर-सरकारी सदस्यों से सम्बन्धित कार्य ", " लीपितियों में कार्य " आदि के विषय में चर्चा अधिवेशन अणोजित किए गए।

बूरो विदेशी प्रशिक्षण, अद्ययन पाठकों और भारत से विद्यार्थी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति और विदेशी विद्यार्थी कार्यकारिणों का भारत में प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य भी करता है।

छठी लोक सभा की अवधि के दौरान, बूरो ने नये संसद् सदस्यों के लिये प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत 7 गोष्ठियों तथा 6 चर्चा अधिवेशनों का अणोजन किया, 1058 अधिकारियों के लिए 36 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों का संचालन किया गया और राज्य विधानमण्डलों के सदस्यों, अन्तर्गत भारतीय/केन्द्रीय सेवाओं, राज्य सरकारों और राज्य विधानमण्डल सचिवालयों के अधिकारियों/परिवेक्षणीय अधिकारियों, विदेशी प्रशंसकों और विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के छात्रों, जिनकी कुल संख्या 424 थी, के लिए 20 अद्ययन पाठकों की व्यवस्था की।

विभिन्न पाठ्यक्रमों के पाठ्यचर्चाओं में सम्मिलित लेखकों के विभिन्न विषयों की बहुत सी लिपियां/पत्र प्रकाशित करने के अलावा, बूरो ने श्री शान्ति भूषण, तत्कालीन विधि, न्याय तथा कर्मनी कार्य मंत्री द्वारा 1977 में दिए गए भाषण पर आधारित 'संसदीय विशेषाधिकार' नामक निबन्ध प्रकाशित किया।

विवरण 6। में संसदीय अद्ययन तथा प्रशिक्षण बूरो द्वारा संचालित गोष्ठियों, पाठ्यक्रमों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि का चौरा दिया गया है।

क. उठी लोक सभा के दौरान संसदीय अध्यायन तथा शिक्षण ब्यूरो द्वारा आयोजित गोष्ठियों, गठनकर्तों तथा कार्यक्रमों आदि का झोरा

गोष्ठी / कार्यक्रम	आरम्भ होने की तारीख	समाप्त होने की तारीख	भाग लेने वाली की संख्या
1	2	3	4
(एन) संसद सदस्यों के लिये गोष्ठियाँ			
1. "कार्परेट संसद : जिल्लियाँ सजितियाँ"	18-3-78	18-3-78	33
2. "कार्परेट संसद : प्रश्न काल"	19-4-78	19-4-78	33
3. "कार्परेट संसद : विधान भङ्गने के विधेयपरिष्कार" संसदीय गोष्ठी	19-5-78	11-5-78	65
4. "कार्परेट संसद : सीवधान में संशोधन" संसदीय गोष्ठी	5-8-78	5-8-78	97
5. "कार्परेट संसद : बजट संसदीय प्रक्रिया" संसदीय गोष्ठी	9-12-78	9-12-78	75
6. "संसद और आगेजना" संसदीय गोष्ठी	17-3-79	17-3-79	79
7. "सामाजिक विधान तथा क्रियान्वयन की समस्याएँ" संसदीय गोष्ठी	5-5-79	6-5-79	77

1	2	3	4	5

(दो) संसद सदस्यों के लिये प्रथम चर्चा के अर्थात् चर्चा-सत्र

- | | | | |
|---|---------|---------|----|
| 8. "पुन काल" संसदीय चर्चा सत्र | 8-9-78 | 8-9-78 | 31 |
| 9. "निम्न 377 के अर्थात् सूचनाओं स्थान प्रस्ताव, टानलिंग सूचनाओं, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयों तथा संसदों" संसदीय चर्चा-सत्र | 9-9-78 | 9-9-78 | 18 |
| 10. "गैर-सरकारी सदस्यों का वर्ग" संसदीय चर्चा-सत्र | 5-12-78 | 5-12-78 | 15 |
| 11. "संविधानों के वर्ग" संसदीय चर्चा-सत्र | 6-12-78 | 6-12-78 | 24 |
| 12. "कर्मरत संविधान : अचिका संविधान" संसदीय चर्चा-सत्र | 21-3-79 | 21-3-79 | 22 |
| 13. "विधान : एक कैसे तैयार किया जाता है और इसे कैसे पास किया जाता है" संसदीय चर्चा-सत्र | 22-3-79 | 22-3-79 | 16 |

(तीन) अखिल भारतीय केन्द्रीय सेवाओं के परिशिष्टों के लिये प्रवोधन पाठ्यक्रम

14. भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिशिष्टों के लिये प्रवोधन पाठ्यक्रम	15-2-78	18-2-78	71
तीसरा पाठ्यक्रम	23-2-78	27-2-78	88
चौथा पाठ्यक्रम	8-2-79	14-8-79	63
पांचवां पाठ्यक्रम	24-2-79	1-3-79	72
15. भारतीय रीजिस्ट्रार तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा के परिशिष्टों के लिये प्रवोधन पाठ्यक्रम	11-7-78	15-7-78	31
पहला पाठ्यक्रम	16-6-79	25-6-79	29
16. भारतीय विदेश सेवा के परिशिष्टों के लिये प्रवोधन पाठ्यक्रम	1-9-78	23-9-78	19
दूसरा पाठ्यक्रम	22-1-79	29-1-79	19
तीसरा पाठ्यक्रम	2-3-79	3-3-79	20
17. (1) डाक और तार केंद्र तथा विल सेवा, और (2) भारतीय डाक सेवा के परिशिष्टों के लिये प्रवोधन पाठ्यक्रम	19-3-79	19-3-79	9
18. (1) भारतीय रखा कैम्पा सेवा, और (2) भारतीय सिविल क्लर्क सेवा के परिशिष्टों के लिये प्रवोधन पाठ्यक्रम			

(चार) भारत सरकार के अधिनियमों के लिये प्रवचन
पाठ्यक्रम

19.	उपसचिव और अवर सचिव 54 के अधिनियमों के लिये प्रवचन पाठ्यक्रम	2-9-77	12-9-77	28
	सातवां अधिनियम	23-9-77	29-9-77	16
	आठवां अधिनियम	24-10-77	29-10-77	30
	नौवां अधिनियम	12-6-78	17-6-78	20
	दसवां अधिनियम	26-6-78	1-7-78	21
20.	भारतीय रीति शूल तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निराकृत अधिनियमों के लिये प्रवचन पाठ्यक्रम	2-11-77	5-11-77	29
21.	भारत सरकार के मंत्रालयों के अनुभाग अधिनियमों (संलग्न अनुभागों के अधिनियमों को छोड़कर) के लिये तीसरा अनुवर्गीय पाठ्यक्रम	23-10-78	28-10-78	34

(पांच) राज विधानमंडल सचिवालयों के अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम

- | | | | | | |
|-----|---|--|---------|----------|---|
| 22. | रिपोर्टरों तथा जाद विवाद सम्पादकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम | 24-8-77 | 31-8-77 | 36 | |
| 23. | जजिक्ला और निसेयो के संसदीय अधिकारियों के लिए सहयोग कार्यक्रम | (छः) विदेशी संसदीय अधिकारियों के लिए सहयोग कार्यक्रम | 9-10-78 | 29-11-78 | 4 |
| 24. | सिक्किम विधान सभा सचिवालय की पुस्तकालय अस्था कुमारी पैसा तोपदेन का ग्रन्थाकार और अनुसंधान, रॉबर्ट, प्रिंसेन, तथा सूचना सेवा के साथ सहयोग संबंधी कार्यक्रम | (सात) राज्य विधानमंडल सचिवालयों के अधिकारियों के लिए सहयोग कार्यक्रम | 20-8-79 | 1-9-79 | 1 |

1	2	3	4	5
	(अनु) संसदीय अधिवर्षियों के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	21-3-77	5-4-77	16
25.	शोध क्लबन प्रशिक्षण तथा उद्योगिता पाठ्यक्रम	1-9-77	22-9-77	32
26.	नृत्तकार सहकारी असेम्बलियों, रेन्डर्स सार्वजनिक, दत्तकालियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम	14-9-77	7-7-78	5
27.	निजी सचिवों/निजी सहकारकों/स्टेनोग्राफरों के लिये हिन्दी भाषा-लिख और टाइपिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	23-9-77	30-9-77	25
28.	योग्य कर्मी/हाल में उद्योगिक महामन्त्रों के लिये नृत्तगदी पाठ्यक्रम	16-1-78	3-2-78	10
29.	नृत्तकार स्टेनोग्राफरों (अंग्रेजी) के लिये दूसरा पुनर्बर्णन पाठ्यक्रम	15-5-78	3-6-78	109
30.	अपर डिवायजन कलकों आदि के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	23-5-78	24-6-78	23
31.	नृत्तकार स्टेनोग्राफरों (अंग्रेजी) के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	23-5-78	29-5-78	10
32.	वित्तीय सभित सहायकों के लिये पुनर्बर्णन पाठ्यक्रम			
33.	विद्यार्थी सभित सहायकों और विद्यार्थी सेवकों के सभान सेवक के अन्तः सहायकों के लिये पुनर्बर्णन पाठ्यक्रम	4-9-78	12-8-78	35
	दूसरा पाठ्यक्रम	28-9-78	5-10-78	38

1
2
3
4
5

34. जूनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट, वेयर हाउसमेन, रेकॉर्ड कार्टरों, 1-1-79 18-1-79 33

वर्करों, भंडारों आदि (लोगर डिविजन क्लर्क के ग्रेड में नियुक्ति करने हेतु तालिका तैयार करने के लिये संयुक्त शिवागीय परीक्षा के लिये पात्र) के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम।

35. स्थानीय संपत्ति सहायकों के लिये विशेष प्रबोधन कार्यक्रम 7-6-79 9-3-79 12

जूनियर लाइब्रेरी अटेंडेंटों, रेकॉर्ड कार्टरों, वर्करों, भंडारों आदि (लोगर डिविजन क्लर्क के ग्रेड में नियुक्ति करने हेतु तालिका तैयार करने के लिये संयुक्त शिवागीय परीक्षा के लिये पात्र) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

37. रिटर्न/रिसेक असिस्टेंटों के लिए प्रथम प्रबोधन कार्यक्रम 8-6-79 18-6-79 15

(नौ) संवैधानिक एवं संसदीय अध्यान संस्थान, नई दिल्ली के अध्येताओं का सहयोजन

38. संसदीय अध्येताओं का लेक सहा सचिवता की शर्तों के साथ सहयोजन। 26-12-77 19-1-78 8
8-1-79 2-2-79 15

39. थार्निंग/संसदीय अध्येताओं का लोक सभा सचिवलय की शर्तों के साथ सहयोजन। 11-1-78 13-2-78 1

1643

ब. विन्यस्त अधान दौरों का बौरा

दौरा करने वाले	प्रारंभ	संघटन के तारीख	भाग लेने वालों के संख्या
1	3	4	5
(ए) राज्य विधान मण्डलों के सदस्य			
1. अस्मात्त प्रदेश विधान सभा के सदस्यों का अधान दौरा	25-4-78	30-4-78	8
(ब) अखिल भारतीय/राज्य सेवा के अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी अध्यक्ष			
2. इण्डियन डाकसेवा के परिवीक्षा अधिकारियों का दौरा	1-12-78	1-12-78	12
3. भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए "आसुचना, शिक्षा के अन्तर्गत प्रतिष्ठितों का सुरक्षा तथा भारत और उसके पड़ोसी भी है, में छोटे पाठ्यक्रम में भाग लेने वालों का अधान दौरा ।	28-3-79	28-3-79	20
4. भारतीय सेवा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के संबंध में किये गये निरीक्षणों का अधान दौरा	4-12-78	4-12-78	46
पहला बैच	6-12-78	6-12-78	49
दूसरा बैच	6-12-78	6-12-78	48
तीसरा बैच	18-4-79	18-4-79	40
चौथा बैच	3-6-79	3-6-79	35
पांचवा बैच	23-4-79	23-4-79	8
5. पोस्टल स्टाफ कालेज, इण्डिया, नई दिल्ली में भारतीय डाक सेवा, प्रथम श्रेणी के प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले वरिष्ठ अधिकारियों का अधान दौरा ।			

(तीन) राज्य विधान सभलों के सचिवालयों के अधिकारी

6.	विहार विधान सभा के सचिव, श्री जे० एन० सिंह स अध्यक्ष दौरा	5-1-78	7-1-78	1
7.	उत्तर प्रदेश विधान सभा के सचिवालय के अधिकारियों स अध्ययन दौरा	17-4-79	21-4-79	4
8.	पूना विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थियों स अध्ययन दौरा	7-12-77 18-12-78	7-12-77 18-12-78	32 28
9.	अमृतसर स्थित गुरुगान्ध देव विश्वविद्यालय के एन० ए० (राजनीति शास्त्र) के विद्यार्थियों स अध्ययन दौरा	22-12-77	22-12-77	10
10.	नई दिल्ली में आई० एन० ए० स्तरीनी स्थित केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों स अध्ययन दौरा	27-11-78	27-11-78	31
11.	पटियाला पंजाबी विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थियों स अध्ययन दौरा	22-3-79	22-3-79	17
12.	दरभंगा स्थित गियिला विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के विद्यार्थियों स अध्ययन दौरा	18-4-79	18-4-79	8

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

(पांच) विदेशी संसदीय/सरकारी अधिकारी

- 13. भारत सरकार के सचिवीय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान 18-3-79 9
के सचिवीय विभाग में प्रमुख प्रशासन के लिए प्रबंध अधियों
संख्या 10 सप्ताह के पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण और अभिज्ञान में
प्रिजन्तीत देगों के भाग लेने वाले मुख्य सचिवीय प्रशासकों का
अध्ययन दौरा
- 14. राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्था द्वारा एच.ओ 7-8-78 4
के लिये प्रचलित चिकित्सा सचिवीय पाठ्यक्रम को करने वाले
सचिवीयों का दौरा
- 15. युवा अनुराधी राजनसिक नेताओं के एक सभूह का 15-2-79 6
अध्ययन दौरा




Figure 1. A detailed technical drawing of a circular mechanical assembly, possibly a turbine or engine component, oriented vertically. The diagram shows multiple concentric rings of components, likely blades or vanes, arranged in a specific pattern. The outermost ring is the largest, and the inner rings become progressively smaller towards the center. The diagram is divided into several sectors by radial lines, suggesting a symmetrical design. On the right side, there is a vertical shaft or support structure with several horizontal cross-sections, indicating the assembly's integration into a larger system. The overall appearance is that of a detailed technical drawing or schematic.